सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार

डाक व दूरसंचार

1998 की संख्या 6

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
डाक व दूरसंचार
1998 की संख्या 6

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ		v
विहंगावलोकन		vi-xvii
खण्ड I - दूरसंचार विभाग		
अध्याय 1 - संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन		
कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्तियाँ तथा वित्तीय परिणाम	1	1-12
अध्याय 2-विनियोजन लेखे		
बजट अनुदान, व्यय तथा विनियोजन लेखापरीक्षा	2	13-17
अध्याय 3-राजस्व		
महानगरों में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवाः ऑपरेटरों को 837 करोड़ रू. का अनुचित लाभ	3	18-25
सैल्यूलर ऑपरेटरों से बकाया लाइसेंस फीस	4	25-27
उपग्रह प्रभारों की गैर वसूली	5	28-29
राजस्व की हानिः चिकमगलूर एक्सचेंज	6	29-30
राजस्व बकाया	7	30-33
लेखापरीक्षा के बताये जाने पर राजस्व/परिनिर्धारित नुकसान की वसूली	8	33
ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना	9	34-37
अध्याय 4-निष्पादन समीक्षाएँ		
तार सेवाओं का आधुनिकीकरण	10	38-43
केबिल पेयर गेल सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं उपयोग	11	43-50
0.5 मि मी व्यास ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति	12	51-55

अध्याय 5-लेन-देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष		
63.38 करोड़ रू. का अधिक भुगतान	13	56-59
उपग्रह प्रणाली में ट्रांसपॉन्डर के प्रयोग में असाधारण देरी	14	59-62
दूरभाष उपस्करों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय	15	62-65
आप्टीकल फाइबर केबिल के क्रय में निविदा प्रक्रिया का जोड़-तोड़ करना	16	65-67
एच डी पी ई पाइप बिछाने में अधिक व्यय	17	67-69
फोटो फैकसिमलि मशीनों पर 80.83 लाख रू. का व्यर्थ व्यय	18	69-70
समुद्र तटीय वेतार केन्द्र पर 1.84 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय	19	70-71
उच्चतर विनिर्देशनों के एच डी पी ई पाइपों के बिछाने पर अतिरिक्त व्यय	20	71-72
अग्रिम की गैर-वसूली	21	72-73
लेखापरीक्षा के बताये जाने पर परिनिर्धारित नुकसान की वसूली	22	73-74
लेखापरीक्षा के द्वारा बताये जाने पर वसूली	23	75-76
पूर्तिकारों को अधिक भुगतान	24	76-77
सीमा-शुल्क का अधिक भुगतान	25	77-78
पी वी सी पाइपों के बिछाने पर अधिक व्यय	26	78-79
निष्फल व्यय	27	79-80
कॉपर वायर वसूल करने में विफलता के कारण हानि	28	80-81
फालतू आकस्मिक मजदूरों की अवैध छंटाई	29	81-82
क्रय में अनुचित जल्दबाजी के कारण उपस्कर/भण्डार का निष्क्रिय होना	30	82
परिवहन पर 4.53 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय	31	83
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को अनुचित लाभ	32	84-86
वर्दी के स्थान पर नकद भुगतान	33	86-87
परिहार्य शास्तिक प्रभार	34	87-88
गुणता प्रमाण-पत्र देने में लापरवाही	35	88-89
निष्क्रिय वातानुकूलित संयंत्र	36	89

निष्क्रिय व्यय	37	90
निजी ऑपरेटरों के लिए दूरभाष उपकरणों का प्रावधान	38	90-91
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	39	91-92
लेखापरीक्षा मसौदा पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया	40	92
खण्ड II - डाक विभाग		
अध्याय 6-संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन		
कार्य, संगठन, यातायात, राजस्व प्राप्तियाँ व वित्तीय परिणाम	41	93-103
अध्याय 7-विनियोजन लेखे		
बजट अनुदान, व्यय, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन एवं बचत	42	104-106
अध्याय 8-निष्पादन समीक्षाएँ		
परिमण्डल स्टैम्प डिपो की कार्यविधि	43	107-114
डाक व दूरसंचार औषधालयों की कार्यप्रणाली	44	115-122
अध्याय 9-लेन-देन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष		
अकुशल क्रय प्रणाली के कारण 1.66 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय	45	123-124
रिसोग्राफ मशीनों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति	46	124-126
बोनस एवं पेंशन का अधिक भुगतान	47	126-128
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	48	128-129

परिशिष्ट		
I	पुनर्विनियोजन के महत्वपूर्ण मामले जिनका उपयोग न होने के कारण ये अविवेकपूर्ण सिद्ध हुए; अनुदान संख्या 14, दू वि	130
II	अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले जबकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोजन के बाद अन्तिम प्रावधान से अधिक हो गया ; अनुदान संख्या 14, दू वि	131
III	ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना- संज्ञापन पत्रों का प्राप्त न होना	132-136
IV	ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना- निजी डॉटा नेटवर्क पर किराए के कम बिल बनाना	137
V	ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना- अन्य मामले	138-141
VI	परिनिर्धारित नुकसान प्रभारों की गैर वसूली के मामले	142
VII	परिनिर्धारित नुकसान की कम वसूली के मामले	143
VIII	निष्क्रिय उपस्कर	144-145
IX	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 1996 की संख्या 7 तक के लिए दू वि के व्यय पैराग्राफों के बारे में बकाया की का टि की स्थिति	146-147
X	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1997 की संख्या 6 के लिए दू वि के व्यय पैराग्राफों के बारे में बकाया की का टि की स्थिति	148-150
XI	व्यय पैराग्राफों के विवरण जिन पर दू वि के उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थे।	151-152
XII	राजस्व पैराग्राफों के विवरण जिन पर दू वि के उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थे।	153-154
	शब्दावली तथा संक्षेप	155-156

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधीन मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। यह संचार मंत्रालय के वित्तीय लेन–देनों के नमूना लेखापरीक्षा से उद्‌भूत मामलों से संबंधित है।

प्रतिवेदन में दूरसंचार विभाग से संबंधित 37 पैराग्राफ व तीन समीक्षाएँ (i) तार सेवाओं का आधुनिकीकरण, (ii) केबिल पेयर गेन सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं उपयोगिता और (iii) ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति तथा डाक विभाग से संबंधित छः पैराग्राफ व दो समीक्षाएँ (i) परिमण्डल स्टैम्प डिपो का कार्यचालन और (ii) डाक व दूरसंचार औषद्यालयों का कार्यचालन सम्मिलित हैं। ड्राफ्ट पैराग्राफ और ड्राफ्ट समीक्षाएँ सचिव दूरसंचार विभाग (दू वि) व सचिव डाक विभाग (डा वि) को छः सप्ताह के भीतर उत्तर देने के लिये अग्रेषित किये गये थे। दू वि से सभी ड्राफ्ट समीक्षाओं व 22 पैराग्राफों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे। डा वि से एक ड्राफ्ट समीक्षा का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं, जो वर्ष 1996-97 तथा वर्ष 1997-98 के प्रारम्भिक भाग के दौरान लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आए। इसमें पिछले वर्षों में ध्यान में आये मामले भी, जो सुसंगत पाये गये, शामिल किये गये हैं।

विहंगावलोकन

अप्रैल 1996 से मार्च 1997 तक के वर्ष का यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो खण्डों में प्रस्तुत किया गया है:

खण्ड I	अध्याय 1 से 5	दूरसंचार विभाग
खण्ड II	अध्याय 6 से 9	डाक विभाग

इसमें पाँच समीक्षाओं सहित 48 पैराग्राफ हैं। प्रतिवेदन के कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये हैं।

विहंगावलोकन इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को मुख्य रूप से उजागर करता है।

खण्ड I - दूरसंचार विभाग

खण्ड I पाँच अध्यायों मे विभाजित किया गया है:

— अध्याय 1 दू वि के भौतिक और वित्तीय परिचालन के लिए परिचयस्वरूप है।

—— अध्याय 2 विनियोजन लेखापरीक्षा में उजागर किये गये मामलों को संबोधित करता है।

—— अध्याय 3 प्रणाली की नमूना जाँच के परिणामों, माँग और राजस्व के संग्रहण से संबंधित है।

—— अध्याय 4 और 5 में समग्र निष्पादन समीक्षायें और व्यष्टि लेन–देन लेखापरीक्षा के परिणाम हैं।

- इस खण्ड में कई मामले[o] राजस्व अध्याय (3) और व्यय लेखापरीक्षा अध्याय (4 एवं 5) दोनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर पूर्तिकारों/ठेकेदारों से कम किये गये राजस्व/परिनिर्धारित नुकसान या किये गये भुगतान की भारी राशि की वसूली शामिल है।
- राजस्व अध्याय में 836.96 करोड़ रू. की गैर–वसूली/बकाया देयों आदि के अतिरिक्त सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटरों को 837 करोड़ रू. के अनुचित लाभ दिये जाने के मामले शामिल हैं। इसमें से, विभाग ने पहले ही 24.52 करोड़ रू. की वसूली स्वीकृत कर ली थी। स्वीकृत वसूली में से, दू वि ने 8.98 करोड़ रू. इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक वसूल कर लिए थे। शेष के लिये विभाग के उत्तर प्रतीक्षित थे।
- व्यय लेखापरीक्षा अर्थात् अध्याय 4 व 5 में वे मामले हैं, जो अधिक भुगतान/अति भुगतान और कुल 72.77 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान की गैर–वसूली प्रकट करते है। इसमें से विभाग ने 3.08 करोड़ रू. पहले ही वसूल कर लिये हैं और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अन्य 64.52 लाख रू. की वसूली स्वीकृत कर ली। कई मामलों मे उत्तर प्रतीक्षित था।

---

[o] कुछ मामलों के विवरण व्यष्टि पैराग्राफों के विहंगावलोकन में नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं।

वित्तीय परिणाम और निष्पादन

- मार्च 1997 की समाप्ति पर दू वि के पास 21752 दूरभाष एक्सचेंज का एक नेटवर्क था जिसमें 1.45 करोड़ दूरभाष संयोजन के साथ 327 ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज 421 टेलेक्स एक्सचेंज व 170 स्थिर उपग्रह भू–स्टेशन सम्मिलित थे।
- चार वर्षों 1993-97 में मापित दूरभाष कॉलें लगभग दुगनी हो गई है, जो 1996-97 के दौरान 9333 करोड़ यूनिट रही। उसी अवधि के दौरान समग्र राजस्व प्राप्तियाँ भी दुगने से अधिक 6095 करोड़ रू. से 12266 करोड़ रू. हो गई।
- राजस्व का निवल कार्यचालन व्यय का अनुपात परिचालन अनुपात होता है जो कि 1995-96 में 43.9 प्रतिशत से 1996-97 में 49.6 प्रतिशत तक बिगड़ गया है।
- मार्च 1997 की समाप्ति पर यद्यपि 17.80 लाख दूरभाष लाइनें अप्रयुक्त पड़ी रहीं, 28.94 लाख आवेदनकर्ता नये दूरभाष संयोजन के लिए प्रतीक्षा–सूची में थे। अप्रयुक्त क्षमता में से 6.72 लाख अप्रयुक्त संयोजन आठ परिमण्डलों में थे जहाँ 2.57 लाख की सारी प्रतीक्षा–सूची को क्षमता के बेहतर उपयोग से समाप्त किया जा सकता था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दूरभाष सेवायें प्रदान करने में कमी उल्लेखनीय थी। मार्च 1997 की समाप्ति तक दूरभाष सेवाओं द्वारा सभी ग्रामों को कवर करने के लक्ष्य के प्रति, 6.04 लाख ग्रामों के केवल 36 प्रतिशत को ही दूरभाष सुविधायें दी गई थी।

(पैराग्राफ 1)

व्यय नियंत्रण

- दू वि ने राजस्व (दत्तमत) और पूँजीगत (प्रभारित) खण्डों में संसद द्वारा प्राधिकृत की गई राशि से 448.07 करोड़ रू. और 2 लाख रू. अधिक किये। दू वि को संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) के अन्तर्गत अधिक व्यय को नियमित करना अपेक्षित है।
- अधिकतर भण्डारों की कम प्राप्ति, भवन निर्माण कार्यों आदि की धीमी प्रगति के कारण दू वि ने पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड में, 849.27 करोड़ रू. की बचत समाप्त कर दी। पूँजीगत खण्ड में भारी बचत सतत बनी हुई है।
- 17 मामलों के अन्तर्गत, पुनर्विनियोजन उतना ही अविवेकपूर्ण था जितना कुछ शीर्षों में, जिनके लिये राशियाँ पुनर्विनियोजित की गई थीं, वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से भी कम था यद्यपि कुछ अन्यों में, जिनमें राशियाँ पुनर्विनियोजित की गई थीं, ऐसे पुनर्विनियोजन के बाद वास्तविक व्यय शेष राशि से अधिक था।
- चार मामलों में, लो ले स की सिफारिशों पर जारी किये गये वित्त मंत्रालय के अनुदेशों की उपेक्षा करके दू वि ने निधियों को पुनर्विनियोजित किया।

(पैराग्राफ 2)

राजस्व

महानगरों में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवाः ऑपरेटरों को 837 करोड़ रू. का अनुचित लाभ

- महानगरों में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष की संभाव्य माँग का गैर पारदर्शी मूल्यांकन, माँग का सकल कम मूल्यांकन, अभिदाताओं की वास्तविक संख्या के संदर्भ में निश्चित कम से कम लाइसेंस फीस के रूप में सरकारी हितों की सुरक्षा उपलब्ध कराये बिना माँग की कुल निश्चितता के मध्यनजर प्रथम तीन वर्षों के लिए एक मुश्त लाइसेंस फीस के गलत निर्धारण, बोलियों के आमंत्रण में अनुचित आधार और कॉल प्रभारों की प्रति दस सैकण्ड के लिए 1.10 रू. से 1.40 रू. की वृद्धि होने पर लाइसेंस फीस का संशोधन करने मे विफलता के परिणामस्वरूप परिचालन के पहले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक राजकोष की लागत पर ऑपरेटरों को लगभग 837 करोड़ रू. का भारी लाभ हुआ।
- चार महानगरों में अभिदाताओं की वास्तविक संख्या ने प्रथम वर्ष के दौरान दू वि के प्राक्कल्पित माँग का 1.2 गुणा से 5.36 गुणा तथा परिचालन के दूसरे वर्ष के दौरान 2.57 गुणा से 9.31 गुणा अतिलंघन किया। इसने अभिदाताओं की संख्या के निराधार प्राक्कलन के साथ–साथ दू वि द्वारा लागत, राजस्व आदि की गणना को पूरी तरह से अस्त–व्यस्त कर दिया।
- हानि अधिक होने की सम्भावना है क्योंकि ऊपर दिखाई गई हानि की राशि प्रथम दो वर्षों के दौरान अभिदाताओं की वास्तविक संख्या के आधार पर है, जबकि तीसरे वर्ष के लिए हानि की गणना को तीसरे वर्ष के शुरू होने पर अभिदाताओं की संख्या के आधार पर किया गया है, जो कि वर्ष के दौरान बढ़ने की सम्भावना है।

(पैराग्राफ 3)

सैल्यूलर ऑपरेटरों से बकाया लाइसेंस फीस

- समय पर लाइसेंस फीस की वसूली के लिए दूरसंचार परिमण्डल में सैल्यूलर ऑपरेटरों के साथ ठेके में व्यापक प्रावधानों के बावजूद, दू वि ने उनका प्रयोग नहीं किया, परिणामस्वरूप अक्तूबर 1997 तक 685 करोड़ रू. के लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई। दू वि के अधिकारी ठेके की शर्तों के अनुसार न केवल लाइसेंस फीस की तिमाही किस्तों की राशि के पश्च दिनांकित चैक प्राप्त करने में लापरवाह थे बल्कि उन्होंने लाइसेंसधारकों के बैंक लेखे पर अपना अधिकार नहीं जमाया और न ही सरकारी प्राप्यों को वसूलने के लिए बैंक गारन्टी को भुनाया। दू वि ने बकाया भुगतानों पर 50.76 करोड़ रू. के ब्याज के अतिरिक्त परिनिर्धारित नुकसान के 33 करोड़ रू. दावा नहीं किए।

(पैराग्राफ 4)

बकाया राजस्व

- दूरभाष राजस्व के बकाया कई वर्षों से बढ़ गए हैं। मार्च 1997 की समाप्ति पर राजस्व बकाया मार्च 1994 से केवल 812 करोड़ रू. के राजस्व बकाया के प्रति 1482 करोड़ रू. का बकाया रहा। राजस्व के पूरे बकाया में से, 584.30 करोड़ रू. एक वर्ष से अधिक समय के लिये बकाया थे, जिसमें से 20.74 करोड़ रू. नौ वर्ष या अधिक समय के लिये बकाया पड़े रहे।
- तार व टेलेक्स परिपथों के कारण बकाया में भी वृद्धि हो रही थी। मार्च 1994 की समाप्ति पर 95.49 करोड़ रू. के प्रति मार्च 1997 की समाप्ति पर 125.85 करोड़ रू. बकाया रहे।

(पैराग्राफ 7)

- लेखापरीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में मामले ध्यान में आये जिनमें दू वि ने दू रा ले शाखा के संज्ञापन–पत्रों के जारी करने में विफलता, बिलों को निम्नतर दरों पर जारी करने, सार्वजनिक दस्तावेज संचरण सेवा के लिये लाइसेंस फीस की गैर–वसूली और अन्य दूरसंचार सुविधाओं, चिकमगलूर एक्सचेंज में राजस्व की हानि के मामले के अतिरिक्त परिनिर्धारित नुकसान व भुगतान में चूक से ब्याज का दावा करने की विफलता के कारण दू वि ने कुल 162.93 करोड़ रू. के देयों को वसूल नहीं किया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग/क्षेत्रीय इकाइयों ने 24.52 करोड़ रू. की वसूली स्वीकृत की और इसमें से 8.97 करोड़ रू. वसूल किये।

(पैराग्राफ 8 और 9)

निष्पादन समीक्षायें

तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

- तार सेवाओं को स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड कनसेन्ट्रेटर के प्रारम्भ से तीन वर्ष के भीतर आधुनिक करने की दू वि की 1985 की योजना जबावदेही देरी और अभाव के कारण विफल हो गई। परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड कनसेन्ट्रेटर के क्रय पर खर्च किये गये 14.71 करोड़ रू. व्यर्थ गये और मूल योजना के बाद 11 वर्ष से भी अधिक ये उपस्कर अभिप्रेत आधुनिकीकरण के लिये प्रयुक्त नहीं किये जा सके थे।
- दू वि ने छः वर्ष के समय के भीतर 14.71 करोड़ रू. पर 4671 इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड व इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर क्रय किये। इस अवधि के दौरान उन्होंने अ उ आ वाले मोर्स लाइन के परम्परागत तार माध्यम को भी आप्टीकल फाइबर और उपग्रह संचार में बदल दिया जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड व इलेक्ट्रॉनिक की–बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर उपयोग के लिए पुराने व बेकार हो गये। यह उल्लेखनीय है कि दू वि योजना के आधुनिकीकरण को क्रियान्वित करने में जो लम्बा समय लिया उसके दौरान जनता की पसन्द आधुनिक और अधिक विश्वसनीय संचार प्रणालियों में बदल गई और समग्र तार यातायात महत्वपूर्ण रूप से कम हो गया।

(पैराग्राफ 10)

केबिल पेयर गेन प्रणाली की अधिप्राप्ति व उपयोग

यह समीक्षा पेयर गेन सब्सक्राइबर कैरियर, जिनका प्रयोग केबिलों के एक या अधिक पेयर से अतिरिक्त संयोजन देने के लिये किया जाता है, सिस्टम के अकुशल क्रय व उपयोग पर मुख्य रूप से प्रकाश डालती है।

- अभिदाता परिसरों में स्थित होने के लिए अपेक्षित, 1-1 पेयर गेन प्रणालियों के बैटरी के अनुरक्षण से सम्बद्ध समस्याओं पर पहले से ही विचार करने में दू वि की विफलता ने 4.50 करोड़ रू. पर क्रय की गई 5760 इकाइयों को बेकार कर दिया।
- जिस दौरान दू वि ने उन्हें क्रय किया, उन पाँच वर्षों में से तीन में 1+7 पेयर गेन प्रणालियों के लिए क्रय प्रक्रिया दोषपूर्ण थी, क्योंकि कीमत तुलनात्मक बोली की अपेक्षा कीमत मोल–तोल के आधार पर तय की गई थी। इससे दू वि कीमत गिरावट के लाभ के अतिरिक्त मात्रा कटौती से भी वंचित रहा।
- निविदा के माध्यम से 1993-94 के दौरान केवल 7.63 करोड़ रू. के मूल्य वाली 1071 प्रणालियों के लिये तय की गई कीमत के संदर्भ में कीमत मोल–तोल के आधार पर 1994-96 के दौरान 89.42 करोड़ रू. मूल्य वाली 1+7 प्रणालियों की 13179 इकाइयों के क्रय का औचित्य संदिग्ध था।

- 1994-96 के दौरान विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत किया गया अधिकतर क्रय जिसमें मु म प्र दू को दू वि द्वारा निर्धारित कीमत पर अधिप्राप्त की जाने वाली प्रणालियों और पूर्तिकारों की संख्या का निर्णय लेने के लिए पूरी शक्तियाँ दी गई थीं। यह दू वि में सामान्य प्रथा जिसमें प्रत्येक परिमण्डल के लिए इकाइयों और पूर्तिकारों की संख्या निश्चित करते हैं, के अननुरूप था। निवल परिणाम यह हुआ था कि मु म प्र दू ने न केवल आवश्यकता से अधिक प्रणालियों का क्रय किया, बल्कि अधिकतर आदेश एक ही फर्म अर्थात् हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनीकेशन लिमिटेड को गए जो कि दू वि की स्थापित नीति के निम्नतम बोलीदाता को अधिकतम आदेश दिए जाने चाहिए, के विपरीत था, क्योंकि निम्नतम बोलीदाता फर्म उक्त फर्म से भिन्न थी।
- पिछले वर्ष के निविदा आमंत्रण पर तय की गई कीमत के संदर्भ में कीमत मोल–तोल के आधार पर अन्य किस्म का पेयर गेन सिस्टम सब्सक्राइबर लाइन कन्सेन्ट्रेटर की भारी क्रय करने के समान अनियमितता ने दू वि को अविनिर्दिष्ट मात्रा कटौती से वंचित कर दिया। जबकि 1993-94 में निविदा केवल 5.34 करोड़ रू. के मूल्य के उपस्कर के लिए थी और 1994-95 में कीमत मोल–तोल पर की गई क्रय 31.44 करोड़ रू. थी।
- समीक्षा से 32.16 लाख रू. के अनुनमत भुगतान, 23.60 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान की गैर उगाही और 13.97 लाख रू. के अप्राधिकृत अधिक भुगतान के मामले उजागर हुए।
- प्रणालियों की भारी संख्या बिना उपयोग के पड़ी रही और बहुतों का तकनीकी सीमाओं या अन्य कारणों से कम उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 11)

0.5 मि.मी. व्यास ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति

इस समीक्षा से नई किस्म की ड्रॉपवायर, जो कि दूरभाष संयोजन देने के लिए वितरण बिन्दु से अभिदाता परिसर तक प्रयोग की जाती है, के क्रय पर 38.02 करोड़ रू. के व्यर्थ व्यय को उजागर करता है। नई आरम्भ की गई ड्रॉपवायर को जल्दबाज़ी में आरम्भ करने, अपर्याप्त विनिर्देशन और अनुपयक्ता के बारे में फील्ड इकाइयों द्वारा की गई शिकायतों पर उदासीन व्यवहार करने से यह क्रय हुआ।

- प्रयोगशाला परीक्षण, फील्ड परीक्षण, शैक्षणिक आदेश और विकासात्मक आदेश के बाद 1994 में आरम्भ की गई ड्रॉपवायर की पूर्ण विफलता इस समग्र प्रक्रिया की गुणता को संदिग्ध बनाती है।
- दू वि ने नई आरम्भ की गई ड्रॉपवायर की घटिया गुणता के बारे में शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया और थोक क्रय कर लिया। इससे भी बद्दतर जुलाई 1996 में दू वि ने 29.95 करोड़ रू. के 2.08 लाख कि.मी. दोषपूर्ण विनिर्देशन की ड्रॉपवायर के लिए आदेश दिए जबकि ड्रॉपवायर की गुणता के विरूद्ध शिकायतों के कारण विनिर्देशन नि मू स द्वारा संशोधित किये जा रहे थे। जब तक दू वि नुकसान रोकने के लिए सुधारी हुई विनिर्देशन वाली ड्रॉपवायर से बदलने के लिए आपूर्ति आदेश में संशोधन करता पूर्तिकारों ने पहले ही 16.44 करोड़ रू. मूल्य की दोषपूर्ण विनिर्देशन की ड्रॉपवायर आपूर्त की थी।
- मई 1994 में पहले वाणिज्यिक आदेशों में 21.58 करोड़ रू. के मूल्य के 1.19 लाख कि मी की ड्रॉपवायर का कीमत निर्धारण दोषपूर्ण था, क्योंकि दू वि ने निविदा के आधार पर निर्णीत कीमत में वृद्धि करने से उन्होंने विनिर्माताओं द्वारा की गई अनुचित मांग मान ली थी। चूँकि 1996 की बाद वाली निविदा में कीमत का औचित्य और सुधारी गई विनिर्देशन वाली ड्रॉपवायर के लिए संशोधित कीमत

गणना 1994 की उच्चतर कीमत को आधार बनाकर की गई थी, अतः इसका आगे की कीमतों पर भी गुणक प्रभाव रहा। इसका निवल प्रभाव 6.61 करोड़ रू. का अधिक व्यय रहा।

(पैराग्राफ 12)

लेन देन लेखापरीक्षा निष्कर्ष

63.38 करोड़ रू. का अधिक भुगतान

- 1994-96 के दौरान पोलीइन्सूलेटेड जेलीफिल्ड केबिल तथा ड्रॉपवायर और सॉकेटों आदि के उत्पाद–शुल्क को छोड़कर कीमत निर्धारित करते समय दू वि ने पूर्तिकारों को उपचित होने वाले माडवेट क्रेडिट को हिसाब में नहीं लिया।
- इसके परिणामस्वरूप पूर्तिकारों द्वारा कॉपर वायर की छड़ जो कि इन उत्पादों के लिए मूल उत्पाद है, पर लिए गए माडवेट क्रेडिट के लाभ के बराबर अधिक भुगतान हुआ।
- कॉपर वायर छड़ की कीमत से माडवेट क्रेडिट की कटौती करने में लापरवाही के परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि की गणना करते समय कॉपर वायर की छड़ की कीमत में सम्मिलित उत्पाद–शुल्क के अंश पर अननुमत वृद्धि का भुगतान हुआ।
- चूँकि बिक्री कर तैयार उत्पादों पर देय है, दू वि ने अननुमत मॉडवेट क्रेडिट और अननुमत वृद्धि पर भी परिहार्य बिक्री कर का भुगतान किया।
- इस लापरवाही का पूरा प्रभाव लगभग 63 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 13)

उपग्रह प्रणाली में ट्रांसपॉण्डरों के प्रयोग में असाधारण विलम्ब

- उपग्रह बहुत भारी लागत पर कक्ष में रखे जाते हैं। इनकी अवधि भी सीमित होती है। अतः इनको नियंत्रित और प्रयोग के लिए लाइसेंस देने वाले संगठन के लिए यह अनिवार्य है कि इसके उपयोग को सुगम बनाने के लिए आवश्यक भू सेग्मैंट को पहले ही तैयार रखे ताकि इसका ईष्टतम् उपयोग हो सके।
- चार उपग्रहों अर्थात् इन्सेट–1डी, इन्सेट–2ए, इन्सेट–2बी तथा सी–बैण्ड में इन्सेट–2सी, विस्तारित सी–बैण्ड, के यू बैण्ड और एस–बैण्ड पर ट्रांसपॉण्डरों के कम उपयोग की इष्टतम् सीमा तक लेने में सतत् विफल रहा, बावजूद इसके आरम्भ होने की तथा इसके मांग के बारे में पहले ही जानकारी थी।
- प्रत्येक किस्म के ट्रांसपॉण्डर के उपयोग में दस से 30 महीने के बीच विलम्ब था।
- प्रचलित वार्षिक ट्रांसपॉण्डर प्रभारों की दर पर दू वि को विलम्ब के कारण कम से कम 84 करोड़ रू. की हानि हुई।

(पैराग्राफ 14)

आप्टीकल फाइबर केबिल के क्रय में निविदा प्रक्रिया का जोड़-तोड़

- 1994-95 के दौरान सं रा मं के कहने पर दू वि ने दूरसंचार आयोग की निम्नतर मात्रा की सिफारिश के विपरीत दो गैर प्रतिष्ठित फर्मों को आप्टीकल फाइबर केबिल की बहुत ही उच्च मात्रा के लिए आपूर्ति आदेश देकर उनका पक्षपात किया। 1995-96 के दौरान दो फर्मों के सं रा मं को अनुरोध करने पर दू वि ने निविदा प्रणाली से बाहर उन्हें 63.52 करोड़ रू. मूल्य की भारी मात्रा के लिए आपूर्ति आदेश दिए जबकि 1995-96 के दौरान क्रय के लिए निविदाएँ पहले ही प्राप्त की गई थी और उनको अन्तिम रूप दिया जा रहा था। 1995-96 में निविदा प्रक्रिया से बाहर भारी मात्रा के आपूर्ति

आदेश का लाभ उठाने वाली एक फर्म 1994-95 के दौरान भी भारी आपूर्ति आदेश की लाभ भोगी रही।

(पैराग्राफ 16)

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ : 3.72 करोड़ रू.

⇨ लेखापरीक्षा के कहने पर दू वि द्वारा अधिक भुगतान/परिनिर्धारित नुकसान की वसूली के मामले अध्याय–5 में दिए गए हैं। दू वि ने पूर्तिकारों से 3.08 करोड़ रू. वसूल किए और 64.52 लाख रू. की वसूली स्वीकार कर ली।

(पैराग्राफ 13, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 और 32)

गुणता प्रमाण पत्र देने में लापरवाही

➢ अगस्त और सितम्बर 1995 के बीच सैन्ट्रल टेलीकॉम स्टोर डिपो मोहाली को स्वास्तिक इंजीनियरिंग कम्पनी जबलपुर द्वारा आपूर्त की गई 1315 कि मी ड्रॉपवायर वरिष्ठ उपमण्डलीय अभियन्ता दूरसंचार गुणता आश्वासन परिमण्डल जबलपुर ने निरीक्षण किया और पास किया। ड्रॉपवायर की घटिया गुणता के बारे में म प्र दू अमृतसर द्वारा शिकायतों के फलस्वरूप बाद में विभाग तथा पूर्तिकारों द्वारा सयुंक्त निरीक्षण और कम्पोनेंट अपरूवल एण्ड कम्पोनेंट टैस्टिंग बंगलोर द्वारा परीक्षणों से पता चला कि फर्म द्वारा आपूर्त की गई ड्रॉपवायर घटिया गुणता की थी। उपमण्डलीय अभियन्ता दूरसंचार गुणता आश्वासन परिमण्डल जबलपुर ने लापरवाह ढंग से गुणता प्रमाण पत्र जारी किया जिसके परिणामस्वरूप 39.05 लाख रू. मूल्य के घटिया गुणता वाली 1315 कि.मी. ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति हुई।

(पैराग्राफ 35)

दूरभाष उपस्करों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय

⇨ जून 1994 और जनवरी 1996 के बीच अन्तिम दरों पर क्रय किए गए इलेक्ट्रॉनिक दाब बटन दूरभाष के क्रय में दूसरे वर्ष के निविदा के आधार पर तय की गई कीमत में, मु म प्र दू गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु परिमण्डलों ने, कीमत संशोधन के लिए दूरसंचार विभाग के अनुदेशों की अवहेलना में कीमत समायोजन खण्ड सम्मिलित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 83.43 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 15)

फोटो फैकसिमलि मशीनों पर 80.83 लाख रू. का व्यर्थ व्यय

➢ मई 1989 में मौजूदा एनॉलाग फैक्स मशीनों के माध्यम से फोटो संचरण की घटिया गुणता के बारे में प्राप्त की गई शिकायतों पर मुख्यतया प्रैस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दू वि ने जुलाई 1991 में कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई और नई दिल्ली के लिए 80.83 लाख रू. की चार फोटो फैकसिमलि मशीनें खरीद ली। दू वि ने मशीने खरीदने में दो वर्ष से अधिक समय लिया और फरवरी 1993 में उन्हें चालू होने तक और 19 महीने लिए। लगभग इन चार वर्षों के दौरान अधिकांश प्रयोक्ताओं ने अपनी आन्तरिक प्रणालियाँ प्रतिष्ठापित की थी। दू वि द्वारा खरीदे गए उपस्कर पिछले छः वर्षों के लिए बिना उपयोग के पड़े रहे।

(पैराग्राफ 18)

अग्रिम की गैर-वसूली

⇨ दू वि के निर्देश पर निदेशक माइक्रोवेव परियोजना चेन्नई ने सविदा की शर्त को बदल दिया और अप्रैल 1991 में पूर्तिकार को माइक्रोवेव उपस्कर की आपूर्ति के लिए 40 लाख रू. के अग्रिम जो कि पूर्तिकार के बिलों से वसूल होना था, अदा किया। परन्तु उसने यह सुनिश्चित नहीं किया कि परेषितियों, जिनको वसूली किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बिलों का भुगतान न करें और अग्रिम और उस पर ब्याज सहित समायोजन के बाद केन्द्रीय रूप से भुगतान के लिए उन्हें प्रस्तुत करें। इसके परिणामस्वरूप अग्रिम और ब्याज के कुल 78.73 लाख रू. की गैर–वसूली हुई।

(पैराग्राफ 21)

सीमा-शुल्क का अधिक भुगतान

➢ दूरसंचार लाइन के परिचालन और रखरखाव के लिए आयात किए गए उपस्कर पर सीमा–शुल्क के भुगतान को रियायती दर तक सीमित रखने में म अ दू कलकत्ता और चेन्नई की विफलता के कारण 1.03 करोड़ रू. के सीमा–शुल्क का अधिक भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 25)

पी वी सी और एच डी पी ई पाइपों पर अधिक व्यय

⇨ उच्च घनत्व पोलीथीलीन पाइपों के लिए आप्टीकल फाइबर केबिल को करने के लिए और भूमिगत केबिलों के लिए सीमेंट कंक्रीट आवरण में डक्ट के रूप में पी वी सी पाइपों को प्रयोग करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के विनिर्देशनों की दू वि द्वारा उल्लंघन के परिणामस्वरूप 1.87 करोड़ रू. का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 20 और 26)

पूर्तिकारों को अधिक भुगतान

➢ एच डी पी इ पाइपों के क्रय पर पिछले साल के उच्चतर म नि पू नि की दर पर मु म प्र दू महाराष्ट्र परिमण्डल ने अधिक भुगतान किया। उसने वास्तव में आपूर्त न की गई पाइपों के लिए भुगतान करने के अलावा उच्चतर विनिर्देशन की पाइपों के लिए भी भुगतान किया जबकि निम्नतर विनिर्देशन की पाइपों को वास्तव में आपूर्त किया गया था। कुल अधिक भुगतान 28.94 लाख रू. था।

(पैराग्राफ 24)

एच डी पी ई पाइप बिछाने में अधिक व्यय

⇨ मं अ भुवनेश्वर ने केवल 19 कि.मी. लम्बाई के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अन्तिम रूप से तय की गई दरों के आधार पर 211 कि.मी. लम्बाई के लिए आ फा के मार्ग पर एच डी पी ई पाइप बिछाने के लिए, विभिन्न मदों की मात्राओं का मूल्यांकन किए बिना ठेका दे दिया। विभिन्न मदों की वास्तविक मात्राओं के अनुपात से निम्नतम दरों के निर्णय को अस्त–व्यस्त कर दिया। यदि 211 कि.मी. मार्ग के लिए मात्राओं का निर्धारण सही ढंग से किया जाता तो अन्य बोलीदाता की दर निम्नतम रहती। इस बोलीदाता के दरों के संदर्भ में अधिक व्यय 24.12 लाख रू. था।

(पैराग्राफ 17)

परिवहन पर 4.53 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय

➢ दूरभाष और तार सामग्री के लिए दू वि द्वारा रियायती रेलवे भाड़ा का लाभ उठाने में विफलता के कारण किए गये 1.04 करोड़ रू. के अतिरिक्त व्यय को पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया था लेखापरीक्षा के दौरान 4.53 करोड़ रू. के परिहार्य व्यय के और मामले ध्यान में आए हैं। पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित पैराग्राफ की उपचारी कार्रवाई के रूप में दू वि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के बाद में इसमें से 85.45 लाख रू. के परिहार्य अतिरिक्त व्यय के लिए मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता और सहायक अभियन्ता बंगलोर जिम्मेदार थे।

(पैराग्राफ 31)

तटीय बेतार स्टेशनों पर 1.84 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय

⇨ दू वि ने कलकत्ता, चेन्नई और पोर्टब्लेयर में तटीय बेतार स्टेशनों को अपग्रेड करने के लिए उपस्कर पर 1.84 करोड़ रू. व्यय किए, जबकि कलकत्ता और पोर्टब्लेयर में उपस्कर कभी प्रतिष्ठापित नहीं किए गए और जो चेन्नई में प्रतिष्ठापित किए गए थे, दोषपूर्ण स्थिति में थे। इससे महत्वपूर्ण समुद्र तटीय बेतार प्रणाली को प्रोन्नत करने से तट और समुन्द्री जहाज के बीच में दोतरफा संचार की व्यवस्था का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 19)

वर्दी के बदले में नकद भुगतान

➢ समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों को सरकारी डयूटी पर प्रयोग के लिए गर्मी और सर्दी के मौसमों के लिए प्रत्येक वर्ष वर्दी की व्यवस्था की जाती है और वह किसी भत्ते के स्वरूप की नहीं होती है। 1980-91 के दौरान बारह वर्षों के लिए मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार परिमण्डल–बिहार ने कर्मचारियों को वर्दी नहीं दी। 1993-95 के दौरान 15 वर्षों तक न दी गई वर्दी के बदले में उनको देय वर्दियों के लिए नकद भुगतान किया गया था। उसने वर्दी जो इन वर्षों में कभी नहीं दी गई थी, के लिए धुलाई भत्ता भी अदा किया।

(पैराग्राफ 33)

खण्ड-II डाक विभाग

खण्ड-II, चार अध्यायों मे विभाजित है

— अध्याय–6 डा वि के भौतिक निष्पादन और वित्तीय परिणाम को कवर करते हुए एक परिचयस्वरूप का अध्याय है।

— अध्याय–7 में विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हैं।

— अध्याय–8 और 9 में समग्र निष्पादन समीक्षाएँ और व्यष्टि लेन–देन लेखापरीक्षा के परिणाम है।

वित्तीय परिणाम

- अधिकांश डाक सेवाएँ नुकसान पर चल रही हैं। 1996-97 के दौरान डा वि द्वारा उठाई गई निवल हानि 598.97 करोड़ रू. थी।
- डा वि ने प्रत्येक प्रकार की सेवा के प्रक्षेपित यातायात पर प्रति यूनिट लागत का परिकलन किया है जो कि वास्तविक यातायात का केवल 28 प्रतिशत है। अतः विभाग द्वारा प्रत्येक प्रकार की सेवा के लिए परिकलित परिचालन परिणाम सही तस्वीर नहीं दर्शाते हैं।
- राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अन्तर 1992-93 में 92 करोड़ रू. से 1996-97 में 703 करोड़ रू. तक बढ़ता जा रहा है, पिछले चार वर्षों के दौरान राजस्व घाटे में सात गुणा से अधिक वृद्धि हुई थी।
- शीर्ष डाक अग्रिम जिनमें मुख्यतः रा ब प्र पत्रों, धनादेशों, बॉण्ड, नकद प्रमाण पत्रों आदि के लिए अधिक भुगतान अथवा कम क्रेडिट शामिल हैं, के अन्तर्गत पिछले पाँच वर्षों मार्च 1993 में 524 करोड़ रू. से 1997 में 766 करोड़ रू. तक बकाया में वृद्धि हुई है।
- 1996-97 के दौरान वसूलियाँ और राजस्व को समायोजित करने के बाद डाक सेवाओं के लिए निवल बजटीय समर्थन 703.26 करोड़ रू. था जोकि 741.29 करोड़ रू. के प्रावधान के ऊपर सुधार था।

(पैराग्राफ 41)

व्यय नियंत्रण

- 1996-97 के दौरान डा वि ने पूँजीगत (दत्तमत्त) खण्ड के अन्तर्गत मूल अनुदान के 22 प्रतिशत की बचत की। पूँजीगत खण्ड में बचत सत्त बनी रही है।
- चार वर्ष से राजस्व (दत्तमत्त) खण्ड में अनुमोदित प्रावधान अधिक होने के बाद विभाग ने 43.95 करोड़ रू. की बचत दर्ज की।
- मार्च 1997 में डाक छटाई, डाक जीवन बीमा और डा व दू औषधालयों को पुनर्विनियोजन द्वारा और निधियों की व्यवस्था फालतू थी, क्योंकि इन शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय मूल प्रावधानों से बहुत कम था।

(पैराग्राफ 42)

निष्पादन समीक्षाएँ

परिमण्डल स्टैम्प डिपो का कार्यचालन

- परिमण्डल स्टैम्प डिपो के कार्यचालन की समीक्षा से डा वि और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा आन्तरिक नियंत्रण और मॉनीटर करने में गम्भीर कमियों का पता चला। नमूना जाँच से डाक लेखन सामग्री अर्थात् अन्तर्देशीय पत्र कार्डों आदि सहित डाक टिकटों के 3.17 करोड़ रू. मूल्य के और 185.25 करोड़ रू. अंकित मूल्य के नकद प्रमाण पत्रों की पारगमन हानि का पता चला जो कि विभाग को धोखे के जोखिम मे डालता है जबकि टिकटों को नकद में बदलने की सम्भावना है, नकद प्रमाण पत्र अर्थात् राष्ट्रीय बचत पत्रों और किसान विकास पत्रों को कपटपूर्ण रूप से भुनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- वास्तव में कपटपूर्ण ढंग से भुनाने के उदाहरण ध्यान में पहले ही आ गए हैं। असम परिमण्डल में नकद प्रमाण पत्र की हानि विशेषकर परेशानी वाली हैं क्योंकि नमूना जाँच में उजागर हुए

185.25 करोड़ रू. के अंकित मूल्य के कुल नकद प्रमाण पत्रों की हानि में से 180.80 करोड़ रू. के अंकित मूल्य के नकद प्रमाण पत्रों की हानि केवल इसी परिमण्डल की थी।

➢ परिमण्डल स्टैम्प डिपो से मुख्य डाकघरों को प्रेषित की गई टिकटों और नकद प्रमाण पत्रों के लेखाओं को मिलान करने की प्रणाली दोषपूर्ण थी। बहुत से मुख्य डाकघर टिकटों और नकद प्रमाण पत्रों की पावती नहीं भेजते थे। नमूना जाँच से परिमण्डल स्टैम्प डिपो द्वारा प्रेषित और मुख्य डाकघरों द्वारा प्राप्त की गई स्टैम्पों और नकद प्रमाण पत्रों के मूल्य के लेखाओं में 36 करोड़ रू. से अधिक के अन्तर का पता चला।

(पैराग्राफ 43)

डाक व दूरसंचार औषद्यालयों का कार्यचालन

⇨ के स स्व से के अन्तर्गत कवर किए गए और डा एवं दू औषद्यालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवा लेने वाले कर्मचारियों के बीच अंशदान की वसूली के संबंध में डा वि और दू वि असंगत नीति अपना रहे हैं। इन विभागों द्वारा डा एवं दू संचार औषद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले 1.34 लाख कार्डधारकों से कोई अंशदान वसूल नहीं किया जा रहा है जबकि के स स्व से के अन्तर्गत कवर किए गए कर्मचारियों से अंशदान वसूल किया जा रहा है।

⇨ 1994-97 के दौरान इन दो विभागों द्वारा पहले ही 7.86 करोड़ रू. की वसूली छोड़ दी है और मार्च 1997 से आगे प्रतिवर्ष 2.62 करोड़ रू. की वसूली छोड़ रहे हैं।

⇨ केवल नमूना जाँच किए गए औषद्यालयों में विनिर्माताओं से सीधे प्राप्त करने के बजाए डा एवं दू औषद्यालयों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्थानीय क्रय से दवाईयाँ प्राप्त करने से 1.29 करोड़ रू. का अधिक व्यय हुआ।

⇨ नमूना जाँच से मु चि अ के सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो पर मांग पत्र भेजने में लापरवाह रूझान और उनकी स्थानीय क्रय के लिए वरीयता के बारे में पता चला। मध्य प्रदेश में औषद्यालयों का मामला, जहाँ पर मु चि अ ने अपनी आवश्यकता का 84 प्रतिशत स्थानीय रूप से खरीदा, विशेषकर बुरा था।

⇨ नमूना जाँच से एक मामला जहाँ इसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यकाल के दौरान दो औषद्यालयों में दवाइयों की भारी क्रयों पर असामान्य रूप से अधिक व्यय किया गया था, प्रकाश में आया।

(पैराग्राफ 44)

अकुशल क्रय प्रणाली के कारण 1.66 करोड़ रू. का अधिक व्यय

➢ कानवास बैगों के क्रय के लिए निविदा की गलत प्रक्रिया और वित्तीय सलाहकार द्वारा एक मामूली प्रक्रिया संबंधी सन्देह का समाधान न करने से विभाग ने प्रस्तावों की वैधता अवधि को पार कर लिया। अगले वर्ष के लिए निविदा में प्राप्त किए गए निम्नतर दरों और चूक के बावजूद आपूर्ति आदेश को पहले समाप्त करने में उनकी लापरवाही के कारण और 11 लाख रू. के परिहार्य भुगतान के अलावा विभाग को परिणामी पुनः निविदा प्रक्रिया की लागत 1.55 करोड़ रू. अतिरिक्त हुए।

(पैराग्राफ 45)

रिसोग्राफ मशीनों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

⇨ डा वि ने निजी मुद्रकों पर निर्भरता कम करने के कथित उद्देश्य से दो बैंचों मे हर–बार चार, 33.80 लाख रू. की लागत पर आठ रिसोग्राफ मुद्रण मशीनें खरीदीं। पहले बैच में क्रय की गई चार रिसोग्राफ

मशीनों की उपयोगिता की समीक्षा करने के बजाए डा वि ने अन्य बैच की चार मशीनों के क्रय की जल्दबाज़ी की। अन्ततः यह पाया गया कि अधिकांश रिसोग्राफ मशीनों का निष्पादन इष्टतम से कम था और केवल लगभग सात प्रतिशत निष्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर पाए। इनमें से अधिकांश एक या दूसरी समस्या से अपंग दशा में पड़ी रही और निजी मुद्रकों पर कम निर्भरता का मुख्य उद्देश्य कभी नहीं प्राप्त कर पाई। व्यापार से फार्मों आदि के मुद्रण की लागत से रिसोग्राफ मशीनों की सहायता से मुद्रण की लागत बहुत ही उच्चतर रही है। विभाग को जल्दबाजी में की गई अधिप्राप्ति से इन मशीनों को अधिकांश समय के लिए फोटोकापयर, जो कि अन्यथा बहुत की कम लागत पर उपलब्ध हैं, के रूप में प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

(पैराग्राफ 46)

बोनस एवं पेंशन का अधिक भुगतान

➢ डा वि ने कर्मचारियों को अनुमोदित दरों से उच्चतर दर पर बोनस देने में न केवल अपने प्राधिकार का अतिक्रमण किया है अपितु पिछले चार सालों के लिए कर्मचारियों से 4.23 लाख रू. के अधिक अप्राधिकृत भुगतान की वसूली में भी निरन्तर विलम्ब कर रहा है।

(पैराग्राफ 47)

ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफ के लिए मंत्रालय का प्रत्युत्तर

♦ लो ले स की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को यह निर्देश जारी किए कि मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को प्रेषित किए गए ड्राफ्ट आडिट पैराग्राफों पर छः सप्ताहों के भीतर अपनी टिप्पणी भेजें। जबकि सचिव डा वि ने सभी ड्राफ्ट पैराग्राफों पर अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं, प्रतिवेदन में सम्मिलित 36 पैराग्राफों में से 28 पर सचिव दू वि ने प्रतिक्रिया नहीं भेजी है।

(पैराग्राफ 40)

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

♦ लो ले स की इन सिफारिशों कि संसद में प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि के तीन/चार महीनों के भीतर की गई उपचारी कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत करने चाहिए के बावजूद, दू वि ने 59 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ नहीं भेजी। इनमें से 16 पैराग्राफ वे थे जो 1994 से 1995 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए थे और बाकी 1996 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए थे।

(पैराग्राफ 39 और 48)

खण्ड – I

दूरसंचार विभाग

अध्याय 1 — संगठनात्मक ढांचा तथा वित्तीय प्रबन्धन

1.1 विभाग के कार्य

दूरसंचार विभाग (दू वि) के मुख्य कार्यों में सम्पूर्ण भारत एवं अन्य देशों के साथ वॉइस तथा नॉन–वॉइस दूरसंचार सेवाओं की योजना, अभियान्त्रिकी, प्रतिष्ठापन, प्रचालन, प्रबन्धन व अनुरक्षण शामिल हैं। विभाग रेडियो संचार क्षेत्र में आवृत्ति आबंटन तथा अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ दृढ़ समन्वय सहित प्रबन्धन के लिए भी उत्तरदायी है। यह बेतार नियामक उपाय लागू करता है और देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार संचरणों को मॉनीटर करता है। दू वि द्वारा इन्टरनेट सेवाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान समय में 15 शहरों को इन सेवाओं से जोड़ा गया है।

1.2 संगठन

विभाग का प्रबन्धन एक अध्यक्ष तथा चार पूर्णकालिक सदस्यों, जो सभी भारत सरकार के सचिव स्तर के हैं, वाले दूरसंचार आयोग में निहित है। इसमें चार अंशकालीन पदेन सदस्य भी हैं जो सभी भारत सरकार के सचिव स्तर के हैं। निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी विभाग के समग्र प्रशासकीय नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करते हैं:

(i) दूरमुद्रकों एवं सहायक उपस्करों तथा डॉटा मॉडमों के विनिर्माण के लिए हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लिमिटेड (एच टी एल)

(ii) भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड (भा दू उ) जो दूरसंचार उपस्कर जैसे दूरभाष उपस्कर, सम्प्रेषण उपस्कर, एक्सचेंज उपस्कर आदि का विनिर्माण करता है।

(iii) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (म टे नि लि), जो कि दिल्ली एवं मुम्बई में दूरभाष तथा टेलेक्स सेवाओं का प्रबन्ध एवं प्रचालन करता है।

(iv) दूरसंचार परामर्शदाता इण्डिया लिमिटेड (दू प इ लि) जो भारत एवं विदेशों में दूरसंचार के क्षेत्र में तकनीकी तथा प्रबन्ध परामर्श सेवाएं प्रदान करता है।

(v) विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल), जिसे अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवाओं का प्रचालन, रखरखाव तथा विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, दू वि के पास विभिन्न प्रकार के उपस्करों के विनिर्माण के लिए भिलाई, कलकत्ता, जबलपुर, खड़गपुर, मुम्बई और रिछाई में छः फैक्टरियाँ हैं। टेलिमैटिक विकास केन्द्र (सी–डॉट) संचार मंत्रालय के नियंत्रण में एक पंजीकृत समिति के रूप में कार्य करता है।

मार्च 1997 के अन्त में विभाग के पास 145.43 लाख दूरभाष संयोजन वाले 21425 दूरभाष एक्सचेंज, 421 टेलेक्स एक्सचेंज तथा 327 ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज का एक नेटवर्क था। संचारण प्रणाली के अन्तर्गत, दू वि के पास समाक्ष केबिल, माइक्रोवेव, अत्य उ आ/ब उ आ ऑप्टीकल फाइबर प्रणाली के कुल 1.96 लाख मार्ग कि मी और 170 स्थिर उपग्रह पृथ्वी स्टेशन थे।

1.2.1 टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया

दूरसंचार सेवाओं तथा उससे सम्बद्ध मामलों का विनियमन करने के लिए टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टी आर ए आई) की स्थापना टी आर ए आई एक्ट, 1997 के आधार पर हुई। इसके मुख्य उद्देश्य, निम्न प्रकार से हैं:

- मानक विकास
- कीमत विनियमन
- विभिन्न सेवा सम्भरकों के मुख्य तकनीकी सुसंगति तथा प्रभावी परस्पर संबंध को निश्चित करना
- विभिन्न सेवा सम्भरकों के मध्य राजस्व की हिस्सेदारी का प्रबन्ध करना तथा लाइसेंस के निबन्धनों एवं शर्तों का अनुपालन
- प्रवेश प्रभारों का निर्धारण
- उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा तथा सेवा सम्भरकों के मध्य विवादों का निपटान

1.2.2 निजी क्षेत्र का प्रवेश

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 ने उपभोक्ताओं से सामर्थ्य मूल्य पर विश्वव्यापी विस्तार के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया। 31 मार्च 1997 तक बारह दूरसंचार परिमण्डलों में मूलभूत दूरभाष सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए आठ कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं।

1.2.3 राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 1997 तक मांग पर दूरभाष की उपलब्धता
- 1997 तक सभी ग्रामों को दूरसंचार सेवाओं से जोड़ना
- 1997 तक शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 500 व्यक्तियों के लिए पी सी ओ का प्रावधान
- भारत में, आवश्यक रूप से 1996 तक दूरसंचार सेवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के लिए सभी वैल्यू एडेड सेवाओं का प्रावधान

1.3 जनशक्ति

1994-97 के दौरान म टे नि लि का स्टाफ तथा दूरसंचार फैक्टरियों में औद्योगिक श्रमिकों सहित नियुक्त स्टाफ की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.3 जनशक्ति

31मार्च को	क एवं ख ग्रुप	ग एवं घ ग्रुप	औद्योगिक श्रमिक	कुल जनशक्ति
1994	24841	364246	5977	395064
1995	25933	387125	5637	418695
1996	28295	387768	4995	421058
1997	29280	393564	5322	428166

1994 की तुलना में क एवं ख समूह में 18 प्रतिशत तथा ग एवं घ समूह में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि औद्योगिक स्टाफ में 11 प्रतिशत की कमी थी। 1994 तथा 1997 के मध्य समग्र जनशक्ति की वृद्धि 8.38 प्रतिशत थी।

1.4 परिचालन अनुपात

परिचालन अनुपात अर्थात् अर्जित राजस्व से निवल कार्यचालन व्यय के अनुपात में 1995-96 में 43.9 प्रतिशत से 1996-97 में 49.6 प्रतिशत से 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.5 दूरभाष यातायात तथा क्षमता में वृद्धि

विगत चार वर्षों के दौरान घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में हुई वृद्धि नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.5 दूरभाष यातायात में वृद्धि

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
मापित दूरभाष कॉल इकाइयों की संख्या (करोड़ों में)*	4672.40	5860.00	7840.60	9332.56
सीधी एक्सचेंज लाइन दूरभाषों की संख्या (हजारों में)	8025.60	9795.00	11978.40	14542.65
प्रति सीधी एक्सचेंज लाइनों की मापित कालों की संख्या	5822.30	5982.60	6546.00	7336.50
प्रभावी ट्रंक कॉलों की संख्या (करोडों में)**	16.20	9.60	7.64	5.43
अन्तर्राष्ट्रीय ट्रंक कॉलों के लिए दूरभाष प्रदत्त मिनट (करोडों में)***	74.30	74.30	114.80	138.50@

* अभिदाता द्वारा अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय डायल की गई ट्रंक कॉलें सम्मिलित हैं।

** अभिदाता द्वारा डायल की गई ट्रंक कॉलें सम्मिलित नहीं हैं।

*** अन्य सभी देशों में दूरभाष प्रशासनों को की गई सभी कॉलें सम्मिलित हैं।

@ अन्तरिम

1993-97 की अवधि में प्रति सीधी एक्सचेंज लाइन मापित कॉलों की संख्या के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय कॉलों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है।

1.6 टेलेक्स यातायात में ह्रास

1993-97 के दौरान टेलेक्स यातायात में भारी गिरावट आई जैसाकि नीचे दशार्या गया है:

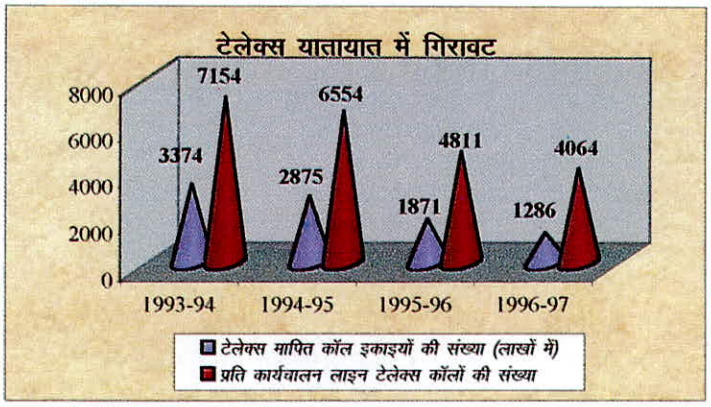

1.7 राजस्व प्राप्तियाँ

दूरसंचार शुल्क में जनवरी/मार्च 1997 में ऊर्ध्वमुखी संशोधन किया गया था। विगत चार वर्षों के दौरान विभाग की प्राप्तियाँ नीचे दी गई हैं:

तालिका 1.7 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(करोड़ रू. में)

राजस्व का विवरण	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
दूरभाष किराया तथा कॉल प्रभार	4964	6215	7675	9263
टेलेक्स किराया तथा कॉल प्रभार	85	71	59	32
तार प्राप्तियाँ	72	71	75	66
रेलवे, नहरों तथा अन्य इत्यादि को पट्टे पर दिये गये उपकरणों तथा तारों का किराया	270	222	217	264
अन्य दूरभाष/तार प्रशासन से प्राप्तियाँ	635	शून्य	2697	1743
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (म टे लि नि) से प्राप्तियाँ	585	720	1024	1212
नई सेवाओं के लिए आवेदन/पंजीकरण फीस सहित अन्य प्राप्तियाँ	365	669	671	1091
अन्य दूरभाष/तार प्रशासनों को कम भुगतान	(-)881	(-)169	(-)2657	(-)1405
कुल	**6095**	**7799**	**9761**	**12266**

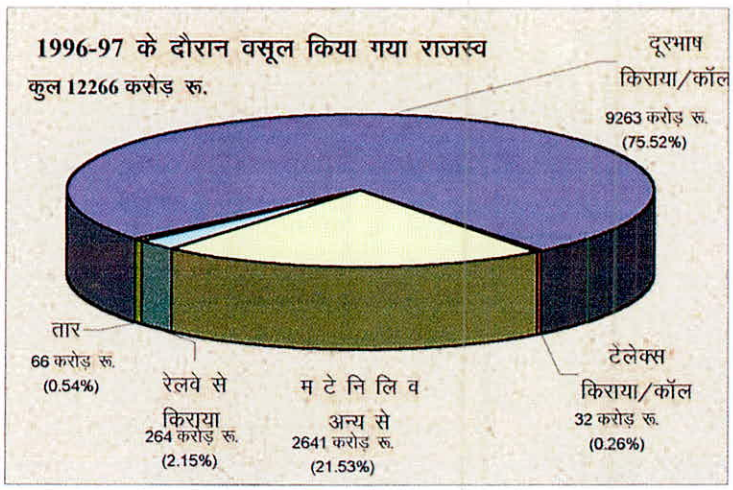

यद्यपि 1993-94 से 1996-97 के चार वर्षों में समग्र राजस्व दुगने से अधिक हो गया है, परन्तु टेलेक्स और तार के राजस्व में गिरावट आ रही है।

1.8 क्षमता उपयोग तथा प्रतीक्षा सूची

पिछले चार वर्षों के अन्त तक देश में चार महानगरों सहित जिनमें से दो सीधे विभाग तथा दो म टे नि लि के अन्तर्गत हैं, दूरभाष एक्सचेंजों की क्षमता, उनका उपयोग तथा प्रतीक्षा सूची नीचे चार्टों में दी गई है।

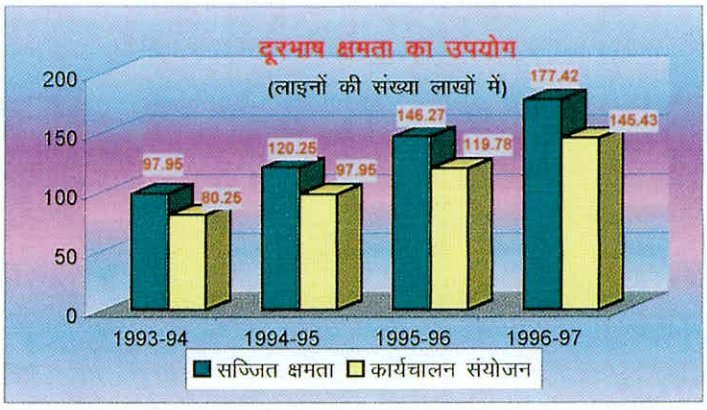

दू वि द्वारा निर्धारित 92 प्रतिशत के इष्टतम उपयोगिता स्तर की तुलना में दूरभाष एक्सचेंजों के उपयोग की प्रतिशतता वर्ष 1993-97 तक 81 और 82 के बीच थी। इस प्रकार, इष्टतम उपयोगिता के आधार पर निकाली गई 17.80 लाख लाइनों की क्षमता का 1996-97 के अन्त तक उपयोग नहीं किया गया। इनमें से, आठ परिमण्डलों में 6.72 लाख संयोजनों की उपयोगी क्षमता विद्यमान थी, जिनमें प्रत्येक में प्रतीक्षा सूची कुल 2.57 लाख जो कि फालतू क्षमता से कम थी, का विभाग ने उपयोग नहीं किया। महानगरों में, प्रतीक्षा सूची की स्थिति में सुधार प्रतीत होता है। तथापि, चेन्नई तथा मुम्बई में प्रतीक्षा सूची होने के बावजूद भी इष्टतम् क्षमता के उपयोग में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

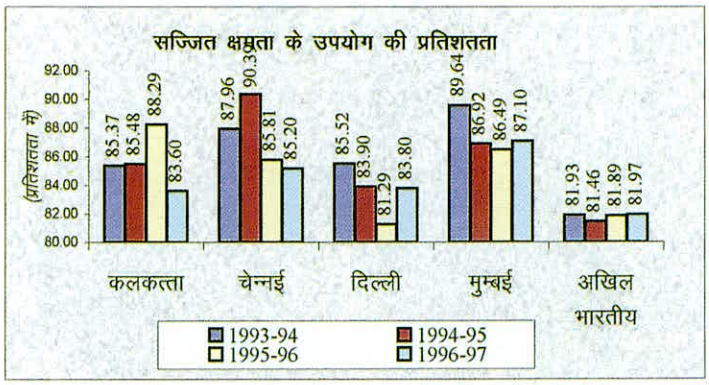

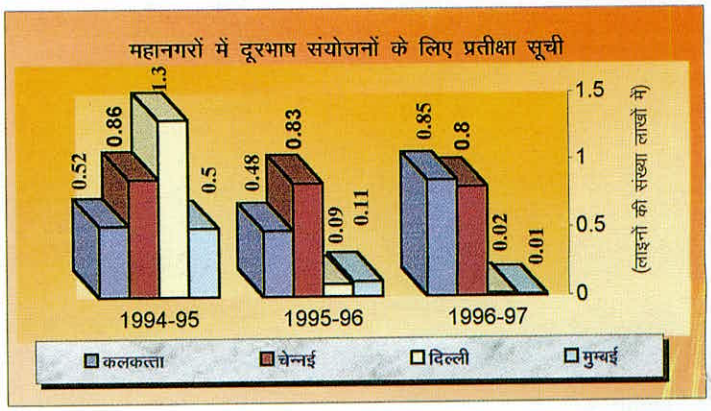

दूसरी ओर मार्च 1997 तक 28.94 लाख आवेदक नए दूरभाष संयोजनों के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमता का इष्टतम् उपयोग करने से देश में कुल प्रतीक्षा सूची को कम किया जा सकता था। इष्टतम् क्षमता का उपयोग कम होने का अर्थ है कि विभाग, लगभग 264.35 करोड़ रू. प्रतिवर्ष के राजस्व, जोकि 1996-97 के दौरान कुल संयोजनों की संख्या तथा कुल वसूल किए गए राजस्व के आधार पर निकाला गया है, से वंचित रहा।

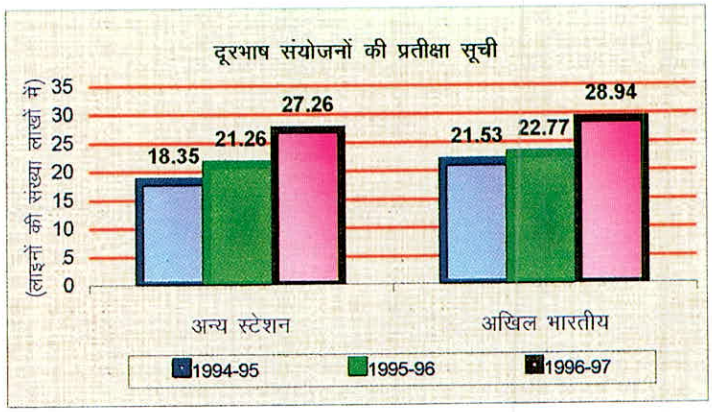

1.9 भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन

1.9.1 भौतिक निष्पादन

VIIIवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए लक्ष्यों के साथ–साथ स्वीचिंग क्षमता, डी ई एल, टी ए एक्स, वी एस ए टी, ग्राम दूरभाष और विभिन्न संचार साधन जैसे कि माइक्रोवेव, यू एच एफ, ओ एफ सी इत्यादि की उपलब्धियाँ नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.9.1 विकास योजनाएँ

मदें	*VIIIवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य 1992-97*	*संशोधित लक्ष्य*	*प्राप्तियाँ*	*वृद्धि/कमी*
स्विचन क्षमता (लाख लाइनें)	70.3	108.24	109.58	+1.34 लाख
सीधी एक्सचेंज लाइनें (लाख लाइनें)	55.80	87.28	87.33	+0.05 लाख
समाक्ष केबिल (मार्ग कि मी में)	3000.00	2800.00	3641.00	+841 कि मी
माइक्रोवेव प्रणाली (मार्ग कि मी में)	20000.00	20700	16689	(-)4011 कि मी
अल्प उ आ प्रणाली (मार्ग कि मी मे)	150000.00	47000	39664	(-)7336 कि मी
आप्टीकल फाइबर प्रणाली (मार्ग कि मी में)	20000.00	35700	46074	+10374 कि मी
गाँव दूरभाष	309000.00	335300	201288	(-)134012
टेलेक्स एक्सचेंज	-	-	9	
टेलेक्स लाइनें (लाइनें)				
स्थानीय	31200.00	10167	7431	(-)2736
पारगमन		6752	5390	(-)1362
ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज (ट्र स्व एक्स) क्षमता (लाइनें)	272000.00	927600	767650	(-)159950
उपग्रह भूमि स्टेशन एम सी पी सी– वी सैट	-	69	43	(-)26

विभाग ने स्विचन क्षमता प्रणाली, सीधी एक्सचेंज लाइनें, समाक्ष केबिल परियोजना और ऑप्टीकल फाइबर केबिल प्रणाली को बिछाने के कार्य में तो अच्छा कार्य किया परन्तु अत्य उ आ प्रणाली, माइक्रोवेव परियोजना, ग्रामीण दूरभाष, एवं ट्रंक स्वाचालित एक्सचेंजों की उपलब्धियाँ विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम थीं।

भारत के समस्त गांवों को 1997 तक दूरभाष सेवाओं से आच्छादित करना था। VIIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दू वि ने भौतिक निष्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति में अपेक्षाकृत कमी दर्शाई है। मार्च 1997 के अन्त तक 6.04 लाख गांवों को दूरभाष सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के स्थान पर केवल 36 प्रतिशत गांवों को दूरभाष सुविधाऐं उपलब्ध करवाई गईं।

1.9.2 आंबटन एवं व्यय

VIIIवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पूंजीगत लेखा में आबंटन एवं व्यय निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.9.2 योजना परिव्यय तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रू. में)

मदें	VIIIवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के लिए वास्तविक आबंटन	संशोधित आबंटन	वास्तविक व्यय 1992-97	घात/आधिक्य (-) (+) संशोधित परिव्यय के संदर्भ में
स्थानीय दूरभाष प्रणाली (स्विचन क्षमता तथा सीधी एक्सचेंज लाइनें)	14837	20076	21746	+1670
लम्बी दूरी के स्विचन (टेक्स क्षमता लाइनें)	435	906	407	(-)499
लम्बी दूरी के संचरण (समाक्ष केबिल, माइक्रोवेव प्रणाली, ऑप्टीकल फाइबर तथा अत्य उ आ प्रणाली के मार्ग कि.मी. में)	4357	8038	5834	(-)2204
टेलेक्स तथा तार	760	617	288	(-)329
इनसेट तथा इंटेलसेट (उपग्रह भू-केन्द)	95	518	236	(-)282
अन्य भूमि एवं भवन	480	714	463	(-)251
सहायक प्रणालियाँ	451	555	244	(-)311
योग	**21415**	**31424**	**29218**	(-)2206

दू वि, VIIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, समग्र संशोधित आबंटन के 2206 करोड़ रू. का उपयोग नहीं कर सका, स्थानीय दूरभाष प्रणालियों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बचत हो गई।

निधि का स्त्रोत और व्यय 1996-97

(करोड़ रू. में)

	बजट प्राक्कलन (1996-97)	संशोधित प्राक्कलन (1996-97)	वास्तविक व्यय
(i) आंतरिक संसाधन	6537	6316	5768.12
(ii) अतिरिक्त बजटीय संसाधन (बाण्ड्स)	1463	2158	1852.87
(iii) बजटीय समर्थन	--	--	----
योग	8000	8474	7620.99

इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष के दौरान उपस्करों का वित्तपोषण पट्टे पर तथा केबिल की अधिप्राप्ति आस्थागित भुगतान के आधार पर करने का सहारा लिया। आस्थागित भुगतान पर पट्टे के प्रभार तथा ब्याज की राशि क्रमशः 29.11 करोड़ रू. तथा 92.31 करोड़ रू. थी। इन्हें कार्यचालन खर्चों में लिया गया था।

1.10 वित्तीय परिणाम

वर्ष 1993-94 से 1996-97 के दौरान विभाग के कार्यचालन परिणाम नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.10 वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रू. में)

	1996-97		
	बजट प्राक्कलन	संशोधित बजट प्राक्कलन	वास्तविक
राजस्व प्राप्तियाँ	11819	11767	12266
निवल कार्यचालन व्यय	6606	6422	6089
सामान्य राजस्व के लिए लाभांश (ब्याज)	272	272	292
सकल कार्यचालन व्यय	7272	7114	6767
अधिशेष	4941	5073	5885

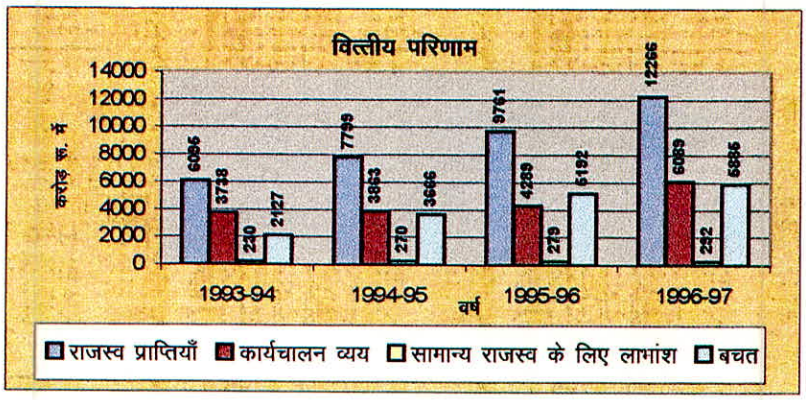

कार्यचालन व्यय से अधिशेष राजस्व 1995-96 के 5192 करोड़ रू. से बढ़कर 1996-97 में 5885 करोड़ रू. हो गया, यह 13.35 प्रतिशत सुधार दर्शाता है।

1.11 वित्तपोषण

इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में संदर्भित अनुदान संख्या 14 दूरसंचार सेवाओं पर 1996-97 में पूंजीगत एवं राजस्व व्यय क्रमशः 13046.65 करोड़ रू. तथा 7719.95 करोड़ रू. निम्न प्रकार से वित्तपोषित था:

पूंजीगत मुख्य शीर्ष 5225 -
दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

		(करोड़ रू. में)
(i)	राजस्व लेखे से मूल्य ह्रास को हस्तांतरित की गई राशि	1524.45
(ii)	अधिशेष से पूंजीगत आरक्षित निधि में विनियोजन और उतनी ही राशि का निधि से आहरण	4159.28
(iii)	**(क)** ऋणात्मक पूंजीगत व्यय के रूप में म टे नि लि द्वारा सीधे लिए गए ऋण की वापसी	21.70
	(ख) अ दू जमाओं तथा विनियोजित की गई अन्य योजनाओं से विनियोजित की गई पूंजीगत प्राप्तियाँ	(-)8.55
	(ग) पट्टे पर दी गई दूरसंचार सेवाओं के जमाओं से पूंजीगत प्राप्तियाँ	(-)0.09
	(घ) टेलेक्स जमाओं से पूंजीगत प्राप्तियाँ	(-)0.94
	(ड़) दूरसंचार परियोजनाओं के लिए म टे नि लि से प्राप्त ब्याज प्रदायी जमाओं को ऋणात्मक पूंजीगत व्यय	1852.87
(iv)	विनियोजित की गई तत्काल दूरभाष योजना जमाओं की पूंजीगत प्राप्तियाँ	0.04
(v)	पिछले वर्ष के क्रयों से निम्न के अन्तर्गत जारी किए गए पूंजीगत भण्डार:	
	(क) सामान्य भण्डार	107.51
	(ख) फैक्टरी भण्डार	11.87
	(ग) सिविल अभियांत्रिकी भण्डार	4.22
	(घ) बेचे गये/बट्टे खाते में डाले गए भण्डार	0.14
	(ड़) विनिर्माण उचन्त	47.45
(vi)	पूंजीगत शीर्ष से निवल बजटीय समर्थन	--
कुल पूंजीगत व्यय		**7719.95**

राजस्व मुख्य शीर्ष 3225-
दूरसंचार सेवाऐं

		(करोड़ रू. में)
(i)	बेचे गये भण्डारों की बिक्री से वसूलियाँ और ऊपरी प्रभार आदि	745.70
(ii)	बजट से पूरा किया गया दूरसंचार सेवाओं पर व्यय	6021.66
(iii)	राजस्व मुख्य शीर्ष 3230-101 बजट से पूरा किया गया सामान्य राजस्व को लाभांश	292.34
(iv)	राजस्व मुख्य शीर्ष 3231-101 डा एवं दू अधिशेष का पूंजीगत आरक्षित निधि में बजट से विनियोजन द्वारा	5826.45
(v)	राजस्व मुख्य शीर्ष 3231-102 डा एवं दू अधिशेष का राजस्व आरक्षित निधि में बजट से विनियोजन द्वारा	58.50
(vi)	राजस्व मुख्य शीर्ष 3275-अन्य संचार सेवाऐं सी–डॉट तथा आई टी आई को सहायता अनुदान– बजट से पूरा किया गया	93.12
(vii)	राजस्व मुख्य शीर्ष 2852 -ख 1(1) व्यय राष्ट्रीय नवीकरण निधि से पूरा किया गया	6.60
(viii)	राजस्व मुख्य शीर्ष 3451-क 1 सचिवालय बजट से पूरा किया गया	2.28
	कुल राजस्व व्यय	**13046.65**

1996-97 के दौरान दूरसंचार परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए म टे नि लि से ब्याज प्रदायी जमाओं के रूप में 1852.87 करोड़ रू. की राशि प्राप्त हुई थी। यद्यपि, यह जमा शीर्ष के अन्तर्गत जमा की गई थी साथ ही साथ एक तुल्य राशि को पूंजीगत व्यय मुख्य शीर्ष 5225 के अन्तर्गत घटाते हुए शीर्ष के अधीन अन्तरण द्वारा इसे संवितरण के रूप में दिखाया गया। परिणामस्वरूप, पूंजीगत व्यय को कम बताया गया है और जमाओं के वापस करने के उत्तरदायित्व को वित्त लेखों में नहीं दिखाया गया है।

मंत्रालय ने बताया कि एम टे नि लि से प्राप्त बाण्ड की राशि को आरम्भ में मुख्य शीर्ष 8342 लोक लेखे के अन्तर्गत जमा में दर्ज किया जाता है तथा बाद में दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय में कटौती करके वसूलियों के रूप में स्थानान्तरित किया जाता है। लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किये जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि क्या वर्तमान पद्धति में किसी संशोधन की आवश्यकता है की जाँच के लिए कार्यवाही की जा रही थी और मामला महा–नियंत्रक लेखा को भेजा गया था। मंत्रालय द्वारा आश्वासन के बावजूद भी, मामला सुलझाया नहीं गया है।

1.12 उचन्त बकाया

1996-97 के वर्ष के लिए वित्त लेखों में भारत की समेकित निधि की सीमा से बाहर पड़ने वाले लेखा शीर्षों अर्थात् उचन्त शीर्ष में व्यय की भारी राशि को निम्नानुसार बुक किया गया था:

(लाख रू. में)

लेखा शीर्ष	**राशि**
8658-उचन्त लेखे 103-डाक एवं तार	4864.40 (डेबिट)
106-दूरसंचार लेखा कार्यालय उचन्त	1700.10 (डेबिट)
128-डाक एवं दूरसंचार, निवेश–सरकारी बचत पत्रों की लागत तथा इम्प्रेस्ट में रखे हुए निवेश प्रमाण पत्र	01.00 (डेबिट)
कुल	**6565.50 (डेबिट)**

उचन्त लेखा के बकाया शेष जोकि 1995-96 में 2066.24 करोड़ रू. (डेबिट) था, 1996-97 में 65.65 करोड़ रू. (डेबिट) तक घटा दिया गया है।

अध्याय 2 — विनियोजन लेखे

2.1 बजट अनुदान और व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के अन्तर्गत पारित विनियोजन अधिनियमों 1996 के साथ लगी अनुसूची में प्राधिकृत राशियों की तुलना में 1996-97 के दौरान व्यय की गई राशियों के विनियोजन (दूरसंचार सेवाओं) का संक्षेप नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.1 विनियोजन और व्यय

(करोड़ रू. में)

	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-)
राजस्व					
दत्तमत	12579.58	19.00	12598.58	13046.65	(+)448.07
प्रभारित	0.30	-	0.30	शून्य	(-)0.30
पूंजीगत					
दत्तमत	8094.99	474.00	8568.99	7719.72	(-)849.27
प्रभारित	0.21	-	0.21	0.23	(+)0.02
कुल	20675.08	493.00	21168.08	20766.60	(-)401.48

दू वि ने राजस्व में आधिक्य और पूँजीगत खण्ड में बचत के रूप में 401.48 करोड़ रू. की निवल बचत दर्ज की

401.48 करोड़ रू. की समग्र निवल बचत मार्च 1997 में प्राप्त की गई 493.00 करोड़ रू. के अनुपूरक अनुदान का 81.44 प्रतिशत थी। यह समग्र निवल बचत राजस्व खण्ड के अन्तर्गत 447.77 करोड़ रू. का आधिक्य और पूंजीगत खण्ड के अन्तर्गत 849.25 करोड़ रू. की बचत थी। पूंजीगत खण्ड के अन्तर्गत 474.00 करोड़ रू. के अनुपूरक अनुदान की सारी राशि मूल अनुदान की तुलना में ही अनावश्यक थी क्योंकि वहाँ 375.27 करोड़ रू. की बचत थी। इससे विभाग के बजट बनाने और वित्तीय नियंत्रण में कमी निर्दिष्ट होती है।

2.2 विनियोजन लेखापरीक्षा

2.2.1 अनुदान/विनियोजन में आधिक्य

तालिका 2.2.1 अनुदान में आधिक्य

(करोड. रू. में)

अनुदान संख्या 14	आधिक्य	विभाग द्वारा बताये गये उत्तरदायी कारण
राजस्व (दत्तमत)	448.07	वेतन का भुगतान, समयोपरि भत्ता, कम अवधि के ऋण का पुर्नभुगतान और पूंजीगत आरक्षित निधि को दूरसंचार लाभ का विनियोजन।
पूंजीगत (प्रभारित)	0.02	न्यायालय के निर्णय के कारण अधिक व्यय

संविधान के अनुच्छेद 115(i) (ख) के अन्तर्गत 448.07 करोड़ रू. तथा दो लाख रू. के आधिक्य का नियमन करना अपेक्षित है

अनुपूरक अनुदान अथवा आकस्मिक निधि से अग्रिम प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यय जो वित्तीय वर्ष के लिये संसद में विधि अनुसार प्राधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन से अधिक हो, नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, अनुदान संख्या 14–दूरसंचार सेवाओं के राजस्व (दत्तमत) खण्ड में प्राधिकृत राशि से 448.07 करोड़ रू. अधिक थे। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत खण्ड में विनियोजन से दो लाख रू. का आधिक्य था। इसे संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) के अन्तर्गत नियमन की आवश्यकता है।

2.2.2 अनुदानों/विनियोजनों में बचत

अनुदान या विनियोजन में बचत यह निर्दिष्ट करती है कि व्यय प्राक्कलित और सुनियोजित तरीके से नहीं किया गया। इससे अपूर्ण बजट बनाने या निष्पादन में गिरावट का संकेत मिलता है।

पूंजीगत (दत्तमत) खण्ड में 849.27 करोड़ रू. की बचत के बारे में लो ले स के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी की आवश्यकता होगी

लोक लेखा समिति ने, फरवरी 1994 में प्रस्तुत किये गये अपने 60वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) के पैरा 1.24 में संस्वीकृत प्रावधान की तुलना में बचत की भारी राशि पर टिप्पणी की थी। समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि मंत्रालय को भारी बचत की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के लिये समुचित कार्रवाई सहित मामले को गम्भीरता से लेना चाहिये तथा यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुदान या विनियोजन से बचत, जिसमें 100 करोड रू. और इससे अधिक की राशि सम्बद्ध हो, के संबंध में अधिक किये गये व्यय पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों सहित एक विस्तृत टिप्पणी समिति को भेजी जाये।

पूंजीगत (दत्तमत) खण्ड में विभाग ने विनियोजन लेखे में 849.27 करोड़ रू. की बचत नीचे बताये गये कारणों के कारण दर्शाई:

तालिका 2.2.2 पूंजीगत-दत्तमत खण्ड में बचत

(करोड. रू. में)

अनुदान संख्या 14	बचत	थ्वभाग द्वारा बताये गये उत्तरदायी कारण
पूंजीगत (दत्तमत)	849.27	उपकरण व संयत्र, लाइन व तारों और केबिलों की कम प्राप्ति, टैलेक्स संयोजन व तारों की कम मांग, भवन–कार्यों का पूरा न होना, निजी फर्मों से भण्डारों की कम अधिप्राप्ति इत्यादि।

बचत का मुख्य भाग लम्बी दूरी के प्रेषण प्रणाली से संबंधित था

ऊपर दिये गये कारण निर्दिष्ट करते हैं कि निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन वास्तविकता पर आधारित नहीं था। 849.27 करोड़ रू. की बचत अनुदान के खण्ड में संस्वीकृत प्रावधान का 9.91 प्रतिशत बनती है। कुल बचत में से उपकरण व संयत्र, केबिल, लाइन व तारों इत्यादि की कम प्राप्ति के कारण मुख्य शीर्ष 5225-खख-4 लम्बी दूरी प्रेषण प्रणाली के अन्तर्गत 438.14 करोड़ रू. की बचत थी।

खख-3-लम्बी दूरी स्वीचिंग प्रणाली, खख-5-अंसीलरी प्रणाली और खख-6-अन्य भूमि व भवन के अन्तर्गत बचत क्रमशः 53.87 करोड़ रू., 21.00 करोड़ रू. और 20.06 करोड़ रू. था।

100 करोड़ रू. से अधिक बचत के लिए लोक लेखा समिति को एक व्याख्यात्मक टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

पिछले चार वर्षों के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत बचत की स्थिति नीचे चार्ट में चित्रित की गई है।

पूंजीगत खण्ड के अन्तर्गत बचत सतत बनी हुई है

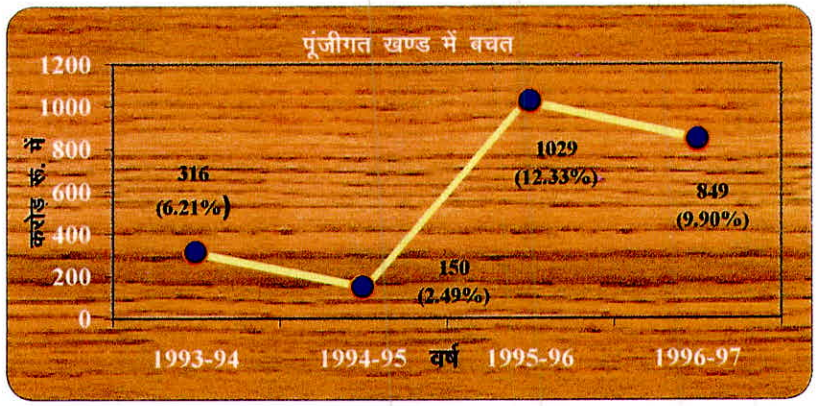

विभाग को लेखे के पूंजीगत शीर्ष के लिये अपना बजट बनाने की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने की आवश्यकता है।

2.2.3 निधियों का अभ्यर्पण

राजस्व (दत्तमत) खण्ड में 448.07 करोड़ रू. का अधिक व्यय था। दू वि ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 11.91 करोड़ रू. अभ्यर्पण किया। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में भी दू वि को निधियों की अंतिम आवश्यकता का पता नहीं था।

पूंजीगत (दत्तमत) खण्ड में दू वि ने 849.27 करोड़ रू. की बचत के प्रति 27 मार्च 1997 में केवल 600 करोड़ रू. अभ्यर्पण किये।

2.2.4 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

27 मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था

(i) जैसा कि परिशिष्ट-I में दिखाया गया है कि 17 मामलों में कुल 11.54 करोड़ रू. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था, क्योंकि जिन उप–शीर्षों के अन्तर्गत निधियों को पुनर्विनियोजन द्वारा स्थानान्तरित किया गया था वहाँ मूल प्रावधान पर्याप्त मात्रा से अधिक था। इन उप–शीर्ष के अन्तर्गत बचत इन उप–शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

(ii) जैसा कि परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है, 10 उप–शीर्षों में पुनर्विनियोजन के जरिये से कुल 116.25 करोड़ रू. की निधि का स्थानान्तरण अविवेकपूर्ण था, क्योंकि वास्तविक व्यय ऐसे पुनर्विनियोजन से पहले ही मूल प्रावधान से अधिक बढ़ गया था या उनमें से पुनर्विनियोजन के बाद के घटाये गये प्रावधानों से अन्तिम व्यय अधिक रहा।

2.2.5 अप्राधिकृत पुनर्विनियोजन

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने यह निर्धारित किया है कि पुनर्विनियोजन के किसी आदेश के लिये जिसके कारण उप–शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्रावधान 25 प्रतिशत या एक करोड़ रू. जो भी ज्यादा हो से अधिक बढ़ रहा हो तो संसद में वित्तीय वर्ष की अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच सहित सूचित किया जाना चाहिये और यदि इस तरह का पुनर्विनियोजन अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के बाद किया जाता है तो इसके लिये संबंधित विभाग के वित्तीय परामर्शदाता द्वारा सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये।

दू वि ने लो ले स की सिफारिशों पर बनाए गए नियमों की अवहेलना करते हुए चार मामलों में निधियों का पुनर्विनियोजन किया

वर्ष 1996-97 की दूरसंचार सेवाओं के लेखाओं की नमूना जाँच से पता चला है कि मुख्य–शीर्ष "3225-दूरसंचार सेवायें" और "5225-दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय" के अन्तर्गत चार मामलों में अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच के बाद किया गया पुनर्विनियोजन एक करोड़ रू. और संस्वीकृत प्रावधान से 25 प्रतिशत अधिक की दोनों सीमाओं से अधिक हो गया था, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है तो भी विभाग ने सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया:–

तालिका 2.2.5 अप्राधिकृत पुनर्विनियोजन

क्र.सं.	उप–शीर्ष **3225 - दूरसंचार सेवायें**		राशि (करोड़ रू. में)	बजट प्रावधान के लिये पुनर्विनियोजन की प्रतिशतता
1.	ग2(1)(2)	मुख्य–शीर्ष 3201 डाक सेवाओं से स्थानान्तरित राशि	मू- 1.00 पु- 2.50	250.00
5225 - दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
2.	खख-3(1)	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज	मू- 92.47 पु- 32.00	34.60
3.	खख-4(10)	ग्राम पंचायत दूरभाष प्रणाली	मू- शून्य पु- 245.00	-
4.	खख-5(8)	दूरसंचार कम्प्यूटर प्रणाली	मू- 52.05 पु- 24.00	46.11

2.2.6 व्यय में कटौती के रूप में ली गई वसूलियाँ

अनुमानित वसूलियों में कमी के कारण निवल व्यय में 375 करोड़ रू. की वृद्धि का प्रभाव रहा

अनुदान मांग, व्यय की सकल राशि के लिये होती है अर्थात् पूर्व में अधिप्राप्त किये गये भण्डार इत्यादि के उपयोग होने से वसूलियों आदि सहित या अन्य विभाग या मंत्रालय को स्थानान्तरित किया गया व्यय। यद्यपि विनियोजन लेखापरीक्षा, सकल व्यय को अनुदान की सकल राशि के साथ तुलना करके की जाती है, आधिक्य तथा वसूलियों में कमी, वसूलियों का गलत आकलन तथा दोषपूर्ण बजट बनाना दर्शाती है।

पूंजीगत व राजस्व खण्ड में, 8095.00 करोड़ रू. और 743 करोड़ रू. की अनुमानित वसूलियों के प्रति वास्तविक वसूलियाँ क्रमशः 7719.95 करोड़ रू. और 745.71 करोड़ रू. थीं। तथापि, पूंजीगत खण्ड में कम वसूली के कारण निवल व्यय में 375.05 करोड़ रू. के आधिक्य का प्रभाव रहा।

3 महानगरों मे सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवाः ऑपरेटरों को 837 करोड़ रू. का अनुचित लाभ

दू वि सरकार के हित की रक्षा करने में विफल रहा और इसने पहले तीन वर्ष के लिए मोबाइल दूरभाष सेवाओं की प्रक्षेपित से अधिक वास्तविक मांग होने की स्थिति में उच्चतर लाइसेंस फीस प्रभारित करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों को समाविष्ट नहीं किया। इससे चार महानगरों में निजी ऑपरेटरों को 354 करोड़ रू. से अधिक का अनुचित लाभ मिला और दू वि को परिणामी हानि। दू वि ने ऑपरेटरों को लाइसेंस फीस का संशोधन न करके जो कि प्रति 10 सैकेण्ड के हवाई समय प्रभार के लिए 1.10 रू. के बदले 1.40 रू. देय थी, 483 करोड़ रू. का अनुचित लाभ भी दिया।

3.1 दू वि ने नवम्बर 1994 में दो निजी सैक्टर के लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों में से प्रत्येक दो को जिन्हें 10 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस दिये गये थे, के माध्यम से चार महानगरों कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवायें प्रारम्भ की। अभिदाताओं की सम्भावित संख्या और निजी ऑपरेटरों द्वारा राजस्व अर्जित हो जाने की सम्भावना की अनिश्चितता के बावजूद सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष के सम्भावित अभिदाताओं की संख्या के बारे में गलत पूर्वानुमान, बोली लगाने के अनुचित मार्ग और सरकार के हित के लिए सुरक्षा देने में विफल रहने के परिणामस्वरूप लाइसेंस अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने 354 करोड़ रू. से अधिक का राजस्व छोड़ दिया।

3.2 लाइसेंस फीस के निर्धारण में 354 करोड़ रू. की हानि।

चयन समिति ने लाइसेंस फीस को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य को नज़रअंदाज कर दिया।

दू वि ने जुलाई 1992 में पहले तीन वर्षों के लिये एक मुश्त लाइसेंस फीस व कॉल प्रभारों के लिये दर को पहले तय करने के बाद तकनीकी रूप से स्वीकार्य छांटी गई फर्मों से वित्तीय बोलियाँ आंमत्रित की और बोली लगाने वालों से प्रतिमाह न्यूनतम किराया उद्धृत करने के लिये कहा जो वे अभिदाताओं से प्रभारित करेंगे। बोली की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए गठित चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के अतिरिक्त तीन सचिव थे, ने न्यूनतम लागत पर उपभोक्ता को पर्याप्त दक्षता की सेवा सुनिश्चित कराने के लिये बताई गई वरीयता के पक्ष में लाइसेंस फीस से प्राप्ति को और उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के उद्देश्य की अवहेलना की।

सदस्य (वित्त) ने मांग जिसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी के प्रक्षेपणों का उपयोग किया

सदस्य (वित्त) ने 16 जुलाई 1992 को तत्कालीन सं रा मं के साथ विचार विमर्श के बाद बोली लगाने वालों में से एक की सलाह पर चार महानगरों में प्रत्येक ऑपरेटर के लिये मोबाइल दूरभाष के लिये अनुमानित मांग स्वच्छन्दता से कल्पित की। तथापि, दू वि द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजों में आधार या बोली लगाने वाले का नाम या वे साधन जिनके माध्यम से सदस्य (वित्त) ने सम्भावित मांग के आंकड़े प्राप्त किये थे, अन्तर्विष्ट नहीं थे। दू वि का प्रक्षेपित मांग के आधार पर लाइसेंस फीस निर्धारित करने का उपर्युक्त निर्णय दोषपूर्ण था क्योंकि यह दिलचस्पी रखने वाली पार्टी के उत्पादों पर आधारित था। निम्नलिखित पैराग्राफों में बताई गई स्थिति से देखा जा सकता है कि सम्भावित मांग के पूर्वानुमान का यह अविश्वसनीय और अपारदर्शी तरीका जो लाइसेंस फीस के मूल्यांकन में मुख्य घटक था, अन्ततः विभाग को बहुत मंहगा पड़ा। अनुमानित मांग के आधार पर दू वि ने पहले तीन वर्ष के लिये प्रत्येक विक्रेता के लिये जो एक मुश्त वार्षिक लाइसेंस फीस तय की थी, मोटे तौर पर प्रति अभिदाता 5000 रू. की दर पर परिकलित थी। चौथे वर्ष से लाइसेंस फीस अभिदाताओं की संख्या से संबंधित थी। दू वि द्वारा पूर्वानुमानित पहले तीन वर्षों के दौरान चार महानगरों में अभिदाताओं की सम्भावित संख्या, प्रत्येक के लिय तय किया गया एक मुश्त लाइसेंस फीस और परिचालन के पहले दो वर्षों के दौरान अभिदाताओं की वास्तविक संख्या निम्नलिखित है:

तालिका 3.2

	मुम्बई		दिल्ली		कलकत्ता		चेन्नई	
	संख्या हजार में	लाइसेंस फीस (करोड रू. में)	संख्या हजार में	लाइसेंस फीस (करोड़ रू. में)	संख्या हजार में	लाइसेंस फीस (करोड़ रू. में)	संख्या हजार में	लाइसेंस फीस (करोड रू. में)
अभिदाताओं की पूर्वानुमानित संख्या और महानगरों के लिये तय किये गये एक मुश्त लाइसेंस फीस								
पहला वर्ष	12	6	8	4	10	3	5	2
दूसरा वर्ष	28	12	16	8	14	6	10	4
तीसरा वर्ष	44	24	28	16	20	12	16	8
अभिदाता की वास्तविक संख्या और 5000 रू. प्रति अभिदाता पर लाइसेंस फीस								
पहला वर्ष*	31.58	15.79	42.91	21.45	11.93	5.97	10.24	5.12
दूसरा वर्ष*	116.64	58.32	149.09	74.55	35.99	17.99	31.66	15.83
तीसरा वर्ष**	186.42	93.21	199.46	99.73	57.19	28.60	45.82	22.91

* कुल मासिक औसत ** तीसरे वर्ष के प्रारम्भ में

महानगरों में अभिदाताओं की संख्या–प्रक्षेपित और वास्तविक

(हजारों में)

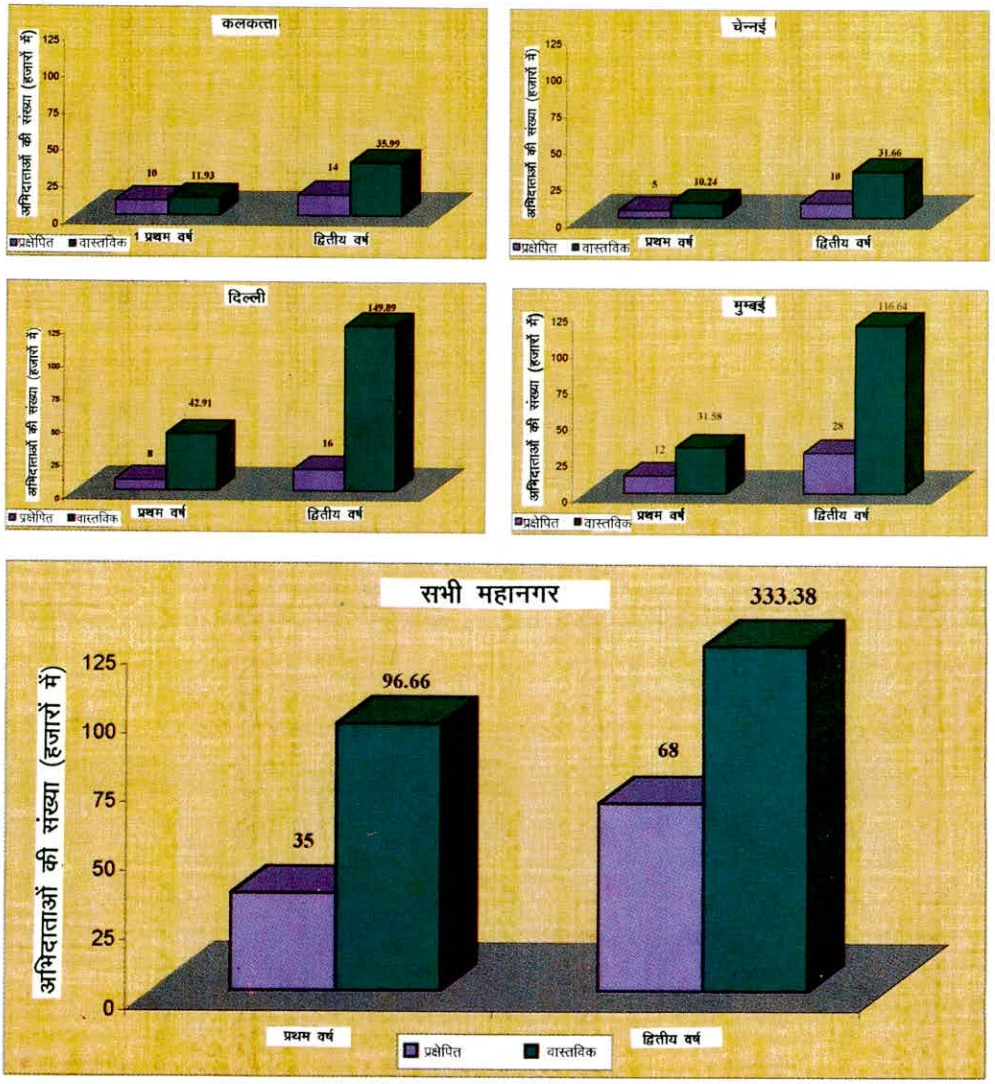

3.2.1 अभिदाताओं की वास्तविक संख्याः कई गुणा अधिक

वास्तविक मांग प्रक्षेपणों से कई गुना अधिक थी

ऊपर की तालिका और चार्टों से यह स्पष्ट होगा कि मांग का अनुमान करने की पद्धति में इतना गम्भीर दोष था कि पहले ही साल में अभिदाताओं की वास्तविक संख्या मुम्बई में 2.5 गुना से अधिक, दिल्ली में 5.36 गुना और चेन्नई में दो गुना से अधिक, जबकि कलकत्ता में यह लगभग 1.2 गुना थी।

दूसरे वर्ष के दौरान अभिदाताओं की वास्तविक संख्या अभिदाताओं की अनुमानित संख्या से मुम्बई में 4.16 गुना, दिल्ली में 9.31 गुना, कलकत्ता में 2.57 गुना और चेन्नई में 3.16 गुना अधिक हो गई।

3.2.2 असंगत नीति

दू वि और चयन समिति ने अनिश्चितता के वातावरण में सरकार के हित की रक्षा नहीं की

क्योंकि अभिदाताओं की अनुमानित संख्या का किसी निश्चित राशि के साथ कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। इसलिए यह दू वि और उच्च स्तरीय चयन समिति के लिये अनिवार्य था कि अभिदाताओं को वास्तविक संख्या का लिहाज़ किये बिना पहले तीन वर्षों के लिये एक साथ लाइसेंस फीस की तय की गई एक मुश्त राशि की व्यवस्था की अपेक्षा न्यूनतम एक मुश्त राशि से अतिरिक्त अभिदाताओं की वास्तविक संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस देकर अभिदाताओं की अनुमानित संख्या और वास्तविक संख्या के बीच सम्भावित भारी भिन्नता के प्रति सरकार के हित की सुरक्षा करना था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उसी समय के आस–पास दू वि ने अन्य वेल्यू एडेड सेवायें अर्थात् क्लोज्ड़ यूज़र ग्रुप डोमेस्टिक सैटेलाइट डॉटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क और पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा आरम्भ की और लाइसेंस फीस पर निजी ऑपरेटरों को लाइसेंस की व्यवस्था की जो न्यूनतम राशियों से अतिरिक्त अभिदाताओं की संख्या के संबंध में थे।

3.2.3 राजस्व की हानि

दू वि की दोषपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप पहले दो वर्षों के दौरान 170 करोड़ रू. और तीसरे वर्ष के दौरान कम से कम 184 करोड़ रू. की हानि हुई

सरकारी राजस्व की लागत पर निजी ऑपरेटरों को कम से कम 354 करोड़ रू. का लाभ हुआ

सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस के लिए सावधानियों को लागू न करने का निवल परिणाम यह हुआ कि दू वि ने करार के पहले दो वर्षों में ही 170 करोड़ रू. का राजस्व छोड़ दिया। यदि यह भी माना जाये कि तीसरे वर्ष के दौरान अभिदाताओं की वास्तविक संख्या वही रहेगी जितनी कि तीसरे वर्ष के शुरू में थी, लाइसेंस फीस को अभिदाताओं की संख्या से संबद्ध करने में दू वि की विफलता के कारण केवल तीसरे वर्ष के दौरान लाइसेंस फीस के रूप में कम से कम राजस्व 184 करोड़ रू. हो जायेगा। तीसरे वर्ष के दौरान यदि अधिक व्यक्तियों द्वारा सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष स्वीकार किये जाते है तो हानि के बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार से पहले तीन वर्ष के लिये एक मुश्त न्यून लाइसेंस फीस अनुचित रूप से तय करके, दू वि ने लाइसेंस अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 354 करोड़ रू. के राजस्व की हानि को सहन किया जिसके परिणामस्वरूप निजी सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष ऑपरेटरों को अतिरिक्त लाभ हुआ।

दू वि के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप राजस्व की लागत पर आठ निजी लाइसेंसधारको को 354 करोड़ रू. का भारी लाभ निम्नानुसार हुआः

तालिका 3.2.3

अभिदाताओं की अनुमानित संख्या और अभिदाताओं की वास्तविक संख्या हजार में

शहर		1 वर्ष		2 वर्ष		3 वर्ष		3 वर्षों के दौरान कुल लाभ (करोड़ रू. में)
			*		*		**	
मुम्बई	बी पी एल प्रणाली	6	15.32	14	50.60	22	78.17	51.05
	ह्यूचिसन मैक्स	6	16.26	14	66.04	22	108.25	74.27
दिल्ली	भारती सैल्यूलर	4	24.63	8	81.06	14	109.87	93.78
	स्टरलिंग सैल्यूलर	4	18.28	8	68.03	14	89.59	73.95
कलकत्ता	मोदी तेल्स्त्रा	5	6.85	7	17.72	10	30.96	17.27
	ऊषा मार्टिन	5	5.08	7	18.27	10	26.23	14.29
चेन्नई	आर पी जी सैल्यूलर	2.50	4.64	5	13.78	8	18.88	11.65
	स्काईसेल	2.50	5.60	5	17.88	8	26.94	18.21

* अभिदाताओं की वास्तविक संख्या कुल मासिक औसत के आधार पर परिकलित की गई है।

** तीसरे वर्ष के प्रारम्भ में अभिदाताओं की कुल वास्तविक संख्या

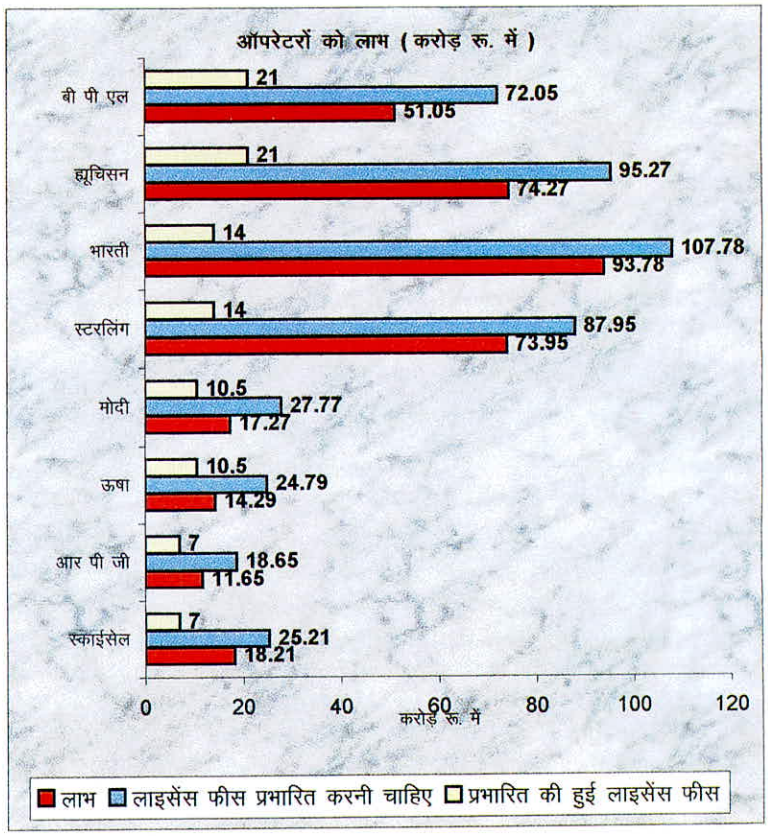

बोली लगाने वाले मार्ग ने राजस्व को अधिक करने वाले क्षेत्र को समाप्त कर दिया

चयन समिति द्वारा चुना गया बोली का मार्ग इस अर्थ में विचित्र था क्योंकि बोली का क्षेत्र लाइसेंसधारक द्वारा अभिदाता से प्रभारित मासिक किराये तक सीमित था, अतः इससे सरकार के लिए राजस्व को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने की गुंजाइश समाप्त हो गई। बोली लगाने वालों ने न्यूनतम किराये के लिये पहले तीन वर्षों के लिये तय की गई

दू वि ने संभाव्य राजस्व जिससे उच्च आय वर्ग लाभान्वित थे, छोड़ दिया

एक मुश्त लाइसेंस फीस की पृष्ठभूमि में अभिदाताओं से प्रभारित किये जाने वाला था दू वि द्वारा प्रति 10 सैकण्ड के लिये 1.10 रू. का तय कॉल प्रभार उद्धृत किया। इस प्रकार, विक्रेताओं के चयन के लिये मापदण्डी अभिदाताओं से प्राप्त सबसे कम किराया था न कि अधिकतम लाइसेंस फीस जो वे दे सकते थे। इसके अतिरिक्त एक मुश्त तय की गई लाइसेंस फीस के समर्थन में अभिदाता के लिये न्यूनतम कीमत पर पर्याप्त संतोषजनक सेवा का तर्क संदिग्ध था, क्योंकि मात्र न्यूनतर किराये पर ही संतोषजनक सेवा निर्भर नहीं मानी जा सकती है। दूसरे, समाज के सर्वोत्तम वर्ग जो सैल्यूलर दूरभाष के सम्भावित प्रयोक्ता थे, के लाभ के लिये सम्भावित राजस्व का बलिदान औचित्यपूर्ण नहीं था।

3.3 कॉल प्रभारों में ऑपरेटरों को 483 करोड़ रू. का अनुचित लाभ

दू वि ने लाइसेंस फीस का संशोधन किये बिना ऑपरेटरों को 27 प्रतिशत उच्चतर हवाई समय प्रभार करने के लिए अनुमत किया

यद्यपि, जुलाई 1992 में वित्तीय बोलियाँ आमंत्रित करते हुए, दू वि ने पहले तीन वर्ष के लिये एक मुश्त लाइसेंस फीस और चौथे वर्ष से आगे 5000 रू. प्रति अभिदाता के अतिरिक्त लाइसेंसधारकों द्वारा वसूल किये जाने के लिये अभिदाताओं से 1.10 रू. प्रति 10 सैकण्ड पर हवाई समय प्रभार तय किया। नवम्बर 1994 में समय से लाइसेंस करार पर ऑपरेटरों के साथ हस्ताक्षर किये गये थे, हवाई समय प्रभार 1.40 रू. प्रति 10 सैकण्ड तक बढ़ा दिया गया था। फिर भी दू वि ने हवाई समय प्रभारों की वृद्धि के अनुरूप लाइसेंस फीस नहीं बढ़ायी जोकि बोलियों के प्रस्तुत किये जाने के बाद हुआ था और 1.40 रू. प्रति 10 सैकण्ड के हवाई समय प्रभारों को जोकि पहले तीन वर्षों के लिए लाइसेंस फीस में कोई सुसंगत संशोधन किये बिना निविदा दस्तावेज में निर्धारित दर से 27 प्रतिशत अधिक थे, प्रभारित करने के लिये ऑपरेटरों को अनुज्ञा दे दी। मौजूदा इकाई कॉल दर के संदर्भ में केवल चौथे वर्ष से वित्तीय बोली में प्रति अभिदाता लाइसेंस फीस की दर में वृद्धि की व्यवस्था थी।

ऑपरेटरों को 483 करोड़ रू. का लाभ मिला

दू वि ने यह माना था कि प्रत्येक अभिदाता लगभग आठ मिनट प्रतिदिन की कॉल करेगा। इस पूर्वानुमान पर प्रत्येक दिन औसत कॉल समय की दर भी, लाइसेंस करार के पहले तीन वर्षों के लिये महानगरों में ऑपरेटरों को दिया गया अनुचित लाभ लाइसेंस फीस के संशोधन के बिना उच्चतर हवाई समय दर के कारण नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 483 करोड़ रू. बनता है:–

तालिका 3.3

शहर	ऑपरेटर का नाम	पहला वर्ष		दूसरा वर्ष		तीसरा वर्ष		कुल	
		अभिदाताओं की वास्तविक संख्या (हजारों में)	1.10 से 1.40 @ से वृद्धि के कारण अतिरिक्त कॉल प्रभार (करोड़ रू.)	अभिदाताओं की वास्तविक संख्या (हजारों में)	1.10 से 1.40 @ से वृद्धि के कारण अतिरिक्त कॉल प्रभार (करोड़ रू.)	अभिदाताओं की वास्तविक संख्या (हजारों में)	1.10 से 1.40 @ से वृद्धि के कारण अतिरिक्त कॉल प्रभार (करोड़ रू.)	अभिदाताओं की वास्तविक संख्या (हजारों में)	1.10 से 1.40 @ से वृद्धि के कारण अतिरिक्त कॉल प्रभार (करोड़ रू.)
मुम्बई	**बी पी एल प्रणाली**	15.32	8.05	50.60	26.60	78.17	41.09	144.09	75.74
	ह्यूचिसन मैक्स	16.26	8.55	66.04	34.71	108.25	56.90	190.55	100.16
दिल्ली	**भारती सैलूलर**	24.63	12.95	81.06	42.61	109.87	57.75	215.56	113.31
	स्टरलिंग सैलूलर	18.28	9.61	68.03	35.76	89.59	47.08	175.90	92.45
कलकत्ता	**मोदी तेलस्त्रा**	6.85	3.60	17.72	9.31	30.96	16.27	55.53	29.18
	उषा मार्टिन	5.08	2.67	18.27	9.60	26.23	13.79	49.58	26.06
चेन्नई	**आर पी जी सैलूलर**	4.64	2.44	13.78	7.24	18.88	9.92	37.30	19.60
	स्काई सैल	5.60	2.94	17.88	9.40	26.94	14.16	50.42	26.50
								कुल	**483.00**

@ 8 मिनट प्रतिदिन प्रति अभिदाता पूर्वानुमानित।

नवम्बर 1997 में मंत्रालय ने बताया कि

(i) एक नया क्षेत्र होने के लिए यातायात की मात्रा व अभिदाता आधार की वृद्धि के संबंध में सही प्रक्षेपण करना व्यवहार्य नहीं था।

(ii) लाइसेंस फीस को बढ़ाना ही एकमात्र अभिप्राय नहीं था और आवश्यकता पर उचित विचार किया जाना था कि ऑपरेटर से वित्तीय बोझ वहन करने की आशा नहीं रखनी चाहिए जिससे कि उसकी न्यूनतम लागत पर अभिदाता को संतोषजनक सेवा देने की योग्यता में बाधा आ जाये।

(iii) अभिदाताओं की बढ़ती हुई संख्या से हानि नहीं है क्योंकि दू वि नेटवर्क में आने वाली अधिक कॉलों की संख्या के परिणामस्वरूप दू वि के राजस्व में वृद्धि होगी और

(iv) लेखापरीक्षा द्वारा की गई गणना सत्यापित नहीं हो सकती क्योंकि वे काल्पनिक आंकड़ों पर आधारित हैं।

निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

(i) दू वि द्वारा प्रक्षेपित संख्या से अतिरिक्त लाइसेंस फीस को अभिदाताओं की संख्या से जोड़कर जैसा कि अन्य सेवाओं के लाइसेंसधारकों के मामले में मंत्रालय को सरकार के हितों की रक्षा करना चाहिए। दू वि द्वारा नये एरिया के

अनिश्चितता के कारण भलिभांति मंत्रालय को सरकार के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

(ii) जैसाकि पिछले पैरा 3.2 में दिखाया गया है सेवा की गुणता को निम्नतर लाइसेंस फीस से सम्बद्ध नहीं बताया जा सकता है।

(iii) लाइसेंस फीस को अभिदाताओं की बढ़ती संख्या से सम्बद्ध न करने से सरकार को निश्चित रूप से हानि है जैसाकि ऊपर दिखाया गया है। सैल्यूलर अभिदाताओं की संख्या बढ़ने से दू वि नेटवर्क के लिये अधिक कॉलों के कारण दू वि के लिये राजस्व किसी न किसी तरह उपचित होता यदि लाइसेंस फीस एक मुश्त दर की अपेक्षा अभिदाताओं की संख्या के आधार पर तय की जाती।

(iv) लेखापरीक्षा द्वारा की गई राजस्व की हानि की गणना को ऑपरेटरों द्वारा दू वि को प्रतिमाह भेजे गये अभिदाताओं की संख्या के डॉटा के संदर्भ में सत्यापित किया जा सकता है।

4 सैल्यूलर ऑपरेटरों से बकाया लाइसेंस फीस

दू वि ने लाइसेंस करारों में पुनः निरूपित एहतियातों के बावजूद परिमण्डलों में सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवाओं के लाइसेंसधारियों से 685 करोड़ रू. से अधिक बकाया लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की। उन्होंने चूककर्ताओं से 50.76 करोड़ रू. के ब्याज का दावा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दू वि सेवा के चालू होने में देरी के कारण 33 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान को वसूल करने में विफल रहा।

दू वि ने दिसम्बर 1995 से सितम्बर 1996 के दौरान 18 दूरसंचार परिमण्डलों में 13 निजी ऑपरेटरों के माध्यम से सैल्यूलर मोबाइल दूरभाष सेवाएं चालू की। 15 परिमण्डलों को प्रत्येक को दो लाइसेंसधारियों द्वारा कवर किया गया था जबकि शेष तीन को एकल लाइसेंसधारियों द्वारा कवर किया गया था। इसलिए विभिन्न लाइसेंसधारियों द्वारा परिचालन क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़कर 33 तक हो गई। लाइसेंस फीस की समय पर वसूली के लिए लाइसेंस करार में निम्नलिखित एहतियातों का प्रावधान किया गया था।

लाइसेंस करार में लाइसेंस फीस की वसूली करने के लिए विविध एहतियातों का प्रावधान किया गया था।

- लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पहले ही प्रथम वर्ष की लाइसेंस फीस एक मुश्त में जमा करानी थी।
- दूसरे और बाद के वर्षों के लिए, लाइसेंसधारियों द्वारा संबंधित लाइसेंस वर्षों के शुरू होने से पहले ही लाइसेंस फीस तिमाही किस्तों में अग्रिम में ही पश्ची दिनांकित चैकों के माध्यम से जमा करानी थी।
- दू वि को बाकी लाइसेंस फीस के मामले में लाइसेंसधारियों के बैंक लेखे में जमा राजस्व का 30 प्रतिशत वसूलने का अधिकार था।
- चूक के मामले में, लाइसेंस फीस, बैंक वित्तीय गारंटी से वसूली योग्य थी।
- अतिदेय राशि के बारे में ब्याज भा स बैं की उधार दर के साथ पाँच प्रतिशत पर प्रभारयोग्य था।

दू वि में जुलाई से अक्तूबर 1997 में लाइसेंस फीस को वसूलने के दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि विस्तृत सुदृढ़ प्रावधानों के होते हुए भी, दू वि के संबंधित अधिकारियों ने जो कि लाइसेंस फीस की वसूली के लिए जिम्मेवार थे, ने दूसरे वर्ष की चारों तिमाहियों के दौरान इसका बड़ा भाग वसूला नहीं, जिनके लेखाओं की नमूना जाँच लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी।

कुल बकाया लाइसेंस फीस 685.27 करोड़ रू. थी। इसके अतिरिक्त बकाया भुगतान पर 50.76 करोड़ रू. के ब्याज का दावा नहीं किया गया था।

क्योंकि प्रत्येक लाइसेंसधारी की प्रत्येक लाइसेंस क्षेत्र के लिए अवधि भिन्न–भिन्न तिथियों से शुरू होती है, इसलिए देय राशि तथा वसूल की गई राशियों का विश्लेषण लाइसेंस तिमाहियों न कि कैलेण्डर तिमाहियों के सार्वहर से गणना करके किया गया है। परिचालन के दूसरे वर्ष के दौरान देय तथा वसूल की गई लाइसेंस फीस की राशि की स्थिति निम्न थी।

तालिका 4

(करोड़ रू. में)

लाइसेंस तिमाही	लाइसेंसधारियों की संख्या और क्षेत्र		देय राशि	देय तिथि को वसूल की गई राशि	देय तिथि के बाद वसूल की गई राशि	बकाया राशि
	लाइसेंसधारी	क्षेत्र				
I	13	33	438.81	178.31	159.93	100.57
II	13	33	438.81	137.53	119.50	181.78
III	13	33	438.81	167.12	48.41	223.28
IV	11	30	346.77	167.13	-	179.64
31 अक्तूबर 1997 को बकाया राशि						685.27

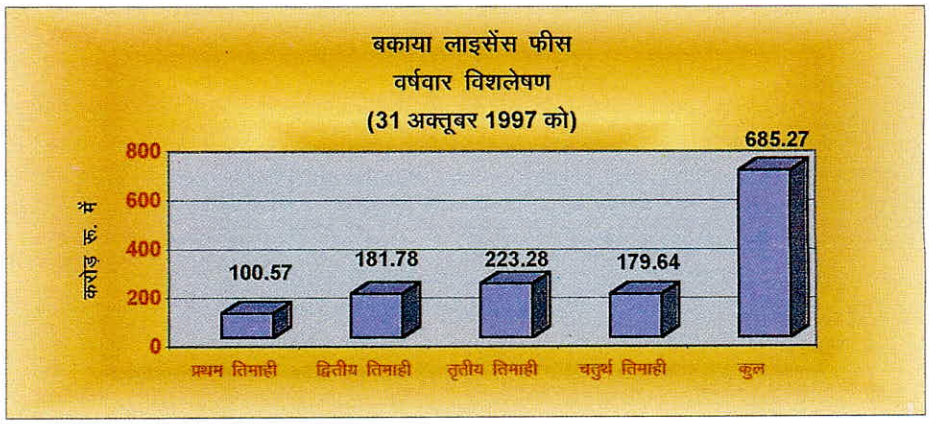

दू वि के अधिकारियों ने करार की शर्तों में न तो पश्ची दिनांकित चैकों को प्राप्त किया और न ही लाइसेंसधारियों के बैंक खातों पर अधिकार जमाया।

अक्तूबर 1997 को एक से 11 महीनों के बीच अवधि के लिए लाइसेंसधारियों से वसूली के लिए कुल 685.27 करोड़ रू. की राशि बकाया में से, भुगतान न की गई राशि का 18.5 प्रतिशत कुल ब्याज की देयता 54.79 करोड़ रू. थी। इसमें से, दू वि ने अक्तूबर 1997 तक केवल 4.03 करोड़ रू. का दावा तथा वसूली की।

इस तरह, दू वि ने करार की शर्तों में लाइसेंस वर्ष के शुरू होने पर चार तिमाहियों के लिए देय लाइसेंस फीस की प्रतिपूर्ति के लिए लाइसेंसधारियों द्वारा पश्ची दिनांकित चैक जमा कराना सुनिश्चित नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बकाया लाइसेंस फीस और ब्याज को वसूलने के लिए निष्पादन बैंक गारन्टी को नहीं भुनाया। यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं था जो यह सुझा सके कि उन्होंने प्राप्यों की वसूली के लिए लाइसेंसधारियों के बैंक लेखाओं पर अधिकार जमाने का कोई प्रयत्न किया हो।

मंत्रालय ने, अक्तूबर 1997 में बताया कि दूसरे वर्ष के शुरू में कुछ लाइसेंसधारियों ने पश्ची दिनांकित चैक प्रस्तुत नहीं किए। तथापि, मंत्रालय का उत्तर इस बारे में मौन है कि वे निष्पादन बैंक गारन्टी से प्राप्यों की वसूली करने में तथा या लाइसेंसधारियों के बैंक लेखाओं पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में क्यों विफल रहे।

लाइसेंसधारियों ने प्रथम वर्ष में किसी भी क्षेत्र में सेवाएँ चालू करना पूरा नहीं किया

ठेके की शर्तों के अनुसार, करार पर हस्ताक्षर करने के 12 महीनों के भीतर लाइसेंसधारियों को उनके लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सेवाएं चालू करनी थी, जिसके विफल होने पर प्रति सप्ताह की देरी या उसके भाग के लिए पाँच लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान जोकि अधिकतम एक करोड़ रू. होगा, वसूली योग्य था। 20 सप्ताहों से अधिक देरी के लिए लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाएगा। करार में चालू करने की परिभाषा प्रत्येक लाइसेंसधारी के परिचालन के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में 10 प्रतिशत राजस्व जिला मुख्यालयों को तथा तीन वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत राजस्व जिलों को कवर करना था।

दू वि ने सेवाओं के चालू होने में देरी के लिए 33 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं की

सभी लाइसेंसधारियों के लिए पहला लाइसेंस वर्ष दिसम्बर 1996 और सितम्बर 1997 के बीच समाप्त हो गया था। 13 लाइसेंसधारियों में से किसी ने भी 33 सेवा क्षेत्रों में से 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों में एक वर्ष के भीतर सेवाओं को चालू नहीं किया। तथापि, दू वि ने अक्तूबर 1997 तक वसूली योग्य अधिकतम 33 करोड़ रू. की राशि के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं की।

दू वि ने अक्तूबर 1997 में बताया कि लागू परिनिर्धारित नुकसान की मात्रा यदि कोई हो, 10 प्रतिशत और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों के संतोषजनक कवरेज पर ही, जबकि देरी की सही राशि तथा उसके कारणों का पता हो, निर्धारित की जा सकती है। दू वि का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस करार में चालू करना स्पष्ट रूप से परिभाषित है तथा चालू करने की तिथियों के संदर्भ में परिनिर्धारित नुकसान को उगाहना था। तीन वर्षों के अन्त में 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवरेज करने की स्थिति को देखने का प्रश्न ही नहीं उठता जबकि प्रथम वर्ष में मामलों के चालू होने में 20 सप्ताहों से अधिक देरी हुई थी।

5 उपग्रह प्रभारों की गैर वसूली

दू वि ने एक वर्ष के अधिकतम निर्धारित समय के प्रति आठ से सोलह वर्षों के लिये दूरदर्शन को दिये गये आठ चैनलों के लिए किराया व गारंटी शर्तों के निर्धारण में देरी की। दू वि दूरदर्शन से अंतिम व अनन्तिम दरों मे भिन्नता होने के कारण 36.13 करोड़ रू. वसूल करने में विफल रहा है।

दू वि ने दूरदर्शन को दूरदर्शन संकेतों के संचारण के लिये उपग्रह माध्यम दिया है। कार्यविधि के अनुसार ऐसे प्रयोक्ता दू वि द्वारा तय किये गये किराया व गारंटी का भुगतान करने के लिए दायी हैं। उन मामलों में जहाँ दू वि किराया व गारंटी शीघ्रता से तय करने में अक्षम है, वे इस शर्त के अधीन अनन्तिम दर पर प्रयोक्ताओं की सूची तैयार करते हैं, कि प्रयोक्ता ऐसे समय भिन्नता का भुगतान करेंगे जब और जैसे दू वि द्वारा अंतिम किराया व गारंटी तय किया जायेगा।

दू वि ने किराया व गारंटी को अंतिम रूप देने में 8 से 16 वर्षों की देरी की

दू वि द्वारा दूरदर्शन को दिये गये आठ समर्पित चैनलों के लिये केवल एक वर्ष के भीतर अंतिम किराया व गारंटी निश्चित करना चाहिए था, परन्तु दू वि आठ से 16 वर्षों तक अंतिम किराया व गारंटी परिकलित करने में विफल रहा था, मध्यवर्ती अवधि के दौरान दू वि ने केवल अनन्तिम दरों पर दूरदर्शन के बिल तैयार किये।

दू वि दूरदर्शन से 28.38 करोड़ रू. के बकाया को वसूल नहीं कर सका

जब दू वि ने फरवरी 1994 से फरवरी 1996 के दौरान कुल 28.38 करोड़ रू. के बकाया बिलों के लिये दावा किया जो अंतिम किराया व गारंटी और अनन्तिम दरों के बीच अन्तर के कारण था तो दूरदर्शन ने बकायों का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त दू वि द्वारा तय किये गये अंतिम किराया व गारंटी के बाद भी वे निम्नतर अनन्तिम दरों पर भुगतान करते रहे। अक्तूबर 1997 तक दरों के संशोधन की तिथियों से अंतिम किराया व गारंटी पर भुगतान करने से उनके इन्कार के कारण दूरदर्शन के प्रति बकाया राशि 7.75 करोड़ रू. थी।

दूरदर्शन ने दरों को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद भी दू वि को किराया व गारंटी का भुगतान नहीं किया

भुगतानों में चूक के लिये प्रयोक्ता शास्तिक ब्याज का भुगतान करने के लिये दायी हैं। बिना भुगतान किये बकाया बिलों पर शास्तिक ब्याज अक्तूबर 1997 तक कुल 11.23 करोड़ रू. था। उसी प्रकार, चालू संशोधित बिल व अनन्तिम दर जिस पर दूरदर्शन किराया व गारंटी के संशोधन के बावजूद लगातार भुगतान करता रहा है, के बीच अन्तर की राशि पर शास्तिक ब्याज अक्तूबर 1997 तक 2.00 करोड़ रू. बनता था।

दूरदर्शन के प्रति दू वि के प्राप्य 3.14 करोड़ रू. वार्षिक दर पर बढ़ रहे हैं।

संशोधित अंतिम दरों पर साढ़े तीन वर्षों के लिये भुगतान करने में दूरदर्शन की सतत अस्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में अंतिम दरों व अनन्तिम भुगतान के अन्तर के लिए दूरदर्शन के प्रति लगातार कुल 3.14 करोड़ रू. प्रतिवर्ष का संचित हो रहा है। मामले का समाधान करने मे विफलता के परिणामस्वरूप उन वर्षों के लिए, जिसके दौरान ये राशियाँ उनके द्वारा भुगतान करने योग्य व प्राप्त करने योग्य हैं, इन दो विभागों के लेखाओं का गलत वर्णन हुआ।

उसी प्रकार, उनको दी गई उपग्रह सेवाओं के लिये दू वि कोल इंडिया लिमिटेड से 3.20 करोड़ रू. राजस्व वसूल नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रयोक्ताओं

जिनके दू वि के पास लेखे लेखापरीक्षा में की गई नमूना जाँच के दस्तावेज थे, के प्रति कुल 2.09 करोड़ रू. का शास्तिक ब्याज भी बकाया था।

अक्तूबर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

6 राजस्व की हानि:चिकमगलूर एक्सचेंज

चिकमगलूर एक्सचेंज में एस टी डी/आई एस डी कॉलों को मीटर रीडिंग को रिकार्ड करने में केवल और साथ ही स्थानीय एस टी डी/आई एस डी कॉलों को रिकार्ड करने में अन्तर 1.65 करोड़ रू. मूल्य की कॉलों की चोरी को इंगित करता है। दू जि अ चिकमगलूर को लापरवाही जून 1993 के बाद सम्भव चोरी की मॉनिटरिंग को क्रासबार द्वारा बंद करके एक्सचेंज के प्रतिस्थापन पर पंजीकृत एस टी डी/आई एस डी कॉलों के लिए राजस्व मीटर नहीं दिया गया है।

स्थानीय दूरभाष एक्सचेंज ट्रंक कॉलों के लिए सीधे पूरा नहीं करते हैं। इन स्थानीय एक्सचेंजों के अभिदाता ट्रंक ऑटोमैटिक एक्सचेंज (टी ए एक्स) के माध्यम से बाहरी अभिदाताओं के साथ संयोजित किये जाते हैं जोकि संख्या में बहुत कम हैं।

स्थानीय एक्सचेंज अपना अभिदाता राजस्व मीटर रखता है जोकि एस टी डी/आई एस डी कॉलों के साथ अपनी स्थानीय कॉलों को भी दर्शाता है। प्रत्येक स्थानीय एक्सचेंज में भारी राजस्व मीटर भी अपने जंक्शन (मेल) पर टी ए एक्स और स्थानीय एक्सचेंजों के बीच प्रतिष्ठापित किये गये हैं, जोकि स्थिर स्थानीय एक्सचेंज में सभी अभिदाताओं से उत्पन्न कुल एस टी डी/आई एस डी कॉलों को दर्शाता है। किसी भी समय अवधि से अधिक व्यष्टि अभिदाता की कुल मीटर रीडिंग स्थानीय एक्सचेंज व टी ए एक्स के बीच स्थापित राजस्व मीटर की कुल रीडिंग से अधिक होनी चाहिए। क्योंकि पहले वाला स्थानीय कॉल व एस टी डी/आई एस डी दोनों को रिकार्ड करता है जबकि बाद वाला केवल एस टी डी/आई एस डी को ही रिकार्ड करता है।

एस टी डी/आई एस डी सहित स्थानीय मीटर रीडिंग एस टी डी/आई एस डी मीटर रीडिंग से काफी कम थी

कर्नाटक में चिकमगलूर स्थानीय एक्सचेंज के दस्तावेजों की जाँच से उजागर हुआ कि यद्यपि टी ए एक्स ने फरवरी 1987 से मार्च 1993 के दौरान 5.58 करोड़ कॉल इकाइयों को दर्शाया उसी अवधि के दौरान पूरे व्यष्टि अभिदाता मीटरों ने केवल 4.81 करोड़ कॉल इकाई दर्शायीं। इससे एस टी डी/आई एस डी कॉलों को अप्राधिकृत करने में जंक्शन के दुरूपयोग का संकेत मिलता है।

छः वर्षों में 2.37 करोड़ तक कॉल इकाईयाँ मापी गई थीं

एस टी डी/आई एस डी कॉल के कारण स्थानीय एक्सचेंज मीटर में दर्शायी गयी कॉल के 2/3 के मानक को लेकर, टी ए एक्स सहित स्थानीय एक्सचेंज के जंक्शन में राजस्व मीटर लगभग 3.21 करोड़ कॉल से अधिक नहीं दर्शाना चाहिए। अधिक कॉल, जिनका दुरूपयोग एस टी डी/आई एस डी कॉलों के लिये किया जाता था, इसीलिए, लगभग 1.90 करोड़ रू. के मूल्य पर 2.37 करोड़ रू. का हिसाब बनेगा।

वैकल्पित रूप से यह अनुमान लगाया जाता है, कि चिकमगलूर एक्सचेंज के व्यष्टि अभिदाताओं द्वारा एस टी डी/आई एस डी कॉल दर्शाने वाले जंक्शन मीटर की रीडिंग सही है, कुल व्यष्टि मीटर रीडिंग एस टी डी/आई एस डी में स्थानीय कॉल के लिए 2:1 का उसी मानक के आधार पर 8.37 करोड़ कॉल होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि दू जि अ चिकमगलूर द्वारा 81 लाख कॉल इकाइयों के लिये जो दावा किया गया था, जाँच आदि के लिये अनुमत की है, कुल अभिदाता मीटर 7.56 करोड़ इकाइयाँ होनी चाहिए। इससे निर्दिष्ट होगा कि 2.20 करोड़ रू. के मूल्य वाली शेष 2.75 करोड़ कॉल इकाइयाँ या तो तकनीकी खराबी या अन्य खराबी के कारण दर्शायी नहीं गईं या मीटर मैनीपुलेट किये गयें।

1993 में एक्स बार एक्सचेंज को चालू करते समय दू जि अ ने ट्रं आ एक्स जंक्शन राजस्व मीटर के स्थापन्न को सुनिश्चित नहीं किया

जून 1993 के बाद हानि का अंक निश्चेय नहीं था क्योंकि स्थानीय एक्सचेंज व टी ए एक्स के जंक्शन में राजस्व मीटर जून 1993 में चिकमगलूर में क्रासबार स्थानीय एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन व चालू करने के समय में प्रतिष्ठापित नहीं किये गये थे। जाँच व उत्तरदायिता निश्चित करने में राजस्व मीटर कॉल प्रतिष्ठापित करने में दू वि की विफलता से संचार लाइनों के सम्भावित दुरूपयोग के मॉनीटर करने के किसी भी अवसर को पहले ही रोक दिया था।

दू जि अ चिकमगलूर ने ऊपर से 55.70 लाख रू. के राजस्व की हानि स्वीकृत की।

मामला अक्तूबर 1997 में मंत्रालय को भेजा गया; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

7 राजस्व बकाया

7.1 मार्च 1997 को समाप्त चार वर्षों के संबंध में दूरभाष सेवाओं के लिए की गई मांग, संगृहीत की गई राशि तथा बकाया की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 7.1 राजस्व बकाया (दूरभाष)

(करोड़ रू. में)

वर्ष	*1 अप्रैल को बकाया*	*वर्ष के दौरान की गई मांग*	*कुल मांग (2+3)*	*वर्ष के दौरान संगृहीत राशि*	*वर्ष के अन्त तक बकाया (4-5)*
1	2	3	4	5	6
1993-94	620.60	5216.37	5836.97	5024.92	**812.05**
1994-95	812.05	6400.29	7212.34	6256.53	**955.81**
1995-96	955.81	8084.74	9040.55	7802.61	**1237.94**
1996-97	1237.94	9693.72	10931.66	9449.12	**1482.54**

दूरभाष राजस्व के बकाया में वृद्धि हो रही है

दूरभाष राजस्व के बकाया में कई वर्षों से वृद्धि हो रही है। मार्च 1997 के अन्त में, मार्च 1994 के 812.05 करोड़ रू. बकाया की तुलना में बढ़ कर 1482.54 करोड़ रू. हो गया।

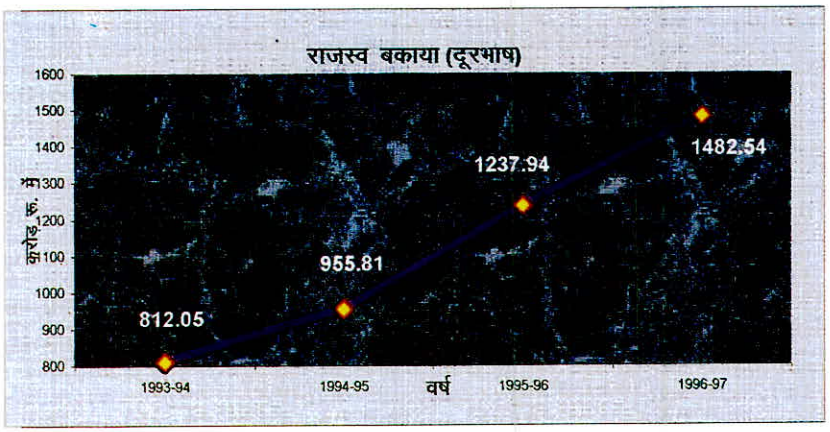

7.2 1 जुलाई 1997 तथा पिछले दो वर्षों की बकाया राशि का आयु–वार विश्लेषण निम्न प्रकार से था:

563 करोड़ रू. एक वर्ष से अधिक बकाया है, उनमें से कुछ आठ वर्षों तक है

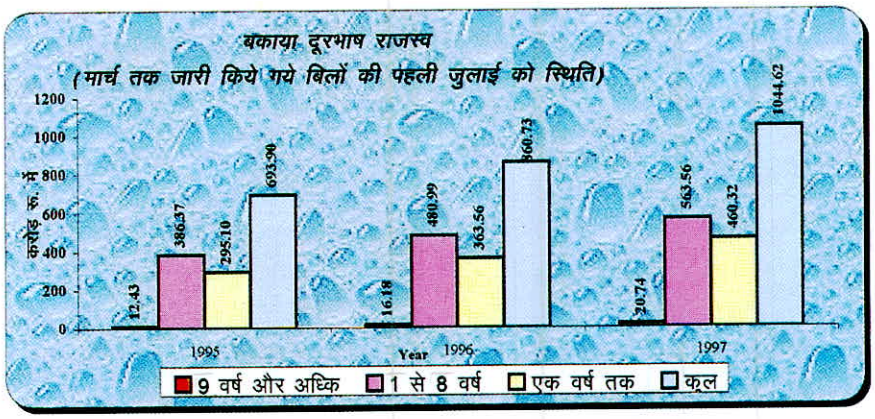

चार्ट से पता चलता है कि एक से आठ वर्षों से 563.56 करोड़ रू. तथा नौ या अधिक वर्षों से 20.74 करोड़ रू. बकाया पड़े हैं।

7.3 जून 1996 तथा जून 1997 के अन्त में दूरभाष की देयता का श्रेणी–वार विवरण निम्न प्रकार से था:

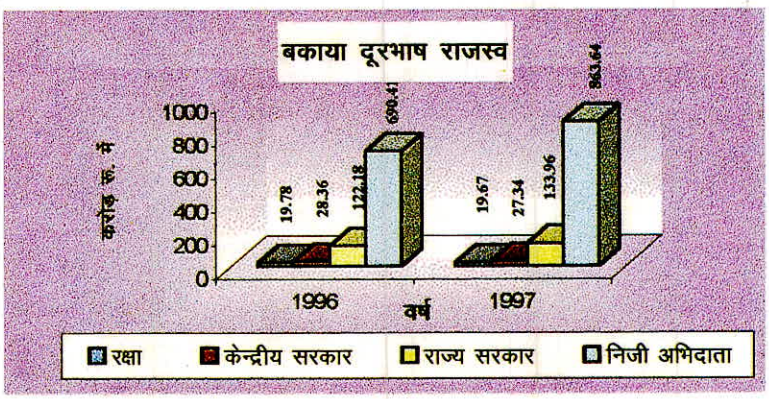

7.4 विभागीय अनुदेशों के अनुसार, परिमण्डल के अध्यक्ष को प्रतिवर्ष जून के अन्त तक बकाया राजस्व की वसूली के विवरण प्रतिवर्ष 31 अगस्त तक शाखा लेखापरीक्षा कार्यालयों को भेजे जाने अपेक्षित हैं। तथापि, 31 अक्तूबर 1997 तक 20 परिमण्डलों में से किसी से भी अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

7.5 तार, दूरमुद्रक व दूरभाष परिपथों के किराये तथा टेलेक्स/इंटेलेक्स प्रभारों का बकाया

विभिन्न श्रेणियों के अभिदाताओं को तार, दूरमुद्रक व दूरभाष परिपथों तथा टेलेक्स/इंटेलेक्स संयोजनों के किराये पर राजस्व के बकाया का वर्णन नीचे है:

तालिका 7.5 राजस्व बकाया
(तार, टेलेक्स/इंटेलेक्स आदि)

(करोड़ रू. में)

वर्ष	1 अप्रैल 1997 को बकाया	वर्ष के दौरान की गई मांग	कुल मांग (2+3)	वर्ष के दौरान संगृहीत राशि	31 मार्च को अवशेष (4+5)
1	2	3	4	5	6
परिपथ (दूरभाष एवं तार)					
1993-94	52.24	127.97	180.21	101.40	78.81
1994-95	78.81	131.86	210.67	119.52	91.15
1995-96	91.15	132.04	223.19	126.46	96.73
1996-97	96.73	156.70	253.43	147.15	106.28
टेलेक्स/इंटेलेक्स प्रभार					
1993-94	16.62	91.76	108.38	91.70	16.68
1994-95	16.68	76.80	93.48	76.41	17.07
1995-96	17.07	60.06	77.13	58.14	18.99
1996-97	18.99	49.42	68.41	48.84	19.57

परिपथों के संबंध में संग्रहण के लिए अतिदेय राजस्व बकाया जोकि सात महीनों की औसत बिलिंग द्योतक है, की गई मांग में कमी आने के बावजूद भी, 1993-94 के 67.64 करोड़ रू. से 1996-97 में 91.47 करोड़ रू. तथा उसी अवधि में टेलेक्स/इंटेलेक्स प्रभार 7.30 करोड़ रू. से बढ़कर 10.44 करोड़ रू. तक पहुँच गया।

7.6 मार्च 1997 तक जारी किए गए बिलों के लिए 1 जुलाई 1997 को बकाया प्राप्यों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 7.6 बकाया प्राप्य
(परिपथ/टेलेक्स/इंटेलेक्स)

(करोड़ रू. में)

		संचार परिपथों के लिए किराया	टेलेक्स/इंटेलेक्स प्रभार	कुल
	1986-87 तक	3.60	0.72	4.32
	1987-88 से 1994-95	47.17	5.25	52.42
	1995-96	19.28	2.26	21.54
	1996-97	39.41	6.53	45.94
	कुल	**109.46**	**14.76**	**124.22**

7.7 1168.84 करोड़ रू. से अधिक का कुल राजस्व बकाया दू वि जैसे वाणिज्य विभाग के वित्तीय स्वास्थ्य को गम्भीर नुकसान पहुँचाता है। बकाया प्राप्यों को वसूलने के लिए विभाग को विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है।

8 लेखापरीक्षा के बताए जाने पर राजस्व/परिनिर्धारित नुकसान की वसूली।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कम बिल बनाने, राजस्व की गैर वसूली आदि के कारण विक्रेताओं/अभिदाताओं के प्रति बकाया 836.96 करोड़ रू. में से दू वि ने 8.98 करोड़ रू. की वूसली की पुष्टि की।

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से दूरभाष राजस्व लेखा शाखा में संज्ञापन–पत्रों के प्राप्त न होने, बिलों को पुरानी दरों पर जारी करने, किराये के गलत निर्धारण व उपग्रह प्रभारों की गैर–वसूली तथा शास्तिक ब्याज, जैसा कि पैराग्राफ संख्या 4,5 और 9.1 से 9.6 में बताया गया है, 94 मामलों में कुल 836.96 करोड़ रू. के कम बिल बनाने/ परिनिर्धारित नुकसान की गैर–वसूली का पता चला।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने दिसम्बर 1997 तक 8.98 करोड़ रू. की वसूली की पुष्टि की।

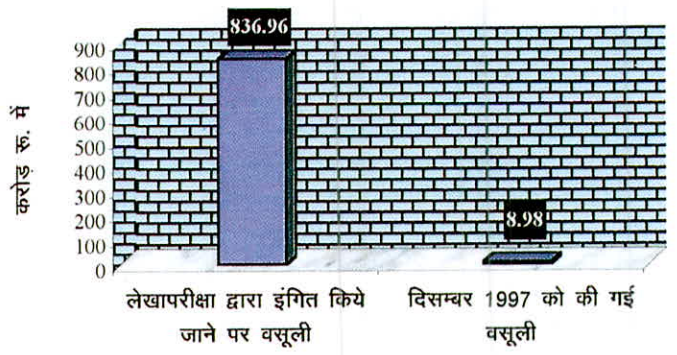

9 ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बनाना

9.1 संज्ञापन पत्रों का प्राप्त न होना

प्रदान की गई दूरसंचार सुविधाओं के बारे में, सुविधाओं के प्रावधान के एक सप्ताह के भीतर दूरभाष जिले की परिचालन शाखा द्वारा दूरभाष राजस्व लेखा शाखा को पूर्ण संज्ञापन पत्र भेजने होते हैं ताकि वह उनका विवरण अभिदाताओं के अभिलेख कार्डों में दर्ज कर सके तथा अभिदाताओं को बिल जारी कर सके। दूरभाष राजस्व लेखा शाखा को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में परिचालन शाखा से गैर–निर्देशिका मदों की सूची प्राप्त करनी होती है और उसे अभिदाताओं के अभिलेख कार्डों से जाँच करके यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी दूरसंचार सुविधाओं के संबंध में किराये की वसूली कर ली गई है।

नमूना जाँच से 11 परिमण्डलों में 7.92 करोड़ रू. के मामले प्रकाश में आये

संज्ञापन पत्रों के प्राप्त न होने के कारण दूरभाष राजस्व लेखा शाखा द्वारा देरी से बिल बनाये जाने/बिल न बनाने के मामले पिछले कई वर्षों से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए हैं। विभाग के इस आश्वासन के बावजूद कि संज्ञापन पत्रों के जारी किए बिना कोई भी दूरभाष सुविधा मुहैया नहीं की जाएगी, प्रणाली के आन्तरिक नियंत्रण की अप्रभावी के कारण कमी सतत बनी हुई है। 1996-97 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच से 11 दूरसंचार परिमण्डलों में जैसा कि परिशिष्ट-III में दिखाया गया है, 7.92 करोड़ रू. के कम बिल बनाने/बिल न बनाने के 44 मामले प्रकाश में आए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, विभाग ने 4.18 करोड़ रू. की वसूली की। शेष राशि के वसूली विवरण दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थे।

9.2 पुरानी दरों पर जारी किए गए बिल

विभाग दो मामलों में सही टैरिफ को लागू न करने में चूक के कारण 39.97 लाख रू. के अतिरिक्त किराए की वसूली करने में विफल रहा।

दू वि ने टैरिफ के बदलने पर भी पुरानी दरों पर वसूली की

(क) दूरसंचार विभाग ने नवम्बर 1992 से अनन्य रूप से एकमात्र अभिदाता को उपलब्ध करायी गई भूमिगत केबिलों के किराए प्रभारों सहित कुछ दूरसंचार सुविधाओं के टैरिफ संशोधित किए। नवम्बर 1996 में लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया था कि अप्रैल 1988 से मार्च 1998 तक म प्र दू मेरठ द्वारा किराये व गारन्टी के आधार पर मिलिटरी पी ए बी एक्स से 22 इन्फैन्टरी डिविजन को उपलब्ध कराई गई छः कि.मी. भूमिगत केबिल तथा मिलिटरी एक्सचेंज से कैरियर सिस्टम मेरठ को उपलब्ध कराई गई भूमिगत केबिल का न तो किराया संशोधित किया गया था और न ही बिल बनाए गए, जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1992 से जुलाई 1997 की अवधि के लिए 21.25 लाख रू. के किराए व अन्य प्रभारों के कम बिल बनाए गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, म प्र दू ने नवम्बर 1996 में 21.25 लाख रू. के संशोधित बिल जारी किए तथा मार्च 1997 में 20.54 लाख रू. वसूल किए।

(ख) यदि रक्षा पट्टा परिपथों तथा दूरसंचार नेटवर्क के बीच अन्तःकनेक्शन उपलब्ध कराएं जाएं तो ऐसे परिपथों के लिए स्पीच परिपथों के लिए लागू सामान्य प्रभारों के अतिरिक्त 33 प्रतिशत की वसूली करनी होती है।

फरवरी 1992 में दूरसंचार जिला प्रबन्धक, वेलौर ने तमिलनाडु परिमण्डल में आरकोनाम से गोवा, विशाखापट्नम और चेन्नई से नौ सेना स्टेशन आरकोनाम को पट्टा परिपथ उपलब्ध कराए।

नमूना जाँच से पता चला कि विभाग ने किराए की संशोधित दरों पर वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 1992 से अप्रैल 1997 की अवधि के लिए 18.72 लाख रू. के कम बिल बनाए।

मार्च 1996 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर दू जि प्र ने अनुपूरक बिल जारी किए तथा अगस्त 1996 से मार्च 1997 के दौरान जारी किए गए सभी 18.72 लाख रू. की राशि की वसूली की।

9.3 देयों का भुगतान न करने के बावजूद भी दूरसंचार सुविधाओं को जारी रखना

31 मार्च 1991 से 1996 को समाप्त वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में दूरभाष बिलों की वसूली न होने के बहुत से मामले सम्मिलित थे।

1996-97 के दौरान जाँच से निम्नलिखित और मामलों का पता चला:

नमूना जाँच से ऐसे मामले उजागर हुए जहाँ पर बिलों का भुगतान न करने के कारण दूरभाष सुविधा नहीं काटी गई थी।

(क) अक्तूबर 1996 में महाप्रबन्धक दूरसंचार शिमला के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 17 दूरभाष अभिदाताओं के 3 से 12 की संख्या में बिलों का भुगतान न करने के बावजूद भी दूरभाष सुविधा को जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप बकाया बढ़कर 8.34 लाख रू. हो गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अक्तूबर 1997 में 2.09 लाख रू. की वसूली की गई थी। शेष राशि की वसूली दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थी।

(ख) अन्य मामले में, दूरसंचार जिला प्रबन्धक रोहतक ने 2 से 17 की संख्या में बिलों का भुगतान न करने के बावजूद भी विभिन्न अभिदाताओं के लिए 16 पट्टा दूरभाष सुविधाओं को जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप 4.58 लाख रू. के बकायों का संचयन हुआ है।

मई 1997 में मामले मंत्रालय को भेजे गए थे; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

9.4 सार्वजनिक दस्तावेज संचारण सेवा के लिए लाइसेंस फीस की वसूली न करना।

दू वि ने फैक्स प्रयोक्ताओं से लाइसेंस फीस के 7.93 लाख रू. की वसूली नहीं की

एक दूरभाष अभिदाता अपनी फैक्स मशीन का उपयोग, दूरभाष लाइन और डॉटा मॉडमों पर 3000 रू. की वार्षिक लाइसेंस फीस के अग्रिम भुगतान पर अपने निजी उपयोग के लिए तथा 15000 रू. पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, कर सकता है। दू वि ने जनवरी 1995 में उपरोक्त दोनों उद्देश्यों के लिए वार्षिक दरों को क्रमशः 300 और 5000 रू. कम किया।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच से मार्च–अप्रैल 1997 में निम्नलिखित पता चलाः

दूरसंचार जिला प्रबन्धक, जमशेदपुर ने जुलाई 1991 से मार्च 1998 के दौरान 254 फैक्स प्रयोक्ताओं से अपने निजी उद्देश्यों के लिए तथा 41 फैक्स प्रयोक्ताओं से सार्वजनिक/वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए 3.10 लाख रू. की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की। उसी तरह दूरसंचार जिला प्रबन्धक धनबाद ने मई 1990 से मार्च 1998 के दौरान 51 फैक्स प्रयोक्ताओं से निजी उद्देश्य तथा 16 फैक्स प्रयोक्ताओं से सार्वजनिक/वाणिज्यि उद्देश्य के लिए 4.83 लाख रू. की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, उन्होंने बिल जारी करने का आश्वासन दिया। जारी किए गए बिलों तथा वसूल की गई राशि के विवरण दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थे।

जुलाई 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

9.5 ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना-निजी डॉटा नेटवर्क के लिए किराये का कम बिल बनाना।

प्राइवेट डॉटा नेटवर्क प्रयोक्ताओं से दू वि ने विस्तृत इकाइयों के सात मामलों में 5.11 करोड़ रू. के बिलों को प्रस्तुत नहीं किया।

नमूना जाँच ने निजी डॉटा नेटवर्क के प्रयोक्ताओं से 5.11 करोड़ रू. के बिलों को प्रस्तुत न करने की दू वि की असफलता का पता लगाया

विभागीय नियमों के अनुसार, निजी डॉटा नेटवर्क के लिए उपलब्ध कराए गए डॉटा परिपथ के लिए किराया, डॉटा परिपथ के साधारण किराए से दो गुना उगाहा जाना होता है। परिशिष्ट-IV में दिखाए गए सात मामलों में, विभिन्न दूरसंचार जिलों के लेखा अधिकारी (दू रा ले) ने निर्धारित दरों के अनुसार किराए की वसूली नहीं की, इसके परिणामस्वरूप अक्तूबर 1990 से जून 1997 की अवधि के लिए 5.11 करोड़ रू. किराए की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित होने के बाद दू वि ने 1.75 करोड़ रू. की वसूली की

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने जुलाई 1996 से मार्च 1997 तक 1.75 करोड़ रू. वसूल किए। शेष राशि की वसूली दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थी।

9.6 10.88 करोड़ रू.: किराये की मांग और संग्रहण में असफलता

विभिन्न दूरसंचार सुविधाओं के लिए मांग, किराए के संग्रहण में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 10.88 करोड़ रू. के राजस्व की कम/गैर वसूली

नमूना जाँच ने दूरसंचार सुविधाओं के लिए किराये के रूप में 10.88 करोड़ रू. की गैर वसूली का पता लगाया

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से पता चला कि दिसम्बर 1991 से जनवरी 1997 के लिए 12 दूरसंचार परिमण्डलों, जैसाकि परिशिष्ट-V में दर्शाया गया है, के विभिन्न दूरसंचार सुविधाओं के 35 मामलों में 10.88 करोड़ रू. के किराए की कम/गैर वसूली हुई। मु म प्र दू बिल जारी करने, लाइसेंसों के नवनीकरण, किराए की अग्रिम वसूली, संशोधित परियोजना लागत के आधार पर किराए का संशोधन और केबिल के समयपूर्व अभ्यपर्ण के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली आदि करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मु म प्र दू ने अक्तूबर 1997 तक 2.64 करोड़ रू. वसूल किए। शेष अभी भी वसूल किए जाने थे।

यद्यपि, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के पूर्ववत के प्रतिवेदनों में इस प्रकार की अनियमितताओं को इंगित किया गया था, फिर भी अनियमितताएं लगातार बनी हुई हैं। विभाग ने लापरवाही/चूक के लिए उत्तरदायित्व नहीं निर्धारित किया है।

10 तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

10.1 प्रस्तावना

दू वि ने देश में तार नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिये नवम्बर 1985 से प्रभावी त्रिवर्षीय कार्य योजना आरम्भ की। उसने देश में तार सेवाओं के लिए अति आधुनिक मैसेज स्वीचिंग नेटवर्क के निर्माण पर विचार किया। समस्त तार कार्यालयों को जो मॉर्स सुविधा का उपयोग कर रहे थे, तारों के तत्काल संचरण के लिए ऑटोमैटिक मैसेज स्वीचिंग नेटवर्क के साथ जोड़ना था। कार्य योजना के अन्तर्गत तार यातायात में प्रक्षेपित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दू वि ने 5292 ऑटोमैटिक इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड (दू की बो) और 538 इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कन्सेन्ट्रेटर्स (दू की बो क) और दूसरे उपस्कर जैसे फोनोकाम कन्सेन्ट्रेटर्स इलेक्ट्रॉनिक टेलिप्रिन्टर्स इत्यादि की आवश्यकता बताई। दूरसंचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण नवम्बर 1988 तक पूरा करने का प्रस्ताव था। कार्यान्वयन के बाद देश में बुक होने वाले 98 प्रतिशत तारों की बारह घन्टों के अन्तर्गत सुपुर्दगी प्रत्याशित थी तथा समस्त तारों की एक सौ प्रतिशत सुपुर्दगी बुकिंग समय से चौबीस घन्टों के अन्तर्गत होनी थी।

10.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मई से अगस्त 1997 के बीच लेखापरीक्षा ने आयोजना, अधिप्राप्ति, इ की बो और इ की बो क के उपयोग की समीक्षा की।

10.3 संगठनात्मक ढाँचा

आयोजना, निविदा, दरों का निर्धारण, परिमण्डलों के लिए मात्रा का आबंटन, योजना को मॉनीटर करना, उपस्करों के लिए क्रय आदेशों (क्र आ) को जारी करने का काम केन्द्रीयकृत रूप से दू वि विभाग का आयोजना और अधिप्राप्ति सैल करता था। मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार (मु म प्र दू) क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे।

10.4 मुख्य विशेषताएँ

- दू वि ने तीन वर्ष की मूल नियत अवधि के प्रति तार आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन में नौ वर्ष से अधिक समय ले लिया। विभाग ने बीच के समय में प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन का ध्यान में रखते हुए आवश्यकताओं को पुन: निर्धारित नहीं किया।

- इ की बो एव दू की बो क जोकि नए मीडिया के साथ असंयोज्य है की खरीद पर, दूरसंचार विभाग द्वारा परियोजना की लागरवाही व उदासीन आयोजना तथा क्रियान्वयन के कारण, 14.71 करोड रू. का समग्र व्यय निष्फल रहा।
- 2094 इ की बो एवं 153 इ की बो क जो कुल खरीद का लगभग 50 प्रतिशत थे का कभी प्रतिष्ठापन नही किया गया।
- शष इ की बो एवं इ की बो क जो प्रतिष्ठापित किए गए वे भी मीडिया के असामजस्य के कारण अधिकतर बिना उपयोग के पड़े रहे।
- दू वि पूर्तिकारो से कम आपूर्ति एव खराब उपस्कर की लागत और परिनिर्धारित नुकसान के लिए 88.41 लाख रू. की वसूली करने मे विफल रहा।

10.5 निविदा और अधिप्राप्ति

दू वि ने 1989-95 के दौरान कुल 12.88* करोड़ रू. की लागत पर 4242 इ की बो और 429 इ की बो क के लिए क्रय आदेश दिए जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	आदेश की किस्म	आई पी एस सहित इ के बी			इ के बी सी		
		मात्रा	इकाई दर* (रू. में)	कुल (लाख रू. में)	मात्रा	इकाई दर* (रू. मे)	कुल (लाख रू. में)
1989	वि आ	200	13200	**26.40**	20	132000	**26.40**
1990-93	भा आ	2500	16680	**417.00**	250	166500	**416.25**
	शै आ	100	14500	**14.50**	10	95000	**9.50**
1995	पु आ	1442	13300	**191.79**	149	124635	**185.71**

वि आ–विकासात्मक आदेश भा आ–भारी आदेश शै आ–शैक्षिक आदेश पु आ–पुनः आदेश
* उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को छोड़कर

इन उपस्करों की निविदा, अधिप्राप्ति और आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित प्रकट होता है।

10.5.1 प्रोटोटाइप विकास और फील्ड परीक्षण में विलम्ब

निजी फर्मों के सहयोग से इ की बो तथा इ की बो क के विकास में 1986 से लगभग सात वर्ष का समय लगा। विकासात्मक आदेशों के प्रति निजी फर्मों द्वारा 1990-91 के दौरान आपूर्त इ की बो तथा इ की बो क को बहुत बाद में, 1993-94 में सर्किटों/फील्ड परीक्षणों में असंतोषजनक पाया गया।

10.5.2 भारी मात्रा में अधिप्राप्ति को अन्तिम रूप देने में विलम्ब

दू वि द्वारा आपूर्ति आदेश देने में विलम्ब के कारण अप्रचलित हो गए

दू वि ने अगस्त 1990 की निविदा के आधार पर संतोषजनक परिणाम से पहले ही मई 1991 में तीन पूर्तिकारों को 6.95 करोड़ रू. के 2500 इ की बो एवं 250 इ की बो क के लिए आशय पत्र तथा 100 दू की बो एवं 10 इ की बो क के लिए शैक्षिक आदेश दे दिए जैसा कि निम्न ब्यौरे में दर्शाया गया है:

फर्म का नाम	इ की बो		इ की बो क		मूल्य (करोड़ रू. में)
	मात्रा	इकाई दर (रू. में)	मात्रा	इकाई दर (रू. में)	
वाणिज्यिक आदेश					
इनफोसीस डिजीटल प्रणाली (पी) लिमिटेड बंगलोर (इनफोसीस)	1000	12000	100	120000	**2.40**
अनालॉग डिजीटल प्रणाली लिमिटेड, बंगलोर (ए डी एस)	1000	12000	100	120000	**2.40**
ई टी एण्ड टी कारपोरेशन लिमिटेड (ई टी एण्ड टी)	500	12000	50	120000	**1.20**
शैक्षिक आदेश					
वेरसाबाइट	20	14500	2	95000	**0.05**
यूविटेक	20	14500	2	95000	**0.05**
सीटा इलेक्ट्रॉनिक्स	20	14500	2	95000	**0.05**
केल्ट्रान प्रणाली	20	14500	2	95000	**0.05**
हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड	20	14500	2	95000	**0.05**
यू पी एस	2600	1500	260	12000	**0.70**
कुल					**6.95**

एक ओर दू वि ने इ की बो एवं इ की बो क की अधिप्राप्ति की तथा दूसरी ओर मॉर्स लाइनें जिन पर उन्हें उपयोग करना था, को समाप्त कर दिया

अगस्त 1990 में निविदाओं को आमन्त्रित करने के पश्चात् नीचे बताए गए घटनाक्रम से ज्ञात होगा कि इ की बो एवं दू की बो क की अधिप्राप्ति/आपूर्ति में विलम्ब के लिए दू वि जिम्मेदार था। अन्ततः विलम्ब दू वि को बहुत मंहगा पड़ा क्योंकि जिस समय तक अधिकांश आपूर्ति हो गई तब तक दू वि ने मॉर्स तार लाइनें जोकि इ की बो एवं इ की बो क को उपयोग करने का माध्यम थी, को समाप्त कर दिया।

- दू वि ने निविदाओं के जारी होने के पश्चात् आशय पत्र देने में नौ महीने ले लिए।
- बावजूद इसके कि दो फर्मों ए डी एस और ई टी एण्ड टी ने कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि, उच्च ब्याज दर, आयात लाइसेंस में अधिक गुजांइश और जुलाई–अगस्त 1991 में संबंधित सीमा–शुल्क के कारण कीमत बढ़ाने हेतु विरोध प्रकट किया, दू वि ने निविदाओं के संदर्भ में निर्धारित कीमतों पर नवम्बर–दिसम्बर 1991 में नियमित क्रय आदेश जारी कर दिए। इससे एक

गतिरोध आ गया जिसका निपटारा कीमत में मोल तोल तथा अन्ततः मई 1992 में कीमतों में 28 प्रतिशत की सम्भावित बढ़ोतरी से हुआ–निविदा की तिथि से 21 महीने का संचित विलम्ब।

ई टी एण्ड टी के सहयोगी को अनुमोदन करने के लिए दू वि ने डेढ़ वर्ष लिया

- चूँकि ई टी एण्ड टी के सहयोगी ने इ की बो का विर्निमाण बंद कर दिया था अतः उन्होंने दिसम्बर 1991 में दू वि से दूसरे सहयोगी के इ की बो का अनुमोदन करने के लिए कहा। दू वि और दू इ के ने आपस में जून 1993 में परिवर्तन के अनुमोदन के लिए डेढ़ वर्ष का समय लिया।

10.6 लापरवाही पूर्ण क्रय आदेश का दोहराना

फरवरी/मार्च .1995 में 4.71 करोड़ रू. के 1442 इ की बो एवं 149 इ की बो क के लिए क्रय आदेश का दोहराना दू वि का धन के मूल्य के प्रति असमन्वित और लापरवाही का व्यवहार स्थापित करता है जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से सिद्ध होता है:

दू वि द्वारा कार्य योजना को क्रियान्वयन करने में लिए गये लम्बे समय के दौरान तार यातायात में कम हो गया

- तार सेवाओं के आधुनिकीकरण की मूल कार्य योजना जिसके अन्तर्गत 1995 में अधिप्राप्ति हुई, 10 वर्ष पुरानी थी। बीच की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से इ की बो को अप्रचलित कर दिया था, इसके अतिरिक्त आमतौर पर जनता की अभिरूचि तार के स्थान पर अधिक विश्वसनीय, तीव्र और आधुनिक प्रणाली जैसे दूरमुद्रक, फैक्स और ग्रामीण दूरभाष सहित दूरभाष के अति महत्वपूर्ण विस्तीर्ण नेटवर्क की ओर खिसक गये। तार यातायात 1986-87 में 7.42 करोड़ तार से गिरकर 1995-96 में 5.66 करोड़ तार हो गया था।

तार का माध्यम भी बदल गया

- तार के मॉर्स लाइन के परम्परागत माध्यम का स्थान यू एच एफ, ऑप्टीकल फाइबर और उपग्रह ने ले लिया। मॉर्स लाइन का उपयोग प्रचलित हो गया था।

इ की बो एवं इ की बो क बी उपयोगिता के बारे में ध्यान आकर्षित करने के उपरान्त भी दू वि ने उन्हें खरीद लिया

- दू वि के दस्तावेजों में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रकट होता है कि मु म प्र दू असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल दूरसंचार परिमण्डलों ने 1995-96 के दौरान व्यर्थ के इ की बो और इ की बो क की अधिप्राप्ति की बुद्धिमता पर संदेह प्रकट किया जोकि दू वि के अधिकारियों द्वारा आदेश दोहराने में उनके लापरवाही पूर्ण व्यवहार की पुष्टि करता है। प्रौद्योगिकी में प्रत्यक्ष परिवर्तन के बावजूद, जिसकी जानकारी दू वि में इ की बो की खरीद की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को होनी चाहिए थी, परन्तु उन्होंने क्रय आदेश दोहरा कर लापरवाहीपूर्ण व्यवहार किया जिस कारण 4.71 करोड़ रू. का समग्र व्यय व्यर्थ रहा।

जबकि 6.24 करोड़ रू. मूल्य के इ की बो एवं इ की बो क कभी भी उपयोग में नहीं लाये गये सर्किटों में लगाए गए शेष भी उपयोग के बिना रह गए।

- कुल 3927 इ के बो और 394 इ के बो क में से क्रमशः 2094 इ के बो और 153 के बो के, जो प्राप्त हुए थे और जिनका मूल्य 6.24 करोड़ रू. था, को भी जुलाई 1997 तक कभी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया था यहाँ तक कि शेष 8.47 करोड़ रू. के 1833 इ की बो एवं 241 इ की बो क जो प्रतिष्ठापित ओर चालू हो गए थे, भी ज्यादातर विद्यमान माध्यम के साथ असंयोज्य होने के कारण उपयोग में नहीं लाए गए।

10.7 परिनिर्धारित नुकसान उगाहने में विफलता

दू वि ने 50.23 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान को नहीं उगाहा

मूल क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार उपस्करों की आपूर्ति पाँच महीनों के भीतर अर्थात् अक्तूबर 1992 तक पूरी होनी थी। अन्यथा विलम्ब से प्राप्त उपस्करों की कीमत का एक प्रतिशत का आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह या उसके अंश की देरी पर तथा उपस्कर की कीमत पर अधिकतम पाँच प्रतिशत परिनिर्धारित नुकसान के रूप में प्रभारित करना था।

1992 और 1995 के संशोधित आदेश के प्रति सभी फर्मों ने आपूर्ति में विलम्ब किया लेकिन विभाग ने 50.23 लाख रू. परिनिर्धारित नुकसान प्रभारित नहीं किया जैसाकि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 10.7

(लाख रू. में)

क्र. सं.	पूर्तिकार का नाम	कुल लागत पर देय प नु प्रभार	वास्तव में वसूल किया गया प नु	प नु की कम/ गैर वसूली
मुख्य क्र आ				
1.	इनफोसिस डिज़ीटल सिस्टम (पी) लिमिटेड, बंगलोर	19.56	शून्य	19.56
2.	अनालॉग डिज़ीटल सिस्टम लिमिटेड, बंगलोर	20.80	6.48	14.32
3.	ई टी एण्ड टी कॉरपोरेशन लिमिटेड	10.29	6.19	4.10
पुन: क्र आ				
4.	अनालॉग डिज़ीटल सिस्टम लिमिटेड, बंगलोर	12.25	शून्य	12.25

10.8 अधिक भुगतान

- ई टी एण्ड टी ने उत्तर प्रदेश परिमण्डल के लिए ई की बो/इ की बो क के 212 यू पी एस प्रणालियों की कम आपूर्ति की जिसके लिए मु म प्र दू उ प्र परिमण्डल ने मार्च और अक्तूबर 1994 में प्रेषण के प्रमाण पर 3.46 लाख रू. जोकि 90 प्रतिशत बनता है, अदा कर दिए। मु म प्र दू को इन उपस्करों की न तो आपूर्ति हुई और न ही उसने अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली की।
- जुलाई 1994 में इन्डियन एयर लाइन्स के माध्यम से ई टी एण्ड द्वारा भिजवाए गये एक प्रेषण जिसमें 15 इ की बो, एक इ की बो क और 16 यू पी एस थे अगस्त 1997 तक भी लखनऊ हवाई अड्डे पर पड़ा था। मु म प्र दू ने अक्तूबर 1994 में वास्तविक प्राप्ति की प्रमाणिकता के बिना ही बीजक के आधार पर 4.20 लाख रू. पहले ही अदा कर दिए। इन्डियन एयर लाइन्स से फरवरी 1995

तक विलम्ब प्रभारों के लिए 1.42 लाख रू. का दावा प्राप्त करने के बावजूद भी मु म प्र दू ने मामले का निपटारा नहीं किया।

10.9 उपस्करों की क्षतिग्रस्त/खण्डित अवस्था में आपूर्ति

1993-94 के दौरान ई टी एण्ड टी द्वारा 30.52 लाख रू. के आपूर्त किए गए 39 इ की बो एवं 12 इ की बो क आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश परिमण्डलों में क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त हुए।

निविदा के वारन्टी खण्ड के अनुसार, तीन महीनें के अन्दर त्रुटियों को दूर करने की फर्म की जिम्मेवारी थी, अन्यथा दू वि को यह अधिकार था कि वह त्रुटियों को दूसरे पूर्तिकारों से चूककर्ता फर्म के खर्चे पर ठीक करवाए। दू वि ने 30.52 लाख रू. के क्षतिग्रस्त उपस्कर अगस्त 1997 तक फर्म से न तो बदलवाये और न ही 8.50 लाख रू. की निष्पादन बैंक गारन्टी जोकि सितम्बर 1994 तक वैध थी, को भुनाया ताकि कम से कम अंशतः खराब उपस्करों की आपूर्ति की कुछ अंश क्षतिपूर्ति होती।

नवम्बर 1997 में मामला मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; जिसका दिसम्बर 1997 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

11 केबिल पेयर गेन सिस्टम की अधिप्राप्ति एवं उपयोग

11.1 प्रस्तावना

1989-90 से दूरसंचार नेटवर्क में प्रयोग किये जाने वाले सब्सक्राइबर कैरियर सिस्टम (एस सी एस) और सब्सक्राइबर लाइन कंसन्ट्रेटर (एस एल सी) सामूहिक रूप से पेयर गेन सिस्टम कहलाते हैं। सामान्यतया प्रयोग किये जाने वाले एनलॉग एस सी एस 1+1 और 1+7 हैं तथा एस एल सी 6/15 और 16/90 हैं। नेटवर्क में डिज़ीटल 1+3 एस सी एस भी शुरू किया जा रहा है।

ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र विद्यमान केबिल पेयर की क्षमता में विस्तार करते हैं और क्रमशः एक से सोलह केबिल पेयर पर एक से नब्बे दूरभाष संयोजन देने की सम्भावना बढ़ाते हैं। ये एक विशिष्ट स्थान पर या तो स्थायी तौर पर प्रयोग किये जा सकते हैं या हटाकर आवश्यकता के अनुसार अन्य स्थान पर पुनः प्रयोग हो सकते हैं ये केबिल की स्थायी कमी को दूर करने में सहायता करते हैं। केबिल बिछाने की तुलना में इन प्रणालियों की स्थापना भी अधिक तेजी से होती है। अतः जहाँ केबिल के अभाव में संयोजन देना व्यवहार्य न हो वहाँ पर मुख्यतया इनसे संयोजन देना अभिप्रेत है।

1994 के मध्य तक दूरसंचार विभाग केन्द्रीय रूप से प्रणालियों की अधिप्राप्ति कर रहा था। अधिप्राप्ति में विलम्ब से बचने के लिये दू वि ने अगस्त 1994 में एस सी एस और नवम्बर 1995 में एस एल सी के क्रय का विकेन्द्रीकरण किया और दूरसंचार

परिमण्डलों के मुख्य महा प्रबन्धकों (मु म प्र) को दूरसंचार विभाग द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं से प्रणालियाँ खरीदने के लिए प्राधिकृत किया तथापि अप्रैल 1996 से विभाग ने विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति बंद कर दी क्योंकि उसने डिजीटल पेयर गेन सिस्टम अपनाने का निर्णय लिया।

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के अन्तर्गत मु म प्र दूरभाष द्वारा खरीदी गई प्रणालियों की सही संख्या और मूल्य से संबंधित सूचना दू वि के पास नहीं थी। 1989-97 के दौरान मु म प्र दू द्वारा ली गई खरीद समेत अधिप्राप्ति का लगभग कुल मूल्य करीब 156 करोड़ रू. था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:–

प्रणाली का नाम	अधिप्राप्त मात्रा	मूल्य (करोड़ रू. में)
एस सी एस 1+1	5760	4.50
1+7	15050	103.67
एस एल सी 6/15	2642	13.60
16/90	843	34.35
कुल	24295	156.12

11.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मार्च–जून 1997 के दौरान दू वि मुख्यालयों और बारह दूरसंचार परिमण्डलों में लेखापरीक्षा द्वारा पेयर गेन सिस्टम के उपयोग एवं अधिप्राप्ति से संबंधित फाइलों/अभिलेखों की समीक्षा जाँच करने के उद्देश्य से की कि (i) दू वि की नीति और अधिप्राप्ति की क्रियाविधि (ii) विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की शर्तों एवं निबन्धनों का परिमण्डलों द्वारा अनुपालन (iii) प्रणालियों का उपयोग जाँचने के लिए किया

11.3 संगठनात्मक ढाँचा

उपस्कर आरम्भ करने, निविदा आमंत्रित करने और कीमत निर्धारित करने की नीति निर्णय केन्द्रीय रूप से दिल्ली में दू वि मुख्यालय में लिये जाते थे। परिमण्डलों के मु म प्र दू के समग्र पर्यवेक्षण के तहत फील्ड में प्रणालियों के लगाने का काम दूरसंचार जिलों द्वारा क्रियान्वित किया जाता था।

11.4 मुख्य विशेषताएँ

- 1988-92 के दौरान दू वि ने प्रणाली की उपयोगिता के रखरखाव और प्रतिष्ठापन में आने वाली वृद्धिघाती समस्याओं का पुर्वानुमान लगाये बिना 4.50 कराड़ रू. के 1+1 पेयर गेन सिस्टम की 5760 इकाइयाँ अधिप्राप्त की।
- फील्ड इकाइयों द्वारा 1+7 पेयर गेन सिस्टम की विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति से निम्नतम बोलीदाता को भारी मात्रा के आपूर्त आदेश देने की दू वि की मूल नीति

अस्त–व्यस्त हो गई। कुल 15050 की कुल अधिप्राप्ति में से दू वि ने 1+7 सिस्टम के 9676 के यूनिट एच एफ सी एल से अधिप्राप्त किये। यद्यपि अन्य फर्म आर सी एल ने निम्नतम कीमत उद्धृत की थी।

- 1994-96 के दौरान दू वि ने नये निविदा आमंत्रित किये बिना 1993-94 में 1071 यूनिटों के लिए नियत कीमत के आधार पर 1+7 प्रणाली के 13179 इकाइयाँ अधिप्राप्त की। इसका निर्णय इलेक्ट्रॉनिक माल की कीमतों में व्याप्त गिरावट की पृष्ठभूमि में भी दोषपूर्ण है। ऐसा करने से दू वि ने बड़ी मात्रा की खरीद पर मिलने वाली सम्भावित मात्रा कटौती भी खो दी।
- कीमत निर्धारित करने के परिणामस्वरूप दो फर्मों अर्थात् एच एफ सी एल और आर सी एल को 32.16 लाख रू. का सार्वजनिक राजकोष की लागत पर लाभ हुआ।
- अधिक अधिप्राप्ति प्रणाली में दोष और प्रणालियों के पुनः प्रयोग की विफलता के कारण मार्च 1997 तक 19.01 करोड़ रू. के एस सी एस और एस एल सी के 3882 यूनिट बिना प्रयोग के रह गये।

11.5 एस सी एस की अधिप्राप्ति

1987 में दू वि ने दोनों 1+1 एस सी एस और 1+7 एस सी एस का उपयोग करने का निर्णय लिया। 1+1 प्रणाली विद्यमान तार के युग्म पर केवल एक अतिरिक्त संयोजन दे सकती है जबकि 1+7 प्रणाली तार के एक ही युग्म से सात अतिरिक्त संयोजन दे सकती है।

11.5.1 एस सी एस 1+1 प्रणालियाँ

रखरखाव की समस्याओं को जानते हुए भी दू वि ने 4.50 करोड़ रू. के 5760 1+1 एस सी एस प्रणालियाँ अधिप्राप्त की

1+1 एस सी एस का एक यूनिट अभिदाता के परिसर में तथा दूसरा एक्सचेंज में रखना अपेक्षित है। अभिदाता का यूनिट बैटरी की सहायता से कार्य करता है। अतः इसके सफल कार्यचालन के लिए अपेक्षित वॉल्टेज बनाये रखने के लिए बैटरी का निरन्तर रखरखाव इसकी पूर्व शर्त है। दू वि को इस आवश्यकता की जानकारी थी परन्तु 1988-92 के दौरान दो निजी फर्मों अर्थात् हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (एच एफ सी एल) और नेशनल टेलीकॉम ऑफ इण्डिया लिमिटेड (नेटेल्को) से 4.50 करोड़ रू. मूल्य की 5760 1+1 एस सी एस प्रणालियों को अधिप्राप्ति करते समय ऐसी प्रणाली के रखरखाव में जटिलतायें और वृद्धिघाती समस्याओं की उपेक्षा की।

क्योंकि यूनिटस् के साथ आपूर्त की गई मूल बैटरी के अक्रियाशील होने के बाद उनको नहीं बदला गया था इसलिए अधिकांश प्रणालियों को इष्टतम सीमा तक जैसाकि प्रत्याशित था, उपयोग नहीं किया जा सका।

नौ परिमण्डलों में, नमूना जाँच किये गये 3152 एस सी एस प्रणालियों में से 1.35 करोड़ रू. के 1996 प्रणालियाँ उपयोग में नहीं लाई गई थी

पहले इन प्रणालियों का उपयोग वास्तविक फील्ड परीक्षण द्वारा स्थापित करने के बिना तथा अभिदाता के यूनिट से संबंधित समस्याओं तथा बावजूद इसके कि ये प्रणालियाँ स्वयं में लागत प्रभावी नहीं थी, का पूर्व अनुमान लगाने में असमर्थता से दू वि ने इन प्रणालियों की भारी संख्या खरीदने का निर्णय लिया, जिसके परिणामतः लगभग ये सभी बिना उपयोग के पड़े रहे। अतः 1+1 एस सी एस प्रणाली की खरीद पर किया गया 4.50 करोड़ रू. का समग्र व्यय व्यर्थ हो गया। नौ परिमण्डलों में लेखापरीक्षा द्वारा 3152 प्रणालियों के उपयोग की नमूना जाँच से पता चला कि 1.35 करोड़ रू. मूल्य के 1996 एस सी एस प्रणालियाँ बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाई गई थी।

11.5.2 1+7 एस सी एस प्रणालियाँ

1988-96 के दौरान दू वि ने 1+7 एस सी एस प्रणालियों के 15050 यूनिट निम्न तालिका में दर्शाये गये ब्यौरे अनुसार खरीदे।

वर्ष	*कीमतों का आधार*	*रूपयों में आदेशित कीमत*			*अधिप्राप्त मात्रा*	*मूल्य (करोड़ रू. में)*
		मूल	उत्पाद शुल्क	कुल		
1988-89	निविदा	70000	14000	84000	400	3.36
1989-90	की मो तो*	67900	13580	81480	400	3.26
1993-94	निविदा	59390	11878	71268	1071	7.63
1994-95	की मो तो*	57390	11478	68868	13179	89.42
1995-96	की मो तो*	55690	11138	66828		
कुल					15050	103.67

की मो तो* कीमत मोल तोल

11.5.3 कीमत निर्धारण

दू वि ने खुली निविदा के बजाय कीमत मालतोल को चुना

उक्त तालिका से पता चलता है कि दू वि ने 1+7 एस सी एस खरीद के लिए पाँच वर्षों में से तीन वर्षों में खुली निविदा के बजाय कीमत मोल तोल को चुना। इलेक्ट्रॉनिक मदों की कीमतों में आम गिरावट की पृष्ठ भूमि में देखते हुए कीमत मोल तोल का दू वि का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्रोन्नत नहीं हुई और दूसरी ओर अन्य पात्र विक्रेता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाये।

11.5.4 खुली निविदा की अपेक्षा कीमत मोल तोल

दू वि ने विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के अन्तर्गत अधिप्राप्त करने वाली मात्रा की ओर ध्यान नहीं दिया और मात्रा कटौती खो दी

इससे भी बदतर, 1994-95, 1995-96 के दौरान दू वि ने निविदा आमंत्रण पर 1993-94 के लिए अन्तिम रूप से निर्णित दरों के आधार पर उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए कीमत मोल तोल का मार्ग चुना। दू वि के इस निर्णय का विपरीत प्रभाव इस पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि दू वि द्वारा निर्धारित कीमत पर मु म प्र दू द्वारा 1+7

एस सी एस के लिए दिये गये आपूर्त आदेशों को अगस्त 1994 में विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया। विकेन्द्रीकृत खरीद के अन्य मामलों के विपरीत दू वि ने प्रत्येक मु म प्र दू द्वारा अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा को निर्धारित नहीं किया अपितु कुल 1+7 एस सी एस प्रतिष्ठापित एक्सचेंज क्षमता के दो प्रतिशत के अधिक न होने की शर्त के साथ यह निर्णय उन पर ही छोड़ दिया। इस प्रकार दू वि ने कीमत मोल तोल करते समय अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा पर ध्यान नहीं दिया अतः अविनिर्दिष्ट मात्रा कटौती खो दी। 1994-96 के दौरान विकेन्द्रीकृत क्रय के अन्तर्गत 1+7 एस सी एस की कुल खरीद के आँकड़े केवल 1995-96 के अन्त में ही सूचना संकलित होने के बाद पता चले जो यह दर्शाते थे कि मु म प्र दू ने दो वर्षों के दौरान 89.42 करोड़ रू. के मूल्य के 1+7 एस सी एस के लगभग 13179 यूनिट खरीदे थे। इतनी बड़ी मात्रा के लिए केवल 1071 यूनिटों के लिए अन्तिम रूप से तय दरों पर कीमत मोल तोल के द्वारा कीमत निर्धारित करना दोषपूर्ण था।

11.5.5 एक फर्म के लिए अधिकांश आपूर्ति आदेश

संवीक्षा से पता चला कि बहुत सी अन्य विकेन्द्रीकृत क्रयों के विपरीत दू वि ने अनुमोदित फर्मों में से विक्रेता के चयन का विकल्प मु म प्र दू के विवेक पर छोड़ दिया। बाद में विक्रेता–वार अधिप्राप्ति के सारणीयन से पता चला कि अधिकांश मु म प्र दू के आदेशों का भारी भाग निम्नानुसार एक फर्म अर्थात् एच एफ सी एल हो गया:–

वर्ष	अधिप्राप्त मात्रा			
	एच एफ सी एल	नेटेल्को	आर सी एल	कुल
1988-89	400	-	-	400
1989-90	400	-	-	400
1993-94	401	268	402	1071
1994-96	8475	2902	1802	13179
कुल	9676	3170	2204	15050

इस प्रक्रिया में दू वि ने अपनी स्थापित क्रियाविधि अर्थात् आपूर्ति आदेशों को अधिकतम मात्रा, 20 से 50 प्रतिशत, जोकि बोलीदाताओं की कुल संख्या पर निर्भर करेगा, सबसे निम्नतम बोलीदाता को जायेगी, का अतिक्रमण किया।

परिमण्डलों ने 57 करोड़ रू. के मूल्य के 1+7 एस सी एस के 64 प्रतिशत केवल एच एफ सी एल से खरीदें

1993-94 के लिए निम्नतम बोलीदाता रेमसन कम्यूनिकेशन लिमिटेड (आर सी एल) शोधी था। दू वि ने उनको 1993-94 के दौरान इस अस्वीकार्य तर्क पर कि विभिन्न फर्मों द्वारा उद्धृत कीमतों में अन्तर केवल मामूली था, उच्चतर मात्रा के लिए आपूर्ति आदेश नहीं दिये। इसके अतिरिक्त, 1994-96 के दौरान कीमत मोल तोल पर आदेश दिये जाने को विकेन्द्रीकृत किये जाने के निर्णय से यह फर्म आदेशों के उच्चतर अनुपात से वंचित रही जिसका लाभ एच एफ सी एल को मिला, ये कुल आदेशों का 64 प्रतिशत था जिसका मूल्य लगभग 57 करोड़ रू. था।

11.6 सब्सक्राइबर लाइन कन्सन्ट्रेटर (एस एल सी) की खरीद

सब्सक्राइबर कैरियर सिस्टम के अलावा दू वि ने अन्य किस्म का लाइन मल्टीप्लायर जो सब्सक्राइबर लाइन कन्सन्ट्रेटर कहलाता है, भी खरीदे। 1993-97 के दौरान दू वि ने 6/15 आकार के 2642 एस एल सी और 16/90 आकार के 843 एस एल सी खरीदे जैसाकि नीचे दिया गया है:–

वर्ष	कीमत का आधार	यूनिट दर (रू. में)		अधिप्राप्त मात्रा		मूल्य (करोड रू. में)		कुल (करोड़ रू. में)
		6/15	16/90	6/15	16/90	6/15	16/90	
1993-94	निविदा	52790	425194	343	83	1.81	3.53	5.34
1994-95	की मो तो*	50942	403934	1248	621	6.36	25.08	31.44
1995-96	पी वाई पी**	50942	403934	155	19	0.79	0.77	1.56
1996-97	निविदा	51792	414315	896	120	4.64	4.97	9.61
कुल				2642	843	13.60	34.35	47.95

की मो तो* कीमत मोल तोल पी वाई पी** पिछले वर्ष की कीमत

नोट:– 6/15 और 16/90 का अर्थ है कि उपस्कर क्रमशः छः युग्मों से अतिरिक्त नौ लाइनों तथा 16 युग्मों से अतिरिक्त 74 लाइनों की व्यवस्था के लिए प्रयोग किये जा सकते हैं।

दू वि भारी क्रय पर मात्रा कटौती से वंचित रहा

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि दू वि ने 1993-94 की कीमतों के संदर्भ में कीमत मोल तोल के आधार पर 1993-94 के दौरान खरीदे गये उपस्करों के मूल्य से लगभग छः गुना मूल्य के उपस्कर 1994-95 के दौरान खरीदे। दू वि की यह कार्रवाई भण्डारों की अधिप्राप्ति में बरतने वाली प्रत्याशित आम बुद्धिमता के विपरीत थी और इससे दू वि अविनिर्दिष्ट मात्रा कटौती, जिसको की मापा नहीं जा सकता है, से वंचित रहा।

11.7 अस्वीकार्य भुगतान

दू वि ने 32.16 लाख रू. का बिक्री कर एच एफ सी एल और आर सी एल, जिन्हें कि ऐसे भुगतान से छूट प्राप्त थी का भुगतान किया

1995-96 के दौरान एस सी एस और रैकों की विकेन्द्रीकृत क्रय के लिए कीमत सूचित करते हुए, दू वि ने उनके द्वारा निर्धारित पूर्ण सम्मिलित कीमत, जिसमें मूल कीमत उत्पाद–शुल्क और केन्द्रीय बिक्री कर शामिल था, सूचित किया। वाउचरों की प्रतियों की संवीक्षा से पता चला कि तीन पूर्तिकारों में से दो अर्थात् एच एफ सी एल और आर सी एल को बिक्री कर से छूट दी गई। बिक्री कर की छूट मूलतः उद्योगों को उनकी कीमत स्पर्धात्मक बनाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा, शुल्क और कर तभी भुगतान योग्य हैं यदि पूर्तिकारों को ये संबंधित विभागों को अदा करने हों। चूँकि एच एफ सी एल और आर सी एल द्वारा बिक्री कर का भुगतान अपेक्षित नहीं था। 1995-96 के दौरान बिक्री कर की सम्मिलित दर पर 1+7 एस सी एस की कीमत का भुगतान करने के परिणामस्वरूप प्रति एस सी एस 2673 रू. और प्रति रैक 484 रू. की दर से 32.16 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

11.7.1 परिनिर्धारित नुकसान उगाहने में विफलता

परिनिर्धारित नुकसान नहीं वसूल किया गया

नमूना जाँच से उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब के लिए मु म प्र दू गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश परिमण्डलों द्वारा 23.60 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान को उगाहने में विफलता के मामलों के बारे में पता चला।

मु म प्र दू चेन्नई ने 1995-96 के दौरान 1+7 प्रणाली की खरीद के लिए क्रय के वर्ष पर लागू 70336 रू. के बजाय 1994-95 की 72484 रू. की प्रचलित उच्चतर कीमत पर क्रय के लिए भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 2.66 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

चार परिमण्डलों में उच्चतर कीमतों पर प्रणालियाँ अधिप्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप 13.97 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ

अगस्त 1994 में, अधिप्राप्ति के विकेन्द्रीकरण से पहले ही मु म प्र दू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान परिमण्डलों में मई–जुलाई 1994 के दौरान 1+7 प्रणालियों और 116 रैकों के 455 यूनिटों के लिए क्रय आदेश दिये जोकि उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों से बाहर थे। उन्होंने 1993-94 के लिए निर्धारित उच्चतर कीमतों पर आपूर्ति आदेश दिये और उन्हें 1994-95 के लिए निर्धारित निम्नतर कीमतों के साथ समायोजित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 11.31 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

11.8 प्रणालियों का उपयोग

11.8.1 निष्क्रिय उपस्कर

19.01 करोड़ रू. मूल्य क 3882 प्रणालियाँ अप्रयुक्त पड़ी थी

11463 प्रणालियों में से जिनकी उपयोगिता की नमूना जांच की गई थी मार्च 1997 तक 19.01 करोड़ रू. की 3882 प्रणालियाँ अप्रयुक्त पड़ी रहीं। 1+1 प्रणाली के मामले में बिना उपयोग की अवधि 3 से 82 महीनें और अन्य प्रणालियों के लिए 3 से 41 महीने थी। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कुछ सैकेंडरी स्वीचिंग एरिया की नमूना जाँच से ये उजागर हुआ कि मु म प्र दू ने अधिप्राप्ति को एक्सचेंज क्षमता के दो प्रतिशत तक सीमित नहीं रखा। अधिकांश मामलों में अधिप्राप्त किये गये पेयर गेन सिस्टम 2.60 से 5.28 प्रतिशत के बीच थे। विभिन्न पेयर गेन सिस्टम के संबंध में उपयोग की स्थिति निम्नानुसार थी:–

प्रणालियों के नाम	न्मूना जाँच प्रणालियों की संख्या	बेकार पड़ी प्रणालियों की संख्या	बेकारी की अवधि (महीनों)	बेकार प्रणालियों का मूल्य (करोड़ रू. में)
1+1	3152	1996	3 से 82	1.35
1+7	6669	1387	3 से 36	9.75
6/15	1149	347	7 से 41	1.77
16/90	493	152	3 से 30	6.14
कुल	11463	3882	3 से 82	19.01

1+1 प्रणालियों के अनुपयोग के कारण पैराग्राफ 11.5.1 में बताया गया है कि आवश्यकता से अधिक तदर्थ अधिप्राप्ति प्रणाली में त्रुटियाँ दू वि द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक अधिप्राप्ति और जब दूरभाष संयोजन नियमित केबिल पर पुनः स्थापित किये गये तो उन प्रणालियों को पुनः प्रयोग करने की विफलता के कारण अन्य प्रणालियों जैसे 1+7, 6/15 और 16/90 निष्क्रिय पड़े हुए थे।

11.9 क्षमता का कम उपयोग

प्रणालियों को उनकी इष्टतम् क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया

प्रणालियाँ या तो स्थायी आधार पर विशिष्ट स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं अथवा यदि आवश्यकता हो, तो हटाकर कहीं भी और पुनः प्रयोग की जा सकती हैं। इस प्रकार इनको पूरी क्षमता तक उपयोग करने के लिए काफी गुंजाइश थी। आठ दूरसंचार परिमण्डलों में काम कर रहे विभिन्न प्रणालियों की 5384 इकाइयों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि दूरभाष संयोजनों की प्रतीक्षा सूची होने के बावजूद केवल 17266 संयोजनों की व्यवस्था परिमण्डलों ने की जबकि इन प्रणालियों की सहायता से 41392 संयोजनों की व्यवस्था हो सकती थी। उड़ीसा परिमण्डल ने बताया कि पूरी क्षमता अर्थात् 16/90 प्रणाली प्रति 90 संयोजन का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि प्रणाली दोषपूर्ण हो जाती थी जब उसको 50 संयोजनों से अधिक को वहन करना पड़ता था। तमिलनाडु परिमण्डल में स म अभि कुड्डालोर और कराइकूड़ी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के संयोजनों में पूर्णरूप से भारित करना सम्भव नहीं था और स्थानीय मांग व्यष्टि प्रणालियों की क्षमता से निम्नतर थी।

इस प्रकार आवश्यकता से अधिक प्रणाली की अधिप्राप्ति, अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण प्रणालियों की भारी संख्या बिना उपयोग के पड़ी रहीं।

11.9.1 शक्तियों का अप्राधिकृत प्रत्यायोजन

अप्राधिकृत प्रत्यायोजन के कारण 12.61 करोड़ रू. की 2264 प्रणालियों की अधिप्राप्ति

विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के तहत क्रय आदेश केवल मु म प्र दू द्वारा ही दिये जा सकते थे और इन शक्तियों को परिमण्डल मुख्यालयों या जिलों में निम्नतर कार्यकारियों में प्रत्यायोजित नहीं किया जाना था। इन अनुदेशों के उल्लंघन में मु म प्र दू चेन्नई दूरभाष ने ये शक्तियाँ विभिन्न अंचलों उ म प्र में प्रत्यायोजित किये जिन्होंने 6.57 करोड़ रू. की लागत के 1325 प्रणालियों और 133 रैकों के लिए आदेश दिये। इसी प्रकार से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र उड़ीसा और राजस्थान परिमण्डलों में दूरभाष जिलों के अध्यक्षों द्वारा जिनके पास इन प्रणालियों का क्रय करने की शक्ति नहीं थी, 6.04 करोड़ रू. मूल्य के 939 प्रणालियाँ और 37 रैक खरीदे गये।

मामला सितम्बर 1997 में मंत्रालय को भेजा गया; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

12 0.5 मि.मी. ब्यास ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति

12.1 प्रस्तावना

दूरभाष केबिल वितरण पॉइन्ट को अभिदाता के परिसर से जोड़ने वाली तार ड्रॉपवायर कहलाती है। दू वि ने लागत कम करने की दृष्टि से 0.91 मि मी व्यास कैडमियम कॉपर वायर के स्थान पर 0.5 मि मी व्यास की सैल्फ सपोर्टिंग फाईबर ग्लास रोविंग पी वी सी ड्रॉपवायर निर्धारित की। विनिर्देशन को दूरसंचार इन्जीनियरिंग केन्द्र ने निर्बाधन दिया था। दू वि ने 1994-95 में नये विनिर्देशनों की 1.19 लाख कि मी और 1996-97 में 2.08 लाख कि मी ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति की।

12.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

दू वि, मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता एवं सात दूरसंचार परिमण्डलों में 1994-97 की अवधि को कवर करते हुए नई किस्म की ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति एवं उसके उपयोग की जून से अगस्त 1996 के दौरान की गई लेखापरीक्षा में समीक्षा की।

12.3 संगठनात्मक ढ़ांचा

दू वि में एक उप–महानिदेशक सामग्री प्रबन्धन का प्रभारी है और मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता को विभिन्न दूरसंचार परिमण्डलों/परिमण्डल दूरसंचार भण्डार डिपो की ओर से ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति के लिए क्रय आदेश देने का प्राधिकार है।

12.4 मुख्य विशेषताएँ

- **दू वि ने विकासात्मक आदेशों के प्रति विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त आपूर्तियों में उनके द्वारा इंगित कमियों को दूर किये बिना नये विनिर्देशनों की ड्रॉपवायर के लिए वाणिज्यिक आदेश दिये।**
- **दू वि ने ऊपरी तौर से प्रयोगशाला जाँच, फील्ड परीक्षण, शैक्षिक एवं विकासात्मक आदेशों के उपरान्त ही 0.5 मि मी व्यास की ड्रॉपवायर का उपयोग शुरू किया, तथापि यह क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रयोग करने पर पूर्ण रूप से विफल रहीं। जिसके परिणामस्वरूप 21.58 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय हुआ।**
- **यह जानते हुए कि ड्रॉपवायर के विनिर्देशन घटिया है और दू इ के द्वारा उसमें संशोधन किया जा रहा है, दू वि ने मार्च 1996 से जुलाई 1996 के दौरान उसी घटिया ड्रॉपवायर के 87842 कि मी अधिप्राप्त किये जिसके परिणामस्वरूप 16.44 करोड रू. का व्यर्थ व्यय हुआ।**
- **दू वि ने 1994-95 के दौरान 1.19 लाख कि मी ड्रॉपवायर के क्रय में उच्चतर दर अनुमत करके पूर्तिकारों को 2.46 करोड़ रू. का लाभ दिया।**

- **दू वि ने 1995-96 की निविदा की दरों का औचित्य 1994-95 में पूर्तिकारों को अविवेकी आधार पर अनुमत दरों पर निर्धारित किया। परिणामस्वरूप 1995-97 के दौरान 2.08 लाख कि मी ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति से 4.15 करोड़ रू. का अधिक व्यय हुआ।**

12.5 फील्ड परीक्षण और विकासात्मक आदेश

दू वि ने नई ड्रॉपवायर में त्रुटियों की शिकायतों की अनदेखी की और भारी मात्रा में अधिप्राप्ति शुरू कर दी

दू वि ने ऊपरी तौर से 1987-93 के दौरान विनिर्देशनों को तय करना, शैक्षिक आदेशों और फील्ड परीक्षणों के अनुकरण में विकासात्मक आदेशों आदि की प्रक्रियाएँ पूरी की। दू वि ने शैक्षिक एवं विकासात्मक आदेश और फील्ड परीक्षणों के नतीजों से संबंधित सभी दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए। मु म प्र दू राजस्थान की फाइलों से प्राप्त पत्र की एक प्रतिलिपि ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन मु म प्र दू ने सितम्बर 1994 में देय नई ड्रॉपवायर की न्यून इन्सूलेशन और लम्बी दूरी पर उत्थापन के लिए अपर्याप्त शक्ति की त्रुटियों के बारे में विशेष रूप से निदेशक (सा प्र अ) दू वि और मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता के ध्यान में लाया गया। अगले पैराग्राफ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों से ज्ञात होगा कि दू वि द्वारा नई ड्रॉपवायर के प्रति विशिष्ट शिकायत पर कार्रवाई न करने की विफलता के परिणामस्वरूप विभाग ने भारी मात्रा में घटिया ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति की।

12.6 विक्रेताओं का चयन और दरों का निर्धारण

दू वि ने विनिर्माताओं के अनुरोध को मानकर कीमत को 1096 रू. प्रति कि मी से 1395 रू. प्रति कि मी संशोधित कर दिया

मई 1994 की एक लाख कि मी ड्रॉपवायर की निविदा के प्रत्युत्तर में मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता को कुल 89 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से तीन ऐसे थे जिन्होंने विकासात्मक आदेश के प्रति पहले नई ड्रॉपवायर की आपूर्ति की थी, तथा 19 नये पूर्तिकार वे थे जिन्होंने निविदा के लिए टाईप अनुमोदन प्राप्त किया था। 89 बोली बोलने वालों में से 43 ने उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को छोड़कर 1096 रू. प्रति कि मी की समान दर उद्धृत की थी, जबकि 12 टाइप अनुमोदित फर्मों और तीन, जिन्होंने पहले आपूर्ति की थी, ने प्रति कि मी 1395 रू. की समान दर उद्धृत की थी।

दू वि ने विनिर्माता एसोसिएशन द्वारा मांगी गई प्रति कि मी 1332 रू. की दर से उच्चतर दर प्रति कि मी 1395 रू. अनुमत की।

दू वि ने प्रति कि मी 1096 रू. की दर का अनुमोदन किया और 15 फर्मों को जिन्होंने प्रति कि मी 1395 रू. उद्धृत की थी, को दोहरा प्रस्ताव रखा। फर्मों ने यह दर स्वीकार नहीं की और इसके बजाय दू वि को फरवरी 1995 में इण्डियन टेलीकॉम इक्विपमैन्ट एण्ड केबिल मैनफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से प्रति कि मी 1322 रू. कीमत तय करने का इस तर्क पर अनुरोध किया कि 1991 के विकासात्मक आदेश के विरूद्ध प्रति कि मी 1297 रू. की दर पर कच्ची सामग्री की खरीद के बाद कीमतों में 20 से 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, दूरसंचार आयोग ने विनिर्माताओं द्वारा की गई मांग से भी अधिक कीमतें संशोधित की और 15 फर्मों को प्रति कि मी 1395 रू. की दर से 1.19 लाख कि मी ड्रॉपवायर के लिए आदेश दिए।

दूरसंचार आयोग द्वारा प्रति कि मी 1395 रू. की संशोधित कीमत अनुमत का निर्णय निम्न कारणों से त्रुटिपूर्ण था।

12.6.1 कार्टेल

समान दरों की बोली के उद्धृत से यह स्पष्ट होना चाहिए था कि विनिर्माताओं ने कार्टेल का गठन कर रखा था। विनिर्माताओं की इस प्रवृति को पराजित करने के बजाय दू वि यथार्थतः उनके दबाव के आगे झुक गया।

12.6.2 अनुचित दर

1395 रू. की दर अनुचित थी क्योंकि उसी अवधि में एक आपूर्तिकार 1188 रू. की दर पर ड्रॉपवायर की आपूर्ति कर रहा था

1395 रू. की प्रति कि मी दर निश्चित करते समय दू वि ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि विकासात्मक आदेश बहुत कम मात्रा के लिए थे और इसलिए विकासात्मक आदेश की दरों में मात्रा की किफायत के अभाव के अलावा जोखिम कवर करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश की भी प्रत्याशा थी। जिस समय दू वि ने खुली निविदा आमन्त्रित की लगभग उसी समय दो फर्में वास्तव में विकासात्मक आदेशों के प्रति भी, प्रति कि मी 1188 रू. की दर पर ड्रॉपवायर की आपूर्ति कर रहीं थीं। 15 फर्मों में से एक फर्म परफैक्ट केबिलर्स एण्ड इन्जीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली को मार्च 1995 में अधिकतम मात्रा 23800 कि मी के आपूर्ति आदेश दिये गये थे। तांबे की वायर रोड जोकि सामग्री की लागत का मुख्य घटक है की मूल कीमत में 9 प्रतिशत से कम की बढ़ोतरी हुई जबकि फाइबर गिलास जोकि ड्रॉपवायर का दूसरा घटक है, पर सीमा–शुल्क 85 प्रतिशत से 65 प्रतिशत तक घट गया था। इस प्रकार यह फर्म जिस कीमत पर 1994-95 के दौरान भी ड्रॉपवायर की आपूर्ति कर रही थी उसकी तुलना में 1395 रू. प्रति कि मी की कीमत के परिणामस्वरूप क्रमशः 61.58 लाख रू. एवं 12.32 लाख रू. उत्पाद–शुल्क और बिक्रीकर के अतिरिक्त 2.46 करोड़ रू. का अधिक भुगतान हुआ।

दू वि के अविवेकपूर्ण निर्णय पर 2.46 करोड़ रू. की लागत आई

12.6.3 फर्मों का चयनात्मक ढ़ाँचा

12 नये विक्रेताओं जिन्होंने टाईप अनुमोदन प्राप्त किया था को, निविदा खुलने के केवल दो महीने पूर्व जून 1994 में विकासात्मक आदेश दिए थे। उन्होंने निविदा को अन्तिम रूप देने के लिए भण्डार क्रय समिति की बैठक से पहले विकासात्मक आदेश पूरे कर लिये इस तरह ये फर्में प्रतिष्ठित पूर्तिकारों की श्रेणी में ला दी गई।

12.6.4 मानक प्रक्रिया का उल्लघंन

अन्तिम दरें निर्धारित करते समय एकीकृत वित्त की सलाह नहीं ली

मंत्रालयों को एकीकृत वित्त की सलाह से प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करना होता है। यद्यपि, दू वि ने प्रति कि मी 1096 रू. के दोहरे प्रस्ताव देने का निर्णय लेते समय सामग्री प्रबन्धन अनुभाग ने एकीकृत वित्त की पहली बार नवम्बर/दिसम्बर 1994 में सलाह ली थी, प्रति कि मी के लिए 1395 रू. कीमत तक की वृद्धि करते समय एकीकृत वित्त की सलाह नहीं ली जो कि मूल वित्त नियमों का उल्लघंन था।

दू वि की फाईल की टिप्पणियाँ टेलिकॉम इक्विपमैट मैनफक्चर्रस एसोसिएशन को लीक कर दी गई

टेलिकॉम इक्विपमैन्ट मैनफक्चरर्स एसोसिएशन ने कीमत बढ़ाने के अपने आवेदन में सामग्री प्रबन्धन डिविजन और वित्त ने सरकारी फाइल की टिप्पणियों का प्रयोग किया। दू वि ने इस छानबीन के लिए ध्यान नहीं दिया कि वे फाइल की टिप्पणियों को देखने कैसे आए।

उक्त पैरा 12.6.2, 12.6.3 और 12.6.4 में बताये गये तथ्य न केवल दू वि के कर्मचारियों की लापरवाही की ओर संकेत करते हैं अपितु ड्रॉपवायर की उच्चतर कीमत निश्चित करने और कुछ पूर्तिकारों को लाभ पहुँचाने में उनका हाथ होने के बारे में स्पष्ट आभाष देते हैं।

12.6.5 घटिया विनिर्देशन

दोषपूर्ण ड्रॉपवायर के क्रय पर 21.58 करोड़ रू. का संदिग्ध व्यय

नई ड्रॉपवायर के उपयोग के तुरन्त बाद विभिन्न मु म प्र दू से ड्रॉपवायर की अनुपयुक्तता के प्रति शिकायतें आने लगीं क्योंकि ड्रॉपवायर अधिक लम्बाई चलने में असर्मथ, बहुत पतली, कमजोर आवरण वाली और अधिक तापमान सहने में असर्मथ थी। यह पूर्व दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र द्वारा मानक निर्धारित करने, प्रयोगशाला परीक्षण, फील्ड परीक्षण तथा दू इ के द्वारा विनिर्देशन नियत करने, भारी मात्रा के लिए वाणिज्यिक आदेशों से पहले शैक्षिक एवं विकासात्मक आदेशों के प्रति अधिप्राप्त ड्रॉपवायर के निष्पादन मूल्यांकन में कमी दर्शाता है। जैसा कि पैराग्राफ 12.5 में बताया गया है। मु म प्र दू राजस्थान परिमण्डल ने दोषपूर्ण नई ड्रॉपवायर के बारे में सितम्बर 1994 में दू वि के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाया था। अन्ततः विभाग के लापरवाह व्यवहार के कारण न केवल घटिया विनिर्देशन की 1.19 लाख कि मी ड्रॉपवायर की खरीद पर 21.58 करोड़ रू. का संदिग्ध व्यय हुआ बल्कि इसके परिणामस्वरूप बारम्बार खराबी और समय से पहले बदलाई से सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई।

12.7 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान अधिप्राप्ति

मु म प्र दू के द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर नि मू स ने ड्रॉपवायर के विनिर्देशन में सुधार का निर्णय लिया

1994-95 के दौरान आपूर्त की गई ड्रॉपवायर की गुणता के प्रति जब दूरसंचार विभाग और मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता द्वारा शिकायतें प्राप्त की जा रहीं थीं तथा दू वि विनिर्देशन की कमियों को दूर करने जा रहा था, मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता ने 2.60 लाख कि मी उसी घटिया विनिर्देशन की ड्रॉपवायर, जोकि 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान आनी थी, की अधिप्राप्ति के लिए जून 1995 में निविदाएँ आमंत्रित कीं। एक तरफ से निविदाएँ सितम्बर 1995 में खोली गई, दूसरी ओर नि मू स ने अक्तूबर 1995 में, पी वी सी आवरण में मजबूती और सुधार और अल्ट्रा–वायलेट डीग्रेडेशन को रोकने की क्षमता में सुधार के लिए विनिर्देशन में संशोधन हेतु मसौदा तैयार कर लिया। दू वि ने मार्च 1996 में 1440 रू. प्रति कि मी की दर से 2.08 लाख कि मी पुरानी घटिया विनिर्देशन की ड्रॉपवायर की खरीद के लिए अनुमति प्रदान कर दी जबकि नि मू स ने जुलाई 1996 में ड्रॉपवायर के विनिर्देशन में संशोधन जारी कर दिया।

नि मू स के विनिर्देशन में बदलाव के निर्णय के बावजूद दू वि ने दोषपूर्ण ड्रापवायर की खरीद का अनुमोदन किया

12.7.1 नि मू स तथा दू वि द्वारा विनिर्देशन में संशोधन करने पर विलम्ब

दोषपूर्ण ड्रॉपवायर की खरीद पर 16.44 करोड़ रू. का परिहार्य अपव्यय

दू वि ने विक्रेताओं को अक्तूबर 1996 में यह कहने के लिए और तीन महीने का समय ले लिया कि मार्च 1996 के आपूर्ति आदेश के प्रति घटिया विनिर्देशन की ड्रॉपवायर की और आपूर्ति बंदकर दें और उनसे कहा कि ड्रॉपवायर की बकाया मात्रा संशोधित विनिर्देशन वाली प्रति कि मी 1627.14 रू. की बढ़ी हुई कीमत पर आपूर्ति करें, उस समय तक विक्रेताओं ने 16.44 करोड़ रू. मूल्य की 87842 कि मी ड्रॉपवायर की पहले ही आपूर्ति कर दी थी।

दू वि की धन के मूल्य के प्रति उदासीनता इस तथ्य से उजागर होती है कि जब यह पहले ही निस्सन्देह प्रमाणित हो चुका था कि ड्रॉपवायर जिस उद्देश्य से खरीदी गई थी उसके लिए उपयुक्त नहीं थी और नि मू स ने विनिर्देशन में संशोधन के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी, दू वि ने उसी दोषपूर्ण ड्रॉपवायर के लिए निविदा मंगाए और आपूर्ति आदेश के लिए आगे कार्रवाई की। दू वि ने मार्च 1996 में प्रमाणित दोषपूर्ण ड्रॉपवायर वाले पुराने विनिर्देशनों पर क्रय आदेश जारी किये जबकि नि मू स द्वारा अक्तूबर 1995 में जारी प्रारूप संशोधित विनिर्देशन पहले से ही उपलब्ध थे। अपनी पहले के विनिर्देशन के परिणामस्वरूप 21.58 करोड़ रू. से अधिक का संदिग्ध व्यय हुआ, इस तथ्य के बावजूद नि मू स ने विनिर्देशन को बदलने में जिस धीमी गति से कार्यवाही की उससे उनकी अतिआवश्यक जरूरतों के लिए कार्यवाही करने की क्षमता पर सन्देह व्यक्त होता है। उन्हें ड्रॉपवायर के विनिर्देशन में संशोधन करने में नौ महीने से अधिक समय लगा।

12.7.2 प्रारम्भिक गलत कीमत निर्धारण का अन्य प्रभाव

दरों के अयथार्थ निर्धारण के कारण 4.15 करोड़ रू. का अधिक व्यय

दू वि ने 1995-96 के दौरान 2.60 लाख कि मी की खरीद के लिए निविदाओं की प्रक्रिया में प्रति कि मी 1440 रू. की निम्नतम बोली के औचित्य को पिछली खरीद के प्रति कि मी 1395 रू. की कीमत के आधार पर उचित ठहराया जोकि स्वयं उच्चतर थी जैसाकि पिछले पैराग्राफ 12.6 में बताया गया है। तदुपरान्त जब दू वि ने विनिर्देशन में सुधार करके कीमत को फिर से संशोधित करके प्रति कि मी 1627.14 रू. कर दिया तब उन्होंने विनिर्देशन में बदलाव के कारण मार्च 1996 में निर्धारित दोषपूर्ण विनिर्देशन वाली पिछली ड्रापवायर के लिए 1440 रू. प्रति कि मी के आधार पर अतिरिक्त लागत की गणना की जोकि यथार्थ से अधिक थी जैसाकि ऊपर बताया गया है, इसकी कीमत निर्णित करने में निहित गुणक प्रभाव है। 1995-97 के दौरान 2.08 लाख कि मी ड्रॉपवायर की अधिप्राप्ति से 4.15 करोड़ रू. का अधिक व्यय हुआ।

अक्तूबर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, जिसका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

13 63.38 करोड़ रू. का अधिक भुगतान

दू वि द्वारा मूल कीमत निर्धारित करते समय पी आई जे एफ केबिल पूर्तिकारों को उपलब्ध मॉडवेट क्रेडिट परिकलित करने में लापरवाही के कारण अननुमत वृद्धि, उत्पाद-शुल्क और बिक्री कर सहित 63.38 करोड़ रू. का अधिक भुगतान/दायित्व

दू वि ने 1994-95 के दौरान 148.91 लाख कन्डक्टर कि.मी. (सी के एम) पोलिथिलिन इन्सूलेटिड जैलीयुक्त केबिल की रोकड़ एवं आस्थगित भुगतान के आधार पर अधिप्राप्ति का अनुमोदन किया जैसाकि नीचे दिया गया है:

दू वि द्वारा अनुमोदन का महीना	पी आई जे एफ की मात्रा (लाख सी के एम में)	भुगतान शर्तें	सुपुर्दगी अनुसूची (महीनों में)
मई 1994	29.45	नकद भुगतान के आधार पर	1 से 3
मई 1994	27.50	आस्थगित भुगतान के आधार पर	3
सितम्बर 1994	91.96	नकद भुगतान के आधार पर	1
कुल	148.91		

13.1 भुगतान की शर्त

आस्थगित भुगतान की खरीद के मामले में, आपूर्तियाँ निविदा के तीन महीने के अन्तर्गत प्राप्त होनी थी, भुगतान 20 तिमाही किस्तों में किया जाना था; प्रथम तिमाही किस्त केबिल की सुपुर्दगी के तीन महीने के उपरान्त शुरू होनी थी। रोकड़ पर की गई खरीद का भुगतान सुपुर्दगी की प्राप्ति के तत्काल बाद होना था।

दू वि ने पी आई जे एफ केबिल उपयोग होने वाली ताँबे की तार की छड़ की कीमत समय-समय पर निर्धारित की जोकि उत्पाद-शुल्क सहित थी

पी आई जे एफ केबिल के विनिर्माण में ताँबे की तार की छड़ एक प्रमुख घटक है। दू वि ताँबे के तार की छड़ की कीमत प्रतिमाह एम एम टी सी द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर निर्धारित करता है। इस प्रकार, दू वि द्वारा निर्धारित ताँबे की तार की छड़ की कीमत उत्पाद–शुल्क सहित है। पी आई जे एफ केबिल की दरें अनुमोदित करते समय, दू वि ने ताँबे की तार की छड़ की कीमत 102840 रू. प्रतिटन मान ली जिसमें प्रतिटन 13414 रू. उत्पाद–शुल्क में 15 प्रतिशत यथामूल्य का अंश शामिल था।

13.2 पी आई जे एफ केबिल पूर्णतया रोकड़ भुगतान के आधार पर खरीदा गया

दू वि और छः परिमण्डलों अर्थात् गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पूर्णतया रोकड़ भुगतान पर खरीदे गए पी आई जे एफ

केबिल के दस्तावेजों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि तैयार पी आई जे एफ केबिल के पूर्तिकारों के उत्पाद–शुल्क के दावों में से मॉडवेट क्रेडिट की कटौती करनी है, के बारे में दू वि द्वारा स्पष्टीकरण देने में लापरवाही के कारण नमूना जाँच किए गए मु म प्र दू परिमण्डलों ने ताँबे की तार की छड़ पर पूर्तिकारों को उपलब्ध मॉडवेट क्रेडिट कटौती के बिना ही भुगतान कर दिया।

दू वि ने मॉडवेट क्रेडिट के लिए 15.20 करोड़ रू. के अननुमत दावों को स्वीकार कर लिया

नमूना जाँच किए गए परिमण्डलों में 51 लाख सी के एम केबिल के बीजकों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि पूर्णतया रोकड़ भुगतान के आधार पर केबिल की अधिप्राप्ति में दू वि द्वारा समय–समय पर ताँबे की तार की छड़ की निर्धारित की गई कीमत में से मॉडवेट क्रेडिट को घटाने में विफल रहने के कारण मु म प्र दू ने केबिल के बीजकों को जिसमें 15.20 करोड़ रू. के उत्पाद–शुल्क की अननुमत राशि सम्मिलित थी, को स्वीकार कर लिया। चूँकि आपूर्तियों के मूल्य पर चार प्रतिशत बिक्रीकर भी देय था, इसलिए उत्पाद–शुल्क के अधिक भुगतान के कारण अधिक उत्पाद–शुल्क पर भी इसके अतिरिक्त 60.79 लाख रू. के बिक्री कर का अधिक भुगतान हुआ। 27.50 लाख सी के एम, पी आई जे एफ केबिल की अधिप्राप्ति आस्थगित भुगतान के आधार पर हुई थी, जिसकी आपूर्ति 1994-95 के दौरान ही हुई थी, में भी उत्पाद–शुल्क की गणना में ऐसी ही गलती की सम्भावना की जाती है।

मॉडवेट क्रेडिट के अननुमत अंश पर 60.79 लाख रू. बिक्री कर का अधिक भुगतान हुआ

13.3 मॉडवेट क्रेडिट पर अननुमत वृद्धि

पूर्तिकारों को विभिन्न परिमण्डलों के मु म प्र दू को पी आई जे एफ केबिल की आपूर्ति करनी थी जिनको उनके बीजकों के प्रति भुगतान करना था। यह मानते हुए कि ताँबे की तार की छड़ में पी आई जे एफ केबिल के कुल मूल कीमत का 35 प्रतिशत है, ताँबे की तार की छड़ पर, दू वि के नामित अधिकारी द्वारा प्रेषण के निरीक्षण की तारीख पर लागू दू वि द्वारा निर्धारित मूल कीमत पर कीमत वृद्धि उपलब्ध थी। चूँकि पूर्तिकारों ने ताँबे की तार की छड़ की कीमत वृद्धि, जोकि उत्पाद–शुल्क रहित होने के स्थान पर उत्पाद–शुल्क सहित मूल कीमत में थी, का दावा पेश किया तथा मु म प्र दू ने ताँबे की तार की कीमत में उत्पाद–शुल्क के अननुमत अंश पर भी वृद्धि अदा की गई।

दू वि ने अननुमत उत्पाद-शुल्क के अंश पर भी वृद्धि अदा कर दी

केवल नमूना जाँच किए गए परिमण्डलों में ही 23.11 लाख सी के एम केबिल पर 2.31 करोड़ रू. की वृद्धि और बिक्रीकर का अधिक भुगतान हुआ जैसाकि ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

अननुमत मॉडवेट के तत्व पर 2.31 करोड़ रू. की वृद्धि और बिक्रीकर का अधिक भुगतान था

तालिका 13.3

भुगतान शर्तें	नमूना जाँच किए गए परिमण्डल	नमूना जाँचकृत पी आई जे एफ की मात्रा (लाख कि.मी. में)	वृद्धि से अधिक भुगतान (करोड़ रू. में)	अननुमत वृद्धि पर बिक्रीकर (लाख रू. में)	कुल अधिक भुगतान (करोड़ रू. में)
आस्थगित भुगतान	कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और चेन्नई दूरभाष	15.85	1.54	6.17	1.60
रोकड़ भुगतान	तमिलनाडु और चेन्नई दूरभाष	7.26	0.69	2.76	0.71
कुल		23.11	2.23	8.93	2.31

13.4 कुल क्रय पर अधिक भुगतान की सम्भावना

पूरे क्रयों के वहिर्वेशित से 60.89 करोड़ रू. के आदेश के अननुमत भुगतान होने की सम्भावना है

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के निष्कर्षों के साथ पठित दू वि द्वारा समग्र खरीद पर मॉडवेट क्रेडिट की कटौती करने का स्पष्टीकरण न देने की चूक की पृष्ठभूमि में, मु म प्र दू द्वारा मॉडवेट क्रेडिट को न घटाने से मॉडवेट पर पूरी तरह से रोकड़ एवं आस्थगित भुगतान के आधार पर खरीदी गई पी आई जे एफ केबिल की कुल मात्रा पर उत्पाद–शुल्क की अननुमत वृद्धि का अंश और परिणामी बिक्रीकर का अधिक भुगतान क्रमशः 11.29 करोड़ रू. एवं 49.60 करोड़ रू. होने की प्रत्याशा है। तथापि, आस्थगित भुगतान पर की गई खरीद में वास्तविक अधिक भुगतान कुल लागत के उस हिस्से तक सीमित है जोकि तिमाही किस्तों के रूप में पहले ही अदा की गई है। यदि उपचारी कार्रवाई नहीं की गई तो शेष की अधिक अदायगी बकाया किस्तों में हो जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली

मु म प्र दू ने लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर अतिरिक्त भुगतान के अंश की वसूली कर ली

लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर, मु म प्र दू मध्य प्रदेश एवं चेन्नई दूरभाष ने अक्तूबर–नवम्बर 1997 में अधिक भुगतान के 15.06 लाख रू. पूर्तिकारों से वसूल किए। इसके अतिरिक्त, मु म प्र दू चेन्नई दूरभाष ने अक्तूबर 1997 में आश्वासन दिया कि चार पूर्तिकारों से उनके लम्बित बिलों में से 16.97 लाख रू. की वसूली की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उसने दू वि से अनुरोध किया है कि वह 18.61 लाख रू. पूर्तिकार की बैंक गारंटी या उसके अन्य परिमण्डलों में लम्बित पड़े बिलों में से वसूल करें।

13.5 ड्रॉपवायर के क्रय पर अधिक भुगतान

ड्रॉपवायर, सॉकेटों इत्यादि की खरीद पर 2.49 करोड़ रू. का समान अननुमत भुगतान ध्यान में आया

दू वि ने 1994-96 के दौरान समान शर्तों पर ड्रॉपवायर और सॉकेटों की भी अधिप्राप्ति की, जिसके अनुसार पूर्तिकारों को ताँबे की तार की छड़ की कीमत पर वृद्धि

उपलब्ध थी। दू वि और नौ परिमण्डलों अर्थात् कलकत्ता, गुजरात, हरियाणा, केरल, कनार्टक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और चेन्नई दूरभाष में जुलाई 1996 और जुलाई 1997 के दौरान की गई नमूना जाँच में 2.5 लाख कि मी ड्रॉपवायर और 86194 सॉकेटों पर 2.49 करोड़ रू. का अननुमत भुगतान उजागर किया।

13.6 दू वि द्वारा लापरवाही

दू वि को चाहिए कि अननुमत भुगतान की सही राशि की गणना करे और उनकी पूर्तिकारों से वसूली करे

यह अधिक भुगतान खरीद की शर्तों व अनुबन्धों में पूर्तिकारों को प्राप्त मॉडवेट क्रेडिट की दू वि द्वारा गणना करने में लापरवाही को सीधे आरोपित है। नमूना जाँच निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में यह अनुशंसा की जाती है कि दू वि आस्थगित भुगतान एवं रोकड़ भुगतान भविष्य की किस्तों के देयता सहित दोनों की खरीद पर अननुमत भुगतान की सही राशि की गणना करके पूर्तिकारों से अधिक भुगतान की राशि की वसूली करे। दू वि, मु म प्र दू को निर्देश दे कि आस्थगित भुगतान के प्रति भविष्य की किस्तों का भुगतान करते समय मॉडवेट क्रेडिट को सीमित करे।

मामला नवम्बर 1997 में मंत्रालय को भेजा गया, दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

14 उपग्रह प्रणाली में ट्रान्सपॉन्डर के प्रयोग में असाधारण देरी

अग्रिम में तीन से पाँच वर्ष की इनसैट समन्वय समिति द्वारा उनके आबंटन से जागरूक होने के बावजूद दू वि ने इनसैट में ट्रान्सपॉडर के उपयोग के लिए आवश्यक भू-खण्ड की तैयारी में देरी की। इसके परिणामस्वरूप प्रयोक्ताओं से मांग होने के बावजूद बहुमूल्य अंतरिक्ष संसाधन की बरबादी तथा 84.23 करोड़ रू. के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई।

जनवरी 1997 में चार भारतीय उपग्रह अर्थात् इनसैट–1डी, इनसैट–2ए, इनसैट–2बी और इनसैट–2सी पथ में थे। इच्छित पथ में प्रवेश करने के कारण इनसैट–2ए जुलाई 1997 में गैर परिचालित हो गया। मई 1997 में छोड़ा गया दूसरा उपग्रह इनसैट–2डी अक्तूबर 1997 में विफल रहा। उपग्रह में उपलब्ध ट्रान्सपॉन्डर मुख्य रूप से सी–बैन्ड में, बढ़ाये गये सी–बैन्ड में, के यू–बैन्ड और एस–बैन्ड में है और दू वि, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय व घरेलू मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं। विभिन्न विभागों के लिये ट्रान्सपॉन्डरों के आबंटन के बारे में सभी निर्णय ट्रान्सपॉन्डरों की उपलब्धता एवं विभिन्न विभागों द्वारा दर्शाई गई प्रक्षेपित प्रयोक्ता आवश्यकता के आधार पर उच्च शक्ति इनसैट समन्वय समिति जिसके अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं द्वारा लिये जाते हैं।

उपग्रह का विकास और छोड़ा जाना खर्चीला है तथा उनका सीमित जीवन है

उनके तुरन्त और इष्टतम उपयोग के योग्य बनाने के लिए सभी प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी कर लेना अति आवश्यक है

उपग्रह के विकास तथा उनके छोड़े जाने में काफी लागत व कड़े वैज्ञानिक प्रयास सम्मिलित हैं। उपग्रह का औसत जीनव भी छोटा होता है जो अधिक विफलता दर के कारण और भी छोटा हो जाता है। इससे इन्हें इष्टतम रूप से प्रयुक्त किये जाने की आवश्यकता हो जाती है। अंतरिक्ष संसाधन बहुत बहुमूल्य हो जाते हैं। सभी आयोजना, भू–खण्ड की तैयारी और उपस्कर की अधिप्राप्ति व प्रतिष्ठापन सामान्य रूप से उस समय तक तैयार हो जाने चाहिये जब तक ट्रान्सपॉन्डर उपलब्ध हो जाये। सम्बद्ध भू–खण्ड कार्य की आयोजना व क्रियान्वयन के लिये सामान्यतया तीन से पाँच वर्ष का तैयारी का समय उपलब्ध होता है, ताकि उपग्रह में ट्रान्सपॉन्डर बिना किसी देरी के प्रयुक्त किये जायें। क्योंकि भू–खण्ड प्रयोक्ता विभागों का उत्तरदायित्व है, यह उनके लिये है कि वे पहल करें और अपेक्षित उपस्कर समय पर प्राप्त करें, चाहें वे उद्योग द्वारा देशज रूप से विकसित किये जायें या आयात किए जाएं।

जुलाई 1997 में लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित पता चलाः–

(i) सी-बैण्ड ट्रान्सपॉन्डर

दू वि को मार्च 1997 तक नेटवर्क के लिये चार इनसैट प्रणालियों में काम कर रहे 36 सामान्य सी–बैण्ड में से 24 आबंटित कर दिये गये थे। ओ एन जी सी, सी आई एल, एन टी पी सी इत्यादि को दू वि द्वारा लाइसैंस वाले नेटवर्क उपलब्ध कराये गये। 24 ट्रान्सपॉन्डरों में से 23 इनसैट 1डी, इनसैट–2ए और इनसैट–2बी में थे और एक इनसैट–2सी में था। दू वि को विभिन्न संचार सुविधाओं जैसे एकल चैनल प्रति कैरियर, बहु चैनल प्रति कैरियर (ब चै प्र कै) डॉटा संचार, इंटर डिजीटल रेडियो इत्यादि के लिये इन ट्रान्सपॉन्डरों का प्रयोग किया/करना था।

भू-खण्ड उपस्कर की अनुपलब्धता के कारण सी-बैण्ड ट्रांसपोंन्डर 10 से 30 महीने अप्रयुक्त पड़े रहे परिणामस्वरूप 32.50 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई।

दू वि ने 10 से 30 महीनों के लिये इनसैट–2ए और इनसैट–2बी में उपलब्ध 12 सी–बैण्ड ट्रान्सपॉन्डरों का उपयोग नहीं किया क्योंकि भू–खण्ड उपस्कर तैयार नहीं थे। अगस्त 1992 में परिचालन के शीघ्र बाद दू वि को इनसैट–2ए में सामान्य सी–बैण्ड में सात ट्रान्सपॉन्डर आबंटित कर दिये गये थे और वे लगभग दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिये क्रमिक रूप से उपयोग लाये गये थे। अगस्त 1993 में इसके परिचालन के शीघ्र बाद दू वि द्वारा इनसैट–2बी में, सी–बैण्ड में पाँच ट्रान्सपॉन्डर प्रयोग के लिये आबंटित किये गये थे। इनसैट–2बी में भी इन ट्रान्सपॉन्डर के उपयोग में दो वर्ष तक की देरी हो गई थी। दोनों मामलों मे विलम्ब समय पर अपेक्षित उपस्कर की अनुपलब्धता को आरोपित थी। इन ट्रान्सपॉन्डर के अनुपयोग के लिए लेखापरीक्षा विश्लेषण ने उजागर किया कि विभिन्न परियोजनाओं जैसे डिजीटल उपग्रह सुविधा, एच वी एन ई टी, ब चै प्र

कै वी सैट इत्यादि के लिये सम्बद्ध भू–खण्ड उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिये निविदा को अंतिम रूप देने में दू वि को बहुत समय लगा।

इस प्रकार उपस्कर अधिप्राप्त करने में व समय पर भू–स्तर खण्ड को पूरा करने में दू वि की विफलता के परिणामस्वरूप इनसैट प्रणालियों में ट्रान्सपॉन्डर क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत का उपयोग नहीं हुआ जिससे जुलाई 1992 से फरवरी 1995 के दौरान सरकार को 32.50 करोड़ रू. के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई।

(ii) बढ़ाये गये सी-बैण्ड ट्रान्सपॉन्डर

30 महीने के लिये बढ़ाये गये सी-बैण्ड के अनुपयोग से 1992-97 के दौरान 21.75 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई।

विभिन्न निजी वी–सैट ऑपरेटरों ने बढ़ाये गये सी–बैण्ड में ट्रान्सपॉन्डर के आबंटन के लिए दू वि से आवेदन दिया था जिसे ट्रान्सपॉन्डर के लिये मांग दर्शाने के लिए आधार के रूप में लिया गया था। इनसैट–2ए और 2बी उपग्रह में उपलब्ध बढ़ाये गये सी–बैण्ड ट्रान्सपॉन्डर के उपयोग के लिये आयोजना के लिए दू वि के पास कम से कम सात वर्ष का तैयारी समय था। वे मुख्य रूप से निजी वी–सैट उपलब्धकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिये सुनियोजित किये गये थे। वी–सैट ऑपरेटर को ट्रान्सपॉन्डर प्रभार का दो करोड़ रू. वार्षिक प्रति ट्रान्सपॉन्डर भुगतान करना था। पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद, दू वि ने समय पर भू–खण्ड को पूरा नहीं किया। परिणामस्वरूप ढाई वर्ष अर्थात् वास्तविक रूप से उपग्रह के जीवन अवधि का एक तिहाई के बाद इनसैट–2ए में बढ़ाये गये छः सी–बैण्ड ट्रान्सपॉन्डरों में से तीन बिना उपयोग के पड़े रहे।

सितम्बर 1997 में डी डी जी उपग्रह ने बताया कि आवश्यक आवृत्ति समन्वय और भू–खण्ड उपस्कर की अनुपलब्धता में देरी के कारण बढ़ाये गये सी–बैण्ड के लोड़िंग में देरी थी। उसने आगे और बताया कि वे निजी वी–सैट ऑपरेटर से अंतरिक्ष खण्ड आरक्षण प्रभारों के रूप में 25 प्रतिशत ऐसे समय तक प्रभारित कर रहे थे जब तक वे वास्तविक रूप से भू–खण्ड के साथ तैयार हों। दू वि द्वारा वसूल किया गया अंतरिक्ष खण्ड आरक्षण प्रभार सम्मिलित न करने पर भी विभाग को ट्रान्सपॉन्डर प्रभार की सम्भाव्य शेष राशि के कारण 21.75 करोड़ रू. के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई।

(iii) एस-बैण्ड ट्रान्सपॉन्डर

एस बैण्ड और के-यू बैण्ड ट्रान्सपॉन्डरों का उपयोग न करने के कारण 29.92 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई

अगस्त 1997 तक इनसैट मोबाइल उपग्रह सेवा के लिये (मो उ से) के लिये दिसम्बर 1995 में छोड़े गये इनसैट–2सी में एस–बैण्ड ट्रान्सपॉन्डर का उपयोग दू वि नहीं कर पाया, यद्यपि, अप्रैल 1993 में अर्थात् चार वर्ष से भी अधिक पहले इन दो उपग्रहों में मो उ से के लिए लोड़ (भार) का भुगतान करने का निर्णय ले लिया गया था। इससे अगस्त 1997 तक अंतरिक्ष खण्ड प्रभार के कारण 18.32 करोड़ रू. के सम्भाव्य राजस्व की हानि हुई।

(iv) के यू-बैण्ड

के यू–बैण्ड के लिये दू वि की भू–खण्ड सुविधा अभी तैयार नहीं है। परिणामस्वरूप फरवरी 1996 में, इनसैट–2सी में आबंटित के यू–बैण्ड में दो ट्रान्सपॉन्डर लोड़ नहीं किये गये थे जिसके कारण जुलाई 1997 तक 11.66 करोड़ रू. के राजस्व की हानि हुई। दू वि ने दिसम्बर 1997 में बताया कि के यू–बैण्ड बंगलोर व दिल्ली के बीच अबाधित लम्बी दूरी के उपग्रह संचार लिंक के लिए सुनियोजित किये गये थे। जो मार्च 1998 से चालू किये जाने थे।

इस बात से सहमत होते हुये कि विभिन्न ट्रान्सपॉन्डर के लोड़िंग में देरी थी, डी डी जी (उपग्रह) ने सितम्बर 1997 में बताया कि अपेक्षित उपस्कर, विशेष रूप से डिजीटल उपग्रह उपस्कर देशज रूप से उपलब्ध नहीं थे और पूर्तिकारों को विदेशी विनिर्माताओं के पास प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण की तलाश में जाना पड़ा। यह सहमति समय पर उपयुक्त विक्रेता आधार का विकास करने में विभाग की विफलता स्थापित करता है यद्यपि, विभाग के पास तीन से पाँच वर्ष का तैयारी समय उपलब्ध था।

अक्तूबर 1997 में मामला मंत्रालय के सचिव को भेजा गया; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

15 दूरभाष उपस्करों की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय।

मु म प्र व उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कीमत समायोजन खण्ड को शामिल करने के लिए दू वि के निर्देशों की अवहेलना के परिणामस्वरूप 1994-96 में इ दा ब दू के क्रय पर 83.43 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

मु म प्र दू/म प्र दू ने कीमत समायोजन खण्ड के साथ अनन्तिम कीमत पर इ दा ब दू के लिए आदेश दिए।

इलेक्ट्रॉनिक दाब बटन दूरभाष (इ दा ब दू) यन्त्रों का क्रय दू वि में इस दृष्टिकोण से केन्द्रीकृत है कि प्रत्येक वर्ष के लिए कीमतें उनके द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा वे दूरसंचार परिमण्डलों द्वारा क्रय किए जाने वाले इ दा ब दू की मात्रा का आबंटन करते हैं। मु म प्र दू/म प्र दू आन्तरिक वित्तीय सलाहकारों की सलाह पर दू वि द्वारा निर्धारित कीमतों पर अनुमोदित फर्मों को आपूर्ति आदेश दे सकते हैं। जहाँ दू वि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले उसके लिए इ दा ब दू की दरों को अनन्तिम रूप नहीं दे सके, इसलिए उन्होंने मु म प्र दू/म प्र दू को पिछले वर्ष के लिए अनुमोदित फर्मों को पिछले वर्ष की कीमत के 80 प्रतिशत की अनन्तिम कीमत पर क्रय आदेश देने के लिए प्राधिकृत करते रहे हैं। दू वि ने मु म प्र दू को क्रय आदेशों में एक विशिष्ट खण्ड को शामिल करने के लिए भी कहा कि किसी विशेष वर्ष के लिए निविदा के आधार पर निर्धारित कीमत, अनन्तिम कीमत पर दिये गये क्रय आदेशों के लिए भी

लागू होंगी। मु म प्र दू/म प्र दू को प्रत्यायोजित की गई शक्तियाँ फिर उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेंगी।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 1993 को समाप्त वर्ष के लिए (1994 की संख्या 7)–संघ सरकार–डाक व दूरसंचार के पैराग्राफ 9.10 में दू वि की क्रय नीति की अवहेलना में मु म प्र दू उड़ीसा परिमण्डल ने इ दा ब दू का सीधा क्रय करने पर 44.60 लाख रू. के अधिक भुगतान का मामला शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपने द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि उन्होंने दू वि की क्रयनीति का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

मु म प्र दू/म प्र दू ने दू वि के निर्देशों की अवहेलना के परिणामस्वरूप 83.43 लाख रू. अधिक व्यय किए।

गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा तमिलनाडु दूरसंचार परिमण्डलों में नमूना जाँच से पता चला कि मु म प्र दू/म प्र दू ने लगातार दू वि के निर्देशों की निम्नानुसार अवहेलना की:

म प्र दू अहमदाबाद

स म प्र अहमदाबाद ने अनधिकृत रूप से क्रय आदेश दिया।

1994-95 में सहायक महाप्रबन्धक सामग्री प्रबन्धन, अहमदाबाद ने 1993-94 की दरों पर कुल 1.17 करोड़ रू. मूल्य के 18000 इ दा ब दू के लिए तीन क्रय आदेश दिए

- वह आपूर्ति आदेश देने में सक्षम नहीं था।
- उसने क्रय आदेश में कीमत समायोजन खण्ड को शामिल नहीं किया। क्योंकि दू वि द्वारा बाद में इ दा ब दू की कीमत पिछले वर्ष के दौरान 637.46 रू. से 662.97 रू. की अपेक्षा केवल 513 रू. ही निर्धारित की थी, उसके इस कार्य के कारण 24.48 लाख रू. अधिक व्यय हुआ।

मु म प्र दू अहमदाबाद द्वारा 24.48 लाख रू. का अधिक भुगतान किया गया था

- उसने आन्तरिक वित्त से भी सहमति प्राप्त नहीं की।

मु म प्र दू महाराष्ट्र

- मार्च 1994 में मु म प्र दू महाराष्ट्र परिमण्डल ने 1994-95 की कीमतों में कीमत समायोजन खण्ड को शामिल न करते हूए 30000 यन्त्रों के लिए आपूर्ति आदेश दिए।

मु म प्र दू महाराष्ट्र ने अनावश्यक रूप से बहुत अधिक मात्रा के लिए क्रय आदेश दिया।

- दू वि के अनुदेशों के अनुसार, मु म प्र दू ने 39000 इ दा ब दू की कुल अनुमत मात्रा के 25 प्रतिशत के लिए आपूर्ति आदेश देने चाहिए थे। तथापि, उसने 30000 इ दा ब दू के लिए, जिनकी तत्काल जरूरत नहीं थी, आपूर्ति आदेश दिए। उसने इस आपूर्ति आदेश के प्रति यन्त्र नौ महीनों की देरी से दिसम्बर 1994 में प्राप्त किए। तथापि, मु म प्र दू महाराष्ट्र ने 1993-94 के लिए निर्धारित प्रति इकाई 662.97 रू. की दर पर भुगतान किया।

इ दा ब दू अगले नौ महीनों में प्राप्त किये परन्तु भुगतान उच्चतर दर पर किया जिसके कारण 41.03 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- इसके कारण पूर्तिकारों को 1994-95 के लिए निर्धारित कीमत के संदर्भ में 41.03 लाख रू. का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मु म प्र उड़ीसा

मु म प्र उड़ीसा तथा तमिलनाडु परिमण्डलों ने 12.19 लाख रू. का अधिक भुगतान किया।

- 1994-95 के दौरान मु म प्र दू उड़ीसा परिमण्डल ने 7000 इ दा ब दू के क्रय में कीमत समायोजन के खण्ड को शामिल करने की लापरवाही के कारण 8.48 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

मु म प्र दू तमिलनाडु

- 1994-95 के दौरान 3600 इ दा ब दू के क्रय में मु म प्र दू तमिलनाडु परिमण्डल द्वारा उसी तरह की लापरवाही के कारण 3.71 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मु म प्र दू केरल

- 1995-96 के दौरान सहायक महाप्रबन्धक योजना ईरनाकुलम और दू जि प्र कोलाम ने 8950 इ दा ब दू के लिए क्रय आदेश दिए।

स म प्र ईरनाकुलम और दू जि प्र कोलाम ने अनधिकृत क्रय किया तथा 5.73 लाख रू. का अधिक भुगतान किया।

- उन्होंने अपनी वित्तीय शक्तियों की सीमाओं की अवहेलना की, क्योंकि इ दा ब दू के लिए क्रय आदेश देने की शक्ति केवल मु म प्र दू में ही निहित थी।
- दू वि ने मु म प्र दू केरल परिमण्डल को इ दा ब दू की अधिप्राप्ति के लिए कोई आबंटन नहीं किया। इसके बावजूद, उन्होंने 8950 इ दा ब दू के लिए आपूर्ति आदेश दिए।
- उन्होंने अपने आन्तरिक वित्तीय सलाहकार से सलाह नहीं ली।
- दोनों ने दू वि के अनुदेशों के अनुसार क्रय आदेश में कीमत समायोजन खण्ड को शामिल नहीं किया। इसके कारण बाद में दू वि द्वारा 1995-96 के लिए निर्धारित की गई कीमत के संदर्भ में पूर्तिकारों को 5.73 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

मु म प्र दू गुजरात परिमण्डल ने मार्च 1997 में बताया कि कीमत समायोजन खण्ड को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उसे कीमत में आने वाली कमी की प्रत्याशा नहीं थी। यह उत्तर स म प्र द्वारा की गई अनधिकृत क्रय के प्रश्न को संबोधित नहीं करता है क्योंकि वह न तो सक्षम था और न ही दू वि के निर्देशों की अवहेलना के कारण बताए।

लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित किए जाने पर मु म प्र दू तमिलनाडु ने मार्च 1997 में 3.71 लाख रू. के अधिक भुगतान की वसूली की।

मु म प्र दू केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा परिमण्डलों ने कोई उत्तर नहीं भेजा।

दू वि को नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, इ दा ब दू की अधिप्राप्ति में अधिकारियों द्वारा की गई भूल–चूक के लिए उत्तरदायित्व नियत करने के अलावा दू वि को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिप्राप्ति पर नियंत्रण मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वह अपने अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।

मामला मंत्रालय को जुलाई 1997 में भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

16 आप्टीकल फाइबर केबिल के क्रय में निविदा प्रक्रिया का जोड़-तोड़ करना

दू वि ने निविदा प्रणाली के बाहर दो निजी फर्मों को 63.52 करोड़ रू. पर आ फा के के लिये आपूर्ति आदेश दिये। परिनिर्धारित नुकसान को उगाहे बिना निर्धारित सुपुर्दगी के बढ़ने के परिणामस्वरूप एक निजी फर्म को 75.49 लाख रू. का लाभ हुआ।

दू वि द्वारा आपूर्ति आदेश देने में किसी निजी फर्म को दिये गये लाभ का मामला पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था।

एक फर्म को इस अनुरोध पर कि उन्हें आपूर्ति आदेश दिये जाएं ताकि वे अपनी उत्पादन लाइन बनाये रख सकें, को अनावश्यक आपूर्ति आदेश दिये गये और तत्कालीन सं रा मं के कहने पर परिनिर्धारित नुक्सान उगाहे बिना निर्धारित सुपुर्दगी को बढ़ाया गया और इस फर्म को 2 गीगा हर्टज डिजिटल माइक्रोवेव प्रणाली के लिए अनावश्यक आपूर्ति आदेश देने में लाभ का मामला भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार (डाक व दूरसंचार) 1997 की संख्या 6 के पैरा 8.1.5.2 व 8.1.7 में सम्मिलित किया गया था।

अगस्त 1997 में लेखापरीक्षा द्वारा 1994-96 के दौरान आप्टीकल फाइबर केबिल के लिये दू वि द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेशों/ठेके की लेखापरीक्षा में समीक्षा ने दू वि की अपनी स्थापित नीति के उल्लंघन में बड़ी मात्रा में आपूर्ति आदेश देने में दो निजी फर्मों को लाभ का एक और मामला उजागर किया। इस नीति के अर्न्तगत, दू वि को सभी तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोली लगाने वालों को अनुमोदित दर पर उनके द्वारा उद्धृत कीमतों के व्युत्क्रमानुपात में आपूर्ति आदेश देने होते हैं, सिवाय सबसे कम बोली लगाने वाले को जिसको कुल निवेदित मात्रा का 20 से 50 प्रतिशत आपूर्ति आदेश मिलने चाहिए।

दू वि ने दो फर्मों को निवेदित मात्रा के 30 प्रतिशत के लिये आपूर्ति आदेश दिये।

दू वि ने 1994-95 के दौरान खुली निविदा के आधार पर तय की गई कीमतों पर 6, 12 और 24 फाइबर वाली 8067 कि मी आप्टीकल फाइबर केबिल (आ फा के) के लिये आपूर्ति आदेश दिये थे। विकास हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड न्यू देहली और प्लासमैक मशीन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मुम्बई ने क्रमशः 6, 12 और 24 आ फा के के लिये कम कीमत उद्धृत की थी। तथापि, उन्होंने अपनी उत्पादन सुविधा स्थापित नहीं

की थी और इसलिये दू वि से टाइप अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। इसके परिप्रेक्ष्य में, दूरसंचार आयोग ने अनुमोदित किया कि उन्हें निवेदित मात्राओं के 20 प्रतिशत के लिये आपूर्ति आदेश देने चाहिये थे और टाइप अनुमोदन प्राप्त करने के लिये चार माह का समय दिया जाना चाहिए था। इसके बावजूद, सं रा मं ने निवेदित मात्राओं के 30 प्रतिशत के लिये उन्हें आपूर्ति आदेश देने के लिये आदेश दिये।

दू वि ने निविदा प्रणाली के बाहर दो फर्मों को बड़े आपूर्ति आदेश दिये

दू वि ने फरवरी 1995 में तीन विनिर्देशनों के 16225 कि मी आ फा के की अधिप्राप्ति के लिये अगले वर्ष अर्थात् 1995-96 के लिये निविदा आंमत्रित की थी। निविदाएं अप्रैल 1995 में खोली गई थीं। जब निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही थी, दो फर्मों अर्थात् विकास हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड न्यू देहली और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड न्यू देहली ने सं रा मं को सम्पर्क करके अनुरोध किया कि उनकी फैक्टरियों में उत्पादन जारी रखने के लिये आपूर्ति आदेश दिये जाएं। सं रा मं के कहने पर, मई 1995 में दू वि ने 25.85 करोड़ रू. के मूल्य वाले 2500 कि मी 12 आ फा के की भारी मात्रा के लिये विकास हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड न्यू देहली को आपूर्ति आदेश दिये थे। 1995-96 के लिये यह कुल निवेदित मात्रा का लगभग 20 प्रतिशत था जो निम्नतम निविदा देने वाले को प्राप्त होने वाले आपूर्ति आदेश के अनुपात, के निकट है।

विकास हाइब्रिड ने निविदा के बाहर 25.85 करोड़ रू. के लिये आपूर्ति आदेश प्राप्त किये।

उसी प्रकार, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इण्डिया लिमिटेड न्यू देहली द्वारा सं रा मं से अनुरोध करने पर दू वि ने जुलाई 1995 में उनको 1000 कि मी 24 आ फा के और 2000 कि मी 12 आ फा के लिये आपूर्ति आदेश दिये थे। इस आदेश का कुल मूल्य 37.67 करोड़ रू. था। 24 आ फा के और 12 आ फा के की मात्राओं के लिये जो आपूर्ति आदेश इस फर्म को दिये गये थे, वे निविदा मात्राओं का क्रमशः 40 प्रतिशत और 16 प्रतिशत बनती थी।

स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने निविदा के बाहर 37.67 करोड़ रू. के लिये आपूर्ति आदेश प्राप्त किये थे।

इस प्रकार, जबकि निविदा पहले ही खोली गई थी और प्रक्रिया जारी थी, दो फर्मों को निविदा के बाहर 24-आ फा के जो निवेदित मात्रा का 40 प्रतिशत तथा 12 आ फा के जो निवेदित मात्रा का 36 प्रतिशत बनता था, को आपूर्ति आदेश देना दू वि में निविदाओं की प्रक्रिया के औचित्य पर संदेह व्यक्त करता है और दू वि द्वारा कुछ फर्मों के लिए लाभदायी व्यवहार निर्दिष्ट करता है।

निविदा प्रणाली से बाहर भारी मात्राओं के लिये आपूर्ति आदेश के अलावा 1995-96 के लिए निविदाओं में से निवेदित मात्रा का अपने अनुपातिक भाग के लिए उन्होंने आपूर्ति आदेश प्राप्त किये और उन्हें निविदा से बाहर और निविदा के भीतर आपूर्ति आदेशों का दोहरा लाभ दिया गया।

दू वि ने सा क्षे उ की अवहेलना की

ऐसा करते हुये, दू वि ने दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड व आप्टेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड के दावे की अवहेलना की, जिनको अपनी

उत्पादन क्षमता से काफी कम मात्रा के लिये आपूर्ति आदेश दिये गये थे। यद्यपि दू वि ने बेकार होने से अपनी उत्पादन इकाइयों को बचाने के लिये दो निजी फर्मों के अनुरोध पर विचार किया, किन्तु इसने हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड को पूरी क्षमता के लिये हैवी इंडस्ट्रीज विभाग के सचिव का आपूर्ति आदेश देने के विशिष्ट अनुरोध जिन्होंने दू वि की प्रक्षेपित मांग के आधार पर आ फा के के लिए उत्पादन सुविधा स्थापित की थी की अवहेलना की। हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड के 40000 फाइबर कि मी की वार्षिक क्षमता के प्रति, उन्होंने 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः केवल 11064 और 19470 फाइबर कि मी के लिये आपूर्ति आदेश प्राप्त किये।

सं रा मं के कहने पर परिनिर्धारित नुकसान उगाहे बिना सुपुर्दगी अवधि के बढ़ाने से 75.49 लाख रू. का परित्याग

विकास हाइब्रिड एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड न्यू देहली ने मई 1995 में निविदा के बाहर 2500 कि मी 12 आ फा के के लिये दिये गये आदेश के प्रति आपूर्ति में चूक की। यद्यपि, दूरसंचार आयोग ने निर्धारित सुपुर्दगी को बढ़ाये जाने के लिये उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, बाद में सं रा मं के हस्तक्षेप पर, जिनके आदेश उनके निजी सचिव के माध्यम से भेजे गये थे, दू वि, ने परिनिर्धारित नुकसान उगाहे बिना 22 अक्तूबर 1995 तक 45 दिन का समय बढ़ाया। छोड़ दिया गया परिनिर्धारित नुकसान 75.49 लाख रू. था।

अक्तूबर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

17 एच डी पी ई पाइप बिछाने में अधिक व्यय

विभिन्न मदों की मात्राओं का मूल्यांकन किये बिना केवल 19 कि मी के लिये अंतिम रूप से तय की गई दरों के आधार पर ओ फा के मार्ग पर 211 कि मी में एच डी पी ई पाइप बिछाने का कार्य सौंप देने के लिए दू जि अ भुवनेश्वर की लापरवाही के परिणामस्वरूप 24.12 लाख रू. का अधिक व्यय हुआ।

मंडलीय अभियंता दूरसंचार माइक्रोवेव परियोजना भुवनेश्वर ने जुलाई 1992–अप्रैल 1993 के दौरान 1.67 करोड़ रू. के कुल व्यय पर भुवनेश्वर–पिपली व खुरदा–अस्का आप्टीकल फाइबर केबिल (आ फा के) मार्ग पर 211 कि मी की लम्बाई में हाई डैनसिटी पोलिथीलीन पाइप (एच डी पी ई) के खुदाई व बिछाने का कार्य पूरा किया। इस कार्य के सौंपने से संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआः

मंडलीय अभियंता ने मात्राओं का सही मूल्यांकन किये बिना कार्य सौंप दिया

कार्य के नये मूल्यांकन व निविदा आमंत्रित करने के माध्यम की अपेक्षा भुवनेश्वर–पिपली मार्ग पर 19 कि मी खण्ड में समान कार्य के लिए एक निविदा के संदर्भ में तय हुई दरों पर मंडलीय अभियंता ने आठ ठेकेदारों को विभिन्न खण्डों के लिये कार्य सौंपा।

कार्य में साधारण व पथरीली भूमि में खाई की खुदाई, सीमेंट के कंक्रीट पाइप बिछाना,- रेत भरना इत्यादि सम्मिलित था। चूँकि निविदा में 19 कि मी में एच डी पी ई पाइप बिछाने के लिये अपेक्षित कार्य की 12 विभिन्न मदों के लिए दरें आमंत्रित की गई थी, कार्य की प्रत्येक प्रकार की संबंधित मात्रा का सीधा प्रभाव समग्र कार्य की कुल लागत पर था। मंडलीय अभियंता ने 211 कि मी की लम्बाई का कार्य जिस दर पर सौंपा था एवं उनके प्रति मदवार वास्तविक मात्रा व भुगतान की गई राशि के विश्लेषण से पता चला कि कार्य की लागत का 72 प्रतिशत खाई की खुदाई से संबंधित था। पथरीली भूमि की खुदाई की लागत कुल लागत की 50 प्रतिशत बनती थी, जबकि शेष 22 प्रतिशत साधारण भूमि में खुदाई के लिये बनते थे। अन्य मदों में आर सी सी पाई बिछाना, सीमेंट कंक्रीट चैनल इत्यादि सम्मिलित थे।

कार्य में विभिन्न मदों की वास्तविक मात्रा उनसे बिल्कुल भिन्न थी, जिन पर दरों को अंतिम रूप दिया गया था।

15 कि मी की साधारण भूमि और 4 कि मी पथरीली भूमि की खाई की अनुमानित मात्रा पर आधारित 19 कि मी की लम्बाई की दर बी बी पात्रा नामक ठेकेदार की पूर्वानुमानित निम्नतर उद्धरण 211 कि मी लम्बाई के लिए दर का आधार बनी थी। 211 कि मी की लम्बाई में साधारण व पथरीली भूमि का वास्तविक अनुपात क्रमशः 127 और 84 कि मी था अर्थात् केवल 15:4 की तुलना में 15:10, जो कि दरें स्वीकार करने के लिये आधार बनाया गया था। बाद के कार्य में 211 कि मी में पथरीली भूमि व साधारण भूमि का अनुपात ढाई गुना हो गया था, पथरीली भूमि में खाई खोदने के लिये उद्धृत दर आर सी सी पाइप के और पथरीली भूमि में सीमेंट कंक्रीट कार्य वास्तव में लागत का मुख्य घटक बन गया था।

29 रू. प्रति मीटर पर बी बी पात्रा की साधारण भूमि में खाई खोदने की दर एस सी बाघ नामक दूसरे बोली लगाने वाले की 40 रू. प्रति मीटर की दर से कम थी, परन्तु पथरीली भूमि में खाई खोदने की बी बी पत्रा की 100 रू. प्रति मीटर की दर बाद वाले की 50 रू. प्रति मीटर की दर से दुगनी थी। उसी प्रकार एस सी बाघ की पथरीली भूमि में आर सी सी पाइप बिछाने और सीमेंट कंक्रीट चैनल के लिए दर बी बी पत्रा की दर से बहुत ही कम थी।

वास्तविक मात्राओं के आधार पर, दूसरे बोली लगाने वाले की भारित दर सबसे कम थी।

इस प्रकार, 19 कि मी की लम्बाई में साधारण व पथरीली भूमि की अनुमानित मात्राओं के आधार पर, बी बी पत्रा की भारित दर सबसे कम हो गई थी, साधारण व पथरीली भूमि के अलग तरह के सम्मिश्रण की बड़ी लम्बाई के लिए उसी दर को लागू करने से एस बी बाघ नामक दूसरे बोली लगाने वाले की भारित दर सबसे कम निकली। वास्तविक मात्राओं के आधार पर, एस सी बाघ की भारित निम्न दर पर 211 कि मी एच डी पी ई पाइप बिछाने की लागत बी बी पत्रा की उच्च भारित दर, जिस पर कार्य सौंपा गया था, की 1.67 करोड़ रू. की वास्तविक लागत के प्रति केवल 1.43 करोड़ रू. ही बनती है।

वास्तविक मात्राओं का नजरअंदाज करने में मं अ दू की लापरवाही के परिणामस्वरूप 24.12 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

इस प्रकार, मं अ दू भुवनेश्वर ने कार्य आदेश के लिए मूल आवश्यकता अर्थात्, विभिन्न मदों की मात्राओं का सही मूल्यांकन, जो दरों के मूल्यांकन का आधार था, की अवहेलना की। पथरीली भूमि का साधारण भूमि में वास्तविक अनुपात के 40 प्रतिशत का मूल्यांकन पूर्ण रूप से समाप्त था। बिना किसी विशेष निविदा के कार्य सौंपने के अनौचित्य के अतिरिक्त, 24.12 लाख रू. का अधिक व्यय हुआ। छोटे खण्ड के लिये निविदा दरों के आधार पर कार्य सौंपने की उसकी कार्यवाही ने विभाग को मात्रा कटौती के कारण सम्भावित बचत से भी वंचित कर दिया।

मार्च 1996 में, मु म प्र दूरसंचार परियोजना कलकत्ता ने बताया कि एस सी बाघ द्वारा उद्धृत पथरीली भूमि के लिए 50 रू. प्रति मीटर की दर अव्यवहार्य रूप से कम थी। उसका तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह तर्क कार्य सौंपने के समय रिकार्ड नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उसी मंडलीय अभियंता ने पथरीली भूमि में आस्का–पुरूषोत्तमपुर–बरहमपुर खण्ड के बीच लगभग उसी समय केवल 50 रू. प्रति मीटर पर एच डी पी ई पाइप के बिछाने का कार्य सौंप दिया।

जुलाई 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

18 फोटो फैकसिमलि मशीनों पर 80.83 लाख रू. का व्यर्थ व्यय

दू वि मुख्यता प्रैस द्वारा प्रयोग हेतु 80.83 लाख रू. की चार फैकसिमलि फोटो संचारण मशीनें जो कि जुलाई 1991 के दौरान खरीदी गई थीं, को उपयोग करने में विफल रहा।

दू वि ने 80.83 लाख रू. की चार फोटो फैकसिमलि मशीनें खरीदी

दिसम्बर 1996 में कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई तथा नई दिल्ली में फोटो फैकसिमलि मशीनों के उपयोग की लेखापरीक्षा से यह प्रकट हुआ कि जुलाई 1991 में 80.83 लाख रू. की लागत से खरीदी गई मशीनें छः वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

मशीनें खरीदने के समय से ही बिना उपयोग के पड़ी रही।

सलाहकार (विकास) ने मुख्यता विद्यमान ग्रुप–I फैक्स मशीन एनलॉग के फोटो संचारण में घटिया गुणवत्ता के बारे में प्रैस की एक शिकायत पर मई 1989 में फोटो संचारण के उपयोग हेतु चार फोटो फैकसिमलि मशीनें खरीदनें का अनुमोदन किया। दू वि के दस्तावेजों की जाँच से ज्ञात हुआ कि आर्थिक व्यवहार्यता की ओर ध्यान दिए बिना ही प्रैस को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए जान–बूझ कर लिए गये निर्णय के तौर पर ये मशीनें खरीदी। मशीनों की खरीद के लिए उल्लिखित औचित्य के कारणों में एक यह भी था कि इन मशीनों से प्रैस के लोगों में विभाग का बिम्ब बेहतर होगा और वे जनता के सामने विभाग का बिम्ब प्रक्षेपित करेंगे।

जबकि एक ओर विभाग ने जल्दी से मशीनें मुहैया कराके अपने बिम्ब को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की परन्तु उसने उपस्करों के चालू करने और उनके उपयोग के शुल्क के निर्धारण में वैसी आवश्यकता नहीं दर्शाई। दू वि ने शुल्क का निर्धारण करने के लिए 16 महीनों के पश्चात् नवम्बर 1992 में तथा 19 महीनों में फरवरी 1993 में मशीनों को चालू किया। दू वि द्वारा निर्धारित शुल्क वी एस एन एल द्वारा विदेश में ऐसे संचारण के लिए शुल्क से दुगना था।

दू वि को न वाणिज्यिक रूप से लाभ मिला न ही प्रैस के सामने अपना बिम्ब सुधारने का उद्देश्य प्राप्त हुआ

लक्षित प्रयोक्ताओं की मांग के अभाव में मशीनें फरवरी 1993 में चालू होने के बाद उपयोग में नहीं लाई गई हैं। इसका एक प्रमुख कारण सुविधा को मुहैया कराने के निर्णय के बाद चार वर्ष का विलम्ब था। इस अवधि के बीच में प्रयोक्ताओं ने अपने निजी सिस्टम स्थापित कर लिये और प्रौद्योगिकी में द्रुत तबदीली के कारण उन्हें बेहतर विकल्प उपलब्ध हुए।

इस प्रकार, दू वि द्वारा मशीनें चालू करने और शुल्क निर्धारित करने के प्रति निरूत्साहित रूख के कारण 80.83 लाख रू. के उपस्कर खरीदने पर व्यर्थ निवेश ही नहीं हुआ बल्कि वह प्रैस में अपना बिम्ब बनाने के कथित उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर सका।

दू वि के उत्तर ने उपस्कर के नगण्य उपयोग की पुष्टि की

मंत्रालय ने, दिसम्बर 1997 में, बताया कि उपस्करों का उपयोग चलते–फिरते आधार पर दूसरे नगरों में क्रिकेट मैचों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन, मोटर रैली इत्यादि जैसी घटनाओं के लिए हुआ। उत्तर से लेखापरीक्षा के निष्कर्ष की पुष्टि होती है जो उपस्कर प्रैस और दूसरों के दिन–प्रतिदिन के उपयोग के उद्देश्य से खरीदे गये थे, का उपयोग लगभग नगण्य था।

19 समुद्र तटीय बेतार केन्द्र पर 1.84 करोड़ रू. का व्यर्थ व्यय

दू वि कलकत्ता, चेन्नई, और पोर्ट-ब्लेयर पर समुद्र तटीय बेतार केन्द्रों का अपग्रेड करने के लिए 1.84 करोड़ रू. मूल्य के उपस्कर का उनकी खरीद के पांच से आठ वर्षों तक उपयोग नहीं कर पाया है। इस व्यर्थ व्यय के अलावा, समुद्र तटीय बेतार संचार के अपग्रेड करने का मुख्य उद्देश्य अभी तक चार स्थलों में से तीन में प्राप्त करना था।

चेन्नई के उपस्कर दोषपूर्ण थे

जून और दिसम्बर 1996 के बीच में कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई, और पोर्ट–ब्लेयर में समुद्र तटीय बेतार केन्द्रों के लिए अपग्रेड किये गये उपस्कर की उपयोगिता की जांच से पता चला कि संबंधित निदेशक/म प्र माइक्रोवेव परियोजना केवल, मुम्बई को छोड़कर सभी स्टेशनों पर उनके सफल उपयोग के लिए उनको प्रतिष्ठापित करने या चालू करने में विफल रहे। दूसरे स्थानों पर उपस्कर पांच से आठ वर्षों तक बिना प्रयोग के पड़े रहे।

दू वि ने इन उपस्करों को फरवरी 1989–मार्च 1992 में, मरीन एण्ड कम्यूनीकेशन्स इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डिया लिमिटेड विशाखापट्टनम से खरीदा था। चेन्नई के उपस्कर में अनेक दोष थे। फर्म उनकी बिना बाधा व संतोषजनक सेवा के लिए उन्हें ठीक करने में विफल रही। इसी दौरान, इस फर्म को 1994 में बंद किया गया। निदेशक परियोजना चेन्नई ने न तो फर्म के विरूद्ध दोषपूर्ण उपस्कर की आपूर्ति करने में विफलता के लिए कोई कानूनी कार्रवाई की और न ही दोषों को दूर करने के लिए कोई विकल्प ढूंढ़ा।

कलकत्ता और पोर्ट-ब्लेयर पर उपस्कर कभी भी प्रतिष्ठापित नहीं किए गए

कलकत्ता और पोर्ट–ब्लेयर में शुरू में स्टाफ के आन्दोलन के कारण तथा उसके बाद फर्म के बंद होने पर दोषों को दूर करने के लिए वैकल्पिक स्त्रोतों का पता लगाने में उनकी विफलता के कारण उपस्कर कभी भी प्रतिष्ठापित व चालू नहीं किये गए।

इस प्रकार, दोषपूर्ण उपस्कर की खरीद में दू वि की अयोग्यता और इसके बाद दोषों को दूर करने में विफलता के अतिरिक्त दो स्थानों पर गैर प्रतिस्ठापन से दोषपूर्ण उपस्कर की खरीद पर 1.84 करोड़ रू. के संदिग्ध व्यय के अतिरिक्त समुद्र तट और जहाज के बीच दुतरफा से संचार व्यवस्था उपलब्ध कराने का अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व निभाने में विफल हुआ।

जून 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

20 उच्चतर विनिर्देशनों के एच डी पी ई पाइपों के बिछाने पर अतिरिक्त व्यय

दू वि के अनुदेशों का उल्लंघन करके क्षेत्र इकाइयों द्वारा बिना डक्ट वाले मार्गों में उच्चतर विनिर्देशनों वाले एच डी पी ई पाइपों का उपयोग करने के कारण 92.21 लाख रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय।

दू वि के अनुदेशों में आप्टीकल फाईबर केबिलों के आवरण के लिए उच्च घनत्व वाली पॉलीथिन पाइप (एच डी पी ई) के उपयोग का आदेश था। 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 9.3 में नियत की गई की अपेक्षा उच्चतर विनिर्देशनों के एच डी पी ई पाइप को उपयोग में लाने के कारण परिहार्य व्यय के मामलों को शामिल किया गया था। उपचारी उपायों के तौर पर, दू वि ने सितम्बर 1995 में निर्धारित विनिर्देशनों का पालन करने के लिए सभी परिमण्डलों को निर्देश जारी किए थे।

सितम्बर 1996 और जुलाई 1997 के बीच लेखापरीक्षा के समय संवीक्षा से पता चला कि दू वि द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणी द्वारा अनुदेशों एवं आश्वासन के बावजूद, क्षेत्र इकाइयों ने लगातार निर्देशों का उल्लंघन किया और निम्न विवरणानुसार उच्चतर

विनिर्देशनों के पाइपों का क्रय किया जिसमें 92.21 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त था:

परियोजना परिमण्डल	उपयोग में लाए गए उच्चतर विनिर्देशनों के एच डी पी ई पाइपों की मात्रा (कि.मी.)*	लागत (लाख रू. में)	विनिर्देशनों के पाइपों की लागत (लाख रू. में)	अधिक व्यय (लाख रू. में)
उत्तरी	120.715	76.64	35.13	41.51
पश्चिमी	91	42.57	29.63	13.24
दक्षिणी	196	94.49	57.03	37.46
कुल				92.21

* नीचे सूचीबद्ध किए गए परिमण्डलों में नि दू प जालन्धर, नि दू प भोपाल व नि दू प (सी सी पी) चेन्नई उच्चतर विनिर्देशनों के एच डी पी ई पाइपों के उपयोग के लिए जिम्मेवार थे।

मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि विनिर्देशनों को उस समय बदल दिया जाना था जबकि क्षेत्र अधिकारियों ने काम के निष्पादन के समय यह महसूस किया कि विशेष प्रकार के अनुमत पाइप लाभदायी नहीं होंगे क्योंकि वे फट रहे थे। विशेष रूप से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तीन परिमण्डलों/मामलों के बारे में तथापि, मंत्रालय का उत्तर विशिष्ट नहीं था अपितु सामान्य था।

21 अग्रिम की गैर-वसूली

निदेशक माइक्रोवेव परियोजना चेन्नई एवं परेषिती में आपसी असमन्वय व लापरवाह प्रबन्धन के परिणामस्वरूप पूर्तिकार से 78.73 लाख रू. के अग्रिम एवं ब्याज की गैर-वसूली।

निदेशक माइक्रोवेव परियोजना चेन्नई (नि मा प) ने 2.24 करोड़ रू. की माइक्रोवेव टॉवर सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, इलाहाबाद को अगस्त 1989 में एक क्रय आदेश दिया, जिसकी आपूर्ति फरवरी 1990 में होनी थी। उसने अहमदाबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी, जालन्धर, जोरहाट, नई दिल्ली और सिलचर की माइक्रोवेव इकाइयों की ओर से आपूर्ति आदेश दिया। क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, पूर्तिकार को भुगतान संबंधित परेषितियों द्वारा करना था। नि मा प चेन्नई ने अक्तूबर 1989 और सितम्बर 1990 में क्रय आदेश को कार्यान्वित करने के लिए पूर्तिकार से 11.15 लाख रू. की बैंक गारन्टी प्राप्त की।

दू वि ने 40 लाख रू. के अग्रिम भुगतान के लिए क्रय आदेश की शर्तों को बदल दिया।

नि मा प चेन्नई द्वारा अगस्त 1989 में दिए गए क्रय आदेश में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया कि फर्म को अग्रिम नहीं दिया जाएगा। फिर भी, दू वि ने अप्रैल 1991 में नि मा प चेन्नई को जून 1991 तक 10 प्रतिशत व उसके पश्चात 18 प्रतिशत की ब्याज दर पर पूर्तिकार को 40 लाख रू. अग्रिम अदा करने का निर्देश दिया। नि मा प चेन्नई ने जून 1991 में फर्म को 40 लाख रू. के अग्रिम का भुगतान किया और परेषितियों को

कहा कि आगामी सुपुर्दगी के प्रति फर्म को कोई भुगतान न करे, ताकि अग्रिम और ब्याज का समायोजन कर सके। उसने पूर्तिकार से कहा कि वह बिलों को सीधे उसे प्रस्तुत करे।

नि मा प चेन्नई की सलाह के बावजूद परेषितियों ने बिलों का भुगतान कर दिया

नि मा प चेन्नई के अनुदेश के बावजूद भी पूर्तिकार ने बिल परेषितियों को प्रस्तुत किये और परेषितियों ने यह जानते हुए कि नि मा प चेन्नई ने अग्रिम एवं ब्याज का समायोजन उनके बिलों से करना है, पूर्तिकार को भुगतान कर दिया। नि मा प चेन्नई ने अपनी ओर से 11.15 लाख रू. की बैंक गारन्टी जिसकी वैधता अगस्त 1994 में समाप्त होने वाली थी जिससे देय रकम के एक अंश की पूर्ति हो सकती थी, को समय पर छुड़ाने की कार्यवाही नहीं की।

नि मा प चेन्नई को परेषितियों द्वारा बिलों के भुगतान की जानकारी नहीं थी

नि मा प चेन्नई दिसम्बर 1997 तक इस स्थिति में नहीं था कि मालूम कर सके कि फर्म ने परेषितियों को वास्तव में कुल कितनी आपूर्ति की थी और परेषितियों ने विवरण के लिए उसके बार–बार अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया।

अग्रिम छः वर्षों तक बिना वसूली के रहा

अक्तूबर 1996 तक पूर्तिकार से वसूल किए जाने वाले अग्रिम और ब्याज की राशि 78.73 लाख रू. की हो गई। अग्रिम की राशि वसूली के लिए छः वर्षों से बकाया है।

समग्र संव्यवहार, स्थापित व्यवस्था के विकृत रूप और अग्रिम व ब्याज की वसूली में लापरवाही की द्योतक है जिसके परिणामस्वरूप पूर्तिकार को सार्वजनिक राजकोष से अनुचित वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तथा उत्तरदायित्व नियत करने के लिए जाँच की मांग करती है।

जून 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; तथा दिसम्बर 1997 तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी।

22 लेखापरीक्षा के बताये जाने पर परिनिर्धारित नुकसान की वसूली

नमूना जाँच ने दू वि की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा 2.64 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान की गैर/कम वसूली उजागर की, जिसमें से 1.65 करोड़ रू. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वसूल किये गये थे।

22.1 परिनिर्धारित नुकसान की गैर-वसूली

सितम्बर 1995 से मार्च 1997 के दौरान आठ दूरसंचार जिला/दूरसंचार परियोजना मण्डलों की नमूना जाँच ने वे मामले उजागर किये जिसमें कि परिशिष्ट VI में ब्यौरे के अनुसार क्रय आदेश में विशिष्ट प्रावधान के बावजूद भी उपस्कर/भण्डारों की आपूर्तियों में देरी के लिये महाप्रबन्धक/दूरसंचार जिला प्रबन्धक (म प्र दू/दू जि प्र) ने

कुल 1.40 करोड़ रू. का परिनिर्धारित नुकसान नहीं उगाहा। आपूर्तियों में देरी एक माह से लेकर एक वर्ष से भी अधिक थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर म प्र दू/दू जि प्र ने 1.26 करोड़ रू. के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली की

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, म प्र दू हैदराबाद और त्रिचि, दू जि प्र पटियाला और निदेशक परियोजना शिमला व टूटीकोरन ने 1.26 करोड़ रू. की समग्र राशि वसूल की। म प्र दू चण्डीगढ़ और फिरोजपुर ने क्रमशः जनवरी 1996 और सितम्बर 1996 में बताया कि वसूली का मामला संबंधित पूर्तिकारों के साथ उठाया जायेगा। अक्तूबर 1997 तक वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे। म प्र दू संगरूर ने दिसम्बर 1997 तक उत्तर नहीं भेजा।

22.2 परिनिर्धारित नुकसान के लिए लागत में उत्पाद-शुल्क व बिक्री कर की गणना नहीं की गई

दू वि ने फरवरी 1989 में स्पष्ट किया कि भण्डार की देरी से की गई आपूर्तियों में परिनिर्धारित नुकसान की गणना करते समय, उत्पाद शुल्क व बिक्री कर की राशियों को भी उपस्कर की लागत के एक अंश के रूप में हिसाब में लिया जाना था।

अभिलेखों की नमूना जाँच ने ऐसे छः मामले उजागर किये जहाँ उत्पाद शुल्क व बिक्री कर सम्मिलित न करके मूल कीमत पर परिनिर्धारित नुकसान उगाहा गया था। परिशिष्ट VII में दिये गये ब्यौरे के अनुसार इन मामलों में परिनिर्धारित नुकसान की कम वसूली की कुल राशि 1.13 करोड़ रू. थी।

मु म प्र दू/म प्र दू ने परिनिर्धारित नुकसान के रूप में 27.56 लाख रू. वसूल किए जिसमें से 1.13 करोड़ रू. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद, म प्र दू परियोजना इरनाकुलम और मु म प्र दू परियोजना, कलकत्ता ने 8.16 लाख रू. और 19.40 लाख रू. क्रमशः जनवरी 1997 और अक्तूबर–नवम्बर 1996 में वसूल किये। निदेशक परियोजना बंगलौर व सहायक अभियंता परिमण्डल दूरसंचार भण्डार बंगलोर और जयपुर ने अपने उत्तर नहीं भेजे।

22.3 परिनिर्धारित नुकसान की आंशिक वसूली

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर म प्र दू मुदरै ने कम वसूल किए गए 11.41 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली की

तमिलनाडु परिमण्डल के अन्तर्गत मदुरै एस एस ए में पूर्तिकारों ने फरवरी 1995 की निर्धारित सुपुर्दगी के प्रति जून 1995 में 10 के लाइन स्वीचिंग उपस्कर की आपूर्ति को पूरा किया, जिससे एक्सचेंज के प्रतिष्ठापन में देरी हुई। म प्र दू मदुरै ने एक्सचेंज जून 1995 में चालू होने की निर्धारित तिथि के प्रति अक्तूबर 1995 में चालू किया था। लेकिन उसने केवल देर से आपूर्त किये गये उपस्कर के मूल्य पर ही परिनिर्धारित नुकसान उगाहा जबकि उपस्कर की देर से आपूर्ति होने से सारे एक्सचेंज के चालू होने में देरी हो गई। इसके परिणामस्वरूप 11.41 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान की कम वसूली हुई। लेखापरीक्षा के बताये जाने पर, म प्र दू, मदुरै ने अक्तूबर 1997 में राशि वसूल की।

23 लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर वसूली।

मु म प्र दू तमिलनाडु ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पूर्तिकारों से 1.08 करोड़ रू. की वसूली की। अन्य मामले में दू जि प्र वेलौर ने 15.78 लाख रू. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वसूले।

मु म प्र दू चेन्नई ने 1994-95 एवं 1995-96 में दरें कम होने के उपरान्त भी 1993-94 की दरों पर भुगतान किया।

23.1 दू वि ने 1993-94 में विभिन्न फर्मों को 2 गीगा हर्टज़ डिजिटल माइक्रोवेव सिस्टम के लिए आपूर्ति आदेश दिए। इस आदेश के प्रति परिमण्डलों में मु म प्र दू को आपूर्तियाँ 1994-95 तथा 1995-96 में ही होनी थी। दू वि ने अप्रैल 1995 में वर्ष 1994-95 की अवधि के दौरान की जाने वाली आपूर्ति तथा दिसम्बर 1995 में 1995-96 में की जाने वाली आपूर्ति के लिए पूर्वगामी तिथि से कीमतों को कम करके संशोधित कर दिया। परेषिती मु म प्र दू द्वारा फर्मों को भुगतान किया जाना था।

मु म प्र दू ने अपनी गलती की जानकारी होने के बावजूद भी 1.08 करोड़ रू. के अधिक भुगतान की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

मु म प्र दू चेन्नई द्वारा 2 गीगा हर्टज़ माइक्रोवेव सिस्टम के लिए भुगतानों की अगस्त 1996 में की गई संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि वह 1994-95 और 1995-96 के दौरान की आपूर्तियों के लिए पूर्तिकारों को वर्ष 1993-94 में लागू उच्चतर दर पर ही लगातार भुगतान करता रहा। इस प्रकार, उसने 1.08 करोड़ रू. का अधिक भुगतान कर दिया। मु म प्र दू ने बताया कि उसे दू वि का अप्रैल 1995 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

मु म प्र दू ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अधिक भुगतान की वसूली की।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि यद्यपि उसे दू वि का दिसम्बर 1995 का पत्र प्राप्त हो गया था, जिसमें घटी हुई कीमतों का अप्रैल 1995 से प्रभावी होना उल्लेख था फिर भी वह पूर्तिकारों से अधिक भुगतान की वसूली करने में विफल रहा। अगस्त 1996 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर ही मु म प्र दू ने अधिक भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई की तथा दिसम्बर 1996 और सितम्बर 1997 में 1.08 करोड़ रू. के अधिक भुगतान की समग्र राशि की वसूली कर ली।

अधिक भुगतान की वसूली के पश्चात भी पूर्तिकारों को ब्याज का लाभ मिल गया।

मु म प्र दू द्वारा कीमत कम करने वाला दू वि का अप्रैल 1995 का पत्र प्राप्त न होने में और दू वि का दिसम्बर 1995 का पत्र प्राप्त होने के बाद जबकि उसे अधिक भुगतान की गई राशि की जानकारी होनी चाहिए थी, तथा अधिक भुगतान की गई राशि को वसूलने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में विफलता वाली सभी घटनाओं के तारतम्य से दू वि की अपने आदेशों की प्राप्ति और अनुपालन के लिए कोई प्रणाली स्थापित करने में लापरवाही दर्शाता है। मु म प्र दू चेन्नई द्वारा अधिक भुगतान की इतनी बड़ी राशि की वसूली में भी विलम्ब था। लेखापरीक्षा के कहने पर अधिक भुगतान की वसूली के उपरान्त भी पूर्तिकारों को अधिक भुगतान की गई राशि पर ब्याज के रूप में भारी लाभ प्राप्त हुआ।

जून 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

23.2 मु म प्र दू चेन्नई के अनुमोदन से, अक्तूबर–नवम्बर 1992 में दूरसंचार जिला प्रबन्धक (दू जि प्र) वेलौर ने एक सी–डॉट एक्सचेंज के लिए 54.42 लाख रू. की अनंतिम (अस्थायी) कीमत पर बिक्री कर को छोड़कर पंजाब कम्यूनीकेशन लिमिटेड मोहाली को इस शर्त के साथ कि दू वि द्वारा निर्धारित कीमत, आपूर्ति की तिथि पर मान्य होगी, आपूर्ति आदेश दिए।

मु म प्र दू चेन्नई द्वारा क्रय की अनुमति देना, उसको प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का उल्लंघन था क्योंकि दू वि ने मु म प्र दू को शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की थी।

दू वि ने इस उपस्कर की कीमत जुलाई 1992 से बिक्री कर को छोड़कर 57.65 लाख रू. और जुलाई 1993 से बिक्री कर को छोड़कर 45 लाख रू. निर्धारित की। फिर भी, दू जि प्र ने फर्म को बिक्री कर सहित 45.00 लाख रू. के बजाय 57.65 लाख रू. व इसके साथ बिक्री कर का भुगतान किया, जबकि उपस्कर अगस्त 1993 में आपूर्त किया गया था।

दू जि प्र ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर 15.78 लाख रू. के अधिक भुगतान की वसूली की

अक्तूबर 1995 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, दू जि प्र वेलौर ने जून 1996 में फर्म से बाद के बिलों से 15.78 लाख रू. के अधिक भुगतान की वसूली की।

दू वि को जांच पड़ताल करनी चाहिये तथा प्रत्यायोजित शक्तियों पर सीमा के उल्लंघन के लिए उत्तरदायित्व तय करना चाहिये तथा दू जि प्र वेलौर/म प्र दू चेन्नई के कार्यालय में आन्तरिक नियंत्रण की विफलता के कारण अधिक भुगतान हुआ।

24 पूर्तिकारों को अधिक भुगतान

मु म प्र दू महाराष्ट्र परिमण्डल ने उसे प्राप्त न हुए भण्डारों के लिए 28.94 लाख रू. का अधिक भुगतान किया।

महाराष्ट्र परिमण्डल में महाप्रबन्धक दूरसंचार नान्देड़ ने अगस्त 1995 में सुजाला इण्डस्ट्रीज मुम्बई और के बी स्टील लिमिटेड अहमदाबाद को म नि पू नि की दिसम्बर 1994 की संविदा दर पर 110 मि मी एच डी पी ई पाइप के 60 कि मी की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश दिए। तथापि, जनवरी 1996 में, उसने फर्म को 110 मि मी व्यास की पाइप के स्थान पर 75 मि मी व्यास पाइप की आपूर्ति करने के लिए कहा। उसने जून 1996 तक दो विनिर्देशनों के 51.96 कि मी पाइप प्राप्त किए।

दू जि प्र अहमदनगर के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्न ज्ञात हुआः

- फरवरी 1987 में केबिल डक्ट में एच डी पी ई पाइप का प्रयोग रोक दिया गया। तथापि, मु म प्र दू महाराष्ट्र परिमण्डल मुम्बई ने दू वि के अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए उसे अनुमोदित किया।

- अगस्त 1995 में आदेश देते समय, म प्र दू नान्देड़ ने इस तथ्य की कि दिसम्बर 1994 के म नि आ नि संविदा दर मार्च 1995 तक ही वैद्य थी, की उपेक्षा की तथा जुलाई 1995 में नयी म नि पू नि संविदा दर निर्णीत हुई। इसके परिणामस्वरूप जुलाई 1995 की न्यूनतर दर के संदर्भ में 5.30 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।
- सुजाला इण्डस्ट्रीज मुम्बई ने दिसम्बर 1995 तक 110 मि मी व्यास के पाइप की 21.960 कि मी की आपूर्ति की, जबकि दावा 42 कि मी पाइप का किया। मु म प्र दू ने उनको समग्र मात्रा के लिए भुगतान किया जो कि आपूर्त की गई दावित मात्रा थी। इसी तरह, के बी स्टील लिमिटेड ने वास्तव में आपूर्त किये गए 75 मि मी पाइप के स्थान पर 110 मि मी पाइप के 16.325 कि मी के लिए भुगतान का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप 23.64 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

इस प्रकार सभी मु म प्र दू महाराष्ट्र परिमण्डल ने कुल 28.94 लाख रू. का अधिक भुगतान किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि म प्र दू अहमदनगर ने म नि पू नि को आपूर्त न की गई सामग्री के लिए 28.94 लाख रू. वापिस करने के लिए कहा। यह भी बताया गया कि मामला जाँच पड़ताल के लिए परिमण्डल सतर्कता अधिकारी को भेजा गया था।

25 सीमा-शुल्क का अधिक भुगतान

मं अ दू कलकत्ता व चेन्नई ने दूरसंचार अनुरक्षण उपस्कर के आयात पर 1.03 करोड़ रू. के सीमा-शुल्क का अधिक भुगतान किया।

सी बी ई सी ने दूरसंचार उपस्कर के लिए सीमा-शुल्क का रियायती दर अनुमोदित किया

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा–शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) के दिनांक 28 फरवरी 1993 की अधिसूचना के अनुसार, दूरसंचार के परिचालन व अनुरक्षण के लिए उपस्कर के आयात पर सीमा–शुल्क यथामूल्य के 80 प्रतिशत के रियायती दर पर उदग्राह्य है। ऐसे उपस्करों को अतिरिक्त सीमा–शुल्क से पूरी तरह से छूट प्राप्त हैं।

मं अ दू कलकत्ता और चेन्नई ने उच्च दर पर सीमा-शुल्क का भुगतान किया

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद ही मं अ दू अधिक भुगतान के बारे में जागरूक हुआ था

नवम्बर 1996 और जून 1997 में मंडलीय अभियन्ता दूरसंचार (मं अ दू) कलकत्ता और चेन्नई के लेखाओं की नमूना जाँच से उजागर हुआ कि सितम्बर 1993 और फरवरी 1994 के दौरान अलकोटेल फ्रांस से क्षेत्रीय मरम्मत केन्द्र के लिए 3 करोड़ रू. के बराबर 54.10 लाख फ्रां फै के मूल्य के उपस्कर के आयात पर 85 प्रतिशत शुल्क और 20 यथामूल्य अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप मं अ दू कलकत्ता द्वारा 64.86 लाख रू. तथा मं अ दू चेन्नई द्वारा 38.51 लाख रू. के सीमा–शुल्क का अधिक भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त, मं अ दू ने भी परेषण के मूल्य पर पहुँचने के लिये उच्चतर दर पर सीमा–शुल्क व अतिरिक्त शुल्क की गणना करके 1.13 लाख रू. के अधिक बीमा प्रीमियम का भुगतान किया और मं अ दू कलकत्ता ने ठेके की शर्तों के अनुसार आपूर्ति में विलम्ब के लिए 3.07 लाख रू. का परिनिर्धारित नुकसान नहीं उगाहा।

उच्चतर सीमा-शुल्क के भुगतान में मं अ दू की लापरवाही से 1.03 करोड़ रू. का अधिक भुगतान

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद मं अ दू चेन्नई ने दिसम्बर 1996 में अधिक सीमा–शुल्क व अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिये दावा दर्ज किया था। तथापि, दावा प्रस्तुत करने के लिए छः महीने की सीमा बद्धता को ध्यान में रखते हुए दावे की वसूली की संभावना कम ही थी। मं अ दू ने जून 1997 में बताया कि कई वर्षों के बाद मामले को फिर से शुरू करना कठिन था।

नवम्बर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

26 पी वी सी पाइपों के बिछाने पर अधिक व्यय

म प्र दू सूरत तथा दू जि अ लातूर व नान्देड़ ने उच्चतर विनिर्देशनों के पाइप बिछाए, जिसके परिणामस्वरूप 87.49 लाख रू. का अधिक व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, म प्र दू सूरत ने ठेकेदार को 8.02 लाख रू. का सेवा प्रभारों के रूप में अनावश्यक भुगतान किया।

टी ई सी ने अक्तूबर 1994 में विनिर्देशनों को संशोधित किया

दू वि ने अक्तूबर 1994 में 2.5 मि मी घनत्व की 110 मि मी बाह्य व्यास की भूमिगत केबिल के लिए सीमेंट कंकरीट आवरण में डक्ट (नली) के रूप में प्रयोग होने वाली पोलिविनायल क्लोराइड पाइप (पी वी सी) के लिए विनिर्देशन निर्धारित किए।

दू वि ने दिसम्बर 1994 में टी ई सी के विनिर्देशनों का संशोधन किया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 माचे 1994 को समाप्त वर्ष के लिए 1995 की संख्या 7 (संघ सरकार–डाक व दूरसंचार) के पैराग्राफ 9.10 में कलकत्ता दूरभाष द्वारा उच्चतर विनिर्देशनों की पी वी सी पाइपों के बिछाने पर 80.65 लाख रू. के परिहार्य व्यय का एक मामला शामिल किया गया था। मंत्रालय ने, अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी में, दिसम्बर 1994 में बताया कि टी ई सी के विनिर्देशनों का कड़ाई से पालन करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देशित कर दिया गया था।

म प्र दू सूरत और दू जि अ नान्देड़ व लातूर ने 95.51 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय किया

उसके बाद संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 1993 से नवम्बर 1997 के दौरान म प्र दू सूरत तथा दू जि अ नान्देड़ व लातूर ने उच्चतर विनिर्देशनों की अर्थात् 3.2 मि मी घनत्व के साथ 110 मि मी व्यास की 344 कि मी पी वी सी पाइप बिछाई जिसके परिणामस्वरूप 87.49 लाख रू. अतिरिक्त व्यय हुआ। दिसम्बर 1994 में दू वि द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बाद भी दू जि अ नान्देड़ ने इसमें से 3.82 लाख रू. मूल्य की 20 कि मी पी वी सी पाइप बिछाई। वे टी ई सी के विनिर्देशनों को बदलने के लिए सक्षम नहीं थे।

म प्र दू सूरत ने, नवम्बर 1997 में बताया कि उसने उच्चतर विनिर्देशनों की पाइपें इसलिए प्रयोग की क्योंकि 2.5 मि मी घनत्व की पाइपें उपलब्ध नहीं थी। मु म प्र दू महाराष्ट्र ने मई 1996 में बताया कि उचित विनिर्देशनों की पाइपों के लिए दर संविदा न होने के कारण, दू जि अ नान्देड़ और लातूर ने 3.2 मि मी घनत्व की पाइपों को बिछाया। उचित विनिर्देशन की पाइपों के उपलब्ध न होने के कारण उच्चतर विनिर्देशन की पाइपों को प्रयोग में लाने का तर्क स्वीकार्य नहीं है। आयोजना, मांग प्रस्तुत करने और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए म प्र दू/दू जि अ उत्तरदायी हैं।

इसके बाद, म प्र दू सूरत ने पी वी सी पाइपों की अधिप्राप्ति व आपूर्ति के लिए विभागीय तौर पर आपूर्ति न करके, ठेकेदार हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड को प्राधिकृत किया। करार के अनुसार यदि पाइपों की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जाए तो वह पी वी सी पाइपों की लागत पर 12.5 प्रतिशत और यदि आपूर्ति विभाग द्वारा की जाए तो वह 8.5 प्रतिशत सेवा प्रभारों के लिए हकदार था। इस प्रकार, पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए ठेकेदार को म प्र दू सूरत द्वारा अविवेकपूर्ण रूप से प्राधिकृत करने से 257 कि मी पाइपों के लिए 8.02 लाख रू. के सेवा प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

मई 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

27 निष्फल व्यय

उपमण्डलीय अभियंता केबिल आयोजना, तमिलनाडु, धारवाड़ और राउरकेला द्वारा डक्ट में बिना कवच वाले केबिल के स्थान पर कवच वाले केबिल बिछाये जाने पर दू वि के अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप 23.11 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

दूरसंचार विभाग ने समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों में कवचयुक्त केबिल के बजाय बिना कवच के केबिल का डक्टों में प्रयोग, जो कि लागत प्रभावी है निर्धारित किया है। डक्ट केबिलों को पर्याप्त संरक्षण देते हैं और इसीलिए, उन्हें अतिरिक्त स्टील कवच के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

तथापि, दू वि के अनुदेशों के उल्लंघन में उपमण्डल अभियन्ता (उ मं अ) केबिल आयोजना, कोयम्बतूर, धारवाड़ और राउरकेला ने डक्ट में कवच वाले केबिल बिछाये, परिणामस्वरूप निम्नानुसार 23.11 लाख रू. का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ:

केबिल के बिछवाने के लिए जिम्मेवार अधिकारी का नाम	कवच युक्त केबिल की लम्बाई (कि.मी. में)	अवधि जिसके दौरान केबिल बिछाई गई थी	कवच रहित केबिल की अपेक्षा कवच युक्त केबिल बिछाने के कारण अधिक व्यय (लाख रू. में)
उ मं अ केबिल आयोजना कोयम्बतूर तमिलनाडु	12.96	1994-96	15.09
उ मं अ केबिल आयोजना धारवाड़, कर्नाटक	3.18	1994-97	5.93
उ मं अ केबिल आयोजना राउरकेला, उड़ीसा	9.83	मार्च 1996 से जनवरी 1997	2.09
कुल	25.97		23.11

सभी तीनों उ मं अ ने बताया कि बिना कवच वाले केबिल की अनुपलब्धता के कारण उन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डक्ट में उपलब्ध कवचयुक्त केबिल बिछाये। उचित विनिर्देशन की सामग्री की अनुपलब्धता के कारण उच्चतर विनिर्देशन की सामग्री–प्रयोग करने का तर्क स्वीकार्य नहीं है। बिना कवच वाले केबिलों की आवश्यकता का दर्शाना संबंधित मण्डलों की संबंधित आयोजना शाखाओं से अपेक्षित थीं और समय पर मांग के लिये संबंधित उ मं अ उत्तरदायी थे।

मई और अक्तूबर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

28 कॉपर वायर वसूल करने में विफलता के कारण हानि

दू जि अ धर्मशाला ने समय पर 12.32 लाख रू. के मूल्य के कॉपर वायर की वसूली नहीं की जिससे चोरी के कारण पूरी हानि हुई।

माइक्रोवेव प्रणाली पर ट्रंक चैनल शिफ्ट होने के परिणामतः अगस्त 1990 में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला और घट्टा के बीच वर्तमान कॉपर वायर ट्रंक परिपथ अनावश्यक हो गया। दू जि अ धर्मशाला को इस खण्ड में अप्रयुक्त कॉपर वायर की बड़ी संख्या में चोरी की जानकारी थी। अनावश्यक कॉपर वायर को परिपथ से वसूल करने के बजाय दू जि अ धर्मशाला ने मई 1992 में अर्थात् ट्रंक परिपथ को माइक्रोवेव में शिफ्ट करने के दो साल बाद दू जि अ धर्मशाला ने 12.80 लाख रू. के सकल व्यय पर वायर परिपथ के स्थान पर कॉपर कोटेड गैलवेनाइज्ड आइरन (जी आई) वायर लगाने के लिए एक अनुमान संस्वीकृत किया था। कॉपर वायर का वसूल किये जाने वाला प्रत्याशित मूल्य 12.32 लाख रू. था।

1994 में जब उसने खण्ड की ओर से कार्य प्रारम्भ किया तो उस खण्ड का सारा कॉपर वायर चोरी हुआ पाया गया। अन्ततः, सारे धर्मशाला–घट्टा खण्ड से कॉपर वायर वसूल नहीं किया जा सका था क्योंकि यह सारा ही चुरा लिया गया था। बड़े पैमाने

पर चोरी होने के बाद कॉपर वायर शीघ्रता से वसूल करने की अपेक्षा, दू जि अ ने कॉपर कोटेड जी आई वायर वाला दूसरा अनावश्यक प्रतिस्थापन संस्वीकृत किया। इससे और देरी हो गई। इस खण्ड के लिए उसने कॉपर वायर को कॉपर कोटेड गैलवेनाइज्ड आयरन वायर से बदलने पर 48 हजार रू. का परिहार्य व्यय किया।

इस प्रकार, चोरी के रिपोर्ट के बावजूद भी ट्रंक परिपथ से माइक्रोवेव प्रणाली में बदलने के बाद दू जि अ कॉपर वायर शीघ्रता से वसूल करने में विफल रहा, परिणामस्वरूप 12.32 लाख रू. की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, कॉपर कोटेड जी आई वायर से बदलने के अनावश्यक कार्य के निष्पादन के परिणामस्वरूप 48 हजार रू. का व्यर्थ व्यय हुआ।

अगस्त 1997 में मंत्रालय ने बताया कि कॉपर वायर की गैर वसूली के लिये दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय किया जा रहा था।

29 फालतू आकस्मिक मजदूरों की अवैध छंटाई।

दू जि प्र सुरेन्द्रनगर ने फालतू आकस्मिक मजदूरों की सेवायें समाप्त करने की क्रियाविधि का अनुपालन नहीं किया जिससे के प्र न्या का निर्णय उनके पक्ष में हुआ। विभाग फालतू स्टाफ को वहन करने के लिये विवश है।

दू वि ने अक्तूबर 1984, मार्च 1985 और सितम्बर 1989 में परिमण्डलों के सभी अध्यक्षों को एक माह के सीमाबद्ध नोटिस के जारी होने के बाद तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अर्न्तगत निर्धारित कानूनी क्रियाविधि का अनुपालन करने के बाद ही फालतू आकस्मिक मजदूरों की सेवायें समाप्त करने के लिये अनुदेश जारी किये थे।

दू जि प्र सुरेन्द्रनगर ने 61 आकस्मिक मजदूरों की सेवायें समाप्त करने की क्रियाविधि का अनुसरण नहीं किया।

अक्तूबर 1996 में लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दू वि के अनुदशों का अनुपालन किये बिना दू जि प्र सुरेन्द्रनगर ने अगस्त 1987 व अक्तूबर 1988 के बीच मौखिक आदेश पर 61 आकस्मिक मजदूरों की सेवाएं समाप्त की। प्रभावित आकस्मिक मजदूरों ने 1988 और 1996 के बीच केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में उर्पयुक्त सेवा समाप्ति के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया। के प्र न्या ने दिसम्बर 1992 और जुलाई 1996 के बीच 25 सेवा–समाप्त हुए आकस्मिक मजदूरों के पक्ष में दिये गये निर्णय में आकस्मिक मजदूरों के रोजगार की उपरोक्त समाप्ति को औद्योगिक विवाद अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण शुरू से ही अवैध ठहराया। के प्र न्या ने कहा कि प्रतिवादियों ने आकस्मिक मजदूरों के रोजगार की समाप्ति के लिये निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। उन्होंने म प्र दू को 15 आकस्मिक मजदूरों को पिछले वेतन के भुगतान पर तथा 10 आकस्मिक मजदूरों को पिछले वेतन के भुगतान के बिना पुनः बहाल करने के लिये निर्देश दिये। उच्चतम न्यायालय में दू वि द्वारा के प्र न्या के

निर्णय के प्रति बाद में दायर की गई स्पेशल लीव याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिसम्बर 1995 व जनवरी 1996 में अस्वीकृत कर दिया गया। के प्र न्या के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, दू जि प्र ने फरवरी 1993 के और जुलाई 1996 के बीच 25 आकस्मिक मजदूरों को पुनः बहाल किया। अक्तूबर 1997 तक के प्र न्या के पास 36 अन्य मामले अभी निर्णीत होने थे।

फालतू स्टाफ की देयता वहन करने के अतिरिक्त विभाग को 7 से 10 वर्षों का पिछले वेतन का भुगतान करना पड़ा।

इस प्रकार, आकस्मिक मजदूरों की सेवा–समाप्ति के लिये निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण करने में दू जि प्र की विफलता के कारण, विभाग न केवल फालतू आकस्मिक मजदूरों की सेवाएं समाप्त कर सका बल्कि 15 आकस्मिक मजदूरों को सात से दस वर्ष के लिये 8.85 लाख रू. के पिछले वेतन का भी भुगतान करना पड़ा था। फालतू स्टाफ की देयता को जारी रखने की संभावना तब तक है जब तक फालतू रिक्त स्थानों के प्रति समायोजित हो सकें।

मंत्रालय ने, नवम्बर 1997 में बताया, कि इन मामलों में उत्तरदायित्व तय कर दिया गया था। उसने आगे और बताया कि एक मामले में, दोषी अधिकारी के प्रति आरोप–पत्र तैयार किया गया और शेष मामलों में भी जांच/आरोप शुरू कर दी गई थी।

30 क्रय में अनुचित जल्दबाजी के कारण उपस्कर/भण्डार का निष्क्रिय होना

नमूना जाँच से उजागर हुआ कि 12 परिमण्डलों में 43.26 करोड़ रू. मूल्य के दूरसंचार उपस्कर/भण्डार एक से दस वर्षों तक अप्रयुक्त पड़े रहे।

12 दूरसंचार परिमण्डलों में नमूना जाँच से पता चला कि 43.26 करोड़ रू. मूल्य के दूरसंचार उपस्कर/भण्डारों की विभिन्न किस्में जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर मशीन, क्रॉस बार एक्सचेंज उपस्कर और इसके फालतुओं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन उपस्कर, समाक्ष केबिल इत्यादि जैसा कि परिशिष्ट VIII में दर्शाया गया है, एक से दस वर्षों तक अप्रयुक्त पड़े रहे। मार्च 1985 और फरवरी 1995 के बीच दू वि/मु म प्र दू द्वारा ये उपस्कर अधिप्राप्त किये गये थे और मांग/आवश्यकता के अभाव में दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिर्वतनों के कारण प्रयोग में नहीं लाये गये। इन उपस्कर/भण्डारों की उपयोगिता के अवसर बहुत कम है।

चूँकि उपरोक्त अनुपयुक्त उपस्कर/भण्डार नमूना जाँच के आधार पर दर्शाये गये हैं, वास्तविक अप्रयुक्त भण्डारों की मात्रा और भी अधिक होने की सम्भावना है।

बदलते प्रौद्योगिकी वातावरण में हानि को कम करने के लिए दू वि को इसकी अधिप्राप्ति के लिये समन्वय करने की आवश्यकता है।

सितम्बर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

31 परिवहन पर 4.53 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय

निजी पूर्तिकारों द्वारा दूरसंचार भण्डारों के परिवहन के लिए रियायती रेलवे टैरिफ का लाभ उठाने की प्रक्रिया स्थापित करने में दू वि की विफलता के कारण 4.53 करोड़ रू. का परिहार्य व्यय।

दू वि और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा दिए गए क्रय आदेशों के मानक निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार, विभाग ने पूर्तिकारों को यह विकल्प दिया कि विभिन्न परेषितियों को भण्डार माल गाड़ी या सड़क द्वारा भेजा जाये, किन्तु उनका किराए के लिए दावा तदनुरूपी मार्ग या रियायती रेलवे भाड़ा, जो भी कम हो, से सीमित किया जाना था। रेल मंत्रालय ने दूरभाष लाइनों के निर्माण एव अभिरक्षण के लिए तार एवं दूरभाष सामग्री पर लागू रियायती टैरिफ, जो कि अभी तक केवल दूरसंचार अधिकारियों को ही अनुमत था, 1 अक्तूबर 1994 से निजी पूर्तिकारों को भी अनुमत कर दिया।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए 1997 की संख्या–6 संघ सरकार (डाक व दूरसंचार) के पैराग्राफ 9.22 में रियायती टैरिफ का लाभ उठाने के लिए उचित प्रणाली स्थापित करने में दू वि की विफलता के कारण दू वि द्वारा दूरसंचार भण्डारों के पूर्तिकारों को परिवहन प्रभारों की वापसी पर 1.04 करोड़ रू. के परिहार्य अतिरिक्त व्यय का उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, दू वि ने जुलाई 1996 में अपनी क्षेत्रीय इकाइयों को रियायती टैरिफ का लाभ उठाने के ब्योरेवार सहित अनुदेश जारी किये।

दू वि के निर्देशों के बाद भी 85.45 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ

फिर जनवरी से मई 1997 के दौरान जांच से पता चला कि अन्य मामलों में जिनमें मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता, सहायक अभियन्ता–बंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर और लखनऊ और तिरूवन्तपुरम ने दूरसंचार भण्डारों के पूर्तिकारों को उनकी रियायती टैरिफ का लाभ उठाने में विफलता के कारण परिवहन प्रभारों के रूप में 4.53 करोड़ रू. चुकाये। दू वि द्वारा जुलाई 1996 में रियायती टैरिफ का लाभ उठाने के लिए जारी किए गए निर्देशों के बाद भी मु म प्र दू भण्डार कलकत्ता तथा सहायक अभियन्ता बंगलोर ने, इस परिहार्य व्यय में से, 85.45 लाख रू. के परिवहन प्रभारों के रूप में अदा किए।

मामला जुलाई 1997 में मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

32 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को अनुचित लाभ

सा क्षे उ विभाग के भा दू उ को आपूर्ति के पूरा होने तथा पहले ही वसूल किये गये परिनिर्धारित नुकसान की वापसी के बाद कीमत-संशोधन के माध्यम से 2.96 करोड़ रू. का लाभ दिया गया।

दू वि ने मई 1992 में दूरवर्ती स्टेशनों पर स्थित डिजीटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज के माध्यम से राष्ट्रीय नेटवर्क को वायस व डॉटा सम्बद्धता उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश व उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 28 मल्टी चैनल पर कैरियर वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल (म चै प्र कै–वै स्‍ अ ट) की अधिप्राप्ति के लिये निविदा आमंत्रित की। सितम्बर 1992 में निविदायें खोली गई थीं। निविदा मूल्यांकन समिति (नि मू स) ने प्राप्त हुए 14 प्रस्तावों में से तीन फर्में छाँटी थी। तीन छाँटी गई फर्मों द्वारा उद्धृत दरें निम्नलिखित थीं:–

फर्म का नाम	*28 इकाइयों के लिए उद्धृत दरें (करोड़ रू. में)*
पंजाब कम्यूनिकेशन लिमिटेड (पी सी एल)	12.72
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी इ एल)	13.86
भारतीय दूरभाष उद्योग (आई टी आई)	15.42

निविदा–शर्तों में व्यवस्था की थी कि बोली लगाने वाले अपना उपस्कर प्रमाणित करवायेंगे और क्रेता उन बोली लगाने वालों की वाणिज्यिक आपूर्तियों के लिये आदेश देने पर विचार करेंगे, जिनकी प्रणालियाँ प्रमाणीकरण जाँच में सफल पाईं गईं। पी सी एल ने सं रा (संयुक्त राज्य) में सहयोगी परिसर में प्रमाणीकरण के लिये अपने उपस्कर दिये थे जिसको दू वि ने अपनी सहमति नहीं दी थी। भा इ लि उपस्कर ने निविदा विनिर्देशन को पूरा नहीं किया और इसलिए कोई विचार नहीं किया गया था। दू वि ने अप्रैल–अक्तूबर 1993 में भा दू उ उपस्कर का प्रमाणीकरण चालू किया। तथापि, छः माह से अधिक देरी के बाद, अप्रैल 1994 में दू वि में नि मू स का प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया था। प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र के जारी होने में देरी के लिये तर्क रिकार्ड (अभिलेखा) में नहीं थे।

इस बीच, 1993-94 के दौरान सीमा–शुल्क सितम्बर 1992 में लागू यथामूल्य 85 प्रतिशत से केवल 60 प्रतिशत कम कर दिया गया। कम किये गये सीमा–शुल्क का लाभ लेकर, दू वि ने जनवरी 1994 में एक आशय–पत्र के माध्यम से भा दू उ को 10.71 करोड़ रू. के लिये दोहरा प्रस्ताव दिया। पी सी एल द्वारा दी गई निम्न दरों के आधार पर दू वि ने दोहरे प्रस्ताव के लिये कीमत तय की थी जो कि सीमा–शुल्क में गिरावट

होने से कम हो गई थीं। भा दू उ ने दोहरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और दू वि ने फरवरी 1994 में उत्पाद–शुल्क, बिक्री कर, भाड़ा व बीमा और अन्य सरकारी उगाहों सहित 10.71 करोड़ रू. की दर पर उन्हें अंतिम क्रय आदेश दिये। आपूर्ति जून 1994 में शुरू हो गई और मार्च 1994 की सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि के प्रति अगस्त 1994 में पूरी कर दी गई थी।

आपूर्ति के पूरा होने के बाद सा क्षे उ द्वारा पहले से स्वीकृत दरें संशोधित करने के निर्णय के परिणामस्वरूप सा क्षे उ को अनुचित लाभ

भा दू उ ने मार्च–अप्रैल 1995 में अर्थात् आपूर्ति के पूरा होने के सात माह के बाद कीमत का आगे और संशोधन के लिए इस आधार पर एक अनुरोध किया कि उनका उपस्कर केवल प्रमाणिक उपस्कर था और उनको दी गई कीमत पी सी एल के निम्न प्रस्ताव पर आधारित थीं, जिसे प्रमाणीकरण के लिये उपस्कर भी नहीं दिये थे। दू वि का आन्तरिक वित्त विंग उनके अनुरोध से इस आधार पर सहमत नहीं हुआ कि भा दू उ ने क्रय आदेश में दी गई कीमत बिना शर्त ही स्वीकार कर ली थी और अप्रैल 1994 के बाद की निविदा में कीमत में और कमी हो गई थी जोकि भा दू उ को दिये गये मूल्य के 50 प्रतिशत से भी कम थी। तथापि, डी डी जी (उत्पादन) की सिफारिश पर दू वि ने मामला फिर से शुरू कर दिया और विशेष मामले के रूप में संशोधन का विचार करने के लिये एक कीमत बातचीत समिति का गठन किया। दूरसंचार आयोग के हस्तक्षेप पर कीमत बातचीत समिति ने भा दू उ को भुगतान के लिये उत्पाद–शुल्क बिक्री कर, बीमा, भाड़ा व अन्य सरकारी उगाहों को सम्मिलित न करके 13.16 करोड़ रू. की संशोधित कीमत की सिफारिश की थी। जनवरी 1996 में दू वि ने भा दू उ को 2.45 करोड़ रू. की शेष राशि जारी कर दी।

फर्म के द्वारा दोहरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेने एवं आपूर्ति को पूरा करने के पश्चात दू वि का कीमत बढ़ाने का निर्णय दूरदर्शी नहीं था और निविदा प्रक्रिया की समान्य शर्तों का उल्लघंन था। बाद वाली तिथि में दू वि द्वारा कीमत के संशोधन से भा दू उ को 2.45 करोड़ रू. अनुचित लाभ देने का हिसाब बनता था

परिनिर्धारित नुकसान प्रभारों के रूप में उनसे वसूल किये गये 51.21 लाख रू. की वापसी से ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ

(ii) उपस्कर के सुपुर्दगी की निर्धारित तिथि मार्च 1994 थी। जून–जुलाई 1994 के दौरान आपूर्ति को पूरा कर लिया गया था। इसीलिए, दू वि ने देर से की गई आपूर्तियों के लिये फर्म से 51.21 लाख रू. का परिनिर्धारित नुकसान वसूल किया। बाद में, आपूर्तियों के पूरा होने के दो वर्ष बाद, पहले से वसूल किये गये परिनिर्धारित नुकसान का परित्याग करने वाले के लिये भा दू उ एक अनुरोध के साथ इस तर्क पर पहुँची कि गुणता आश्वासन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में देरी थी और दो माह की निर्धारित मूल सुपुर्दगी पर्याप्त नहीं थी। जून 1996 में दू वि ने फर्म का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि भा दू उ द्वारा क्र आ में दी गई दो माह की निर्धारित सुपुर्दगी स्वीकृत कर दी गई और उन्होंने इस आधार पर और समय नहीं मांगा कि दो माह की अवधि पर्याप्त नहीं थी। इसके अतिरिक्त, नि मू स द्वारा

प्रमाणिक प्रमाण–पत्र से भी पहले दू वि ने आपूर्ति की भारी मात्रा पहले से ही स्वीकृत कर दी थी। इस प्रकार, परिनिर्धारित नुकसान के छूट के अस्वीकार्य अनुदान के परिणामस्वरूप भा दू उ को 51.21 लाख रू. का अनुचित लाभ हुआ।

इस प्रकार, कुल मिलाकर भा दू उ को अनुचित विचार से 2.96 करोड़ रू. का लाभ हुआ था।

अक्तूबर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

33 वर्दी के स्थान पर नकद भुगतान

मु म प्र दू बिहार परिमण्डल ने बारह वर्षों के लिए वर्दी के स्थान पर 73.12 लाख रू. का अनुचित रूप से एक मुश्त नकद भुगतान किया। मु म प्र दू बिहार की इकाइयों ने उस सारी अवधि के दौरान जबकि कर्मचारियों को कभी भी वर्दी नहीं दी गई थी, 50.83 लाख रू. के धुलाई भत्ते का निरन्तर भुगतान किया।

दू वि के वर्ग III और IV के कर्मचारी निर्धारित स्केल पर वर्दी के हकदार होते हैं, मौसम जिसके लिए वह देनी होती है, के खत्म होने से पहले वर्दियाँ आपूर्त की जानी होती है। इस व्यवस्था में यह निहित है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्दी देनी होती है वे उस वर्दी को उस मौसम के दौरान प्रयोग कर सकें जिसके लिए यह दी जाती है। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया था कि मौसम के खत्म होने के बाद वर्दी की आपूर्ति के लिये नियमों की ढिलाई अनुमत नहीं है।

मु म प्र दू पटना ने 12 वर्षों के लिये आपूर्त की गई वर्दियों के स्थान पर नकद प्राधिकृत किया है।

1997 के दौरान सैकेण्ड्री स्वीचिंग क्षेत्र और बिहार दूरसंचार परिमण्डल में मु म प्र दू पटना में लेखा की नमूना जांच से उजागर हुआ कि दू जि प्र/म प्र दू ने 1980-91 के दौरान 12 वर्षों के लिये हकदार कर्मचारियों को वर्दियाँ नहीं दी। मु म प्र दू पटना ने 1980-91 के दौरान जो वर्दियाँ आपूर्त नहीं की गई थी, के स्थान पर नवम्बर 1993–मार्च 1995 के दौरान कर्मचारियों को कुल 73.12 लाख रू. का एक मुश्त नकद भुगतान संस्वीकृत किया। मौसम खत्म होने के बाद जिसके लिये नकद भुगतान किया गया था, की समाप्ति के बाद 15 वर्ष तक वर्दियों के स्थान पर नकद संस्वीकृत करने में मु म प्र दू की कार्रवाई वर्दियों की आपूर्ति में सरकार के आदेशों का उल्लंघन थी इसके अतिरिक्त प्राधिकरण व्यय में मालिकाना की जांच को पूरा करने में भी विफल रही।

जबकि वर्दियाँ प्रदान नहीं की गई थी, सारी अवधि के लिए 50.83 लाख रू. का धुलाई भत्ते का भुगतान किया गया था।

बिहार दूरसंचार परिमण्डल में इकाइयों के प्रमुखों ने 1984-91 के दौरान उन कर्मचारियों को धुलाई भत्ते का भुगतान जारी रखा जिन्हें कभी वर्दियाँ नहीं दी गई थीं। क्योंकि धुलाई भत्ता वर्दी की धुलाई के लिये स्वीकार्य है, कुल 50.83 लाख रू. के धुलाई भत्ते का भुगतान संदिग्ध है।

मु म प्र दू ने 150 रू. प्रति पीस की दर पर जर्सी के स्थान पर नकद भुगतान प्राधिकृत किया जबकि 1991-92 के लिये म नि आ नि दर केवल 53.50 रू. प्रति पीस थी। 1980-91 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिये म नि आ नि दरें व कीमत की उच्चतम सीमा को और कम होना चाहिये था। इस प्रकार, मु म प्र दू ने ऐसे सरकारी आदेश जिन्हें माना गया था कि मौसम के खत्म होने के बाद वर्दी या नकद नहीं दिये जा सकते हैं, का न केवल उल्लंघन किया बल्कि मनमाना विचार विमर्श पर राशि प्राधिकृत की जिससे केवल एक मद पर 8.21 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ।

मामला अगस्त 1997 में मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

34 परिहार्य शास्तिक प्रभार

महाराष्ट्र में चार इकाइयों तथा उत्तर प्रदेश में तीन इकाइयों में विद्युत घटक को बनाये रखने में विफलता के कारण 41.26 लाख रू. के शास्तिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

विद्युत घटक को न बनाये रखने के कारण शास्तिक प्रभारों के परिहार्य भुगतान के मामलों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने की प्रतिक्रिया, में दू वि ने जुलाई 1993 में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को विद्युत घटक बनाये रखने के लिए उचित शंट केपैसिटर प्रतिष्ठापित करने के लिए निर्देश दिए।

1996 के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमण्डलों में नमूना जाँच से पता चला कि 1991-96 के दौरान सात और मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों ने 41.26 लाख रू. के शास्तिक प्रभारों का निम्न प्रकार से भुगतान किया:

परिमण्डल	कार्यालय	अवधि	लाख रू. में
महाराष्ट्र	दू जि प्र अमरावती	जुलाई 1993 से सितम्बर 1996	1.90
	दू जि प्र बान्द्रा	दिसम्बर 1993 से मई 1996	3.00
	म प्र दू कल्याण	नवम्बर 1993 से जुलाई 1996	8.17
	म प्र दू पुणे	मार्च 1993 से फरवरी 1996	6.71
उत्तर प्रदेश	दू जि प्र अलीगढ़	जुलाई 1991 से मार्च 1996	4.39
	दू जि प्र झांसी	जून 1991 से मार्च 1996	5.57
	म प्र दू वाराणसी	अगस्त 1994 से मार्च 1996	11.52

उपर्युक्त में से, जबकि अमरावती, बान्द्रा, पुणे और झाँसी में केपैसिटर प्रतिष्ठापित कर दिये गये थे, फिर भी वे अपनी अपर्याप्त क्षमता के कारण विद्युत घटक को बनाये रखने में विफल रहे। विचार–विमर्श के दौरान दू वि की विद्युत विंग के निदेशक ने

बताया कि 23 सितम्बर 1997 से सभी दूरभाष केन्द्र भवनों में केपैसिटर प्रतिष्ठापित करना अनिवार्य कर दिया गया था।

जून 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था, दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

35 गुणता प्रमाणपत्र देने में लापरवाही

वरिष्ठ उपमंडलीय अभियंता गुणता आश्वासन जबलपुर द्वारा गुणता प्रमाणपत्र देने में लापरवाही के परिणामस्वरूप 39.05 लाख रू. के मूल्य के घटिया ड्रॉप वायर का क्रय।

व उ म अ गु आ द्वारा निकासी के बाद प दू भ डि मोहाली ने 1315 कि मी ड्रॉप वायर प्राप्त किये

मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार भंडार (मु म प्र दू भं) कलकत्ता द्वारा दिये गये एक आपूर्ति आदेश के आधार पर, परिमण्डल दूरसंचार भंडार डिपो (प दू भं डि) मोहाली ने अगस्त–सितम्बर 1995 के दौरान स्वास्तिक इंजीनियरिंग कम्पनी जबलपुर से 1315 कि मी पी वी सी कोटेड युग्म ड्रॉप वायर प्राप्त किये। वरिष्ठ उप–मण्डलीय अभियंता दूरसंचार गुणता आश्वासन परिमण्डल जबलपुर ने परेषण का निरीक्षण किया और अगस्त 1995 में उनकी निकासी की।

घ अ घ जां द्वारा सयुंक्त निरीक्षण व जांच से ड्रॉप वायर की घटिया गुणता उजागर हुई

म प्र दू अमृतसर ने ड्रॉप वायर की घटिया कोटि के बारे में शिकायत की। इससे नवम्बर 1995 में दू वि के अधिकारियों व आपूर्तिकार के एक प्रतिनिधि द्वारा परिमण्डल भण्डार डिपो में पड़ी लगभग 1000 कि मी ड्रॉपवायर का संयुक्त निरीक्षण आवश्यक हो गया था। संयुक्त निरीक्षण से ड्रॉपवायर का क्षतिग्रस्त विद्युतरोधन उजागर हुआ। कुछ मामलों में, नंगे संचालक भी विभिन्न लम्बाई पर दिख रहे थे। शेष 315 कि मी ड्रॉपवायर भी घटिया कोटि वाली बताई गई थी। संयुक्त निरीक्षण दल ने नवम्बर 1995 में दस नमूने लिये और उनमें से सात घटक अनुमोदन व घटक जाँच (घ अ घ जाँ) बंगलोर को भेज दिये। घ अ घ जाँ द्वारा जाँच से यह भी उजागर हुआ ड्रॉपवायर ने विस्तार, न्यूनतम ब्रेकिंग लोड़ विद्युतरोधन बाधा इत्यादि से संबंधित विर्निदेशनों को पूरा नहीं किया।

फर्म ने दो वर्ष के लिये दोषपूर्ण ड्रॉप वायर नहीं बदले

मु म प्र दू भं कलकत्ता ने नवम्बर 1995 में आपूर्तिकार से एक महीने के भीतर दोषपूर्ण सामग्री बदलने के लिए कहा। तब से लगभग दो वर्ष बीत गये हैं और आपूर्तिकार को अभी दोषपूर्ण सामग्री नवम्बर 1997 तक बदलनी थी।

इस प्रकार वरिष्ठ उ मं अ गु आ जबलपुर द्वारा गुणता प्रमाणपत्र के देने में लापरवाही के परिणामस्वरूप दोषपूर्ण ड्रॉप वायर के क्रय पर 39.05 लाख रू. व्यर्थ हुए।

वरिष्ठ उ मं अ गु आ जबलपुर की लापरवाही से 39.05 लाख रू. के घटिया ड्रॉप वायर का क्रय हुआ

विचार विमर्श के दौरान, दू वि के प्रतिनिधि ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि विभाग झूठी गुणता प्रमाणपत्र के लिये उत्तरदायित्व तय करने के प्रश्न की जाँच करेगा।

मई 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

36 निष्क्रिय वातानुकूलित सयंत्र

सितम्बर 1991 में अधिप्राप्त किए गए वातानुकूलित सयंत्र का उपयोग करने में म प्र दू पंजाब की विफलता के कारण 33.38 लाख रू. का निष्क्रिय निवेश हुआ।

म प्र दू पंजाब परिमण्डल अम्बाला ने दिसम्बर 1988 में 43.07 लाख रू. की लागत पर मलेरकोटला क्रास बार दूरभाष केन्द्र में केन्द्रीय वातानुकूलित सयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए एक परियोजना संस्वीकृत की। म प्र दू ने अप्रैल 1990 में आपसी बातचीत से तय की गई 42.08 लाख रू. की लागत पर वातानुकूलित उपस्कर की आपूर्ति एवं इसके प्रतिष्ठापन के कार्य को वी के एन्टरप्राइज़िज दिल्ली को सौंपा। कार्य अप्रैल 1991 से पहले पूरा होना था।

म प्र दू पंजाब ने 33.38 लाख रू. पर केन्द्रीय वा कू उपस्कर को सितम्बर 1991 में प्राप्त किया

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि फर्म ने 33.38 लाख रू. मूल्य पर केन्द्रीय वातानुकूलित संयत्र की आपूर्ति सितम्बर 1991 में की। तथापि, फर्म केन्द्रीय वातानुकूलन संयत्र का प्रतिष्ठापन नहीं कर सकी क्योंकि जुलाई 1991 की नियत तिथि तक सिविल निर्माण पूरा नहीं हुआ था। दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण मार्च 1995 तक ही पूरा हुआ था। दू वि ने ठेकेदार द्वारा कार्य को छोड़ देना और राज्य में अशान्त स्थिति को देरी के कारण बताए। इस बीच, उपस्कर पर वारन्टी (प्रतिज्ञा) भी खत्म हो गई थी।

केन्द्रीय वा कू सयंत्र का उपयोग न करने की अपेक्षा म प्र दू ने पैकेज वा कू का क्रय किया और प्रतिष्ठापित किया

दू वि ने शुरू में आयोजित क्रास बार एक्सचेंज के स्थान पर सी–डॉट एक्सचेंज को चालू किया और दूरभाष एक्सचेंज भवन में एक पृथक पैकेज टाइप वातानुकूलन प्रतिष्ठापित किया। दू वि ने, अक्तूबर 1997 में बताया कि उन्होंने पैकेज वातानुकूलन का विकल्प दिया है, क्योंकि केन्द्रीय वातानुकूलन संयत्र के मामले में एक वर्ष में प्रतिष्ठापित करने की तुलना में ये इकाइयाँ 2-3 महीने ही लेंगी। दू वि ने आगे बताया कि पैकेज टाइप वातानुकूलन को प्रतिष्ठापित करने से वे सी–डॉट केन्द्र को शीघ्र चालू कर सकेंगे, जिससे वे पर्याप्त राजस्व प्राप्त कर सकेंगे। दू वि ने फिर बताया कि उन्होंने मलेरकोटला एक्सचेंज में केन्द्रीय वातनुकूलन सयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए कार्रवाई की थी और वर्तमान पैकेज टाइप वातानुकूलन को फालतू के रूप में प्रयोग करेंगे।

दू वि का मत स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि भवन मार्च 1995 में पूरा हुआ था और मलेरकोटला को सी–डॉट एक्सचेंज 1994-95 के दौरान ही आंबटित किया गया था। क्योंकि सी–डॉट को 1995-96 के दौरान चालू करना था, केन्द्रीय वातानुकूलन सयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए म प्र दू के पास काफी समय था, जोकि सितम्बर 1991 से बेकार पड़ा रहा।

37 निष्क्रिय व्यय

प्रयोक्ताओं की सहमति के बिना दू जि प्र आगरा द्वारा वायु सेना स्टेशन आगरा के लिए केबिल बिछाने के परिणामस्वरूप 13.28 लाख रू. का सन्दिग्ध व्यय।

मार्च 1997 में दूरभाष जिला प्रबन्धक (दू जि प्र) के दस्तावेजों की नमूना–जांच से पता चला कि उन्होंने 13.28 लाख रू. के व्यय से बिछाई हुई 5.75 कि मी केबिल का पिछले सात वर्षों से अक्तूबर 1997 तक उपयोग नहीं किया।

दू जि प्र आगरा ने 13.28 लाख रू. की केबिल प्रयोक्ताओं की सहमति के बिना बिछाई

जाँच से यह प्रकट हुआ कि वायु सेना स्टेशन आगरा पर ई पी ए बी एक्स की क्षमता में 370 से 512 लाइनों की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जुलाई 1989 में दू जि प्र ने भूमिगत केबिल को उन्नत करने के लिए 39.37 लाख रू. का एक प्राक्कलन संस्वीकृत किया। उसने प्रयोक्ताओं से किराया एवं गारन्टी की शर्तों को उद्धृत किये बिना वायु सेना से कोई निश्चित मांग प्राप्त किये बिना ही परियोजना संस्वीकृत की। उसने वायुसेना यूनिट आगरा से वास्तविक केबिल बिछाने से पहले ही किराये एवं गारन्टी की शर्तों को स्वीकृति नहीं कराया।

क्योंकि प्रयोक्ताओं ने भुगतान की शर्तों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, 13.28 लाख रू. का व्यय व्यर्थ हुआ था

जनवरी 1990 में दू जि प्र ने केबिल बिछाने का कार्य रोक दिया क्योंकि वायु सेना ने किराये एवं गारन्टी के अतिरिक्त देयता को स्वीकार नहीं किया। उस समय तक 5.75 कि मी केबिल बिछाने पर 13.28 लाख रू. पहले ही खर्च हो चुके थे।

दू जि प्र आगरा ने अक्तूबर 1997 में यह बतलाया कि 1989-90 में बिछाई गई केबिल का इस्तेमाल बाह्य नेटवर्क की 2000 लाइन की एक्सचेंज, जिसकी मार्च 1998 के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है, में करने का प्रस्ताव किया है।

इस प्रकार, प्रयोक्ताओं की सहमति के बिना दू जि प्र आगरा द्वारा जल्दबाजी में केबिल बिछाने के कारण 13.28 लाख रू. का संदिग्ध व्यय हुआ।

मई 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

38 निजी ऑपरेटरों के लिए दूरभाष उपकरणों का प्रावधान।

दू वि के अनुदेशों के उल्लंघन में, तमिलनाडु परिमण्डल में सैकेण्ड्री स्वीचिंग एरिया के अध्यक्षों ने निजी स्थानीय/एस टी डी ऑपरेटरों को दूरभाष उपकरण उपलब्ध कराये जिसके परिणामस्वरूप उनके क्रय में 59.13 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

दू वि ने अगस्त 1992 में पुनरूक्त या वही अनुदेश जारी किये कि निजी एस टी डी/स्थानीय पे फोन आपरेटर अपने आपको दू वि द्वारा अनुमोदित दूरभाष उपकरण

उपलब्ध कराए। निजी आपरेटरों के साथ करार में इसे निर्दिष्ट करने वाला एक खण्ड भी सम्मिलित है।

तमिलनाडु परिमण्डल में कुड्डालोर, धरमापुरी, करायेकुड़ी, नागरकोइल, टूटीकोरन, बेल्लोर, विरूध नगर, मदुरै, निरूनलवेली और त्रिची सैकण्ड्री स्वीचिंग एरिया (सै स्वी ए) में नमूना जाँच से पता चला कि दू वि के अनुदेशों का उल्लंघन होने से इन सै स्वी ए के अध्यक्षों ने सभी निजी स्थानीय/एस टी डी पे फोन ऑपरेटरों को दूरभाष उपकरण उपलब्ध कराये थे। इसके परिणामस्वरूप, दस सै स्वी ए में हुई नमूना जाँच से दूरभाष उपकरण के क्रय पर 59.13 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर मु म प्र दू तमिलनाडु परिमण्डल चेन्नई ने दिसम्बर 1996 में सै स्वी ए के सभी अध्यक्षों को दू वि के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए और निजी ऑपरेटरों से विभागीय उपकरण वसूल करने के लिये अनुदेश जारी किये।

जून 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया, उनका उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित था।

39 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभाग ने लो ले स के बार-बार अनुदेशों/सिफारिशों के बावजूद 59 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई उपचारी कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए जाने वाले विषयों के बारे में कार्यकारी की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, लोक लेखा समिति (लो ले स) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालय/विभाग उनके अन्दर समाविष्ट सभी पैराग्राफों पर की गई उपचारी/शोधन कार्रवाई–टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे।

लो ले स ने 1995 तक बताया सभी की का टि तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करने की सिफारिश की

लोकलेखा समिति ने की का टि को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के बारे में बड़ी संख्या में मंत्रालयों/विभागों के असाधारण विलम्ब तथा सतत विफलता को गम्भीरता से लिया था। लो ले स ने अपने नौंवे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) जो कि 22 अप्रैल 1997 को ससंद में प्रस्तुत की गई थी, में निर्णय लिया कि मार्च 1994 और 1995 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के शेष की का टि का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरा कर लेना जरूरी है तथा सिफारिश की कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हों, के सभी पैराग्राफों के बारे में की का टि प्रतिवेदनों को ससंद में रखने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करने हैं।

1995-96 से संसद के पटल पर प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के चार महीनों में की का टि प्रस्तुत करनी थी

दिसम्बर 1997 को दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बकाया की का टि की समीक्षा से निम्न पता चला:

मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदनों के 16 पैराग्राफों के बारे में मंत्रालय लो ले स को की का टि प्रस्तुत करने में विफल रहा

- दूरसंचार विभाग, वर्ष 1995 तक और मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 16 पैराग्राफों के बारे में परिशिष्ट–IX के अनुसार की का टि प्रस्तुत करने में विफल रहा।

दू वि ने मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन के 55 पैराग्राफों में से 43 के बारे में लो ले ज की का टि प्रस्तुत नहीं की

- यद्यपि, 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ससंद के पटल पर 20 मार्च 1997 को रखी गई थी तथा की का टि प्रस्तुत करने की चार महीनों की अवधि जुलाई 1997 को समाप्त हो गई थी, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए 55 पैराग्राफों में से 43 के बारे में की का टि प्रस्तुत नहीं की जिनका विवरण परिशिष्ट–X में है।

अक्तूबर 1997 को शेष की का टि की स्थिति मंत्रालय को भेजी गई थी, परन्तु दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित थी।

40 लेखापरीक्षा मसौदा पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

मंत्रालय/विभागों को लेखापरीक्षा पैराग्राफ मशौदों के लिए अपने प्रत्युतर छः सप्ताहों के भीतर प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं

वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में लोक लेखा समिति की सिफारिश पर सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए कि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित लेखापरीक्षा मसौदा पैराग्राफों पर अपनी प्रक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजें। लेखापरीक्षा पैराग्राफ हमेशा संबंधित लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को अर्द्धशास्कीय पत्रों द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान दिलाने के लिए तथा छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए भेजे जाते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए इस प्रकार के प्रत्येक पैराग्राफ के अन्त में मंत्रालय से उत्तर न प्राप्ति का तथ्य निरपवाद रूप से स्पष्ट किया जाता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए 1998 की संख्या 6, संघ सरकार (डाक व दूरसंचार) में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 36 लेखापरीक्षा मसौदों को मई से दिसम्बर 1997 के दौरान अर्द्धशास्कीय पत्रों द्वारा भेजा गया था।

इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए 28 लेखापरीक्षा पैराग्राफ मसौदों के लिए सचिव, दू वि ने उत्तर नहीं भेजे

दूरसंचार के सचिव ने लोक लेखा समिति के कहने पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में 28 मसौदा पैराग्राफों का उत्तर नहीं भेजा जैसा कि परिशिष्ट–XI और XII में दिखाया गया है।

खण्ड – II

डाक विभाग

41.1 कार्य

डाक विभाग (डा वि) के कार्य डाक का संग्रह, प्रेषण एवं वितरण, डाक सामग्री की बिक्री तथा अन्य सेवाएँ जैसे धनादेश, पंजीकरण, बीमाकृत पार्सल, टिकटें आदि उपलब्ध कराना हैं।

अन्य मंत्रालयों और विभागों की ओर से, डा वि कुछ एजेन्सी कार्य भी करता है जैसे डाक बचत बैंक, महिला समृद्धि योजना सहित अन्य लघु बचत योजनाएँ, डाक जीवन बीमा (डा जी बी), लोक भविष्य निधि योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, विदेशों से डाक वस्तुओं पर सीमा–शुल्क का संग्रह करना, तारों का प्रेषण, बुकिंग एवं वितरण, सेना तथा रेलवे पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कोयला खानों व उद्योगों के कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन का भुगतान करना।

भारत सार्वभौमिक डाक संघ तथा एशियाई प्रशान्त डाक संघ का एक सदस्य है। डा वि अन्तर्राष्ट्रीय डाक सम्भालने के लिए कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई और नई दिल्ली में चार विदेशी डाक घरों (वि डा घ) तथा अहमदाबाद, बंगलोर, कोचीन, जयपुर व श्रीनगर में पाँच उप–वि डा घ को भी चलाता है।

41.2 संगठन

विभाग का प्रबन्धन डाक सेवा बोर्ड में निहित है। बोर्ड अध्यक्ष के अधीन है जिसके तीन सदस्य हैं जो क्रमशः परिचालन, विकास और कार्मिक विभाग संभाले हुए हैं। अध्यक्ष डा वि में भारत सरकार का सचिव भी है। बोर्ड डाक महानिदेशालय में पन्द्रह उप महानिदेशकों की सहायता से देश में डाक सेवाओं के प्रबन्ध का निर्देशन व पर्यवेक्षण करता है।

डा जी बी का कार्य कार्यात्मक स्वायत्तता सहित एक पृथक निदेशालय में है। यह निदेशालय सीधे सचिव, डाक विभाग के अधीन है।

फरवरी 1996 में विभाग में मूल्य युक्त सेवाओं के सकेन्द्रित प्रबन्धन के लिए एक अलग कारोबार विकास निदेशालय स्थापित किया गया था।

देश में 31 मार्च 1997 को 153021 डाक घर थे। इनमें से, 136781 देहाती क्षेत्रों में और 16240 शहरी क्षेत्रों में थे। कुल डाकघरों में 835 मुख्य डाक घर, 25024 विभागीय उप–डाक घर, 127162 अतिरिक्त विभागीय उप या शाखा डाकघर हैं। इसके अतिरिक्त, 573 छंटाई कार्यालय, 438 अभिलेख कार्यालय, 46 डाक भण्डार डिपो, 19 परिमण्डल टिकट डिपो, छः डाक प्रशिक्षण केन्द्र, डाक स्टाफ कॉलेज और 63 औषधालय हैं।

विभाग के 19 डाक परिमण्डल हैं जिनकी सहायता 40 क्षेत्रीय निदेशालय करते हैं जो 439 डाक मण्डलों तथा 69 रेल डाक सेवा मण्डलों का नियंत्रण करते हैं। देश में 75 शहरों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध है तथा यह 80 विदेशों के साथ भी उपलब्ध है। विभाग का एक सिविल विंग भी है जो विभागीय भवनों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी है। सिविल विंग बहुविषय संगठन है जिसमें वास्तुकला, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरींग विषय सम्मिलित हैं।

41.3 जनशक्ति

विभाग की 1993 से 1997 के दौरान स्टॉफ संख्या निम्न प्रकार से थी:

तालिका 41.3 कर्मचारियों की संख्या

(लाखों में)

31 मार्च को	विभागीय कर्मचारी	अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी	कुल
1993	2.90	3.06	5.96
1994	2.90	3.07	5.97
1995	2.88	3.09	5.97
1996	2.88	3.10	5.98
1997	2.86	3.08	5.94

41.4 डाक यातायात

विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1994-95 से 1996-97 के दौरान परिकल्पित यातायात और वास्तविक यातायात के आँकड़े निम्नप्रकार से थे:–

तालिका 41.4 डाक यातायात

(लाखों में)

मदें	1994-95		1995-96		1996-97	
	परिकल्पित	वास्तविक	परिकल्पित	वास्तविक	परिकल्पित	वास्तविक
पोस्ट कार्ड	5976	29516	5923	30236	5432	34416
मुद्रित कार्ड	1137	--	1531	--	1937	-
पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय)	8494	28285	7853	29726	7279	33132
धनादेश	1090	1019	1015	1057	1010	1116
समाचार पत्र	1629	8536	1709	7644	1608	8509
एक मात्र बंडल	308		306		337	
पार्सल	677	1199	645	1206	643	1346
पत्र	14125	46948	14463	51083	14416	52992
बुक पैकेट	1015		1388		1436	-
मुद्रित पुस्तकें	845	9200	583	8860	490	9572
अन्य पत्रिकाएँ	333		469		380	-
पावती	697	6590	625	5328	625	5221
स्पीड पोस्ट	78	125	103	141	125	112
बीमाकृत पत्र और पार्सल	73	94	83	94	93	103
मूल्य देयपत्र और पार्सल	85	85	85	103	93	106
पंजीकृत पत्र और पार्सल	2962	2834	2895	2669	2912	2568
कुल	39524	134431	39676	138147	38816	149193

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 1996-97 के लिए परिकल्पित यातायात वर्ष 1995-96 के वास्तविक यातायात से बहुत न्यूनतर था। पूर्व के वर्षों के लिए भी यही स्थिति है। वर्ष 1996-97 के लिए परिकल्पित किया गया यातायात वर्ष 1995-96 के वास्तविक यातायात का केवल 28 प्रतिशत था। इससे डा वि द्वारा परिकल्पित यातायात के लिए अपनाई गई पद्धति में दोष दिखाई देते हैं। आगे डा वि विभिन्न डाक सेवाओं जैसे पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र, पार्सल आदि के लिए प्रति इकाई के लाभ/हानि के निर्धारण में वास्तविक यातायात आँकड़ों के स्थान पर परिकल्पित यातायात आँकड़ों का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि परिकल्पित यातायात समग्र रूप से कम आकलित था, इसलिए इन परिकल्पनाओं के आधार पर तैयार की गई विभिन्न डाक सेवाओं की लागत सही तस्वीर नहीं दिखाती है।

41.5 डाक सेवाओं से अर्जन तथा उनकी लागत

विभाग के प्राक्कलन के अनुसार, वर्ष 1996-97 के दौरान विभिन्न डाक सेवाओं पर परिकल्पित आधार पर प्रति इकाई औसत लागत और प्रति इकाई राजस्व वसूली निम्न प्रकार से थी।

तालिका 41.5 डाक सेवाओं के परिचालन में प्रति इकाई लाभ/हानि

सेवायें	प्रति इकाई लागत (पैसे मे)	प्रति इकाई राजस्व (पैसे मे)	इकाई हानि (-) लाभ (+) (पैसे मे)	यातायात (लाखों मे)	कुल हानि/लाभ (करोड रू. में)	
					हानि	लाभ
पोस्ट कार्ड	220.43	15.00	205.43	5432	111.59	-
पत्र	263.99	212.07	51.92	14416	74.85	--
पंजीकृत पत्र	1368.42	700.00	668.42	2912	194.64	-
पत्र कार्ड (अन्तर्देशीय)	227.59	75.00	152.59	7279	111.07	-
धनादेश	1813.79	1780.63	33.16	1010	3.35	-
समाचार पत्र (एकल)	279.35	25.63	253.72	1608	40.80	-
समाचार पत्र (बंडल)	467.70	55.62	412.08	337	13.89	-
भारतीय पोस्टल आर्डर	875.11	122.84	752.27	210	15.80	-
मुद्रित कार्ड	199.54	80.00	119.54	1937	23.15	-
मूल्य देय पत्र और पार्सल	1135.69	338.47	797.22	93	7.41	-
अन्य पत्रिकाएँ	495.10	146.82	348.28	380	13.23	-
पावती	191.34	100.00	91.34	625	5.71	-
बुक पैकेट आदि	352.72	204.92	147.80	1436	21.22	-
तार ध आ	2128.38	2014.63	113.75	22	0.25	-
मुद्रित पुस्तकें	494.21	180.10	314.11	490	15.39	-
स्पीड पोस्ट	1941.53	5082.48	+3140.95	125	--	39.26
बीमाकृत पत्र	1905.20	2607.31	+702.11	93	--	6.53
पार्सल	2347.84	2465.86	+118.02	643	--	7.59
कुल					**652.35**	**53.38**

1996-97 में विभाग की डाक सेवाओं पर निवल समग्र हानि 1995-96 के दौरान हुई निवल हानि की अपेक्षा 170.79 करोड़ रू. से बढ़कर 598.97 करोड़ रू. थी। उपर्युक्त 18 सेवाओं में से 15 सेवाएं हानि पर चलाई गई थीं। तथापि, क्योंकि इन हानियों की गणना जैसाकि तालिका 41.4 में दिखाए गया है, मूल रूप में कम आकलित यातायात पर की गई हैं, हानियाँ और प्रति इकाई लागत सही तस्वीर प्रकट नहीं करती है।

1992-93 से 1996-97 के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न डाक सेवाओं पर उठाई गई निवल हानि की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार से थी:

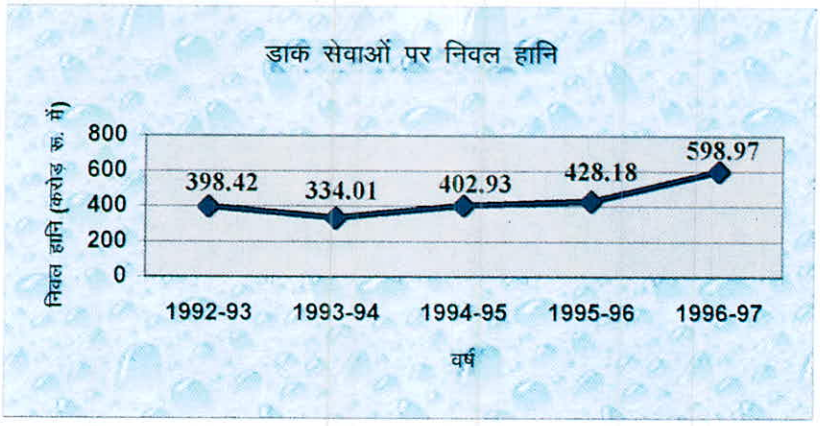

41.6 राजस्व वसूली तथा राजस्व व्यय

41.6.1 राजस्व

1996-97 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों के दौरान स्त्रोतवार राजस्व की वसूली नीचे दी गई है:

तालिका 41.6.1 राजस्व के स्त्रोत

(करोड़ रू. में)

मदें	सकल राजस्व				
	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
साधारण व सेवा टिकटों की बिक्री (कार्डों, पत्रों, पार्सलों, बुक पोस्ट साधारण, पंजीकृत व स्पीड पोस्ट सहित बीमाकृत श्रेणियों पर चिपकाए गए)	610	630	645	651	658
नकद प्राप्त किए गए डाक प्रभार (समाचार पत्र, अभिदाता के परिसर में फ्रेंकिंग मशीन, पूर्व डाक प्रभार सहित)	268	288	309	291	298
धनादेश व पोस्टल आर्डरों पर कमीशन	136	145	162	172	189
अन्य डाक प्रशासनों से निवल प्राप्तियाँ	34	04	08	06	27
अन्य प्राप्तियाँ (केन्द्रीय भर्ती शुल्क, पासपोर्ट फार्म शुल्क आदि)	26	38	46	30	43
कुल सकल राजस्व	1074	1105	1170	1150	1215

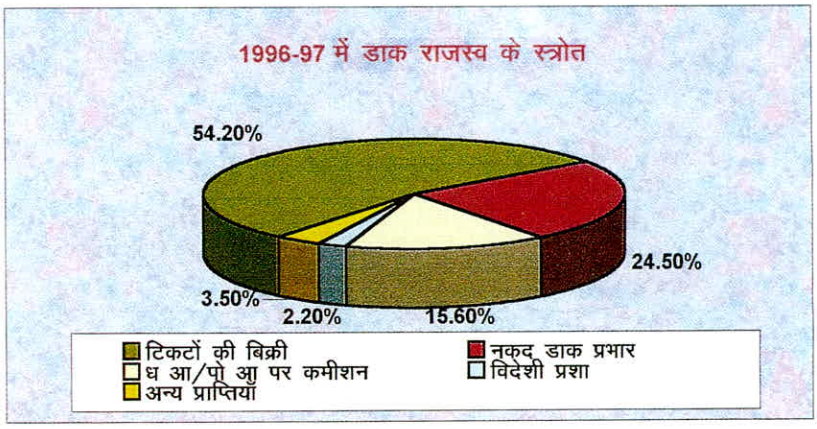

41.6.2 राजस्व व्यय

पिछले पाँच वर्षों के दौरान वेतन एवं भत्तों, डाक के वाहन, टिकटों के मुद्रण, पोस्ट कार्डो तथा लेखन सामग्री इत्यादि पर राजस्व व्यय निम्न प्रकार से था:

तालिका 41.6.2 राजस्व व्यय

(करोड़ रू. में)

मदें/वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
(क) वेतन एवं भत्ते, आकस्मिक व्यय, अन्तरिम सहायता, आदि	1246.83	1439.41	1657.55	1904.85	2220.69
(ख) पेंशन प्रभार	203.64	227.43	253.40	311.73	384.39
(ग) टिकटें, पोस्ट कार्ड आदि	45.77	45.69	61.97	70.58	96.36
(घ) लेखन सामग्री एवं मुद्रण आदि	18.50	22.51	17.58	27.24	42.27
(ङ) डाक का परिवहन (रेलवे और हवाई डाक वाहन के लिए भुगतान)	78.95	68.66	67.45	78.18	148.49
(च) अन्य व्यय	55.49	63.09	71.75	79.56	90.11
कुल	1649.18	1866.79	2129.70	2472.14	2982.31

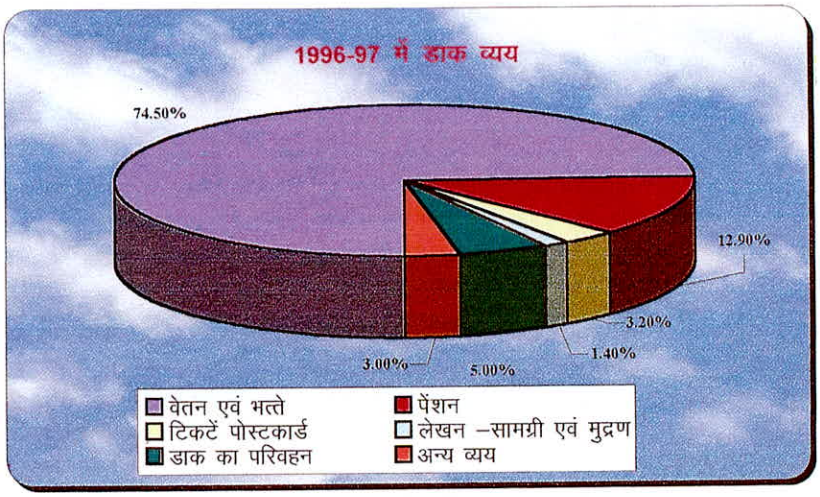

41.7 परियोजना परिव्यय तथा भौतिक निष्पादन

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में 325 करोड़ रू. के परिव्यय के विरूद्ध, वास्तविक व्यय 367.90 करोड़ रू. था। इसमें से डाक भवनों व स्टॉफ क्वार्टरों पर 121.35 करोड़ रू. के परिव्यय के प्रति वास्तविक व्यय 187.89 करोड़ रू. था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुछ चूक के क्षेत्र निम्न से संबंधित थे:–(i) रे डा से गाड़ियों के अन्तर्गत 20 के लक्ष्य के प्रति कोई गाड़ी नहीं खरीदी थी और 398 के लक्ष्य के प्रति केवल 20 को ही फिर से तैयार किया गया (ii) 2500 के लक्ष्य के प्रति केवल 670 पंचायती डाक सेवा केन्द्र खोले गए थे (iii) 350 के लक्ष्य के प्रति केवल 230 डाक घरों का ही आधुनिकीकरण पूरा किया गया था।

41.8 निवल बजटीय सहायता

1996-97 के दौरान, निवल राजस्व बजटीय सहायता जिसकी गणना प्राप्तियों एवं वसूलियों को कम करके की गई है, कि स्थिति 741.29 करोड़ रू. के प्रावधान के प्रति 703.26 करोड़ रू., निम्नानुसार थी:

तालिका 41.8 निवल बजटीय सहायता

(करोड़ रू. में)

		कुल प्रावधान	वास्तविक
प्रावधान (ग)			
मूल	2616.29	3026.29	2982.32
अनुपूरक	410.00		
घटाएँ: वसूलियाँ (क)			
मूल	654.00		
अनुपूरक*	381.00	1035.00	1064.44
घटाएँ: प्राप्तियाँ (ख)			
मूल	1388.00		
अनुपूरक**	(-) 138.00	1250.00	1214.62
कुल : (ग) – (क+ख)		741.29	703.26

* *अनुपूरक अनुदान के लिए प्रस्ताव में प्रावधान के अनुसार*

** *संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार*

संशोधित प्राक्कलन में प्राप्तियों के लिए प्रावधान को कम करते हुए पूरी तरह से प्राप्त कर चुके प्रावधान के समर्थन में निवल बजटीय समर्थन को कम करना विचारणीय है। वास्तविक प्राप्तियाँ न केवल बजट प्राक्कलनों से 173.38 करोड़ रू. कम थी, बल्कि डा वि संशोधित प्राक्कलनों में परिकल्पित 1250 करोड़ रू. की प्राप्ति की वसूली भी नहीं कर सका। वास्तविक वसूलियाँ संशोधित प्राक्कलनों से 35.38 करोड़ रू. कम थी।

41.9 परिचालन परिणाम

राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता परिचालन अनुपात के रूप में बताई गई है। नीचे के चार्ट से पता चलेगा कि वसूलियों को कम करके राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अन्तर पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है, परिचालन अनुपात 108.60 रू. से 157.90 रू. हो गया है।

कार्यचालन परिणाम

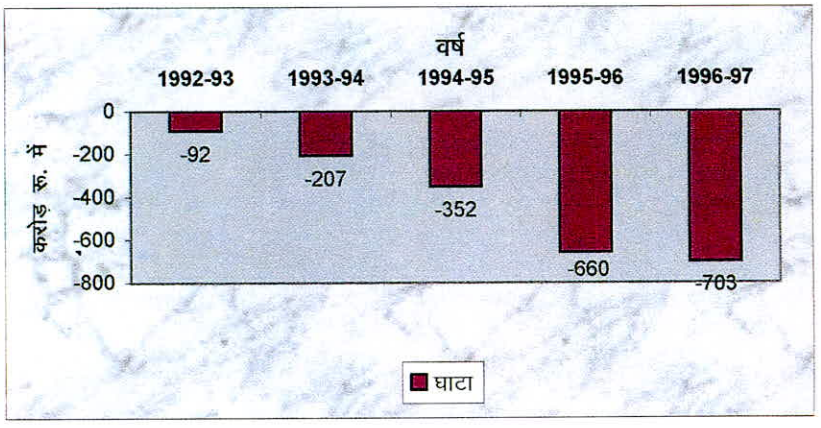

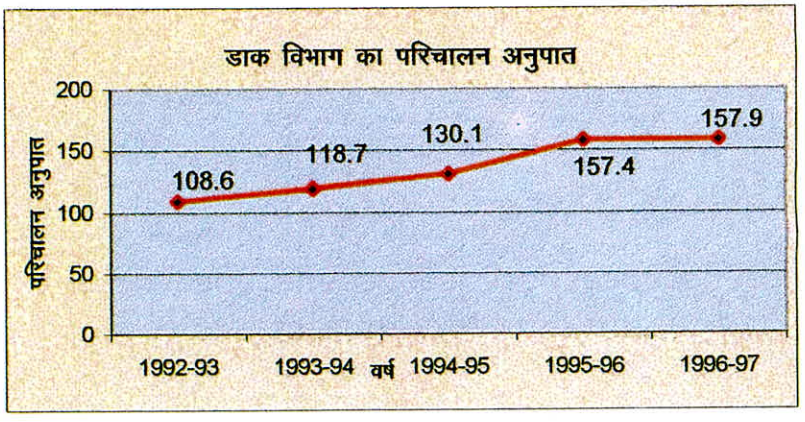

41.10 एजेंसी कार्य

विभाग कुछ एजेंसी कार्य करता है जैसाकि इस अध्याय के पैरा 41.1 में वर्णित है।

प्राप्त व भुगतान किए गए धन को लोक लेखा के हिसाब में लिया जाता है। वित्त लेखे में दर्शाए गए प्रत्येक के अन्तर्गत शेष नीचे दिए गए है:

तालिका 41.10 बचत बैंक/डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत जमा

(करोड़ रू. में)

शीर्षवार	31 मार्च को बकाया				
	1997	1996	1995	1994	1993
8001 - बचत जमा					
-101 डाक घर बचत बैंक जमा	20413 (628)	19844 (519)	18925 (522)	16606 (469)	15000 (416)
-103 आवधिक व सावधि जमा	3457 (16)	3482 (14)	3519 (14)	2980 (14)	2716 (13)
-104 संचयी सावधि जमा	103 (75)	133 (73)	87(डेबिट) (76)	2 (76)	108 (77)
-105 डाकघर आवर्ती जमा	7841 (957)	6683 (939)	5320 (668)	4307 (509)	3631 (439)
8006 - लोक भविष्य निधियाँ*					
-101 लोक भविष्य निधियाँ डाक खण्ड	1847 (8)	1403 (6)	1027 (6)	698 (5)	466 (3)
8002 - बचत प्रमाण पत्र					
-101 डाक घर प्रमाण पत्र	72349	61949	54076	43430	38708
8011 - बीमा एवं पेंशन निधियाँ					
-101 डाक जीवन बीमा वार्षिकी निधि	2182	1818	1524	1289	1079

* खातों की संख्या लाखों में, कोष्ठकों में दी गई है।

** लोक भविष्य निधियाँ जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा भी संभाली जाती हैं।

विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर सेवाओं के लिए लेन–देनों की संख्या के आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त करता है। विभाग ने वित्त मंत्रालय से एजेंसी कार्यों के लिए प्रभारों के रूप में, 31 मार्च 1997 को 70 करोड़ रू. ब्याज के लेन–देनों का तथा 102 करोड़ रू. लेखांकन, लेखापरीक्षा, पेंशन प्रभारों की लागत का संचयी बकाया का दावा किया जोकि अभी चुकाया जाना था।

41.11 वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष उन लेखा शीर्षों में ऋणात्मक शेष है जहाँ सामान्यतया ऋणात्मक शेष नहीं हो सकते हैं। उदाहरणतया, किसी भी ऋण या अग्रिम में, एक ऋणात्मक शेष अग्रिम में दी गई मूल राशि से अधिक चुकौती दर्शाएगी। ऐसी स्थितियाँ लेखांकन गलतियों, अथवा लेखाओं के वर्गीकरण के यौक्तीकरण से उदभूत स्थितियों या प्रशासनिक पुनर्गठन जिससे एक लेखांकन इकाई कइयों में विभाजित हो, से उदभूत होती हैं।

1996-97 के वित्त लेखे में निम्नलिखित प्रतिकूल शेष हैं:

तालिका 41.11 ऋण, जमा और अग्रिम शीर्षों के प्रतिकूल शेष

(लाख रू. में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	31 मार्च को बकाया				
		1997	1996	1995	1994	1993
1.	7610-800 अन्य अग्रिम	54.82 (क्रेडिट)	80.82 (क्रेडिट)	79.54 (क्रेडिट)	76.41 (क्रेडिट)	74.31 (क्रेडिट)
2.	8001-104 संचयी सावधि जमा	10291.68 (डेबिट)	13380.30 (डेबिट)	8740.80 (डेबिट)	-	-
3.	8002-102 राज्य बचत प्रमाण पत्र	3.91 (डेबिट)	3.95 (डेबिट)	15.19 (डेबिट)	13.90 (डेबिट)	8.70 (डेबिट)
4.	8002-104 रक्षा बचत प्रमाण पत्र	2981.31 (डेबिट)	2990.28 (डेबिट)	3163.26 (डेबिट)	3150.77 (डेबिट)	2688.44 (डेबिट)
5.	8002-106 राष्ट्रीय विकास बॉंड	133.48 (डेबिट)	134.11 (डेबिट)	103.54 (डेबिट)	92.55 (डेबिट)	48.30 (डेबिट)
6.	8443-111 अन्य विभागीय जमा	14.58 (डेबिट)	7.86 (डेबिट)	10.74 (डेबिट)	2.23 (डेबिट)	10.26 (डेबिट)

विभाग ने दिसम्बर 1996 में बताया था कि प्रतिकूल शेषों को शीघ्रातिशीघ्र परिसमाप्त करने के लिए परिमण्डल डाक लेखा कार्यालयों को अनुदेश दे दिए थे। तथापि, उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए मद संख्या 6 के बारे में प्रतिकूल शेष न केवल सतत जारी है बल्कि इसकी राशि 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान बढ़ गई है। उपरोक्त तालिका के अन्य लेखा शीर्षों की स्थिति में सुधार नगण्य है।

41.12 वित्त लेखे में उचंत बकाया

उचंत शेष के आंकड़े जोकि डेबिट और क्रेडिट का अन्तर दर्शाते हैं, उचंत शेष की मात्रा का सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते हैं।

आरम्भ में उचंत के अन्तर्गत बुक की गई राशियाँ अन्ततः या तो भुगतान या नकद वसूली या बुक समायोजन से चुकाई जाती हैं। 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष 8661–उचंत लेखा के अन्तर्गत 68.66 करोड़ रू. का निवल क्रेडिट शेष था। 68.66 करोड़ रू. का निवल शेष सही स्थिति पेश नहीं करता है क्योंकि डेबिट उचंत के अन्तर्गत राशि 3216.99 करोड़ रू. थी और क्रेडिट उचंत के अन्तर्गत 3099.39 करोड़ रू. के अतिरिक्त 48.94 करोड़ रू. के अथशेष डेबिट उचंत के अन्तर्गत थे। उचंत शेषों की स्थिति संतोषजनक नहीं है तथा इसमें परिणामी उन्मुख समीक्षा की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मद जितनी देर के लिए न्यायोजित ढंग से आवश्यक हो उससे लम्बे समय तक असमायोजित न रहे।

41.13 लोक लेखे से अग्रिम

रा ब प, धनादेशों, नकद प्रमाण पत्रों, बाँडों और पूर्वदत्त व्यय, ठेकेदारों को अग्रिम आदि पर डाक अग्रिम मुख्यतया अधिक भुगतान या अल्प क्रेडिट दर्शाता है। जैसाकि नीचे के चार्ट से स्पष्ट होगा कि विभाग द्वारा लोक लेखे "शीर्ष 8553-101-डाक अग्रिम" से दिए गए बकाया अग्रिम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं:

इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया अग्रिम भारत की समेकित निधि से बाहर रहते हैं।

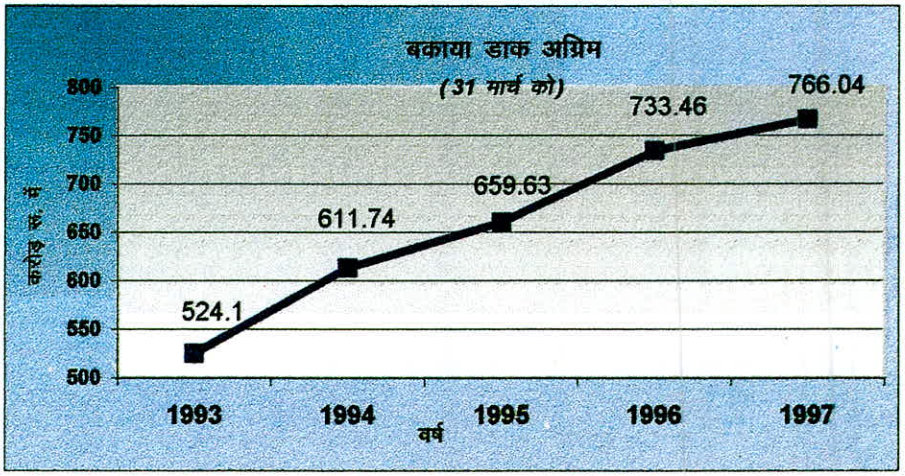

इस संबंध में 31 मार्च 1993 से 1996 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक, संघ सरकार, (डाक व दूरसंचार) के प्रतिवेदनों में टिप्पणियाँ किए जाने के बावजूद भी शीर्ष 8553-101 डाक अग्रिम के अन्तर्गत भारी बकाया शेषों का समायोजन किया जाना बाकी है। 1996-97 के दौरान डाक अग्रिमों का कुल वितरण 663.71 करोड़ रू. तथा प्राप्तियाँ कुल 631.12 करोड़ रू. थी।

अध्याय 7 — विनियोजन लेखे

42.1 प्रस्तावना

विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत की तुलना में डाक विभाग द्वारा विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक रूप से व्यय की गई राशियों का विवरण निर्दिष्ट करके विनियोजन लेखे (डाक सेवायें) प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं। डाक सेवाओं के विनियोजन लेखे सचिव, डाक विभाग द्वारा तैयार किये जाते हैं।

विनियोजन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि अनुदान के अन्तर्गत वास्तविक रूप से किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के भीतर है और संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित था, प्रभारित किया गया है। यह भी पता लगाना होता है कि किया गया व्यय विधि, संबंधित नियमों, विनियमों व अनुदेशों के अनुरूप है।

42.2 बजट अनुदान तथा व्यय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 तथा 115 के अन्तर्गत पारित किये गये विनियोजन अधिनियम 1996 के साथ संलग्न परिशिष्ट में प्राधिकृत राशियों की तुलना में 1996-97 के दौरान व्यय की गई राशियों के विनियोजन लेखे (डाक सेवायें) का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 42.2 विनियोजन तथा व्यय

(करोड़ रू. में)

व्यय का नाम	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व दत्तमत	2616.28	409.98	3026.26	2982.31	43.95
प्रभारित	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
पूंजीगत दत्तमत	69.71	--	69.71	54.32	15.39
कुल	**2686.00**	**410.00**	**3096.00**	**3036.64**	**59.36**

पूंजीगत शीर्ष में बचत, प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

1996-97 के दौरान 59.36 करोड़ रू. की समग्र बचत हुई है जो 3096 करोड़ रू. के कुल प्रावधान का 1.92 प्रतिशत है। राजस्व (दत्तमत) खण्ड के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों के दौरान प्रावधान से अधिक आधिक्य के सतत बने रहने के बाद 1996-97 के दौरान 43.95 करोड़ रू. की बचत थी। पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत, 15.39 करोड़ रू. की बचत थी जो मूल अनुदान का 22 प्रतिशत बनती थी। पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य/बचत की स्थिति चार्ट में निर्दिष्ट की गई है।

चार्ट निर्दिष्ट करता है कि पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत डाक सेवाओं में बचत एक सामान्य विशेषता बन गई है। 'डाक नेटवर्क' व 'डाक सेवाओं के मशीनीकरण व आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत बचत मुख्य रूप से थी।

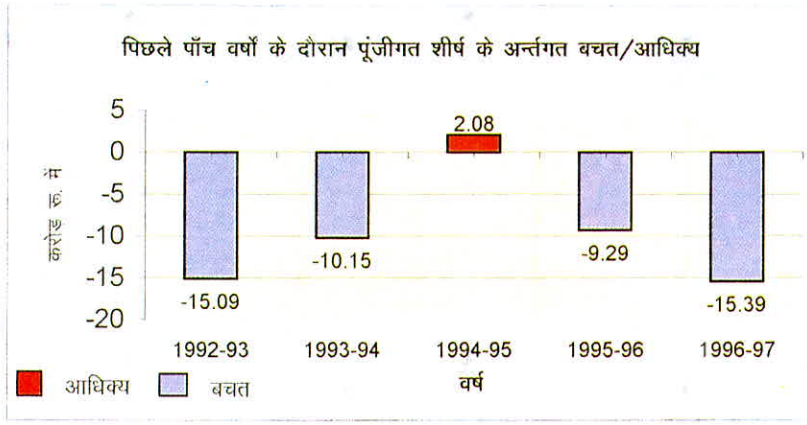

42.3 अनुपूरक अनुदान/विनियोजन का कम उपयोग

विभाग, राजस्व खण्ड में मार्च 1997 में प्राप्त 410 करोड़ रू. के अनुपूरक अनुदान में से 43.97 करोड़ रू. का उपयोग नहीं कर सका।

42.4 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

मार्च 1997 के महीने में में निम्नलिखित लेखा–शीर्ष के अन्तर्गत निधियों में वृद्धि के लिये जो पुनर्विनियोजन आदेश जारी किये थे, अनावश्यक थे क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से या तो कम था या मूल प्रावधान के बराबर था।

तालिका 42.4 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(लाख रू. में)

लेखा के शीर्ष	मूल अनुदान	शीर्ष के लिए पुनर्विनियोजन की राशि	वास्तविक व्यय
राजस्व खण्ड			
मुख्य शीर्ष "3201" 02-101-03 डाक मुहर कार्यालय, अलीगढ़	11.80	0.30	6.68
02-102 डाक छँटाई	27500.00	2000.00	26793.00
03-101-05 एस बी/एस सी स्टॉफ के लिए पुन: पाठ्यक्रम	38.00	7.00	30.14
01-101-08 पी एल आई	1563.00	66.10	1448.05
03-200-01 महिला समृद्धि योजना	914.00	146.00	916.00
06-101-03 डिसपेंसरी	2042.00	22.00	1730.00

42.5 अनुदान/विनियोजन में बचत

अनुदान या विनियोजन में बचत संकेत देती है कि सुनियोजित तरीके से व्यय नहीं किया जा सका था, इससे अर्पूण बजट बनाने अथवा निष्पादन में त्रुटि का संकेत मिलता है।

तालिका 42.5 अनुदान में बचत

(करोड़ रू. में)

अनुदान सं. 13	कुल अनुदान या विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	डाक विभाग द्वारा बताये गये उत्तरदायी कारण
राजस्व–दत्तमत	3026.26	2982.31	43.95	व्यय पर प्रतिबंध लगाये गये जैसे मितव्ययता के उपाय प्रत्याशित बिल/दावे की प्राप्ति न होना, बैंकिग तथा जीवन–बीमा में प्रत्याशित से कम दावे की प्राप्ति, कम्प्यूटरीकरण में धीमी प्रगति।
पूंजीगत–दत्तमत	69.71	54.32	15.39	मशीन व उपस्कर की अधिप्राप्ति में कम व्यय, दूरसंचार विंग में वापिस जाने के कारण स्टाफ मे कटौती, भवन अनुरक्षण में प्रत्याशा से कम व्यय, हटाई गई गाडियों के क्रय को आस्थगत करना इत्यादि।

42.6 निधियों का अभ्यर्पण

डा वि ने 56.09 करोड़ रू. की बचत का अभ्यर्पण नहीं किया

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 69 के अनुसार, विभागों को वे सभी प्रत्याशित बचतें जो अनुदान/पुनर्विनियोजन में ध्यान में आयी हों, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अभ्यर्पण करना अपेक्षित है।

राजस्व (दत्तमत) खण्ड के अन्तर्गत, यद्यपि 43.95 करोड़ रू. की बचत थी, विभाग ने बचत अभ्यर्पण नहीं किया, जबकि पूंजीगत खण्ड के अन्तर्गत 15.39 करोड़ रू. की बचत के प्रति विभाग ने केवल 3.25 करोड़ रू. की बचत का अभ्यर्पण किया।

43 परिमण्डल स्टैम्प डिपो की कार्यविधि

43.1 प्रस्तावना

परिमण्डल स्टैम्प डिपो (प स्टै डि) डाक टिकटों और अन्य डाक लेखन सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड, लिफाफे, एरोग्राम इण्डियन पोस्टल आर्डर के मंगवाने, भण्डारण और वितरण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र, इन्दिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र इत्यादि की प्राप्ति और वितरण का भी परिमण्डल स्टैम्प डिपो संचालन करता है। वर्तमान में, अनेक परिमण्डलों में 19 परिमण्डल स्टैम्प डिपो हैं। परिमण्डल स्टैम्प डिपो डाक टिकटों और लेखन सामग्री की आपूर्ति इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस नासिक और सिक्योरिटी प्रिटिंग प्रैस हैदराबाद से प्राप्त करते हैं। डा वि ने 1995-96 से दो निजी मुद्रकों को भी प स्टै डि को डाक लेखन सामग्री की आपूर्ति के लिए अनुमोदित किया है।

43.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

परिमण्डल स्टैम्प डिपो के कार्य की समीक्षा अप्रैल–मई 1997 में, यह जाँचने के लिए की गई कि क्या वे प्रभावी ढंग से और डा वि के द्वारा स्थापित संहिता प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे थे।

43.3 संगठनात्मक ढाँचा

परिमण्डल स्टैम्प डिपो (प स्टै डि) और क्षेत्रीय स्टैम्प डिपो (क्षे स्टै डि) जिनके अध्यक्ष अधीक्षक होते हैं जो क्षेत्रीय महाडाक पाल के नियंत्रण में आते हैं, जिनका समग्र प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित परिमण्डलों के मुख्य महा डाकपालों (मु म डा पा) के पास होता है।

43.4 मुख्य विशेषताएँ

* **3.17 करोड़ रू. मूल्य की डाक टिकटें और अन्तर्देशीय कार्ड इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस नासिक द्वारा भेजे गये परेषणों के खोलने पर गुम पाये गये। यह नकदी की हानि के समान है क्योंकि ये बेईमान व्यक्तियों द्वारा बेची जा सकती है।**
* **1994-97 के दौरान बिहार और असम परिमण्डलों में 185.25 करोड़ रू. मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र और किसान विकास पत्र परिगमन में गुम पाये गये। इस प्रकार की नकद प्रमाण-पत्र की भारी हानि दुरूपयोग के गम्भीर खतरे और कपटपूर्ण ढंग से भुनाने के खतरे से परिपूर्ण है। दिसम्बर 1996 में**

बिहार परिमण्डल के 1.20 लाख रू. मूल्य के गुम हुए किसान विकास पत्रों के भुनाने के बारह मामले सामने आये।

* मुख्य डाकघरों को परिमण्डल स्टैम्प डिपो द्वारा आपूर्त लेखन सामग्री और डाक स्टैम्प की गणना और प्राप्ति को मॉनीटर करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली का अनुपालन नहीं किया। पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश परिमण्डल के डाकघरों में प स्टै डि से आपूर्तियों की पावती नहीं भेजी गई।
* परिमण्डल स्टैम्प डिपो और उन मुख्य डाकघरों द्वारा भेजी गई आपूर्ति के आंकड़ों के बीच लेखाओं में 36.30 करोड़ रू. का निवल अन्तर था।
* 1995-97 के दौरान अधिकतर परिमण्डलों में डाक लेखन सामग्री के भारी संचय के परिणामस्वरूप, परिमण्डल स्टैम्प डिपो ने मुद्रकों के अत्यधिक मांग पत्र दिये।

43.5 3.17 करोड़ रू. मूल्य के डाक टिकट, अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफे पारगमन के दौरान गुम पाये गये

43.5.1 अप्रैल–मई 1997 में नौ परिमण्डलों की नमूना जाँच के दौरान वर्ष 1991-97 के दौरान 3.17 करोड़ रू. मूल्य के अन्तर्देशीय पत्र और लिफाफों की हानि के 70 मामले उजागर हुए। अनेक परिमण्डलों के संबंध में पारगमन हानि निम्न तालिका में दर्शायी गई है:–

तालिका 43.5.1

परिमण्डल का नाम और परिमण्डल स्टैम्प डिपो	हानि की अवधि	गुम हुई डाक लेखन सामग्री की किस्म	खोई हुई डाक लेखन सामग्री का अंकित मूल्य (लाख रू. में)	रेलवे से प्राप्त क्षतिपूर्ति (रू. में)	परेषण की हानि के मामलों की संख्या
असम गुवाहटी	1993-97	डाक टिकटें, अन्तर्देशीय पत्र कार्ड(आई एल सी)	61.66	8000	8
कर्नाटक बंगलोर	जून 1996	डाक टिकट	40.00	0	1
मध्य प्रदेश, भोपाल	जून 1996	पोस्ट कार्ड, डाक टिकटें	34.08	6950	13
बिहार, पटना	1994-95	डाक टिकटें	1.60	-	1
पंजाब, लुधियाना	मई 1991 से अगस्त 1996	डाक टिकटें	5.87	-	13
राजस्थान, जयपुर	सितम्बर 1992 और अक्तूबर 1993	डाक टिकटें	9.20	1200	2
तमिलनाडु, चेन्नई	जुलाई 1994	डाक टिकटें	8.0	600	1
उत्तर प्रदेश, लखनऊ और कानपुर	1994-97	डाक टिकटें	72.37	90	16
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	1991-96	डाक टिकटें और आई एल सी	84.58	-	15
कुल			317.36	16840	70

3.17 करोड़ रू. मूल्य के स्टैम्प पारगमन में गुम हो गये थे

ये सभी मामले संबंधित परिमण्डल स्टैम्प डिपो को इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस (आई एस पी) नासिक द्वारा रेल से पारगमन में हानि से संबंधित हैं। डाक टिकटों और अ प का की हानि, स्टैम्प/अ प का के अंकित मूल्य के बराबर विभाग को राजस्व हानि प्रस्तुत करती है, चुराई गई डाक लेखन सामग्री उपद्रवियों द्वारा समानान्तर परिचालन और बेचने के लिए आसानी से प्रयोग की जा सकती है।

43.5.2 185.25 करोड़ रू. के अंकित मूल्य के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र और किसान विकास पत्रों की हानि

185.25 करोड़ रू. की अंकित मूल्य के नकद प्रमाण-पत्र पारगमन में खो गये थे

नौ परिमण्डलों में से दो की नमूना जाँच में, 180.80 करोड़ रू. के कुल अंकित मूल्य के किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के नकद प्रमाण पत्र जोकि 1994-97 की अवधि के दौरान असम परिमण्डल में पारगमन में खो गए थे, की बहुत भारी हानि उजागर हुई। बिहार परिमण्डल में, 1995-96 के दौरान 4.45 करोड़ रू. के किसान विकास पत्र पारगमन में गुम हुए बताये गए। असम परिमण्डल के संबंध में नकद प्रमाण–पत्रों का पारगमन में हानि का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है:–

तालिका 43.5.2

वर्ष	*गुम हुए नकद प्रमाण-पत्रों का प्रकार*	*गुम हुए की संख्या*	*अंकित मूल्य (करोड़ रू. में)*
1995-96	किसान विकास पत्र	80000	40.00
1996-97	किसान विकास पत्र	400000	128.80
	रा ब प्र प	120000	12.00
कुल		**600000**	**180.80**

इस प्रकार के नकद प्रमाण–पत्र की भारी हानि गम्भीर दुरूपयोग से परिपूर्ण है और चुराये गये किसान विकास पत्र की नकदी भुगतान जैसा कि बिहार परिमण्डल में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया। विवरण अनुवर्ती पैरा में दिया गया है।

43.5.3 किसान विकास पत्रों का कपटपूर्ण ढंग से भुनाना

सितम्बर 1995 में इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस नासिक ने परिमण्डल स्टैम्प डिपो पटना को किसान विकास पत्रों (कि वि प) का परेषण भेजा था। 9000 कि वि प के कुल प्रेषण में से 5000 रू. के मूल्य वर्ग के 8900 कि वि पत्र जिनमें प्रत्येक का मूल्य 4.45 करोड़ रू. था, रेलवे से सुपुर्दगी लेने के समय गुम पाये गये। अधीक्षक प स्टै डिपो पटना ने जनवरी 1996 में रेलवे के विरूद्ध क्षतिपूर्ति दावा दायर किया और साथ ही मु म डा पटना को कि वि प की हानि के बारे में सूचित किया। तथापि, मु म डा ने सभी

परिमण्डलों के अध्यक्षों को नकद प्रमाण–पत्रों के गुम होने की सूचना नहीं दी ताकि उनके धोखाधड़ी से जारी होने और भुनाने से बचाव हो जाता।

गुम हुए नकद प्रमाण-पत्र के उपयोग के धोखाधड़ी के मामले भी ध्यान में आये

तत्पश्चात् यह पता लगा कि उपरोक्त गुम हुए परेषण में से 1.20 लाख रू. के 24 किसान विकास पत्र नियंत्रक रक्षा लेखा पटना के परिसर में स्थित एक डाकखाने से कपटपूर्ण रूप से जारी किये गये और तीन व्यक्तियों द्वारा अक्तूबर–दिसम्बर 1996 के बीच दिल्ली में भुनाये गये। मुख्य डाकघर पटना का एक पूर्व लेखा सहायक कि वि प को जारी करने में उपरोक्त धोखाधड़ी में शामिल पाया गया। कि वि प के कपटपूर्ण रूप से जारी होने की उपरोक्त चाल प्रकाश में आने के बाद ही फरवरी 1997 में मु म डा पटना ने कि वि प के गुम होने की सूचना सभी परिमण्डल के अध्यक्षों को दी। तथापि, सूचना देने से भी एक सीमित प्रयोजन पूरा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि सभी डाकघर खोये हुए कि वि प की सूची न रखते हो और हर समय किसी भी व्यक्ति को भुगतान के लिए आने पर उस सूची का संदर्भ लेते हों।

मंत्रालय ने नवम्बर 1997 में कहा कि गुम होने की सूचना में परिचानल में देरी होने की जाँच की जायेगी।

43.6 अन्तर्देशीय पत्र कार्डों की त्रुटिपूर्ण छपाई

30.53 लाख रू. मूल्य के 1.65 करोड़ त्रुटिपूर्ण अन्तर्देशीय पत्र कार्ड प स्टै डि चेन्नई की लापरवाही के कारण बेचे गये

डा वि ने जनवरी 1993 में एक निजी प्रिंटर मद्रास सिक्योरिटी प्रिंटर को पाँच करोड़ अन्तर्देशीय पत्र कार्ड (अ प का) छापने और आपूर्ति करने का आदेश दिया। अधीक्षक परिमण्डल स्टैम्प डिपो चेन्नई ने अप्रैल और जुलाई 1993 के बीच मुद्रक से 2.48 करोड़ अ प का की आपूर्ति प्राप्त की। बिना सुनिश्चित किये कि प्राप्त अ प का डा वि द्वारा अनुमोदित प्रूफ के अनुसार थे, उन्होंने ये सभी अ प का डाकघरों द्वारा बिक्री के लिये अन्य परिमण्डल स्टैम्प डिपो को जारी कर दिये। जुलाई 1993 में डा वि ने यह पाया कि अ प का पर हिन्दी में उत्कीर्ण 'भारत' 'मारत' की तरह मुद्रित था। डा वि ने जुलाई 1993 में डाक परिमण्डलों के सभी अध्यक्षों को सभी त्रुटिपूर्ण अ प का की बिक्री को रोकने के और परिमण्डल स्टैम्प डिपो चेन्नई को सभी त्रुटिपूर्ण अ प का वापस करने के लिए कहा। देश के सभी डाक घरों ने 83 लाख अ प का सितम्बर 1995 तक वापिस कर दिये जोकि बाद में नष्ट कर दिये गये। बकाया 1.65 करोड़ त्रुटिपूर्ण अन्तर्देशीय पत्र कार्ड जोकि पहले ही बेचे जा चुके थे, वापिस नहीं किये गये। डा वि ने केवल 3.05 लाख रू. की दण्डस्वरूप वसूली के बाद मुद्रक को दोषपूर्ण प्रिटिंग के लिए 30.53 लाख रू. का भुगतान किया। इस प्रकार, अधीक्षक परिमण्डल स्टैम्प डिपो चेन्नई की विफलता के कारण, डा वि ने 27.48 लाख रू. मूल्य के त्रुटिपूर्ण अ प का स्वीकार करने पड़े।

43.7 मुद्रण प्रभारों की दर निश्चित करने में विलम्ब

डा वि ने इण्डिया सिक्योरिटी प्रैस नासिक से प्राप्त डाक लेखन सामग्री की आपूर्ति के लिए 1990-91 में मुद्रण प्रभारों की दर तय की थी। बाद के वर्षों के लिए, डा वि ने मुद्रण प्रभारों के अन्तिम रूप देने तक 1990-91 की दर पर अनन्तिम रूप से परिमण्डल स्टैम्प डिपो को भुगतान करने के लिए कहा। परिमण्डल स्टैम्प डिपो ने डा वि के अनुदेशों का पालन नहीं किया और प्रैस द्वारा दावा की गई राशि का आई एस पी नासिक को भुगतान कर दिया। इस प्रकार, प स्टै डि ने 1990-91 की अनुमोदित दर से 1992-97 के दौरान 22.59 करोड़ रू. का अधिक भुगतान किया। बाद में 1994-97 में सिक्योरिटी प्रिटिंग प्रैस हैदराबाद को 1993-94 में अनुमोदित दर से अतिरिक्त 6.07 करोड़ रू. का भुगतान कर दिया। दिसम्बर 1997 में डा वि ने कहा कि सरकारी मुद्रणालयों को किये गये अधिक भुगतान का समायोजन उस समय किया जायेगा जब अन्तिम दरें तय की जायेगीं। तथापि, मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उन्होंने समय से दर क्यों नही तय की।

43.8 निजी मुद्रकों द्वारा अधिक छपाई करवाना

सरकारी मुद्रणालयों जैसे आई एस पी नासिक और सिक्योरिटी प्रिटिंग प्रैस हैदराबाद से डाक लेखन सामग्री की कम आपूर्ति के मिलने पर, डा वि ने अप्रैल 1995 में, दो निजी प्रिन्टरों, कलकत्ता सिक्योरिटी प्रिंटर, कानपुर और मद्रास सिक्योरिटी प्रिंटर, चेन्नई को डाक लेखन सामग्री की छपाई और प स्टै डि को आपूर्ति के लिए अनुमोदित किया। डा वि ने दो सरकारी मुद्रणालयों और दो निजी मुद्रणालयों को डाक लेखन सामग्री की मात्रा का आबंटन किया तथा डाक लेखन की आपूर्ति के लिए उनको प स्टै डि से जोड़ दिया। प स्टै डि को सीधे मुद्रणालयों को मांग–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

प स्टै डि ने निजी प्रिंटरों को अधिक माँग प्रस्तुत की और अपनी आवश्यकता से अधिक आपूर्तियाँ प्राप्त की। इसके परिमणामस्वरूप 1995-97 के दौरान प स्टै डि में डाक लेखन सामग्री की अनेक मदों का अधिक संचय था। प्रतियोगिता सिंगल पोस्ट कार्ड के संबंध में डा वि में की गई एक नमूना जाँच से कई प स्टै डि में इस मद में अधिक स्टॉक का पता चला, अप्रैल 1997 को निम्न प्रकार से है:–

तालिका 43.8

प स्टै डिपो का नाम	*1 अप्रैल 1997 को उपलब्ध स्टॉक जिस अवधि तक रहने की सम्भावना है।*
अहमदाबाद	44 महीने
बंगलौर	16 महीने
भोपाल	120 महीने
भुवनेश्वर	48 महीने
कलकत्ता	24 महीने
मेन्नई	73 महीने
दिल्ली	48 महीने
इरणाकुलम	21 महीने
गुवाहटी	24 महीने
जयपुर	60 महीने
कानपुर	24 महीने
लखनऊ	60 महीने
लुधियाना	30 महीने
नासिक रोड	48 महीने

43.9 स्टैम्पों की कमी

प स्टै डि पटना में लेखापरीक्षा द्वारा 16.44 लाख रू. मूल्य की टिकटें कम पायी गई

(क) प स्टै डि द्वारा प्रैस से प्राप्त आपूर्ति की मात्रा स्टॉक रजिस्टर में लेखाबद्ध की जाती हैं। प स्टै डि पटना में लेखापरीक्षा द्वारा आपूर्ति के अनुरूप चलान के साथ स्टॉक रजिस्टर का मिलान अप्रैल 1997 में किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने 1994-96 की अवधि में 16.44 लाख रू. के मूल्य के डाक टिकट और अन्तर्देशीय पत्र कार्डों की कम प्राप्ति को उजागर किया। स्टॉक रजिस्टर में कम प्राप्ति या तो पारगमन में हानि को या फिर दुर्विनियोजन, कपट इत्यादि को प्रतिबिम्बित करती है। तथापि प स्टै डि पटना को अभी भी मामले की जाँच करनी है और कम प्राप्ति को बराबर करना है।

6.23 लाख रू. मूल्य की टिकट और डाक लेखन सामग्री की कमी भौतिक सत्यापन को निर्दिष्ट करती है

(ख) 16 अगस्त 1995 को प स्टै डि पटना में स्टैम्प एवं लेखन सामग्री के वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन में, निदेशक डाक लेखा सेवा ने 6.23 लाख रू. मूल्य के स्टैम्प एवं लेखन सामग्री की कमी को बताई। दिसम्बर 1997 तक मु म डा बिहार परिमण्डल मामले की जाँच करने में और दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने में विफल रहा।

43.10 परिवहन प्रभारों का अनियमित भुगतान

(क) प स्टै डि भुवनेश्वर ने नवम्बर 1993 से पूर्व सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस हैदराबाद को 3.94 लाख रू. के परिवहन प्रभारों और अनुरक्षण प्रभारों का भुगतान किया था यद्यपि इस अवधि के दौरान मुद्रण प्रभारों में इस प्रकार के सभी परिवहन प्रभार सम्मिलित थे।

(ख) प स्टै डि जम्मू ने मई 1995 और अप्रैल 1996 में प्रत्येक बार 120 क्विंटल के वास्तविक वज़न के प्रति पूरे रेलवे वैगन यानि 224 क्विंटल वज़न का रेल किराया अदा

किया। इसके परिणामस्वरूप 1.07 लाख रू. का अधिक भुगतान हुआ। प स्टै डि ने कहा कि अधिक अदा की गई राशि की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

43.11 आपूर्त डाक लेखन सामग्री के लिए मुख्य डाकघरों से अप्राप्त पावतियाँ

प स्टै डि 483.93 करोड़ रू. मूल्य के टिकटों के प्रेषण के लिए पावतियाँ प्राप्त करने में असफल रहा

मुख्य डाकघर (मु डा घ) संबंधित प स्टै डि से स्टैम्प एवं लेखन सामग्री की आपूर्ति प्राप्त करता है। मु डा घ में टिकटों की प्राप्ति पर, बीजक की एक प्रति पावती सहित प स्टै डि को वापस की जाती है। सात प स्टै डि जैसे बंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, पटना, आर एस डी नासिक में पावतियों की समीक्षा के दौरान, यह पता लगा कि 1994-97 की अवधि के लिए कुल 483.93 करोड़ रू. की डाक लेखन सामग्री की आपूर्ति की काफी पावतियाँ मु डा घ से प्राप्त नहीं हुई थी। कलकत्ता और लखनऊ प स्टै डि में, उपरोक्त अवधि के दौरान वांछित पावतियों की संख्या बहुत अधिक अर्थात् क्रमशः 300 करोड़ रू. और 163 करोड़ रू. थी जबकि यह दूसरे प स्टै डि में 15 करोड़ रू. से कम थी। डा वि को पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश परिमण्डलों में मुख्य डाकघरों में क्रियाविधि को कारगर बनाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना है कि मु डा घ द्वारा प स्टै डि को पावतियाँ ठीक प्रकार से भेजी जाती हैं।

यह भिन्नताएँ आन्तरिक नियंत्रण में गम्भीर कमियों की द्योतक हैं और धोखे/गबन के खतरे को बढ़ाती हैं। पावतियों की अप्राप्ति के मामले प स्टै डि द्वारा संबंधित मु डा घ के साथ निर्धारित समयावधि के भीतर सत्यापित की जानी चाहिए ताकि पारगमन में डाक टिकट की सम्भावित हानि और धोखे और चोरी के कारण हानि के मामलों का पता चले और इसके अतिरिक्त यहाँ पर नियंत्रण और मॉनीटर करने की प्रणाली को पुष्ट करने की आवश्यकता है।

43.12 प स्टै डि और मु डा घ के बीच आंकड़ों का मिलान न होना

प स्टै डिपो और मु डा घ के लेखाओं में टिकटों के आंकड़ों के बीच भिन्नता का समाधान नहीं किया गया था

डाक लेखन सामग्री की आपूर्ति की प्राप्ति पर, मुख्य डाकघर इनको अपने स्टॉक में लेते हैं और मासिक नकद लेखे के द्वारा प्राप्त स्टैम्प के मूल्य की परिमण्डल डाक लेखा कार्यालय को सूचना देते हैं। परिमण्डल डाक लेखा कार्यालय इसके बदले में स्टैम्प डिपो से प्राप्त विभिन्न प्रकार के टिकटों के लिए अपने नकद लेखे में विभिन्न मुख्य डाकघरों द्वारा क्रेडिट की गई राशि का दर्शित विवरण भेजता है। विवरण की प्राप्ति पर, अधीक्षक स्टैम्प डिपो द्वारा विभिन्न मुख्य डाकघरों को उसके द्वारा दी गई आपूर्तियों का यह देखने के लिए उन्हें हिसाब लिया गया है और प स्टै डि के पास रखे गये आपूर्ति आंकड़ों और परिमण्डल डाक लेखा कार्यालय द्वारा बताये गये आंकड़ों में कोई भिन्नता नहीं है सत्यापन करना चाहिए। भिन्नता, यदि कोई हो, तो उसका समाधान किया जाना चाहिए और शीघ्र निपटारा किया जाना चाहिए।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पता लगा कि आंकड़ों के सेटों के बीच भिन्नता का समाधान नहीं हुआ था। नमूना जाँच किये गये असम, बिहार, गुजरात, केरल,

पंजाब और पश्चिम बंगाल परिमण्डल में भिन्नता एक से सात वर्षों तक लम्बित थे। 1991-97 की अवधि के लिए इन परिमण्डलों में लेखाओं में निवल भिन्नता 36.30 करोड़ रू. थी, जो यह इंगित करती है कि संबंधित मुख्य डाकघरों को प स्टै डि द्वारा की गई आपूर्तियों को हिसाब में नहीं लिया गया था। परिमण्डल अध्यक्षों को इन भिन्नताओं के समाधान करने की आवश्यकता है। क्योंकि इनमें गलत वर्गीकरण ही नहीं अपितु इनमें धोखाधड़ी व चोरी आदि के वास्तविक मामले भी हो सकते हैं।

43.13 लोक शिकायतें

डाक लेखन सामग्री की अनुप्लब्धता से उत्पन्न लोक शिकायतें स्टैम्प डिपो के असन्तोषजनक निष्पादन को इंगित करती हैं जोकि डाकघरों को डाक लेखन सामग्री की मांग, स्टॉक रखने तथा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। लोक शिकायतों के कुछ मामले जो लेखापरीक्षा में पाये गये निम्नलिखित थे:–

(i) सितम्बर और दिसम्बर 1994 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (यू टी आई) ने 536.00 करोड़ रू. के किसान विकास पत्र प्रधान डाकघर बंगलोर से खरीदे और उनके केवल अस्थायी प्राप्तियाँ जारी की गई थी जबकि प्रधान डाकघर में उच्च मूल्यवर्ग के किसान विकास पत्र उपलब्ध नहीं थे। यू टी आई ने लगभग तीन वर्ष के अंतराल के बाद मार्च 1997 में मुख्य महा डाकपाल को मु डा घ बंगलोर द्वारा कि वि प के जारी न करने की शिकायत की। यह पाया गया कि मु डा घ 50000 रू. मूल्य वर्ग के कि वि प की आपूर्ति को प स्टै डि बंगलोर से प्राप्त करने में विफल रहा जबकि प स्टै डि में प्रर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था।

(ii) जनवरी/फरवरी 1997 कनार्टक परिमण्डल में शिमोगा डाक मण्डल के अन्तर्गत सभी तीन मुख्य डाकघरों में 1 रू. मूल्यवर्ग की डाक टिकटों की अत्याधिक कमी थी। प स्टै डि बंगलोर 1997 के पिछले 2-3 महीनों के लिए इन मु डा घ को टिकटों की आपूर्ति करने में विफल रहा। कमी के कारण जनता से शिकायत प्राप्त हुई। वार्षिक पुर्वानुमान मांग पत्र प्रस्तुत करने और वास्तविक आपूर्ति जोकि आवश्यकता से बहुत कम थी, के बेमेल होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई।

(iii) 1994-95 के दौरान राजस्थान डाक परिमण्डल में स्टैम्प और लेखन सामग्री की कमी के कई उदाहरण रहे जिसकी आम जनता द्वारा आलोचना हुई। ये कमियाँ दूर की जा सकती थीं यदि मांग पत्र और वास्तविक आपूर्ति में उचित सामंजस्य होता।

44 डाक एवं दूरसंचार औषधालयों की कार्यप्रणाली

44.1 प्रस्तावना

डा व दू औषधालयों की योजना का आरम्भ 1951 में 5000 या अधिक हिताधिकारी वाले कार्यालयों को व्यापक चिकित्सा देखभाल, आवासी देखभाल प्रयोगशाला की दैनिक परीक्षण सुविधाएँ, परिवार कल्याण सेवाएँ आदि के लिये किया गया। अभी तक 48 स्टेशनों पर 15 परिमण्डलों में 63 डा व दू औषधालय हैं। पिछले दो वर्षों में कार्डधारकों, हिताधिकारियों और डा व दू औषधालय में व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 44.1

वर्ष	हिताधिकारियों की श्रेणी	आँकड़े (लाख में)		व्यय (करोड़ रु. में)		
		कार्ड धारकों की संख्या	हिताधिकारियों की संख्या	प्रशासनिक	अन्य	कुल योग
1995-96	डा वि दू वि वृत्ति–भोगी	0.59 0.87 0.10	3.05 4.28 0.32	6.26	9.68	15.94
1996-97	डा वि दू वि वृत्ति–भोगी	0.57 0.68 0.09	2.61 3.69 0.27	7.64	9.65	17.29

उन स्थानों पर जहाँ डा व दू औषधालय उपलब्ध नहीं हैं, कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना (के स स्वा यो) के अर्न्तगत सुविधा मिलती है। जहाँ पर न तो डा व दू औषधालय है, न ही के स स्वा यो के औषधालय हैं वहाँ वे अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा के हकदार हैं।

44.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

डा व दू के कार्य पर विशेषकर दवाइयों की अधिप्राप्ति, भण्डारण और निर्गम, हिताधिकारियों के अभिलेखों का रख–रखाव और अन्य संबंधित विषयों पर 1992-97 की अवधि के लिये अप्रैल–मई 1997 के दौरान समीक्षा की गई थी। नमूना जाँच के लिये छः परिमण्डलों में स्थित पच्चीस औषधालयों का चयन किया गया था।

44.3 संगठनात्मक ढाँचा

डा व दू के औषधालयों का प्रबन्धन डा वि के संबंधित परिमण्डलों के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अपने क्षेत्राधिकार के औषधालयों के कार्यों के नियंत्रण, मॉनीटर करने और पर्यवेक्षण के लिये तीन क्षेत्रीय उप–महानिदेशक (चिकित्सा) उत्तरदायी है।

44.4 मुख्य विशेषताएँ

* डा वि डा व दू के औषधालयों के कार्डधारकों से अंशदान वसूल नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा अंशदान डा वि और दू वि के उन कर्मचारियों से लिया जा रहा है जोकि के स स्वा यो के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बाद की अवधि में 2.62 करोड़ रू. प्रतिवर्ष की आवर्ती गैर–वसूली सहित वर्ष 1994-97 की अवधि में 7.86 करोड़ रू. की गैर–वसूली हुई।
* गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश परिमण्डलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो या सीधे उत्पादकों से अस्पताल आपूर्ति दर पर दवाइयाँ खरीदने की अपेक्षा भारी मात्रा में स्थानीय खरीदारी का आश्रय लिया। इसके कारण वर्ष 1994-97 की अवधि में 1.29 करोड़ रू. की हानि हुई। मध्यप्रदेश में औषधालयों की 84 प्रतिशत दवाइयों की जरूरत स्थानीय खरीददारी से पूरी की गई।
* मध्यप्रदेश के भोपाल और रायपुर औषधालय में प्रति कार्ड व्यय असामान्य रूप से अधिक था।
* अलीगढ़ औषधालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 1988-92 की अवधि में दवाइयों की अधिप्राप्ति पर प्रतिवर्ष 50 लाख रू. से अधिक का असामान्य रूप से ज्यादा व्यय किया था। उसी मु चि अ ने 1992 में लखनऊ औषधालय में स्थानान्तरण होने पर भारी मात्रा में खरीददारी की। डा वि को अभी इस मामले की जाँच करके जिम्मेदारी निर्धारित करनी है।

44.5 हिताधिकारियों से अंशदान न वसूलना।

डा वि और दू वि ने हिताधिकारियों से 7.86 करोड़ रू. का अंशदान वसूल नहीं किया

डा व दू औषधालय डा व दू कर्मचारियों को वैसी ही चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान कर रहे है जैसी के स स्वा यो केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों और डा व दू कर्मचारियों को प्रदान कर रही है। जहाँ पर के स स्वा यो और डा व दू औषधालय दोनों योजनाएँ उपलब्ध हैं वहाँ पर डाक व दूरसंचार विभागों के कर्मचारी किसी एक योजना को चुन सकते है। डा वि और दू वि, दोनों अपने उन कर्मचारियों से अशंदान वसूल कर रहें हैं, जो के स स्वा यो के हिताधिकारी हैं, किन्तु ऐसा ही अशंदान, वृत्ति–भोगियों को छोड़कर, डा व दू औषधालय योजना के हिताधिकारियों से वसूल नहीं किया जा रहा है। सितम्बर 1990 में डा वि ने डा व दू औषधालय योजना के कार्डधारकों से के स स्वा यो के हिताधिकारियों के समरूप अशंदान वसूल करने का अनुमोदन करते हुये इस विषय को दू वि को अनुमोदन के लिये भेज दिया था। तथापि सात वर्ष से भी अधिक समय बीतने के बाद दू वि ने दिसम्बर 1997 तक कोई निर्णय नहीं लिया था। डा वि ने भी यह विषय ऐसे ही छोड़ दिया है। इस प्रकार दोनों ही विभागों ने डा व दू औषधालय योजना के अर्न्तगत कर्मचारियों से अशंदान वसूल नहीं किया था। केवल 1994-97 की अवधि में अशंदान वसूल न करने के कारण इन विभागों द्वारा छोड़ी गई राशि औसतन 15 रू. प्रति

कार्डधारक प्रतिमाह की दर से लगभग 7.86 करोड़ रू. बनती है। इस कारण प्रतिवर्ष 2.62 करोड़ रू. का आवृत घाटा हो रहा है।

44.6 दवाइयों की अधिप्राप्ति और भण्डारण

डा वि द्वारा अप्रैल 1994 में डा व दू के औषधालयों के लिये बनाई गई अधिप्राप्ति नीति के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो (स चि म डि) दवाइयाँ प्राप्त करने का मुख्य स्त्रोत है। औषधालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु चि अ)/चिकित्सा अधिकारी (चि अ) को पिछली खपत, विद्यमान भण्डार आदि के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष की अपनी आवश्यकताओं का वार्षिक मांगपत्र अक्तूबर माह के अन्त तक तैयार करना होता है। मु चि अ/चि अ को मांगपत्र परिमण्डलीय क्रय समिति (प क्र स) के अनुमोदन के लिये उप–महानिदेशक के द्वारा प्रस्तुत करना होता है। प क्र स के अनुमोदन के पश्चात, मांगपत्र प्रतिवर्ष जनवरी के पहले सप्ताह तक स चि भ डि के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। यदि जून के अन्त तक स चि भ डि से आपूर्ति प्राप्त नहीं होती तो मु म डा प सीधे विनिमार्ताओं से दवाइयाँ प्राप्त कर सकता है। उन दवाइयों की खरीद जो विशेषज्ञों के द्वारा सुझाई जाती है, स्थानीय अधिकृत दवाई विक्रेताओं से की जा सकती है। परन्तु ऐसी खरीद को न्यूनतम रखना चाहिए।

छः परिमण्डलों–आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दवाइयों की प्राप्ति की गहन जाँच से निम्न विद्धित हुआ है।

44.6.1 मांगपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब और भारी मात्रा में दवाइयों की भारी स्थानीय खरीद।

दवाइयों का मांगपत्र प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब थे

(i) छः परिमण्डलों में 25 औषधालयों की नमूना जॉच में, 1996-97 की अवधि में 12 औषधालयों में एक से 12 माह तक मांगपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये गये तथा मध्य प्रदेश मण्डल के दो औषधालयों ने मांगपत्र कतई प्रस्तुत नहीं किए। वर्ष 1995-96 में भी 11 औषधालयों ने समय पर मांगपत्र प्रस्तुत नहीं किए। विलम्ब से मांगपत्रों की प्रस्तुती से स चि भ डि द्वारा दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। विलम्ब से मांगपत्रों की प्रस्तुती आपूर्ति न करने का एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण स चि भ डि द्वारा दवाइयों की भारी मात्रा में स्थानीय खरीद हुई।

मु चि अ ने आवश्यकता से अधिक दवाइयों की स्थानीय खरीद की

(ii) गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश परिमण्डलों के औषधालयों में मु चि अ ने अपनी दवाइयों के कुल खरीद का 42 प्रतिशत स्थानीय अधिकृत दवाई विक्रेताओं से खरीदा। यद्यपि, दवाइयों की स्थानीय खरीद केवल विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई स्थितियों में ही अनुमत है, म प्र परिमण्डल के छः औषधालयों–भोपाल, जबलपुर और रायपुर में 1996-97 की अवधि में 84 प्रतिशत दवाइयों की अधिप्राप्ति स्थानीय क्रय द्वारा की गई जबकि केवल 4.4 प्रतिशत स चि भ डि और 11.6 प्रतिशत क्रय सीधे विनिर्माताओं से थोक में की गई। इनमें से दो ने भोपाल-I और भोपाल-II में कोई भी

मांगपत्र स चि भ डि को प्रस्तुत नहीं किया। इन परिमण्डलों में स चि भ डि अथवा विनिर्माताओं से खरीद की बजाए असामान्य रूप से बहुत भारी मात्रा में स्थानीय अधिकृत दवाई विक्रेताओं से खरीद की प्राथमिकता की विस्तृत जाँच डा वि को करनी चाहिए।

नमूना जाँच किए गए परिमण्डलों में 1996-97 की अवधि में स चि भ डि विनिर्माताओं और स्थानीय दवाई विक्रेताओं से खरीद की मात्रा नीचे दी गई है:–

(लाख रू. में)

परिमण्डल का नाम	*स चि भ डि*	*विनिर्माताओं*	*स्थानीय क्रय*	*कुल*
म प्र	6.37	16.64	119.64	**142.65**
राजस्थान	19.08	53.12	67.02	**139.22**
गुजरात	55.21	77.64	26.91	**159.76**
उ प्र	26.47	64.57	38.84	**129.88**
आ प्र	22.66	17.15	8.69	**48.50**
कुल	**129.79**	**229.12**	**261.10**	**620.01**

(iii) डा व दू औषधालयों के प्रभारी मु चि अ/चि अ को 6000 से 8000 रू. प्रतिमाह तक स्थानीय खरीद की अनुमति है। मु चि अ/चि अ ने 28 औषधालयों में 1994-97 अवधि में 7.27 करोड़ रू. की दवाइयाँ स्थानीय रूप से अधिप्राप्त की जबकि ऊपर दिए गए मानकों के अनुसार अधिकतम अनुमोदित सीमा 80.60 लाख रू. बनती है।

छूट न लेने से 1.29 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय

(iv) विनिर्माताओं से अस्पताल आपूर्त दर पर थोक दवाइयों की खरीद करने पर विभाग 20 प्रतिशत छूट का हकदार है। भारी मात्रा में स्थानीय खरीद करने से विभाग को 1994-97 की अवधि में 1.29 करोड़ रू. की हानि इसलिए भुगतनी पड़ी क्योंकि अस्पताल आपूर्ति दर की छूट का फायदा नहीं उठाया गया।

44.6.2 दवाइयों के क्रय में अनियमितताएँ

प्रभारी मु चि अ, अलीगंज औषधालय, लखनऊ द्वारा प क्र स के अनुमोदन के बिना मांगपत्र प्रस्तुत करना।

(i) लखनऊ परिमण्डल के प्रभारी मु चि अ ने 1992-93 के दौरान मु म डा प के प क्र स के अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना सीधे स चि भ डि, दिल्ली को दवाइयों की आपूर्ति के आदेश दिए। यह न केवल डा वि के अनुदेशों के विपरीत था परन्तु जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ प्राप्त करने का भी कारण बना। इनमें से एक औषधालय डा व दू औषधालय न. 3 अलीगंज़ लखनऊ को 1992 की अवधि के दौरान अधिक भण्डारण के कारण 23.49 लाख रू. के मूल्य की दवाइयों को अन्य औषधालयों में स्थानान्तरित करना पड़ा। तीन औषधालयों के मांगपत्र को प्रस्तुत करने के अभिलेख 1993 से सतर्कता शाखा के पास लम्बित पड़े थे।

(ii) छः परिमण्डलों में 25 औषधालयों के नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि प्रभारी मु चि अ ने स्थानीय रूप से खरीदी गई औषधियों को स्टॉक रजिस्टरों में नहीं लिया। ऐसे अभिलेखों के बिना औषधियों के लेखांकन प्राप्ति व निर्गम की जाँच नहीं की जा सकी। इससे क्षेत्रीय डी डी जी (चिकित्सा) द्वारा औषधालयों के कार्यकलापों में पर्यवेक्षण की कमी दिखाई देती है क्योंकि उनके द्वारा स्टॉक की स्थिति की जाँच तथा स्थानीय खरीद की छःमाही निरीक्षण व औषधालयों की आकस्मिक जाँच अपेक्षित थी।

44.6.3 असामान्य व्यय

उसी मु चि अ को जब वह दो औषधालयों में पदस्थापित था अधिक व्यय और अधिक अधिप्राप्ति के लिए जिम्मेवार पाया।

नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि अलीगढ़ औषधालय के मु चि अ ने वर्ष 1988-92 में अपनी पदस्थापनाके दौरान प्रतिवर्ष 50 लाख रू. से अधिक व्यय किया। वर्ष 1991 में उनके स्थानान्तरण के बाद 1992-97 में यह व्यय प्रतिवर्ष 2.70 लाख रू. से 13 लाख रू. के बीच रह गया। उसी मु चि अ ने अलीगंज औषधालय लखनऊ में वर्ष 1992-93 में औषधियों की अधिक अधिप्राप्ति की जैसा पैराग्राफ 44.6.2 (1) में दर्शाया गया है।

प्रतिकार्ड व्यय में बढ़ोतरी

चूँकि विभिन्न परिमण्डलों के बीच और औषधालयों के बीच व्यय और बजट आबंटन में काफी विभिन्नताएँ पाई गई, अतः डा वि ने 1994 में डाक व तार औषधालयों के व्यय के विषय में मानक निर्धारित करने के लिए अनुदेश जारी किये। इसके अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिकार्ड व्यय 900 रू. के अन्दर होना चाहिए और बजट मांग और आबंटन भी इन्हीं मानकों के आधार पर होना चाहिए। डा वि ने सभी मु म डा प को स्थाई स्टॉफ और पेंशन भोगी कर्मचारियों के औषधालय कार्डों को शीघ्र अद्यतन करने के निर्देश दिये।

तथापि संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ।

(i) चार परिमण्डलों में बारह औषधालयों की नमूना जाँच के दौरान सात औषधालयों का व्यय प्रतिकार्ड प्रतिवर्ष 900 रू. की सीमा के अन्दर होना चाहिए था। परन्तु पाँच औषधालयों ने वर्ष 1996-97 में निर्धारित मानकों से बहुत अधिक व्यय किया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:–

तालिका 44.6.4

(रू. में)

औषधालय और परिमण्डल का नाम	प्रति मानक के अनुसार प्रतिकार्ड व्यय	वास्तविक व्यय प्रतिकार्ड	मानकों से अधिक व्यय
उसमानपुर अहमदाबाद गुजरात	900	1032.64	132.64
भोपाल-I, म प्र	900	1620.62	720.62
रायपुर, म प्र	900	1557.48	657.48
मुरादाबाद उ प्र	900	1294.23	394.23
गोरखपुर, उ प्र	900	1272.12	372.12

गुजरात और राजस्थान में औसत व्यय प्रतिकार्ड 900 रू. के आसपास था जबकि उ प्र और आन्ध्र प्रदेश में यह 450 रू. से भी कम था। म प्र में औसत प्रतिकार्ड व्यय तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा था। अतः उपरोक्त पाँच औषधालयों में 1032.64 रू. से 1620 रू. के बीच के इस असाधारण उच्च व्ययकी जाँच की आवश्यकता है।

औषधालय कार्डों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई

(ii) डा व दू औषधालय कार्ड से चिकित्सा सुविधा, विवाहित पुत्री और पुत्र जोकि रोज़गार में हो या 25 वर्ष पार कर चुके हो, उनको नहीं दी जाती है। विभाग के अनुदेशों के अनुसार हर कर्मचारी के औषधालय कार्ड का नवीकरण हर पाँच साल बाद और पेंशन भोगी का प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, ताकि उन कार्डधारकों के परिवार के उन सदस्यों जिनकी पात्रता समाप्त हो गई हो उनकी चिकित्सा सुविधा न दी जाये। नमूना जाँच किये गये 25 औषधालयों में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया गया।

44.7 कालावधि समाप्त हुई दवाइयों का जारी करना

कालावधि समाप्त हुई दवाइयों का मरीजों को जारी करना

(i) प्रभारी मु चि अधिकारियों के 25 औषधालयों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि अनुदेशों के उल्लंघन में, जिससे दवाइयों की कालावधि समाप्त तिथि व दवाइयों को प्राप्त करने कि तिथि दर्शाने वाला दवाइयों का रजिस्टर नहीं बनाया गया। मई 1997 की नमूना जाँच के दौरान आठ औषधालयों में 6.77 लाख रू. मूल्य के कालावधि समाप्त दवाइयों को स्टॉक में रखने के मामले पाये गये। बहुत से मामलों में कालावधि समाप्त हुई दवाइयों की कीमत भी औषधालयों में उपलब्ध नहीं थी। अगस्त 1994 से जनवरी 1996 तक डा व दू औषधालय, गोरखपुर ने नीचे दी गई कालावधि समाप्त हुई दवाइयाँ मरीज़ों को जारी कीः–

तालिका 44.7

दवाइयों का नाम	कालावधि समाप्ति की तिथि	जारी की गई मात्रा यूनिट में	जारी करने की तारीख
1. ओसामिसल-पी चाइल्ड	नवम्बर 1995	44	जनवरी 1996
2. ओसामिसल-पी एडल्ट	नवम्बर 1995	425	नवम्बर 1995 से अगस्त 1996
3. सिप-सिस्टल एफ 60 मि.लि.	अगस्त 1994	273	सितम्बर 1994 से नवम्बर 1994
4. मिकोजिल पल्स आई ड्राप	नवम्बर 1994	65	मार्च 1995

अप्रैल 1997 में मु चि अ के अनुसार दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर में कालावधि समाप्ति की तिथि नहीं दर्शाने के कारण ऐसी दवाइयाँ जारी की गई। तथापि औषधालयों का मु चि अ ही स्वयं दवाइयों के रजिस्टर के रखरखाव के लिए जिम्मेवार था। क्योंकि कालावधि समाप्त हुई दवाइयाँ मरीज़ के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। अतः डा वि को चाहिए कि दवाइयों का रजिस्टर ठीक तरह से न रखने की जाँच करें और जिम्मेवारी तय करें कि किन मु चि अ व औषधालय के अन्य कर्मचारियों की चूक के कारण दवाइयों के रजिस्टर का उचित रख–रखाव नहीं हुआ जिससे कालावधि समाप्त हुई दवाइयाँ मरीज़ों को जारी की गई।

औषधालयों में से कुछ के द्वारा एक बार ही प्रयोग की जाने वाली सिरींज का उपयोग न किया जाना

(ii) संसदीय समिति की अनुशंसा पर डा वि ने फरवरी 1996 में यह निर्णय लिया कि सभी डा व दू के औषधालयों में केवल एक बार उपयोग में लाने वाली सुई व सिरींज का उपयोग किया जायेगा। राजस्थान व उ प्र परिमण्डल के नौ औषधालयों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि देहरादून व जयपुर के दो औषधालयों ने डा वि के एक बार सिरींज को उपयोग करने के अनुदेशों का पालन नहीं किया जिसके कारण मरीज़ संक्रमण रोग जैसे एच आई वी व हैपीपेटाईटिस इत्यादि के जोखिम के चपेट में आ सकते हैं।

44.8 वे नगर जो के स स्वा यो के अन्तर्गत हैं उनमें डा व दू के औषधालयों को बंद नहीं किया गया।

जिन स्थानों पर जहाँ पर के स स्वा यो कार्य कर रही हैं वहाँ पर डा वि द्वारा समांतर डा व दू औषधालयों को चलाना

भारत सरकार ने सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये जिनमें डा वि व दू वि शामिल हैं उनके लिए के स स्वा यो शुरू की है। इस सेवा को धीरे–धीरे काफी नगरों में लागू किया गया। अहमदाबाद, जयपुर, जबलपुर, लखनऊ और पुणे जहाँ पर के स स्वा यो लागू है वहाँ पर डा व दू औषधालय भी काम कर रहे हैं। उन्हीं स्थानों पर के स स्वा यो के समान्तर डा व दू के औषधालयों को चलाने का न्यायोचित कारण होना चाहिए। डाक विभाग ने इन औषधालयों को न ही बंद करने की और न ही के स स्वा यो में मिलाने की कोई कार्यवाही की है।

44.9 अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण

डा व दू औषधालयों पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण का अभाव

विभागीय अनुदेशों के अनुसार डा व दू औषधालयों के कार्यचालन का क्षेत्रीय म ड नि (चिकित्सा), परिमण्डल सतर्कता, दस्ता और आन्तरिक जाँच संगठन के स्तर पर कुछ जाँच एजेन्सियाँ नियत हैं। लेकिन यह औषधालय पर प्रभावी नियंत्रण और उन्हें मॉनीटर करने में अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रहे। म ड नि को आकस्मिक निरीक्षण की जिम्मेवारी सौंपने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिहार परिमण्डल के डा व दू औषधालय में ऐसी गम्भीर अनियमितताओं के ध्यान में आने के बाद डा वि ने विभिन्न परिमण्डलों के मु डाकपालों को अक्तूबर 1995 परिमण्डल सतर्कता दस्ते जिसमें सतर्कता अधिकरी, सहायक अधीक्षक डाक, निरीक्षक डाकघर बनाने के लिए अनुदेश जारी किये जो औषधियों के स्टॉक, मांगपत्र प्रक्रिया औषधियों की प्राप्ति व जारी करने की पद्धति की संवीक्षा करेगा। जाँच दस्ते द्वारा अपना रिपोर्ट डा वि को भेजा जाना अपेक्षित था। नमूना जाँच किये गये किसी भी औषधालय की कभी परिमण्डल सतर्कता दस्ते द्वारा मुआयना नहीं किया गया।

नवम्बर 1997 में मामला मंत्रालय को भेजा गया था; दिसम्बर 1997 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

45 अकुशल क्रय प्रणाली के कारण 1.66 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय

डा वि ने 1994-96 के दौरान कैनवास डाक थैलों के क्रय पर 1.66 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय किया जिससे कि निविदाओं की प्रक्रिया व उन्हें अन्तिम रूप देने के अच्छे प्रबन्धन से पूरी तरह बचा जा सकता था।

1994-96 के दौरान डा वि द्वारा कैनवास डाक थैलों की अधिप्राप्ति की संवीक्षा से अधिप्राप्ति के विवेकहीन प्रबन्धन और विभाग में धन के मूल्य को ही महत्व देने के बारे में पता चला। डा वि ने निविदा में उद्धृत दरों के अनुमोदन के लिए निर्णय को अन्तिम रूप देने में देरी और कीमतों में गिरावट के बारे में जानते हुए भी सुपुर्दगी अनुसूची में अविवेकपूर्ण विस्तार के कारण दो वर्षों में 1.66 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय किया।

निविदाओं की अयोग्य प्रक्रिया के कारण वैधता अवधि समाप्त

1995 में डा वि ने 14.20 लाख कैनवास डाक थैलों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा की प्रक्रिया में सात महीने लिए। डा वि ने निविदा को 20 अप्रैल 1995 को खोला, परन्तु नवम्बर 1995 तक निर्णय लेने में विफल रहा। इस समय तक प्रस्ताव की वैधता समाप्त हो गई थी और डा वि को नवम्बर 1995 में दूसरी निविदा के आमंत्रण के लिए विवश होना पड़ा। इस निविदा की दरें अप्रैल 1995 में खोली गई निविदा, जिसकी वैधता अन्तिम रूप देने में देरी के कारण समाप्त हो चुकी थी, की अपेक्षा बहुत अधिक थी। जून 1996 में 10.21 लाख थैलों को नवम्बर 1995 की निविदा की उच्चतर दरों पर क्रय करने के परिणामस्वरूप 1.55 करोड़ रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

डा वि ने बाद की निविदा में कीमतों में कमी को जानते हुए भी सुपुर्दगी अनुसूची को बढ़ाया। अतिरिक्त व्यय 10.81 लाख रू. था।

डा वि ने अगस्त–नवम्बर 1994 में चार फर्मों को 10.75 लाख थैलों के लिए आपूर्ति आदेश दिए, जिनकी आपूर्ति 31 दिसम्बर 1994 से 15 मार्च 1995 तक की जानी थी। फर्मों ने सुपुर्दगी की निश्चित अवधि तक केवल 5.99 लाख थैलों की आपूर्ति की। इसी बीच, डा वि ने 20 अप्रैल 1995 को 1995-96 के लिए नयी निविदाएँ खोली, जिनमें उसी प्रकार के डाक थैलों का न्यूनतम मूल्य 2.19 से 9.70 प्रतिशत तक कम था। डा वि को क्रय आदेश की शर्तों के अनुसार, निश्चित अवधि के भीतर आपूर्त की गई मात्रा पर आपूर्ति आदेशों को रोक देने का विकल्प था। तथापि, निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) ने परिनिर्धारित नुकसान की वसूली के साथ सुपुर्दगी अनुसूची को बढ़ाने का विकल्प दिया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, डा वि ने 1995-96 में प्राप्त हुई दरों की तुलना में 1994-95 की उच्चतर दर पर 4.76 लाख थैलों का क्रय किया। उन पर अतिरिक्त भुगतान 11.07 लाख रू. का था जबकि परिनिर्धारित नुकसान केवल 9.59 लाख रू. ही वसूल किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1.48 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

जून 1996 के आपूर्ति आदेश में दिसम्बर 1996 तक आपूर्ति को पूरा करना था। इसी बीच, जुलाई 1996 में 1996-97 की अधिप्राप्ति के लिए भी निविदा खोली गई, जिनमें नवम्बर 1995 की निविदा की अपेक्षा दरें चार से छः प्रतिशत न्यूनतर थी। फिर

भी, निदेशक (सामग्री प्रबन्धन) ने परिनिर्धारित नुकसान की वसूली पर 4.04 लाख थैलों की आपूर्ति के लिए जून 1996 के आपूर्ति आदेश में विस्तार दिया। सौदेबाजी में, डा वि ने बढ़ाई गई अवधि के दौरान 4.04 लाख थैलों की आपूर्ति पर 11.03 लाख रू. का अतिरिक्त भुगतान किया जबकि डा वि ने केवल 1.70 लाख रू. के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली की। इस अविवेकपूर्ण निर्णय से 9.33 लाख रू. अतिरिक्त लागत आई।

दिसम्बर 1997 में मंत्रालय ने बताया कि किसी तकनीकी अड़चन के कारण वे 1995-96 के लिए निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सके क्योंकि वित्तीय सलाहकार का मत था कि क्रय का मूल्य पाँच करोड़ रू. से अधिक था इसलिए निविदा मूल्यांकन समिति (नि मू स) के लिए वित्त मंत्रालय के एक प्रतिनिधि की जरूरत थी। सुपुर्दगी अनुसूची को विस्तार देने के अपने निर्णय के बचाव में मंत्रालय ने आगे बताया कि नयी निविदाओं के अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण उन्होंने पुराने आपूर्ति आदेशों की सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाया था ताकि परिचालन जरूरतों को पूरा किया जा सके।

डा वि एक छोटी सी प्रक्रिया अड़चन को सुलझाने में विफल रहा जिससे अधिक व्यय आरोपित हुआ

डा वि का उत्तर विभाग में निविदाओं की प्रक्रिया और उन्हें अन्तिम रूप देने में अयोग्यता को रेखांकित करता है जिसके कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। यह भी स्पष्ट नहीं है कि नि मू स के लिए वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि का उपस्थित होना जरूरी था या नहीं, डा वि इस छोटे से तकनीकी गतिरोध को जल्दी से दूर करने में क्यों विफल रहा।

46 रिसोग्राफ मशीनों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति

डा वि ने उपयोगिता व मितव्ययता की जांच किये बिना 33.80 लाख रू. में आठ रिसोग्राफ मुद्रण मशीनें अधिप्राप्त की जिससे निवेश संदिग्ध हुआ।

निजी मुद्रकों पर निर्भरता से बचने के लिए डा वि ने आठ रिसोग्राफ अधिप्राप्त किये

विभागीय फॉर्मों के मुद्रण के लिये निजी मुद्रकों पर निर्भरता से बचने के विचार से मार्च–अप्रैल 1994 में डा वि ने हिन्दुस्तान कम्प्यूटर लिमिटेड से 15.80 लाख रू. की लागत पर डाक भंडार डिपो (डा भं डि) गुवाहाटी, मुम्बई, नागपुर और शिमला में संस्थापित करने के लिए चार रिसोग्राफ डिजीटल स्कैनर कम डुप्लीकेटर मशीनें अधिप्राप्त कीं। पहले क्रय के आठ महीनों के भीतर, दिसम्बर 1994 में डा वि ने 18 लाख रू. की चार और मशीनों के लिए पुनः आदेश दिये जो डा भं डि द्वारा कोयम्बतूर, लुधियाना, विजयवाड़ा व वाराणसी में प्रयुक्त की जानी थी।

मई–जून 1997 में सात डा भं डि में सात मशीनों के उपयोग पर लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ।

रिसोग्राफ का निराशाजनक उपयोग

सात परिमंडलों के डा भं डि ने डा वि के लक्ष्य का केवल 7.28 प्रतिशत प्राप्त किया था।

(i) डा वि ने प्रति माह आठ लाख फॉर्मों का लक्ष्य इस पूर्वानुमान पर तय किया था कि मशीन 75 प्रतिशत की अधिकतम गति से एक माह में 25 दिनों के लिये एक दिन में छः घंटों के लिए चालू रहेंगी। अप्रैल 1994–अक्तूबर 1995 तक मशीनें चालू कर दी गई थीं। इन मशीनों का क्रय करते समय डा वि द्वारा तय किये गये लक्ष्य के अनुसार, नवम्बर 1997 तक सात मशीनों को 17.86 करोड़ फॉर्म मुद्रित कर लेने चाहिये थे। तथापि, संवीक्षा ने उजागर किया कि सात डा भं डि ने केवल 1.30 करोड़ फॉर्म मुद्रित करने के लिए उनका उपयोग किया था जो कि लक्ष्य का मात्र 7.28 प्रतिशत है। प्रतिमाह आठ लाख फॉर्म के प्रत्याशित उत्पादन के प्रति, प्रति मशीन प्रतिमाह औसत उत्पादन केवल 58 हजार था।

उनके उपयोग पर अपवाद होने के बावजूद दूसरे लॉट की जल्दबाजी में अधिप्राप्ति

पहले लॉट में क्रय किये गये रिसोग्राफ के निष्पादन का मूल्यांकन किये बिना डा वि ने जल्दबाजी में चार और मशीनें अधिप्राप्त कीं।

(ii) पर्याप्त समय के लिये प्रतीक्षा करके तथा रिसोग्राफ के प्रयोग द्वारा उसकी उपयोगिता व मितव्ययता का मूल्यांकन करने की अपेक्षा डा वि ने वास्तव में, तीन सी पी एम जी/अधीक्षक द्वारा रिसोग्राफों की क्षमता और लागत प्रभावोत्पादकता के बारे में व्यक्त किये कुछ संदेहों की उपेक्षा की और 18 लाख रू. की चार नई मशीनों की अधिप्राप्ति के लिये हड़बड़ी की।

रिसोग्राफ के प्रावधान के बावजूद भी स्थानीय मुद्रण

(iii) इन मशीनों की अधिप्राप्ति का प्रयोजन ही संदिग्ध बन गया था क्योंकि डा भं डि ने निजी मुद्रकों के माध्यम से स्थानीय मुद्रण का आश्रय लिया था। 1994-97 के दौरान, छः परिमंडलों में डा भं डि ने निजी मुद्रकों के माध्यम से 40.64 लाख रू. की लागत पर आठ करोड़ फॉर्म मुद्रित किये थे।

रिसोग्राफ मुद्रण अधिक खर्चीला

रिसोग्राफ के माध्यम से डा भं डि ने मुद्रण पर 27.30 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय उठाया

(iv) डा वि ने अधिप्राप्ति से पहले इन मशीनों के माध्यम से मुद्रण के प्रति पृष्ठ की लागत की जांच नहीं की थी। निजी प्रैस के माध्यम से मुद्रण का केवल पांच पैसे जिसमें पेपर की लागत भी सम्मिलित की गई थी, के प्रति रिसोग्राफ मशीन के माध्यम से पूंजी, मूल्यह्रास अनुरक्षण व खपत योग्य जिसमें पेपर की लागत सम्मिलित नहीं की गई थी, के ऊपर ब्याज को हिसाब में लेकर मुद्रण फॉर्म की औसत लागत 26 पैसे प्रति पृष्ठ अधिक थी। विभाग ने रिसोग्राफ मशीनों की मदद से 1.30 करोड़ फार्म इन–हाउस के मुद्रण से 27.30 लाख रू. का अतिरिक्त व्यय उठाया।

संवीक्षा ने उजागर किया कि अधीक्षक डा भं डि विजयवाड़ा ने जनवरी 1995 से नवम्बर 1997 के दौरान रिसोग्राफ के माध्यम से पेपर लागत को छोड़कर 1.11 रू. प्रति पृष्ठ की औसत लागत पर 4.13 लाख फॉर्म मुद्रित किये। 1994-97 के दौरान उसने

6.77 लाख रू. की कुल लागत पर निजी मुद्रकों के माध्यम से स्थानीय रूप से 4.14 करोड़ फॉर्म मुद्रित किये जिनका हिसाब केवल दो पैसे से भी कम प्रति पृष्ठ बनता है।

डा भं डि मुम्बई ने अधिक खर्चीले पेपर का प्रयोग किया

(v) मुद्रण के लिये इन मशीनों को 46 जी एस एम से ऊपर पेपर गुणता की किसी भी किस्म को स्वीकार करने के लिये बनाया गया है। तथापि, डा भं डि मुम्बई ने 70 जी एस एम मैपलिथो पेपर का प्रयोग इस आधार पर किया था कि घटिया गुणता का प्रयोग परिचालन समस्यायें देगा। 70जी एस एम मैपलिथों पेपर की लागत 34 रू. प्रति कि ग्रा थी और सामान्य सफेद मुद्रण कागज की लागत 20 रू. प्रति कि ग्रा थी। इसके परिणामस्वरूप जून 1996 से मई 1997 के दौरान 6.53 लाख रू. का परिहार्य व्यय हुआ।

खराब निष्पादन व मुद्रण की अधिक लागत ने रिसोग्राफ के क्रय के निर्णय को संदिग्ध बना दिया।

इस प्रकार, रिसोग्राफ मशीनों के क्रय के लिये डा वि का निर्णय, उपयोगिता एवं मितव्ययता दोनों के विचार से संदिग्ध था। विभाग ने प्रति घंटा फॉर्म मुद्रित करने की रिसोग्राफ की क्षमता के बारे में विनिर्माताओं के दावे का मूल्यांकन नहीं किया; न ही निर्णय की लागत–प्रभावोत्पादकता का कोई हिसाब लगाया। इससे न केवल मशीन के क्रय पर 33.80 लाख रू. का व्यय संदिग्ध बना दिया बल्कि उनके प्रयोग पर आवर्ती अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

नवम्बर 1997 में मंत्रालय ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति में प्रशिक्षित स्टाफ, समर्थित मशीनों व गुणता स्तर के कागज़ की अनुपलब्धता कमी के कारण थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि ये मशीनें फोटो कॉपियर के रूप में भी प्रयुक्त की जा रही थीं। मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष का समर्थन करता है कि डा वि ने पर्याप्त आयोजना व समर्थन सेवाओं को उपलब्ध कराये बिना मशीन क्रय की। इसके अतिरिक्त, मुख्यतः फोटोकोपियर के रूप में इन खर्चीली मशीनों का प्रयोग औचित्यपूर्ण नहीं है, विशेषरूप से जब फोटोकोपियर बहुत कम लागत पर उपलब्ध हैं।

47 बोनस एवं पेंशन का अधिक भुगतान

अननुमत भुगतान के एक मामले में, डाक विभाग बोनस के 4.23 लाख रू. के अधिक भुगतान की राशि की वसूली को तीन वर्षों से टालता रहा। अन्य मामले में, क्षेत्रीय इकाइयों की नियमों के अनुपालन में विफलता के कारण 3.18 लाख रू. का अननुमत भुगतान हुआ।

डा वि, नई दिल्ली में स्थापना भुगतानों तथा उड़ीसा परिमण्डल में पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान के लेखाओं की जांच से 7.41 लाख रू. के निम्न अननुमत भुगतान का पता चला:

मामला I

1993-94 में डाक विभाग में काम कर रहे केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं (के स से) संवर्ग के 518 कर्मचारियों को केवल 35 दिनों की परिलब्धियों के बराबर देय बोनस के

स्थान पर 53 दिनों की परिलब्धियों के बराबर उत्पादकता से संबंधित बोनस के अधिक भुगतान की वसूली के दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला कि डाक विभाग ने दिसम्बर 1997 तक कर्मचारियों से 4.23 लाख रू. के अधिक भुगतान की वसूली नहीं की थी।

सचिव, दूरसंचार आयोग ने डा वि के कर्मचारियों को 53 दिनों की दर पर बोनस संस्वीकृत किया

सचिव, दूरसंचार ने डाक विभाग के 518 के स से संवर्ग के कर्मचारियों को, उनका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते 53 दिनों की परिलब्धियों के बराबर बोनस का अग्रिम भुगतान इस शर्त के अधीन अनुमोदन किया कि यदि वित्त मंत्रालय उनके लिए उस दर पर बोनस देने के प्रस्ताव से सहमति न दे तो अधिक भुगतान की राशि उन्हें वापिस करनी होगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की अस्वीकृति के कारण 4.23 लाख रू. का अधिक भुगतान सिद्ध हुआ

वित्त मंत्रालय ने नवम्बर 1993 और अगस्त 1994 में सलाह दी कि डाक विभाग के के स से संवर्ग के कर्मचारियों को दू वि के कर्मचारियों के लिए अनुमोदित दर पर बोनस नहीं दिया जा सकता है और अधिक भुगतान की गई राशि वसूल की जानी चाहिए। चूंकि डाक विभाग के के स से संवर्ग के कर्मचारियों के लिए 1992-93 के लिए केवल 35 दिनों के लिए बोनस अनुमत था, इसके परिणामस्वरूप 518 कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक को 38 से 947 रू. तक का अधिक भुगतान हुआ।

सचिव, डा वि ने अधिक भुगतान को बिना वैध कारणों के तीन वर्षों से वसूल नहीं किया

बोनस के स्पष्ट अधिक भुगतान तथा वित्त मंत्रालय द्वारा सलाह देने के बावजूद, सचिव, डा वि ने अधिक भुगतान की राशि की वसूली के आदेश नहीं दिये जब उन्हें जून, जुलाई और सितम्बर 1994 में फाइल प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद मामले को तब तक नहीं उठाया गया जब तक कि यह लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 1996 में इंगित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कर्मचारियों से 4.23 लाख रू. का अधिक भुगतान दिसम्बर 1997 तक बिना वसूली के रह गया।

सचिव, डाक सेवा बोर्ड ने जुलाई 1997 में बतलाया कि मामला बहुत पुराना हो गया था तथा स्टाफ को विश्वास में लिए बिना राशि की वसूली से तीव्र प्रतिक्रिया हो सकती है।

उपरोक्त तर्क मान्य नहीं है क्योंकि अक्तूबर 1993 में बोनस की संस्वीकृति देते समय कर्मचारी इस बात के लिए सहमत हुए थे कि यदि वित्त मंत्रालय ने उनकी मांग के लिए सहमति नहीं दी तो वे अधिक राशि की वापसी के लिए तैयार रहेंगे।

मामला II

पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए पेंशन पर कोई मंहगाई राहत देय नहीं है। उड़ीसा परिमण्डल में स्थापना लेखापरीक्षा तथा पेंशन वाऊचरों की लेखापरीक्षा से पता चला कि या तो दू वि या डा वि द्वारा अनुकंपा आधार पर पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों के 19 मामलों में जनवरी 1997 तक डाकपालों/उप डाकपालों ने मंहगाई राहत के रूप में 3.18 लाख रू. का अननुमत भुगतान किया। अननुमत भुगतान नियोक्ताओं द्वारा डाकपालों/उप डाकपालों को जो कि पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान कर रहे थे, पुनर्नियोजन की सूचना देने में विफलता के कारण हुआ। जैसाकि नियमों में प्रावधान है, संवितरण डाकपाल प्रत्येक

वर्ष में एक बार मई और नवम्बर में, अपने स्तर पर अनियोजन/नियोजन/पुनर्नियोजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 1997 में भेजा गया था। मंत्रालय ने दिसम्बर 1997 में बताया कि पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों से अक्तूबर 1997 तक 59 हजार रू. वसूल किए जा चुके थे। यह भी बताया गया कि शेष राशि की वसूली करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

48 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

विभाग ने लो ले स के बार-बार अनुदेशों सिफारिशों के बावजूद दो लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई उपचारी कार्रवाई-टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लिए जाने वाले विषयों के बारे में कार्यकारी की जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, लोक लेखा समिति (लो ले स) ने 1982 में यह निर्णय लिया कि मंत्रालय/विभाग उनके अन्दर समाविष्ट सभी पैराग्राफों पर की गई उपचारी/शोधन कार्रवाई–टिप्पणी (की का टि) प्रस्तुत करेंगे।

लो ले स ने 1995 तक बकाया सभी की का टि तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करने की सिफारिश की

लोकलेखा समिति ने की का टि को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने के बारे में बड़ी संख्या में मंत्रालयों/विभागों के असाधारण विलम्ब तथा सतत विफलता को गम्भीरता से लिया था। लो ले स ने अपने नौंवे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) जो कि 22 अप्रैल 1997 को ससंद में प्रस्तुत की गई थी, में निर्णय लिया कि मार्च 1994 और 1995 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के शेष की का टि का प्रस्तुतीकरण तीन महीनों की अवधि के भीतर पूरा कर लेना जरूरी है तथा सिफारिश की कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् रूप से पुनरीक्षित हों, के सभी पैराग्राफों के बारे में की का टि प्रतिवेदनों को ससंद में रखने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत करने हैं।

1995-96 से संसद के पटल पर प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के चार महीनों में की का टि प्रस्तुत करनी थी

मंत्रालय ने मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन के 13 पैराग्राफों में से दो के बारे में लो ले स को की का टि प्रस्तुत नहीं की

दिसम्बर 1997 को डाक विभाग, संचार मंत्रालय के बकाया की का टि की समीक्षा से निम्न पता चला: कि यद्यपि, 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 20 मार्च 1997 को ससंद के पटल पर रखी गई थी तथा की का टि को प्रस्तुत करने की चार महीनों की अवधि जुलाई 1997 को समाप्त हो गई थी, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 13 पैराग्राफों में से दो के बारे में अन्तिम की का टि जैसा कि नीचे वर्णित है, प्रस्तुत नहीं की:

तालिका - 48

क्र. सं	पैरा संख्या	विषय	की गई कार्रवाई की टिप्पणियों की स्थिति
1	3.2	डाकघरों में मल्टीपर्पज काउन्टर मशीनों को आरम्भ करना	अन्तिम की का टि प्रतीक्षित है।
2	4.6	विद्युतघटक को न बनाए रखने के कारण शास्तिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान	अन्तिम की का टि प्रतीक्षित है।

अक्तूबर 1997 को शेष की का टि की स्थिति मंत्रालय को भेजी गई थी, परन्तु दिसम्बर 1997 तक अन्तिम की का टि प्रतीक्षित थी।

टी. एस. नरसिम्हन

(टी एस नरसिम्हन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
डाक व दूरसंचार

दिल्ली
दिनांक 8 मई 1998

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 8 मई 1998

परिशिष्ट -I

(पृष्ठ 16 पर पैराग्राफ 2.2.4 में संदर्भित)

पुनर्विनियोजन के महत्वपूर्ण मामले जिनका उपयोग न होने के कारण वे अविवेकपूर्ण सिद्ध हुये

अनुदान संख्या 14 - दूरसंचार विभाग

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष के लिए पुनर्विनियोजन की राशि	पुनर्विनियोजन के बाद प्रमुख (शीर्ष) के अंतर्गत अंतिम बचत की राशि
1.	राजस्व 3225-दूरसंचार सेवायें	ग1(2)(4) इंजीनियरिंग मण्डलीय और उपमण्डलीय अधिकारी	0.10	13.99
2.		ग1(2)(5) महा प्रबन्धक परियोजनायें	0.15	0.25
3.		ग2(1) कुल सामान्य परिचालनात्मक प्रशिक्षण	0.96	1.45
4.		ग3(1)(1) नियंत्रण व पर्यवेक्षण	0.21	0.26
5.		ग5(4)(2) स्थानीय एक्सचेंज (दत्तमत)	2.08	4.81
6.		ग5(4)(3) ट्रंक एक्सचेंज	0.23	2.25
7.		ग5(4)(8) भण्डार डिपो	0.01	0.04
8.		ग5(4)(10) अन्य दूरसंचार भवन	0.21	2.30
9.		ग6(2)(2) मण्डलीय अधिकारी (तार)	0.55	0.89
10.		ग7(1)(1)(1) योगदान	0.38	1.14
11.		ग7(1)(3) औषद्यालय	0.01	0.04
12.		ग7(1)(4) अन्य सुविधायें	0.02	0.42
13.		ग8(1)(1) सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण बकायों का भुगतान किया	0.01	0.30
14.		ग9(1) लेखन–सामग्री व फॉर्म मुद्रण भण्डार और वितरण	2.41	4.76
15.		ग11(1)(3) अन्य प्रभार सम्पत्ति का मूल्यह्रास परित्यक्त/विखंडित/ बेचे गये/प्रतिस्थापित/निर्मित	0.61	1.57
16.		घ4(1)(4) टी आर ए आई के लिए अनुदान	0.40	0.41
17.	पूंजीगत 5225-दूरसंचार सेवाओं पर परिव्यय	खख3(1) ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज	3.20	40.97
		कुल	11.54	75.85

परिशिष्ट -II

(पृष्ठ 16 पर पैराग्राफ 2.2.4 में संदर्भित)

अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले

पुनर्विनियोजन के बाद जब वास्तविक व्यय अंतिम प्रावधान से अधिक हो गया

अनुदान संख्या 14 - दूरसंचार विभाग

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोजित राशि	पुनर्विनियोजन के बाद अंतशेष पर आधिक्य व्यय
1.	राजस्व 3225-दूरसंचार सेवायें	ग3(3) फैक्टरी	(-)2.06	6.67
2.		ग3(4) विविध व्यय	(-)19.75	66.38
3.		ग5(2)(3) उपकरण व संयत्र	(-)24.64	11.63
4.		ग5(5)(1) दूरभाष के लिये निर्माण, इंजीनियरिंग कार्य, स्थापना	(-)5.67	1.27
5.		ग6(2) लेखा, निदेशालय व परिमण्डल कार्यालय	(-)1.87	1.62
6.		ग11(2) सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम	(-)0.08	1.06
7.	पूंजीगत 5225-दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	खख3(3) हस्तचालित ट्रंक एक्सचेंज	(-)2.00	9.76
8.		खख4(6) उच्च आवृत्ति रेडियो प्रणाली	(-)35.00	16.77
9.		खख5(4) भण्डार डिपो	(-)2.00	1.64
10.		खख7(2) विनिर्माण प्रणाली लेखा	(-)23.18	10.62
	कुल		(-)116.25	127.42

परिशिष्ट-III

(पृष्ठ 34 पर पैराग्राफ 9.1 में संदर्भित)

ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना

संज्ञापन-पत्रों की प्राप्ति न होना

क्र. सं.	लाइनों/केबिलों/परिपथों के विवरण	कम वसूली/ गैर–वसूली की अवधि	कम वसूली/ गैर–वसूली की कुल राशि	लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने के बाद जारी किये गये बिलों/की गई वसूली की स्थिति		अभ्युक्तियाँ
				वसूल की गई राशि/वसूली का महीना	वसूल की जाने वाली राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
बिहार दूरसंचार परिमण्डल				(लाख रू. में)		
1.	स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड रांची को तीन स्पीच परिपथों की व्यवस्था	मार्च 1993 से मार्च 1997	65.63	65.63 जून 1996 से अक्तूबर 1996	-	-
2.	रांची कैरियर से रांची रेलवे स्टेशन से दक्षिण पूर्ववर्ती रेलवे तक लोकल लीड के लिये भूमिगत केबिल की व्यवस्था	जनवरी 1995 से जनवरी 1997	3.75	3.75 जुलाई 1996	-	-
3.	बिहार पुलिस पटना के लिए पी बी एक्स बोर्ड से बाह्य एक्सटेंशन की व्यवस्था	मई 1988 से मार्च 1997	89.21	-	89.21	तथ्य स्वीकार किये बिल जारी कर दिये
4.	भारतीय वायुसेना के लिए पटना–बिहटा के बीच 30 चैनल अ उ आ (अत्यधिक उच्च आवृत्ति) प्रणाली की व्यवस्था	नवम्बर 1991 से मार्च 1997	46.90	23.82 मार्च 1997	23.08	तथ्यों की पुष्टि हो गई
गुजरात दूरसंचार परिमण्डल						
5.	अभिदाता के अपनी पी ए बी एक्स की व्यवस्था लाइसेंस फीस के बिल न बनाना और अभिदाताओं से जंक्शन टर्मिनेशन प्रभार न होना	अप्रैल 1989 से अक्तूबर 1997	2.89	2.30 अगस्त 1997	0.59	-
6.	राष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकारियों के लिए 20/6.5 पाउण्ड भूमिगत केबिल की व्यवस्था	मई 1988 से मई 1997	10.93	7.80 May 1996	3.13	-
7.	वापी–मुम्बई और मुम्बई–वापी के बीच चार निजी पार्टियों के लिये स्पीच परिपथ की व्यवस्था	मई 1995 से मार्च 1997	6.53	6.53 अगस्त 1996 और जनवरी 1997	-	-
8.	सेना प्राधिकारियों के लिये 30 चैनल पी सी एम प्रणाली व 14/20 पाउण्ड भूमिगत केबिल की व्यवस्था	अप्रैल 1991 से मार्च 1996	12.60	-	12.60	सितम्बर 1996 में 12.60 लाख रू. के बिल जारी किये गये
हरियाणा दूरसंचार परिमण्डल						
9.	सिरसा में वायुसेना प्राधिकारियों के लिए 50/10 की दो लम्बाइयों और 50/6.5 पाउण्ड भूमिगत केबिल की व्यवस्था	अप्रैल 1995 से मार्च 1997	5.74	5.48 फरवरी 1997 से अक्तूबर 1997	0.26	-

1	2	3	4	5	6	7
10.	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिये गुड़गाँव और मानेसर के बीच अ उ आ लिंक की व्यवस्था	अप्रैल 1988 से मार्च 1997	76.83	76.83 मार्च 1997 और अक्तूबर 1997	-	-
हिमाचल प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल						
11.	म प्र दू शिमला द्वारा 14 अभिदाताओं को दूरभाष सुविधा की व्यवस्था–पूर्ण संज्ञापन–पत्रों के अभाव में बिलों का जारी न होना	अप्रैल 1995 से नवम्बर 1996	14.08	-	14.08	-
जम्मू और कश्मीर दूरसंचार परिमण्डल						
12.	जम्मू में सेना प्राधिकारियों के लिये विभिन्न स्थानों पर भूमिगत केबिल की व्यवस्था	नवम्बर 1993 से जून 1997	25.89	18.33 दिसम्बर 1996	7.56	मई 1997 में बिल जारी किये
कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल						
13.	अप्रैल 1993 में बंगलोर और मैसूर के बीच दक्षिणी रेलवे को डॉटा नेटवर्क परिपथ दिये गये	अप्रैल 1994 से मार्च 1996	3.04	3.04	-	नवम्बर में 1.17 लाख रू. के बिल जारी किये और सितम्बर 1996 में 1.87 लाख रू. का किया गया अधिक भुगतान समायोजित कर लिया गया था
14.	नवम्बर 1993 में बंगलोर–कोयम्बतूर के बीच सोसाइट इंटरनेशनल डे टेलीकॉम एरोनोटिक्स (एस आई टी ए) के लिए डॉटा नेटवर्क परिपथ दिये	नवम्बर 1994 से मार्च 1997	10.97	10.97 जुलाई 1996		
15.	राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारी (रा वि प्र) के लिये किराया व गारंटी के आधार पर बंगलोर विमान पत्तन और दूरसंचार भवन के बीच 30 चैनल डी यू एच एफ लिंक दिये (परियोजना परिमण्डल चेन्नई द्वारा क्रियान्वित)	मार्च 1992 से मार्च 1993 और मार्च 1992 से मार्च 1995	27.80	27.80 मार्च 1996	-	
16.	सितम्बर 1993 में किराया व गारंटी के आधार पर (शेष 13 चैनल दू वि के लिये प्रयुक्त हुये) अ उ आ प्रणाली में टी पी परिपथ समाप्त करने के लिये रा वि प्रा को 23 चैनल टी डी एम वी एफ टी प्रणाली दी।	सितम्बर 1994 से मार्च 1995	0.91	0.91 अक्तूबर 1995	-	
17.	नवम्बर 1993 में भा वा से बंगलोर को अ उ आ लिंक से ए एस टी ई 26 ई डी और वायु सेना इकाइयों को लोकल लीड के रूप में आई ए एन भूमिगत केबिल दिये	नवम्बर 1994 से मार्च 1997	15.48	15.48 मार्च/ जून 1997	-	-

1	2	3	4	5	6	7
18.	जून 1994 में अमन्नाथ कोआपरेटिव बैंक, बंगलोर को 9.6 के बी पी एस के लिए दो तार स्थानीय डॉटा परिपथ दिये गये	जून 1995 से मार्च 1997	0.75	0.75 जून 1996	-	-
19.	मार्च 1995 में इंडियन एयरलाइन्स बंगलोर को इंडियन एयरलाइन्स बंगलोर और अशोक ट्रेवल बंगलोर के बीच दो तार स्थानीय डॉटा परिपथ दिये।	मार्च 1996 से मार्च 1997	0.22	0.22 नवम्बर 1996	-	-
20. (क)	नवम्बर 1994 में स्टैंडर्ड चार्टड बैंक बम्बई को बंगलोर और मुम्बई के बीच 64 के वी पी एस डॉटा परिपथ के लिये चार तार चैनल दिये	नवम्बर 1995 से मार्च 1997	10.83	10.83 नवम्बर 1996	-	-
(ख)	मुम्बई में लोकल लीड की व्यवस्था					
(ग)	लोकल लीड बम्बई और प्रतिष्ठापन फीस के कम दावे की व्यवस्था					
21. (क)	अगस्त 1994 में बंगलोर और कलकत्ता के बीच टी एन टी एक्सप्रैस वर्ल्ड वाइड इंडिया (निजी) लिमिटेड के लिये 9.6 के बी पी एस डॉटा की व्यवस्था	अगस्त 1995 से मार्च 1997	10.95	-	10.95	सितम्बर 1997 में बिल जारी किये
(ख)	अगस्त 1994 में बंगलोर छोर पर लोकल लीड की व्यवस्था					
(ग)	कलकत्ता छोर पर लोकल लीड की व्यवस्था					
22. (क)	बंगलोर और नासिक के बीच माइको लिमिटेड बंगलोर के लिये 64 के बी पी एस डॉटा परिपथ की व्यवस्था (जनवरी 1995 में)	जनवरी 1996 से मार्च 1997	14.17	14.17 अगस्त 1996	-	-
(ख)	बंगलोर छोर पर लोकल लीड की व्यवस्था (जनवरी 1995)					
(ग)	नासिक छोर पर लोकल लीड की व्यवस्था					
23.	बंगलोर और चेन्नई के बीच चैनल की व्यवस्था	मार्च 1996 से मार्च 1997	8.68	8.68 दिसम्बर 1996	-	-
24. (क)	फरवरी 1995 में बंगलोर और सिकंदराबाद के बीच डॉटा प्रो इनर्फोमेशन सिस्टम लिमिटेड बंगलोर के लिये चैनल की व्यवस्था	फरवरी 1996 से मार्च 1997	39.71	-	39.71	11.11.96 में बिल जारी किये
(ख)	फरवरी 1995 में बंगलोर छोर पर लोकल लीड की व्यवस्था					

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल						
25.	उज्जैन के लिये नई दुनिया इंदौर स्पीच परिपथ	नवम्बर 1992 से जून 1996	1.78	1.61	0.17	
26.	रतलाम के लिये नई दुनिया इंदौर स्पीच परिपथ	जनवरी 1995 से जनवरी 1997	1.31	1.31 जनवरी 1997	-	
27.	मुख्य सिगनल अधिकारी मुख्यालय मध्य कमान मुख्य लखनऊ स्पीच परिपथ जबलपुर से पंचमढ़ी के बीच (मुख्य परिपथ)	नवम्बर 1992 से जून 1996	1.55	1.55 अप्रैल 1997	-	
28.	दोनों छोर मुख्य सिगनल अधिकारी मुख्यालय मध्य कमान मुख्या लखनऊ जबलपुर से पंचमढ़ी लोकल लीड	नवम्बर 1992 से जून 1996	0.10	0.10 अप्रैल 1997	-	
29.	जबलपुर और माऊ के बीच मुख्य उ मु (उप मुख्यालय), नई दिल्ली स्पीच परिपथ	नवम्बर 1992 से जून 1996	4.99	4.99 अप्रैल 1997	-	
30.	जबलपुर और धानपुर के बीच जनरल स्टॉफ उ मु, नई दिल्ली स्पीच परिपथ	नवम्बर 1992 से जून 1996	6.48	6.48 सितम्बर 1997	-	
31.	भोपाल और नासिराबाद के बीच मुख्य सिगनल अधिकारी मुख्या 21 कोर, एस आई लाइन, भोपाल स्पीच परिपथ	सितम्बर 1993 से मार्च 1996	4.40	4.40 सितम्बर 1997	-	
32.	दोनों छोर भोपाल–नासिराबाद में मुख्य सिगनल अधिकारी मुख्या 21 कोर, एस आई लाइन भोपाल स्पीच परिपथ	सितम्बर 1993 से मार्च 1996	0.11	0.11 सितम्बर 1997	-	
33.	भोपाल से झाँसी के बीच मुख्य सिगनल अधिकारी मुख्या 21 कोर, एस आई लाइन	जनवरी 1993 से मार्च 1996	1.91	1.91 सितम्बर 1997	-	
34.	दोनों छोर भोपाल और झाँसी में मुख्य सिगनल अधिकारी मुख्या 21 कोर एस आई लाइन	जनवरी 1993 से मार्च 1996	0.19	0.19 सितम्बर 1997	-	
35.	इंदौर और धानी के बीच फेमोकंकरीट (इंडिया) लिमिटेड स्पीच परिपथ	सितम्बर 1990 से सितम्बर 1996	5.03	4.20 सितम्बर 1997	0.83	
36.	इंदौर–बम्बई के बीच रूचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंदौर स्पीच परिपथ	अक्तूबर 1995 से अक्तूबर 1996	8.37	8.37 मई 1996	-	
37.	इंदौर–नागपुर के बीच विमानपत्तन प्राधिकारी एरोनॉटिकल कम्यूनिकेशन स्टेशन, नागपुर टॉप परिपथ (म प्र दूरसंचार जिला इंदौर)	फरवरी 1994 से फरवरी 1997	6.43	6.43 सितम्बर 1997	-	
38.	ई-10-बी एक्सचेंज और मिलिट्री एक्सचेंज मोरार के बीच 30 चैनल पी सी एम प्रणाली (दूरसंचार जिला प्रबन्धक ग्वालियर)	अगस्त 1995 से अगस्त 1997	7.19	-	7.19	7.19 रू. के बिल जारी किये

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल						
39.	36 आंतिरिक और 57 बाह्य एक्सटेंशन के लिये सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिज़ाइन इंस्टीचियूट (सी एम पी डी आई) को 10+10+100 लाइन प्राइवेट ऑटो एक्सचेंज दिये गये थे	नवम्बर 1989 से जून 1997	8.37	2.03 जुलाई 1996	6.34	-
40.	अप्रैल 1994 में किराया व गारंटी के आधार पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लिमिटेड, तारापुर (एन पी सी एल) को भूमिगत केबिल के150 जोड़े दिये थे	अप्रैल 1994 से मार्च 1997	88.47	-	88.47	अक्तूबर 1996 में 88.47 लाख रू. के बिल जारी किये
41.	लाइसेंस फीस को उगाहे बिना निजी दलों द्वारा अपने114 ई पी ए बी एक्स दिये गये	मार्च 1989 से जून 1996 से अप्रैल 1990 से मार्च 1996	10.04	2.25 मई 1996	7.79	-
पंजाब दूरसंचार परिमण्डल						
42.	वायू सेना प्राधिकारियों के लिए हिसार–भटिंडा के बीच 2 एम बी बुल्क डिज़ीटल मीडिया की व्यवस्था दी	अगस्त 1995 से अगस्त 1997	60.00	60.00 सितम्बर 1997	-	-
राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल						
43.	भा वा से को जैली युक्त 20/6.5 पाउण्ड भूमिगत केबिल की व्यवस्था	दिसम्बर 1996 से फरवरी 1997	10.90	8.63 अक्तूबर 1997	2.27	
उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल						
44.	विभिन्न अभिदाताओं को 202 दूरभाष संयोजन दिये	जनवरी 1993 से जनवरी 1997	59.66	-	59.66	-
	कुल		791.77	417.88	373.89	

परिशिष्ट-IV

(पृष्ठ 36 पर पैराग्राफ 9.5 में संदर्भित)

ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना-

निजी डॉटा नेटवर्क पर किराये के लिये कम बिल बनाना

क्र.सं.	लाइनों/केबिलों/परिपथों के विवरण	कम वसूली/ गैर–वसूली की अवधि	कम वसूली/ गैर–वसूली की कुल राशि	लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने के बाद जारी किये गये बिलों/की गई वसूली की स्थिति		अभ्युक्तियाँ
				वसूल की गई राशि/वसूली का महीना	वसूल की जाने वाली राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
गुजरात दूरसंचार परिमण्डल			(लाख रू. में)			
1.	प्राइवेट नेटवर्क के रूप में परिचालन करने के लिये एयर इंडिया अहमदाबाद को डॉटा परिपथ की व्यवस्था	दिसम्बर 1991 से अप्रैल 1996	19.61	19.61 फरवरी 1997	-	-
2.	प्राइवेट डॉटा नेटवर्क के रूप में परिचालन करने के लिये पश्चिमी रेलवे राजकोट को डॉटा परिपथ की व्यवस्था	मई 1995 से मई 1997	8.60	8.60 जुलाई 1996	-	-
कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल						
3.	इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा के लिए छः निजी फर्मों को डॉटा परिपथ की व्यवस्था	अगस्त 1994 से जुलाई 1995	19.08	7.62 अक्तूबर 1996 मार्च 1997	11.46	-
केरल दूरसंचार परिमण्डल						
4.	इंडियन एयरलाइन्स को कालीकट में अपने कार्यालय और बुकिंग कार्यालय विमानपत्तन कालीकट के बीच परिचालन के लिए डॉटा परिपथ की व्यवस्था	अक्तूबर 1990 से जून 1997	8.48	4.02 मार्च 1997	4.46	-
5.	एयरइंडिया को कालीकट बुकिंग कार्यालय और विमानपत्तन बुकिंग कार्यालय के बीच परिचालन के लिये डॉटा परिपथ की व्यवस्था	जनवरी 1994 से जून 1997	6.38	-	6.38	दिसम्बर 1996 में बिल जारी किया गया
राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल						
6.	मार्च 1991 में नई दिल्ली से जोधपुर से उत्तर रेलवे आर ए आई एल एन ई टी के लिए पट्टे पर दिये हुये तीन डॉटा परिपथ की व्यवस्था	नवम्बर 1992 से मई 1997	106.18	-	106.18	-
पश्चिमी बंगाल दूरसंचार परिमण्डल						
7.	1988-89 से 1990-91 के बीच भारतीय वायुसेना को नौ डॉटा परिपथों की व्यवस्था	जून 1988 से जून 1997	343.00	135.00 अक्तूबर 1996 से दिसम्बर 1997	208.00	-
	कुल		511.33	174.85	336.48	

परिशिष्ट-V

(पृष्ठ 37 पर पैराग्राफ 9.6 में संदर्भित)

ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बिल बनाना-

अन्य मामले

क्र.सं.	लाइनों/केबिलों/परिपथ के विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणी	कम वसूली/ गैर–वसूली की अवधि	कम वसूली/ गैर–वसूली की कुल राशि	लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी करने के बाद जारी किये गये बिलों/की गई वसूली की स्थिति		अभ्युक्तियाँ
					वसूल की गई राशि/वसूली का महीना	वसूल की जाने वाली राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
असम दूरसंचार परिमण्डल					(लाख रू. में)		
1.	भारतीय तेल निगम डिगबोई को 120 चैनल अ उ आ लिंक की व्यवस्था	बिल जारी करने में विफलता के कारण किराये की वसूली न होना	अगस्त 1990 से अगस्त 1997	50.38	50.38 जनवरी, मार्च और अगस्त 1997	-	-
बिहार दूरसंचार परिमण्डल							
2.	म प्र दू पटना द्वारा विभिन्न अभिदाताओं को फैक्स संयोजन की व्यवस्था	लाइसेंस का नवीनीकरण करने में विफलता और अग्रिम में प्रभारों को एकत्रित न करना	जनवरी 1990 से मार्च 1996	3.47	-	3.47	अगस्त 1995 में बिल जारी किये
3.	दिसम्बर 1991 में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड को छः चैनल अ उ आ प्रणाली की व्यवस्था	किराये का गलत निर्धारण	दिसम्बर 1991 से मार्च 1998	371.00	-	371.00	-
4.	नवम्बर 1990 में टिस्को को 60 चैनल अ उ आ की व्यवस्था	वास्तविक लागत पर आधारित किराये का संशोधन न होना	दिसम्बर 1990 से नवम्बर 1997	109.00	-	109.00	-
जम्मू और कश्मीर दूरसंचार परिमण्डल							
5.	अप्रैल 1988 में भा वा से को 120 चैनल अ उ आ प्रणाली की व्यवस्था	किराये का गलत निर्धारण	अप्रैल 1988 से मार्च 1998	128.00	-	128.00	-
कर्नाटक दूरसंचार परिमण्डल							
6.	बंगलोर दूरसंचार जिला द्वारा 9940 अभिदाताओं को दूरभाष की व्यवस्था	अग्रिम किराया वसूल करने में विफलता	एक बार भुगतान	65.59	-	65.59	-
केरल दूरसंचार परिमण्डल							
7.	विभिन्न अभिदाताओं को 16 निजी हस्तचालित शाखा एक्सचेंज/निजी स्वचालित शाखा एक्चेंज की व्यवस्था	अग्रिम किराये की गैर–वूसली	जून 1993 से मई 1997	6.65	6.21 मई 1996 से अगस्त 1997	0.44	-
8.	थुम्बा और वलियामाला में वी एस एस सी के लिए अभिदाता के अपने इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा की व्यवस्था	अतिरिक्त किराये की गैर–वसूली	मार्च 1992 से अप्रैल 1996	5.82	5.82 जून 1997		
9.	वी एस एस सी त्रिवेन्द्रम के लिए एक स्पीच परिपथ की व्यवस्था	किराये की उच्च दर एकत्र करने में विफलता	नवम्बर 1992 से जुलाई 1997	8.84	-	8.84	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	करीपुर विमानपत्तन में इंडियन एयरलाइन्स के लिये लंबी दूरी के दूरभाष संयोजन की व्यवस्था	संशोधित दर पर किराया एकत्रित करने में चूक	अप्रैल 1988 से जून 1997	6.11	6.11 जुलाई से सितम्बर 1997		
मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल							
11.	म प्र दू इंदौर द्वारा विभिन्न अभिदाताओं को 32 स्पीच परिपथ, 10 दूरमुद्रक परिपथ, 19 टेलेक्स लाइनें और 62 गैर एक्सचेंज लाइनों की व्यवस्था	वार्षिक किराये के लिये बिल जारी करने में विफलता	नवम्बर 1992 से दिसम्बर 1994	60.47	-	60.47	-
12.	म प्र दू इंदौर द्वारा 85 अभिदाताओं को अभिदाता के अपने ई पी ए बी एक्स की व्यवस्था	बिल जारी करने में विफलता	-	7.17	-	7.17	-
महाराष्ट्र दूरसंचार परिमण्डल							
13.	खानदेश एक्सटेंशन के लिए चालीसगाँव और धूले के बीच स्पीच परिपथ	किराये के निर्धारण में विभागीय नियमों का विचार करने में विफलता	जनवरी 1994 से मार्च 1997	1.14	1.14 (नवम्बर 1994 से जुलाई 1996)	-	
14.	छाभी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड को जलगाँव और बम्बई के बीच स्पीच परिपथ	किराया संशोधन में विफलता	नवम्बर 1992 से मार्च 1997	5.96	5.96 अप्रैल 1996 से सितम्बर 1996	-	
15.	ऑल इंडिया रेडियो जलगाँव के लिये केन्द्रीय रेलवे नियंत्रण कार्यालय, भूसावल और केन्द्रीय रेलवे भूसावल के बीच स्पीच परिपथ	किराये का संशोधन न होना	नवम्बर 1992 से मार्च 1997	0.20	0.20	-	
16.	वर्धा मुम्बई दूरसंचार जिला चन्द्रपुर के बीच इंटीग्रेडिट स्टील (एल लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज वर्धा का एक मण्डल)	किराये का संशोधन न होना	जून 1994 से जून 1997	4.76	4.76 अक्तूबर 1997	-	
17.	पणजिम–वास्को के बीच गैर एक्सचेंज लाइन संख्या–I के लिये मुख्य सिंगनल अधिकारी दक्षिणी कमांड, पुणे	सावधिक वार्षिक बिल जारी करने में विफलता	नवम्बर 1992 से जून 1997	2.46	-	2.46	फरवरी 1997 में अनुपूरक बिल जारी किये
18.	पणजिम–पोंडा के बीच गैर एक्सचेंज लाइन नंबर 2 मुख्य सिगनल अधिकारी दक्षिणी के लिये	अभिलेख आदि हस्तान्तरित करने में विफलता के कारण बिल न बनाना	नवम्बर 1992 से जून 1997	2.53	-	2.53	फरवरी 1997 में अनुपूरक बिल जारी किये
19.	पणजिम–मारगाओं के बीच गैर एक्सचेंज लाइन संख्या 3 मुख्य सिंगनल अधिकारी के लिये	वार्षिक किराये के लिए बिलों को जारी न करना	नवम्बर 1992 से जून 1997	2.53	-	2.53	फरवरी 1997 में अनुपूरक बिल जारी किये
20.	पणजिम–बाम्बोलिन के बीच गैर एक्सचेंज लाइन संख्या 4 मुख्य सिंगनल अधिकारी दक्षिणी के लिये	वार्षिक किराये के लिये बिल जारी न करना	नवम्बर 1992 से जून 1997	0.64	-	0.64	फरवरी 1997 में अनुपूरक बिल जारी किये

21.	म प्र दू, पुणे द्वारा रक्षा को पट्टे पर दूरभाष परिपथ की व्यवस्था	अतिरिक्त किराया के वूसल करने में विफलता	-	23.69	-	23.69	-
22.	म प्र दू, पुणे, नागपुर और कोल्हापुर द्वारा 10286 अभिदाताओं के लिए गैर ओ वाई टी दूरभाष की व्यवस्था	अग्रिम किराये की गैर–वसूली	-	86.44	86.41 अक्तूबर 1997	0.03	
उड़ीसा दूरसंचार परिमण्डल							
23.	नवम्बर 1994 में दक्षिण पूर्वी रेलवे को कलकत्ता और राउरकेला के बीच दो डॉटा परिपथ की व्यवस्था	वार्षिक किराये का गलत निर्धारण	नवम्बर 1995 से अक्तूबर 1996	10.37	10.37 जनवरी 1997	-	-
पंजाब दूरसंचार परिमण्डल							
24.	नागरिक उड्डयन विभाग, अमृतसर को 20/6.5 पाउण्ड भूमिगत केबिल की दो लंबाइयों की व्यवस्था	किराये की गैर–वसूली और केबिल के अविचारित अभ्यर्पण की क्षतिपूर्ति	मई 1989 से मई 1999	22.52	22.52 अक्तूबर 1996 और मार्च 1997	-	-
25.	पठानकोट और चंडीगढ़ के बीच सेना प्राधिकारियों के लिये एक स्पीच परिपथ की व्यवस्था	सार्वजनिक स्वीचिंग दूरभाष नेटवर्क के माध्यम से सम्बद्धता वाले एक सिंगल लिंक ऑपरेशन डायलिंग परिपथ के रूप में समझने के बजाय पॉइंट से पॉइंट के आधार पर परिपथ के बिल बनाये जा रहे थे।	अगस्त 1990 से अक्तूबर 1997	5.78	-	5.78	फरवरी 1997 में बिल जारी किये
26.	दू जि प्र पठानकोट द्वारा सेना प्राधिकारियों के लिए विभिन्न स्टेशन के बीच स्पीच परिपथ की व्यवस्था	-वही-	नवम्बर 1992 से अक्तूबर 1997	10.55	-	10.55	
राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल							
27.	ओ वाई टी योजना के अंतर्गत 3 दू जि प्र जैसे जयपुर, उदयपुर और नागपुर द्वारा दूरभाषों की व्यवस्था	जमा में अग्रिम किराये की गैर–वसूली	-	22.02	5.68 जुलाई 1996	16.34	-
तमिलनाडु दूरसंचार परिमण्डल							
28.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कुड्डालोर	किराये का गलत निर्धारण	सितम्बर 1993 से जनवरी 1996	1.70	1.70 फरवरी और जून 1996	-	-
29.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, (पूंजीगत लागत पर आर एण्ड जी की गणना करते समय टावर मैटीरियल घटक सहित एस सी वी एच एफ की व्यवस्था) कुड्डालोर	किराये का गैर–संशोधन	सितम्बर 1993 से दिसम्बर 1996	0.60	0.60 जनवरी/ अगस्त 1997	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	नेसेर इंडिया कुड्डालोर	विभागीय नियमों का विचाार न करने के परिणामस्वरूप कम वसूली	मई 1994 से जनवरी 1996	1.51	1.51 जनवरी 1996	-	-
31.	मई 1989 में कस्टम होम के लिये 200 लाइन इ पी ए बी एक्स और जनवरी 1996 में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी भारत में 300 लाइनों के लिये 200 लाइन ई पी ए बी एक्स के उन्नत करने की व्यवस्था	किराये के गलत प्रयोग और बिल जारी करने में भूल	मई 1989 से अप्रैल 1997	14.98	14.98 सितम्बर/ अक्तूबर 1996 और जनवरी 1997	-	-
उत्तर प्रदेश दूरसंचार परिमण्डल							
32.	एयर फोर्स अथोरिटी इलाहाबाद को 10 कि.मी. की 20/20 पाउण्ड भूमिगत केबिल दिये गये	किराये का गलत निर्धारण	नवम्बर 1992 से मार्च 1996	4.71	4.71 मार्च 1996	-	
3	भा वा से सरसावा को अभिदाता के एकमात्र प्रयोग के लिये 20/6 पाउण्ड भूमिगत केबिल दिये गये	बिल जारी करने में विफलता	दिसम्बर 1990 से मार्च 1996	5.54	-	5.54	-
34.	जुलाई 1993 में उत्तर रेलवे मुरादाबाद को मुरादाबाद से सीतापुर के बीच स्पीच परिपथ दिये	किराये का गलत निर्धारण	जुलाई 1993 से जुलाई 1996	3.47	3.47 मार्च 1995 और जुलाई 1996	-	
35.	नागरिक उड्डयन विभाग वाराणसी को भूमिगत केबिल दिये गये थे।	किराये का गैर–संशोधन	मार्च 1990 से मार्च 1996	31.21	31.21 जनवरी 1996	-	
	कुल			1087.81	263.74	824.07	

परिशिष्ट-VI
(पृष्ठ 73 पर पैराग्राफ 22.1 में संदर्भित)
परिनिर्धारित नुकसान प्रभारों की गैर-वसूली के मामले

क्र. सं.	प्रापयिता अधिकारी और परिमण्डल का नाम	क्रय आदेश देने की तिथि/उपस्कर का विवरण	पूर्तिकार का नाम	सुपुर्दगी की निश्चित तिथि	आपूर्ति की तिथि	देय परिनिर्धारित नुकसान (लाख रू. में)
1.	म प्र दू, परियोजना हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश	24 अप्रैल 1991 का दू वि क्र आ 6 गीगा हर्टज 140 एम बी एस एम/डब्ल्यू प्रणाली	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड	सितम्बर 1992	अगस्त 1993	44.02
2.	म प्र दू, चण्डीगढ़, पंजाब	मार्च 1994 का दू वि क्र आ 15 के लाइन डिजिटल एक्सचेंज उपस्कर	फ्यूजितसु इण्डिया टेलीकॉम	फरवरी 1995	मार्च-अप्रैल 1995	1.98
3.	म प्र दू, फिरोजपुर, पंजाब	जनवरी 1995 का दू वि क्र आ 7 के लाइन सी–डॉट एक्सचेंज	पंजाब कम्यूनीकेशन लि०	अप्रैल 1995	मई 1995	4.21
4.	निदेशक दूरसंचार परियोजना, शिमला	ज्नवरी 1992 का दू वि क्र आ 7 गीगा हर्टज 34 एम बी एस एम/डब्ल्यू प्रणाली	पंजाब क्म्यूनीकेशन लि०	जुलाई 1995	मार्च 1994	7.14
5.	म प्र दू, संगरूर, पंजाब	ज्नवरी 1995 का दू वि क्र आ 10 के लाइन सी–डॉट मैक्स-I	इण्डचेम इलेक्ट्रॉनिक्स चेन्नई	अप्रैल 1995	जून 1995	8.12
6.	दूरसंचार जिला प्रबन्धक, पटियाला, पंजाब	मु म प्र दू क्र आ पी आई जे एफ भूमिगत केबिल	हिन्दुस्तान केबिल लि०, कलकत्ता	20 जून और 20 अगस्त 1995 के बीच	21 अगस्त और 30 नवम्बर 1995 के बीच	29.16
7.	म प्र दू, त्रिची, तमिलनाडु	जनवरी 1995 का दू वि क्र आ 10 के लाइन स्वीचिंग उपस्कर	साईमन्स लि०	फरवरी 1995	जून 1995	22.10
8.	दू जि प्र, तूतीकोरन, तमिलनाडु	नवम्बर 1995 का दू वि क्र आ	हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर	फरवरी 1996	जून 1996	23.32
	कुल					140.05

परिशिष्ट-VII

(पृष्ठ 74 पर पैराग्राफ 22.2 में संदर्भित)

परिनिर्धारित नुकसान की कम वसूली के मामले

क्र. सं.	परिमण्डल का नाम तथा प्रापयिता अधिकारी	क्रय आदेश विवरण	पूर्तिकार का नाम	देय परिनिर्धारित नुकसान	वसूल किया गया परिनिर्धारित नुकसान (लाख रू. में)	उ शु तथा बि क को हिसाब में न लेने के कारण परिनिर्धारित नुकसान की कम वसूली की गई
1.	<u>कर्नाटक</u> निदेशक सम्प्रेषण परियोजना बंगलोर	मई 1990 का दू वि क्र आ ओ फा के और सहायक वस्तुएँ	आप्टेल	11.47	1.35	10.12
2.	<u>कर्नाटक</u> स अ दूरसंचार भण्डार डिपो परिमण्डल बंगलोर	विभिन्न क्र आ; विभिन्न प्रकार के भण्डार	विविध पूर्तिकार	100.82	79.67	21.15
3.	<u>राजस्थान</u> स अ दूरसंचार भण्डार डिपो परिमण्डल जयपुर	-वही-	-वही-	106.17	82.63	23.54
4.	<u>केरल</u> म प्र दू परियोजना, ईरनाकुलम	-वही-	-वही-	41.09	32.24	8.85
5.	<u>पश्चिमी बंगाल</u> म प्र दू, परियोजना, पूर्वी क्षेत्र	दिसम्बर1992 का दू वि क्र आ 6 गीगा हर्टज एम/ डब्ल्यू प्रणाली	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	51.98	32.58	19.40
6.	<u>मध्य प्रदेश</u> मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार, भोपाल	1992-97 के दौरान दिए गए क्र आ	विविध पूर्तिकार	84.90	55.17	29.73
	कुल			396.43	283.64	112.79

परिशिष्ट-VIII
(पृष्ठ 82 पर पैराग्राफ 30 में संदर्भित)
निष्क्रिय उपस्कर

उपस्कर का नाम	परिमण्डल/स्थिति	संख्या	मात्रा	मूल्य (लाख रू. में)	वर्षों की संख्या जिनके लिए उपस्कर निष्क्रिय पड़े रहे
1.	2.	3.	4.	5.	6.
इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिन्टर मशीन	स अ प्र, परिमण्डल भण्डार डिपो, जयपुर	840	--	543.68	तीन से पाँच वर्ष
पल्स कोड मॉड्यूलेशन (पी सी एम)	ई-10बी एक्सचेंज कोटा	30 चैनल की 25 संख्या	--	22.85	चार वर्ष
	म अ (पी सी एम) नारनपुरा अहमदाबाद	30 चैनल की 22 संख्या	--	47.44	तीन वर्ष
	उ म अ (दू), रायपुर तथा परिमण्डल भण्डार डिपो भोपाल	30 चैनल की 20 संख्या	--	179.39	तीन वर्ष
स्पीच' 4 डॉटा चैनल (एस+4डी एक्स) टेलीप्रिन्टर टेलीग्राफ परिपथों की बे प्रणाली	स अ, परिमण्डल भण्डार डिपो जयपुर	70 टर्मिनल	--	134.10	दो से तीन वर्ष
समाक्ष केबिल	समाक्ष केबिल मण्डल चेन्नई		272 कि.मी.	356.00	चार से नौ वर्ष
	क दू अ (भण्डार) दूरसंचार परियोजना लखनऊ	-	5.611 कि.मी.	10.10	पाँच वर्ष
क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर	काँचीपुरम, पालीपालायम, मैयानूर और विरधूनगर	क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर की संख्या 4	--	289.80	छः से सात वर्ष
	दू जि अ सागर	3000 लाइनों का एक एक्सचेंज उपस्कर	--	114.00	आठ से नौ वर्ष
	म अ भिवाण्डी, धुले, चंदरापुर, लातूर और म प्र दू जि गोवा	11000 लाइनों की एक्सचेंज की संख्या 5	--	865.55	तीन से छः वर्ष
	उ म अ (तार) फरूखाबाद	एक एक्सचेंज उपस्कर	--	69.30	आठ से दस वर्ष
क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर	म अ (प्रशा. व आ) हलद्वानी	-वही-	--	87.25	आठ वर्ष
	उ म अ (तार) शाहंजहापुर	-वही-	--	18.67	नौ वर्ष
	उ म अ (आ), आगरा	-वही-	--	311.44	नौ वर्ष
	दू जि अ सहारनपुर	-वही-	--	43.16	आठ से दस वर्ष
	उ म अ (फोन), होशियारपुर	4500 लाइनों का एक एक्सचेंज उपस्कर	--	56.74	छः से आठ वर्ष
	उ म अ (तार) बरनाला, मोगा और बटाला	एक्सचेंजों की तीन संख्या	--	85.74	पाँच वर्ष
	उ म अ (फोन), फिरोजपुर	एक्सचेंज की एक संख्या	--	210.00	नौ वर्ष
	उ म अ ई-10बी भागलपुर	-वही-	--	412.12	चार से पाँच वर्ष

	उ म अ (तार) जलपाईगुड़ी	1500 लाइनों का एक एक्सचेंज उपस्कर	--	77.83	पाँच से नौ वर्ष
	उ म अ इंदौर बेलगॉम	--	--	109.33	चार से आठ वर्ष
	म प्र दू जि भुवनेश्वर	--	--	50.14	चार से आठ वर्ष
इटेक्स इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स	1.म अ ट्रांसमिशन कोयम्बतूर 2. म अ दूरसंचार सरंक्षण, कारूर	40 लाइनों की 2 संख्या	--	19.21	दो वर्ष
	उप मण्डलीय अभियन्ता (आयोजना), गोवा	-वही-	--	26.58	एक वर्ष
आप्टीकल फाइबर केबिल	उ म अ (तार) चित्तूर (तिरूपती)	--	16.815 कि.मी.	20.44	दो वर्ष
टाईम डिविजन मल्टीपलेक्स प्रणाली (टी डी एम)	स अ इ डी एक्स विजयवाड़ा	23 चैनल टी डी एम प्रणाली की 2 संख्या	--	12.10	दो वर्ष
प्राथमिक मल्टीपलैक्सिंग उपस्कर	निदेशक ट्रांसमिशन परियोजना, बंगलोर	पहले आदेश मक्स की संख्या 74	--	112.98	चार से पाँच वर्ष
जी आई/एच डी पी ई पाइप	कार्यकारी अभियन्ता दूरसंचार सिविल मण्डल, ओरगांबाद	--	--	12.78	तीन से चार वर्ष
पोलीविनायल क्लोराड (पी वी सी) पाइप	कार्यकारी अभियन्ता दूरसंचार सिविल मण्डल, पटना	--	107 एम एम का 23988 मीटर तथा 50 एम एम का 8214 मीटर	12.69	चार से पाँच वर्ष
32 एम एम टॉर स्टील	कार्यकारी अभियन्ता दूरसंचार सिविल मण्डल, बड़ौदा	--	183.669 टन	15.07	सात वर्ष
	कुल			4326.48	

परिशिष्ट - IX

(पृष्ठ 92 पर पैराग्राफ 39 में संदर्भित)

भाग-क

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 1996 की संख्या 7 तक के लिए दू वि के व्यय पैराओं के संबंध में बकाया की का टि की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या एवं वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
मार्च 1994 को समाप्त वर्ष के लिए (1995 की 7)	8.1	खड़गपुर में आधुनिक ढलाई पर संयंत्र
	9.1	विदेशी ऋण पर प्रतिबद्धता प्रभारों का परिहार्य भुगतान
	9.4	भण्डारों का लेखाकंन न करना
	9.25	विभागीय सम्पति की क्षति पर प्रतिपूर्ति की वसूली न किया जाना
मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए (1996 की 7)	8.1	मध्यप्रदेश दूरसंचार परिमण्डल द्वारा केबिल की आयोजना व अधिप्राप्ति
	8.2	दूरसंचार विभाग में कम्प्यूटरीकरण
	8.3	फुटकर दूरसंचार डिपो भुवनेश्वर की कार्यप्रणाली
	9.1	अग्रिम की गैर–वसूली
	9.5	ढलवाँ लोहे की पाइपों के क्रय पर निष्फल निवेश एवं व्यर्थ व्यय
	9.12	चुंगी का अनियमित भुगतान
	9.14	उच्चतर क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स कंसन्ट्रेटर प्रतिष्ठापित करने पर व्यर्थ व्यय
	9.15	केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क व राज्य बिक्री कर का अधिक भुगतान
	9.20	केबिल बिछाने पर निष्फल व्यय
	9.27	पूर्तिकारों को अधिक भुगतान
	9.29	व्यर्थ व्यय

परिशिष्ट - IX

भाग-ख

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1996 की संख्या 7 के लिए दू वि के राजस्व पैराओं के संबंध में बकाया की का टि की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या एवं वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए (1996 की 7)	7.2(ii)	ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बनाना
	परिशिष्ट-VII क्र.सं. 5	पुरानी दरों पर जारी किए गए बिल

परिशिष्ट - X

(पृष्ठ 92 पर पैराग्राफ 39 में संदर्भित)

भाग-क

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1997 की संख्या 6 के लिए दू वि के व्यय से संबंधित पैराओं के बारे में बकाया की का टि की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या एवं वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए (1997 की 6)	8.1	2 गीगा हर्टज डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली की अधिप्राप्ति
	8.2	हाई स्वीड वैरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल डॉटा नेटवर्क
	8.3	स्विचन उपस्कर का पट्टा अर्थप्रबन्ध
	8.4	ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क और जनजातीय उपयोजना
	9.1	सॉलर फोटो वॉल्टेक पैनल की अधिप्राप्ति
	9.2	जमा कार्यों की लागत की कम वसूली
	9.3	इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स एक्सचेंजों पर अनुत्पादक निवेश
	9.4	रक्षा परियोजना को पूरा करने में विलम्ब
	9.5	अग्रिम की गैर–वसूली और पूर्तिकारों को परिणामी अनुचित लाभ
	9.7	ठेकेदारों को अनुपयुक्त लाभ-4.31 करोड़ रू. की हानि
	9.8	सी एन ए प्रणाली की अत्यधिक अधिप्राप्ति
	9.9	हाई पावर एम्पलिफायरों के आयात पर व्यर्थ व्यय
	9.10	असाधारण रूप से उच्च दरों पर कार्य–निष्पादन में परिहार्य व्यय
	9.11	दोषपूर्ण केबिल का आयात
	9.12	एम ए आर आर उपस्कर की अधिप्राप्ति में फर्म को अनुचित लाभ
	9.13	दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण में राजस्व की हानि
	9.14	ई-10-बी एक्सचेंज–जयपुर के बाह्य प्लांट कार्य में अनियमितताएँ
	9.15	ऑटो पुलिंग मशीनों की अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति– 2.45 करोड़ रू.

क्रमशः.....

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या एवं वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
	9.16	उपस्कर के आयात पर परिहार्य व्यय
	9.17	स्प्लाइसिंग मशीनों के क्रय में अनियमितताएँ
	9.18	असावधानी के कारण सीमा–शुल्क का परिहार्य भुगतान
	9.19	अनावश्यक खरीद से पूर्तिकार के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार
	9.20	1.44 करोड़ रू. का अधिक भुगतान
	9.21	1.33 करोड़ रू. का अनियमित व्यय
	9.22	परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान
	9.23	अत्यधिक उच्च आवृति लिंक के प्रतिष्ठापन पर निष्फल व्यय
	9.26	परिहार्य व्यय
	9.27	अप्रचलित केबिल का निपटान न करना
	9.28	बीमा दावे की गैर–वसूली
	9.31	ट्रेवलिंग वेव ट्यूब के आयात पर अधिक व्यय
	9.32	सरकारी प्रेस में मुद्रण की उच्च लागत
	9.33	एक्सपेंशन टाइप बोल्ट की अनियमित अधिप्राप्ति
	9.34	संविदा के निबंधनों एवं शर्तों को लागू न करना
	9.36	प्रत्यायोजित शक्तियों का दुरूपयोग
	9.37	सीमेंट की अधिप्राप्ति पर अधिक व्यय
	9.39	अननुमत कीमत में उतार–चढ़ाव के कारण अधिक भुगतान
	9.40	व्यर्थ व्यय
	9.41	विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान

परिशिष्ट-X

भाग-ख

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1997 की संख्या 6 के लिए दू वि के राजस्व पैराओं के संबंध में बकाया की का टि की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (संख्या एवं वर्ष)	पैराग्राफ संख्या	विषय
मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए (1997 की 6)	7.2.2 परिशिष्ट IX, क्र.सं.8	**ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बनाना** पुरानी दरों पर जारी किए गए बिल
	7.2.6 परिशिष्ट XI, क्र.सं. 2,4, 12 और 19	**ग्राहकों के बिल न बनाना या कम बनाना** अन्य कारण

परिशिष्ट - XI
(पृष्ठ 92 पर पैराग्राफ 40 में संदर्भित)

व्यय पैराओं के विवरण जिन पर दू वि के उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थे
दूरसंचार विभाग

क्र. सं.	केस मार्क	विषय	जारी करने की तिथि
1	आर.आर.I/5340 कपूरथला	नुकसान हुये व घटिया ड्रॉपवायर ने गुणता प्रमाण–पत्र दिये (38.60 लाख रू.)	16.5.97
2	आर.आर.II/5339 चेन्नई	डक्ट में कवच वाले केबिलों के प्रयोग के कारण निष्फल व्यय (15.09 लाख रू.)	16.5.97
3	आर.आर.II/5017 नागपुर	सीमेंट कंकरीट डक्ट में अधिक विनिर्देशन के पी वी सी पाईप के बिछाने पर परिहार्य व्यय (26.76 लाख रू.)	16.5.97
4	आर.आर.II/5317 कपूरथला	परियोजना संगठन के विवेकहीन पहुँच ने आ फा के प्रणाली के पूरा होने में देरी की (172 लाख रू.)	20.5.97
5	आर.आर.I/5182 लखनऊ	मांग के बिना कार्य का निष्पादन (32.68 लाख रू.)	16.5.97
6	आर.आर.II/5397 चेन्नई	पर्याप्त मांग के बिना इलेक्ट्रॉनिक टेलेक्स कनसेन्ट्रेटर की क्षमता का विस्तार करने में व्यर्थ व्यय (29.91 लाख रू.)	24.6.97
7	आर.आर.II/5233 कलकत्ता	भवन–निर्माण व एक्सचेंज उपस्कर की अधिप्राप्ति पर निष्क्रिय निवेश (28.56 लाख रू.)	24.6.97
8	आर.आर.I/5448 नागपुर	शास्तिक प्रभारों के भुगतान पर परिहार्य व्यय (41.26 लाख रू.)	18.6.97
9	आर.आर.I/5342 चेन्नई	निजी एस टी डी ऑपरेटरों के लिये दूरभाष यंत्रों का अनावश्यक प्रावधान (51.26 लाख रू.)	23.6.97
10	आर.आर.II/5485 चेन्नई	अग्रिम का अनियमित भुगतान व पूर्तिकार से उसको वसूल करने में विभाग की विफलता (78.73 लाख रू.)	25.6.97
11	आर.आर.I/5272 भोपाल	दोषपूर्ण करार–परिवहन प्रभारों पर परिहार्य व्यय (16.13 लाख रू.)	10.7.97
12	आर.आर.I/4964 कटक	पाइपों के बिछाने पर अधिक व्यय (26.09 लाख रू.)	10.7.97
13	आर.आर.II/5335-अहमदाबाद/5499-नागपुर/ 5299-त्रिवेन्द्रम/ 5483- चेन्नई	इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन दूरभाष यंत्र की अनियमित अधिप्राप्ति (1.43 + 73.62 लाख रू.)	16.7.97
14	आर.आर.II/5341-बंगलोर/ 5391-जयपुर/5406-त्रिवेन्द्रम/ 5510- एस.डब्ल्यू.टी.सी.	परिवहन प्रभारों का अधिक भुगतान (1.67 करोड़ रू.)	16.7.97
15	आर.आर.I/5300 जयपुर	भूमि के क्रय में ब्याज का परिहार्य भुगतान (29.30 लाख रू.)	16.7.97

क्र. सं.	केस मार्क	विषय	जारी करने की तिथि
16	आर.आर.I/4988 पटना	दूरसंचार सुविधा देने में देरी (23.36 लाख रू.)	24.7.97
17	आर.आर.II/5467 कटक	संहिता प्रावधानों का विचार न करने से भूमि के क्रय में अधिक भुगतान और निधियों का अवरोध (13.82 लाख रू.)	12.8.97
18	आर.आर.I/5482 पटना	वर्दी के स्थान पर अनियमित नकद भुगतान	27.8.97
19	आर.आर.प्रोजेक्ट/5550	क्रय में अनुचित जल्दबाजी से निष्क्रिय उपस्कर/भण्डार और पूँजी का अवरोध	3.9.97
20	आर.आर.II/5445 अहमदाबाद	दूरभाष भवन के निर्माण में असाधारण देरी के परिणामस्वरूप सम्भाव्य राजस्व आदि की हानि (21.64 लाख रू.)	3.9.97
21	आर.आर.I/5265 बंगलोर	पी सी एम चालू करने में देरी के कारण निधियों का अवरोधन व्यर्थ व्यय, सम्भाव्य राजस्व की हानि और लाभांश का परिहार्य भुगतान	23.9.97
22	आर.आर.II/5563 दिल्ली	ई पी बी टी यंत्र की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय (62.81 लाख रू.)	14.10.97
23	आर.आर.I/5548 दिल्ली	उपग्रह प्रणाली में ट्रान्सपोंडरों के प्रयोग में असाधारण देरी (95.98 करोड़ रू.)	8.10.97
24	आर.आर.I/5484 चेन्नई	पूर्तिकार को 108.42 लाख रू. का अधिक भुगतान	14.10.97
25	आर.आर.I/5566 दिल्ली	आ फा के की अधिप्राप्ति में गम्भीर अनियमिततायें (1.51 करोड़ रू.)	20.10.97
26	आर.आर.II/5319 बंगलोर	पूर्तिकारों को 36.14 करोड़ रू. का अधिक भुगतान	6.11.97
27	आर.आर.II/5295 कलकत्ता/चेन्नई	सीमा–शुल्क, बीमा प्रीमियम और बैंक प्रभारों का अधिक भुगतान	7.11.97

परिशिष्ट - XII
(पृष्ठ 92 पर पैराग्राफ 40 में संदर्भित)
राजस्व पैराओं के विवरण जिन पर दू वि के उत्तर दिसम्बर 1997 तक प्रतीक्षित थे,
दूरसंचार विभाग

क्र.सं.	केस मार्क	विषय	जारी करने की तिथि
1	आर.आर.सी./5389 कपूरथला	देयों के गैर–भुगतान के बावजूद भी दूरसंचार सुविधाओं का जारी रहना (4.58 लाख रू.)	30.5.1997
2	आर.आर.III/5181 लखनऊ	किराये की गैर/कम वसूली–किराये का गलत निर्धारण	19.6.1997
3	आर.आर.III/5180 लखनऊ	किराये की गैर/कम वसूली–किराये का गलत निर्धारण	19.6.1997
4	आर.आर.III/5177 लखनऊ	किराये की गैर/कम वसूली–किराये का गलत निर्धारण	19.6.1997
5	आर.आर.III/5325 बंगलोर	निजी डॉटा नेटवर्क पर 19.08 लाख रू. के कम बिल बनाना	19.6.1997
6	आर.आर.सी./5378 त्रिवेन्द्रम	किराये का गलत निर्धारण (8.84 लाख रू.)	11.6.1997
7	आर.आर.सी./5437 कपूरथला	किराये का गलत निर्धारण (10.55 लाख रू.)	11.6.1997
8	आर.आर.III/5449 लखनऊ	संशोधित टैरिफ के गैर कार्यान्वयन के कारण किराये के गैर/कम बिल बनाना (13.78 लाख रू.)	3.7.1997
9	आर.आर.III/5450 नागपुर	रक्षा के लिये किराये के बिलों के जारी न होने के कारण 8.16 लाख रू. के किराये के बिल न बनाना	14.7.1997
10	आर.आर.III/5239/ नागपुर	106.88 लाख रू. के संज्ञापन–पत्रों की गैर–प्राप्ति	24.6.1997

क्रमशः.....

क्र.सं.	केस मार्क	विषय	जारी करने की तिथि
11	आर.आर.III/5364 नागपुर	106.88 लाख रू. के संज्ञापन–पत्रों की गैर–प्राप्ति	24.6.1997
12	आर.आर.III/5363 नागपुर	106.88 लाख रू. के संज्ञापन–पत्रों की गैर–प्राप्ति	24.6.1997
13	आर.आर.सी./5228 कपूरथला	किराये का गलत निर्धारण–1.28 करोड़ रू. के राजस्व की गैर–वसूली	1.7.1997
14	आर.आर.III/5425 नागपुर	बिल जारी करने/23.68 लाख रू. अतिरिक्त किराया वसूल करने की विफलता	16.7.1997
15	आर.आर.सी./5361 पटना	बिल न बनाना/कम बिल बनाना–अन्य कारण	7.7.1997
16	आर.आर.सी./5508 पटना	सार्वजनिक दस्तावेज सम्प्रेषण सेवा के लिए लाइसेंस फीस की गैर–वसूली (7.93 लाख रू.)	15.7.1997
17	आर.आर.III/5345 बंगलोर	गैर ओ वाई टी अभिदाताओं से संज्ञापन किराया जमा की गैर–वसूली (65.59 लाख रू.)	30.7.1997
18	आर.आर.III/5453 भोपाल	अग्रिम किराया बिलों के जारी न होने के कारण 74.64 लाख रू. के किराये का कम/गैर बिल बनाना	30.7.1997
19	आर.आर.III/5454 भोपाल	अभिदाताओं के अपने इलेक्ट्रॉनिक पी ए बी एक्स के संबंध में 7.17 लाख रू. के राजस्व की गैर–वसूली	30.7.1997
20	आर.आर.III/5489 जयपुर	डॉटा परिपथों के लिये 105.65 लाख रू. के किराये की कम वसूली	30.7.1997
21	आर.आर.III/5401 बंगलोर	2.20 करोड़ रू. के राजस्व की हानि	14.10.97
22	आर.आर.सी./5553 दिल्ली	उपग्रह प्रभारों व 84 करोड़ रू. के शास्तिक ब्याज की गैर–वसूली	20.10.97
23	आर.आर.सी./अध्याय-7	राजस्व बकाया	7.11.97
24	आर.आर.सी./अध्याय-7	टेलेक्स/इंटलेक्स प्रभार आदि	7.11.97
25	आर.आर.III/अध्याय-6	विनियोजन लेखे	12.12.97

शब्दावली तथा संक्षेप

एनलॉग	एक विद्युत संकेत जो मापित परिवर्तनशील भौतिक मात्रा के अनुरूप होता है
समाक्ष केबिल	एक केबिल जो बेलनाकार चालक के केन्द्र में एक अकेली तार जो विद्युत संकेतो को ले जाने के लिए एक युग्म बनाती है
क्रांसबार एक्सचेंज	एक दूरभाष एक्सचेंज जहाँ दो कड़िया (बार) एक स्पाट व दूसरी लम्बात्मक के प्रचालन द्वारा स्विचन सयोजन किये जाते हैं
के कं कि	केबिल कण्डक्टर किलोमीटर–केबिल शीथ किलोमीटर को प्रत्येक केबिल में कण्डक्टर युग्मो की संख्या द्वारा गुणन करने पर
सी टी एम एक्स	कम्प्यूटरीकृत ट्रक हस्तचालित एक्सचेंज
सी टी बक्स	केबिल टर्मिनल बक्स
सी यू जी	क्लोज़ड यूज़र ग्रुप
सी एक्स ला	सीधी एक्सचेंज लाइन, प्रत्येक दूरभाष संयोजन के लिए एक
डिजीटल एक्सचेंज	द्विअंगी स्पन्दों में कूटबद्ध किए गए संकेतों वाला एक्सचेंज और बहुत कम या गतिमान भागों सहित
ई डी बी पी एम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल
इ कुं प	इलेक्ट्रॉनिक कुंजी पटल
इ कुं प ए	इलेक्ट्रॉनिक कुंजी पटल एकाग्रता
वि या दू मु	विद्युत यांत्रिक दूरमुद्रक
ई पी ए बी एक्स	इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज
ई दू मु	इलेक्ट्रॉनिक दूरमुद्रक
एच डी पी ई	हाई डेनीसिटी पॉलिथीलीन
हर्टज या एच जैड	आवृत्ति (प्रति सैकेण्ड चक्र), हेनिरच हर्टज के नाम पर रखा गया–अधिकतर किलो 1000 - कि हर्टज, मेगा 1,000,000 - मेगा हर्टज या गीगा 1,000,000,000 - गीगा हर्टज की श्रेणियों में
उ आ	उच्च आवृत्ति
एच वी एन ई टी	हाई स्पीड वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल डॉटा नेटवर्क

भा क्रा ए	भारतीय क्रांसबार एक्सचेंज
आई एल टी	इंटीग्रेडिट लाइन एण्ड ट्रंक
भा रा उ	भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह
के यू बैण्ड	यह बैण्ड अबाधित लम्बी दूरी के उपग्रह सचार के लिए प्रयोग किया जाता है
ब स्व एक्स (मेक्स)	विद्युत मुख्य आपूर्ति पर संचालित बहुविध स्वचालित एक्सचेंज
मे बी/से	डिजीटल आवृत्ति प्रकट करता हुआ प्रति सैकेण्ड मेगा बिट्स
एम सी पी सी	बहु चैनल प्रति कैरियर
एम एस एस	मोबाइल उपग्रह सेवा
आप्टीकल फाइबर	फाइबर संकेतों के सम्प्रेषण के लिए प्रकाश तरंग प्रयोग करने वाले शीशे के फाइबर
अ दू (ओ वाई टी)	अपना दूरभाष
नि स्व शा एक्स (पी ए बी एक्स)	निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज
नि शा एक्स (पी बी एक्स)	निजी शाखा एक्सचेंज
पी सी एम	पल्स कोड मौडूलेशन
पी वी सी	पॉलिविनायल क्लोराइड
एस सी पी सी	एकल चैनल प्रति कैरियर (वाहक)
एस सी एस	उपभोक्ता वाहक प्रणाली
एस टी डी	उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग
ट्रं स्व एक्स (टेक्स)	ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज
टेलेक्स	दूरमुद्रक एक्सचेंज
अत्य उ आ (यू एच एफ)	अत्यधिक उच्च आवृत्ति (300 से 3000 मे हर्टज)
वी एस ए टी	वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल
अ उ आ	अति उच्च आवृति

शुद्धि पत्र

क सं	पृष्ठ संख्या	पैराग्राफ संख्या	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
1.	10	1.11	दूसरी और तीसरी	13046.65 करोड रू० तथा 7719.95 करोड रू०	7719.95 करोड रू० तथा 13046.65 करोड रू०
2.	18	3.2	नीचे से चौथी	समिति जिसमें प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के अतिरिक्त तीन सचिव थे ने	समिति ने
3.	31	7.2	ग्राफ संख्या 2 की नीचे से दूसरी	Year	वर्ष
4.	33	8	नीचे से चौथी	94	बहुत
5.	52	12. 6	नीचे से आठवीं	1322 रूपये	1332रू०
6.	78	25	आठवीं	मं अ दू	मं अ दू कलकत्ता
7.	80	28	नीचे से तीसरी	1994	फरवरी 1994
8.	90	37	चौथी	मार्च 1997 में दूरभाष जिला प्रबन्धक (दू जि प्र)	दूरभाष जिला प्रबन्धक (दू जि प्र) आगरा
9.	111	43.8	नीचे से पहली	अप्रैल 1997	1 अप्रैल 1997
10.	116	44.4	सत्रहवीं	1992 में	1992-93 में